*निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961[1]

भाग 1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ--(1) ये नियम निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 कहे जा सकेंगे ।

(2) ये 1961 की अप्रैल के 25वें दिन को प्रवृत्त होंगे :

परन्तु उस तारीख से पहले समाहृत किए गए किन्तु पूरे न हुए किसी निर्वाचन को या उसके संबंध में ये नियम लागू न होंगे और ऐसे किसी निर्वाचन को या उसके संबंध में लोक प्रतिनिधित्व (निर्वाचनों का संचालन और निर्वाचन अर्जी) नियम,1956 निरन्तर ऐसे लागू बने रहेंगे मानो ये नियम बनाए ही नहीं गए थे ।

2. निर्वचन---(1) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

(क) "अधिनियम" से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम,1951 (1951 का 43) अभिप्रेत है ;

(ख) "मतपेटी" के अन्तर्गत कोई पेटी, थैला या अन्य पात्र आता है जो इस प्रयोजन के लिए काम में लाया जाता है कि मतदाता उसमें मतपत्र डाल दें ;

[2][(खक) "प्रतिपर्ण" से इन नियमों के उपबन्धों के अधीन मुद्रित मतपत्र के साथ संलग्न प्रतिपर्ण अभिप्रेत है ;]

[3] * * * * *

(ग) "सभा सदस्यों द्वारा निर्वाचन" से राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा या संघ राज्यक्षेत्र के निर्वाचकगण के सदस्यों द्वारा राज्य सभा के लिए निर्वाचन या राज्य की विधान सभा के सदस्यों द्वारा उस राज्य की विधान परिषद् के लिए निर्वाचन अभिप्रेत है;

(घ) "निर्वाचक" से सभा सदस्यों द्वारा निर्वाचन के संबंध में उस निर्वाचन में मत देने के लिए हकदार कोई व्यक्ति अभिप्रेत है ;

(ङ) "निर्वाचक नामावली" से सभा सदस्यों द्वारा निर्वाचन के संबंध में उस निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर द्वारा धारा 152 के अधीन रखी गई सूची अभिप्रेत है ;

(च) व्यक्ति का "निर्वाचक नामावली संख्यांक" से--

(i) उस व्यक्ति के बारे में निर्वाचक नामावली में प्रविष्टि का क्रम संख्यांक ;

(ii) निर्वाचक नामावली के उस भाग का क्रम संख्यांक जिसमें ऐसी प्रविष्टि है ; तथा

(iii) उस निर्वाचन-क्षेत्र का नाम, जिससे वह निर्वाचक नामावली सम्बद्ध है,

अभिप्रेत है;

[4][(छ) "प्ररूप" से वह प्ररूप अभिप्रेत है जो इन नियमों से संलग्न है और इसके अन्तर्गत किसी राज्य में किसी निर्वाचन के बारे में उस राज्य के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त भाषाओं में से किसी में उसका अनुवाद आता है;]

---

* नियमों को हाल ही में अधिसूचना सं. का. आ. 272(अ), तारीख 27 फरवरी, 2004 द्वारा संशोधित किया गया है ।

[1] विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं0 का0 आ0 859, तारीख 15 अप्रैल, 1961 के साथ प्रकाशित, देखिए भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3(ii), पृष्ठ 419 ।

[2] अधिसूचना सं0 का0 आ0 5573, तारीख 23 दिसम्बर, 1971 द्वारा अन्तःस्थापित ।

[3] अधिसूचना सं0 का0आ0 3875, तारीख 15 दिसम्बर, 1966 और अधिसूचना सं0 का0 आ0 1294(अ), तारीख 11 नवंबर, 2003 द्वारा खंड (खख) का लोप किया गया ।

[4] अधिसूचना सं0 का0 आ0 3450, तारीख 9 नवम्बर, 1966 द्वारा खंड (छ) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[1][(छछ) "निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति" से निर्वाचक नामावली की वह प्रति अभिप्रेत है, जो उन निर्वाचकों को जिन्हें, किसी निर्वाचन में मतपत्र दिए जाते हैं,नामों को चिह्नित करने के प्रयोजन के लिए अलग रखी जाती है ;]

(ज) "मतदान केन्द्र" से सभा सदस्य द्वारा निर्वाचन के संबंध में उस निर्वाचन में मतदान के लिए धारा 29 के अधीन नियत स्थान अभिप्रेत है ;

(झ) "पीठासीन आफिसर" के अन्तर्गत आता है--

(i) धारा 26 की उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन पीठासीन आफिसर के कृत्यों में से किसी का पालन करने वाला कोई मतदान आफिसर ; तथा

(ii) धारा 29 की उपधारा (2) के अधीन निर्वाचन में पीठासीन कोई रिटर्निंग आफिसर ;

(ञ) "रिटर्निंग आफिसर" के अन्तर्गत ऐसे किसी कृत्य का पालन करने वाला कोई सहायक रिटर्निंग आफिसर आता है जिसका पालन करने के लिए वह धारा 22 की उपधारा (2) के अधीन प्राधिकृत है ;

(ट) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है ।

(2) जो व्यक्ति अपना नाम लिखने में असमर्थ है यदि--

(क) वह लिखत या अन्य कागज पर अपना चिह्न रिटर्निंग आफिसर की या पीठासीन आफिसर की या ऐसे अन्य आफिसर की, जिसे निर्वाचन आयोग इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, उपस्थिति में कर देता है ; तथा

(ख) ऐसा आफिसर उस व्यक्ति की अनन्यता के बारे में अपना समाधान हो जाने पर उस चिह्न को उस व्यक्ति के चिह्न के रूप में अनुप्रमाणित कर देता है,

तो उस व्यक्ति की बाबत, जब तक कि इन नियमों में अन्यथा अभिव्यक्त रूप से उपबंधित न हो, अधिनियम या इन नियमों के प्रयोजनों के लिए यह समझा जाएगा कि उसने ऐसी लिखत या अन्य कागज को हस्ताक्षरित कर दिया है ।

(3) जब तक कि इन नियमों में अन्यथा अभिव्यक्त रूप से उपबंधित न हो, इन नियमों के अधीन की ऐसी किसी अपेक्षा का कि किसी प्राधिकारी द्वारा निकाली गई या किए गए या की गई या दी गई या बनाई गई कोई अधिसूचना,आदेश,घोषणा,सूचना या सूची शासकीय राजपत्र में प्रकाशित की जाएगी या किया जाएगा अर्थ यह लगाया जाएगा कि यदि वह संसद् के दोनों सदनों में से किसी सदन या निर्वाचकगण के लिए निर्वाचन या सदस्यता से सम्बद्ध है तो वह भारत के राजपत्र में और यदि वह राज्य विधान-मंडल के सदन या दोनों सदनों में से किसी सदन के लिए निर्वाचन या सदस्यता से सम्बद्ध है तो वह राज्य के शासकीय राजपत्र में ऐसी अधिसूचना,ऐसे आदेश,ऐसी घोषणा, सूचना या सूची के प्रकाशित किए जाने के लिए अपेक्षा है ।

(4) साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) इन नियमों के निर्वाचन के लिए उसी प्रकार लागू होगा जैसे वह संसद् के अधिनियम के निर्वाचन के लिए लागू है ।

भाग 2

साधारण उपबन्ध

3. आशयित निर्वाचन की लोक सूचना---आशयित निर्वाचन की लोक सूचना जो धारा 31 में निर्दिष्ट है प्ररूप 1 में होगी और निर्वाचन आयोग के किन्हीं निदेशों के अध्यधीन रहते हुए ऐसी रीति में प्रकाशित की जाएगी जैसी रिटर्निंग आफिसर ठीक समझता है ।

4. **नामनिर्देशन-पत्र**---हर नामनिर्देशन-पत्र, जो धारा 33 की उपधारा (1) के अधीन उपस्थित किया गया है, 2क से लेकर 2ङ तक के प्ररूपों में से ऐसे प्ररूप में पूरा किया जाएगा जैसा समुचित हो :

परन्तु प्ररूप 2क या प्ररूप 2ख में नामनिर्देशन-पत्र में प्रतीकों के बारे में घोषणा को पूरी करने में असफलता या पूरी करने की त्रुटि की बाबत यह न समझा जाएगा कि वह धारा 36 की उपधारा (4) के अर्थ के अन्दर सारवान् स्वरूप की त्रुटि है।

[2]**[4क. नामांकन पत्र देते समय फाइल किए जाने वाले शपथ पत्र का प्ररूप** --यथास्थिति, अभ्यर्थी या उसका प्रस्तावकर्ता अधिनियम की धारा 33 की उपधारा (1) के अधीन रिटर्निंग आफिसर को नामांकन पत्र देते समय उसे, प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट या किसी नोटरी के समक्ष प्ररूप 26 में अभ्यर्थी द्वारा ली गई शपथ का एक शपथ पत्र भी देगा ।]

---

[1] अधिसूचना सं0 का0 आ0 5573, तारीख 23 दिसम्बर, 1971 द्वारा खंड (छछ) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] अधिसूचना सं0 का0 आ0 935(अ), तारीख 8 सितम्बर, 2002 द्वारा अंतःस्थापित ।

5. संसदीय और सभा निर्वाचन-क्षेत्रों में निर्वाचनों के लिए प्रतीक---(1) निर्वाचन आयोग भारत के राजपत्र में और हर एक राज्य के शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उन प्रतीकों का, जिन्हें संसदीय या सभा निर्वाचन-क्षेत्रों में निर्वाचनों में के अभ्यर्थी चुन सकेंगे और उन निर्बन्धनों का, जिनके अध्यधीन उनका चुनाव होगा, विनिर्देश करेगा ।

(2) [1][नियम 10 के चाहे उपनियम (4) या उपनियम (5) के अधीन निर्वाचन आयोग द्वारा निकाले गए किसी साधारण या विशेष निर्देश के अध्यधीन जहां कि किसी ऐसे निर्वाचन में] अभ्यर्थी के द्वारा या की ओर से एक से अधिक नामनिर्देशन-पत्र परिदत्त किए गए हैं वहां प्रथम परिदत्त नामनिर्देशन-पत्र में प्रतीकों के बारे में की गई घोषणा, न कि प्रतीकों के बारे में कोई अन्य घोषणा, नियम 10 के अधीन विचारगत की जाएगी भले ही वह नामनिर्देशन-पत्र प्रतिक्षेपित कर दिया गया हो।

6. निर्वाचन आयोग द्वारा निकाले गए प्रमाणपत्रों का अधिप्रमाणीकरण--निर्वाचन आयोग द्वारा [2][धारा 9 की उपधारा (2)] के अधीन या धारा 33 की उपधारा (3) के अधीन दिया गया प्रमाणपत्र निर्वाचन आयोग के सचिव द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा और उस पर उसकी पदीय मुद्रा लगी होगी ।

7. नामनिर्देशनों की सूचना--धारा 35 के अधीन नामनिर्देशनों की सूचना 3क से लेकर 3ग तक के प्ररूपों में से ऐसे प्ररूप में होगी जैसा समुचित हो ।

[3][**8. विधिमान्यतः नामनिर्देशित अभ्यर्थियों की सूची**---(1) विधिमान्यतः नामनिर्देशित अभ्यर्थियों की सूची, जो धारा 36 की उपधारा (8) में विनिर्दिष्ट है, प्ररूप 4 में होगी ।

(2) हर ऐसे अभ्यर्थी का नाम उक्त सूची में उसी रूप में दर्शित किया जाएगा जिसमें वह उसके नामनिर्देशन-पत्र में प्रकट किया गया है :

परन्तु यदि अभ्यर्थी का विचार है कि उसका नाम उसके नामनिर्देशन-पत्र में अशुद्ध हिज्जों में लिखा गया है या अन्यथा अशुद्ध रूप से दर्शित किया गया है, या उस नाम से भिन्न है, जिससे वह लोगों में जाना जाता है, तो वह निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को सूची के तैयार होने से पूर्व किसी भी समय रिटर्निंग आफिसर को अपने नाम का उचित रूप और हिज्जे लिखित रूप में देगा और रिटर्निंग आफिसर उस प्रार्थना के असलीपन के बारे में अपना समाधान हो जाने पर प्ररूप 4 की सूची में आवश्यक शुद्धि या परिवर्तन करेगा और निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में वही रूप और हिज्जे अंगीकृत करेगा ।]

9. अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना--(1) धारा 37 की उपधारा (1) के अधीन अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना प्ररूप 5 में होगी और उसमें वे विशिष्टियां अन्तर्विष्ट होंगी जो उसमें उपवर्णित हैं और रिटर्निंग आफिसर ऐसी सूचना की प्राप्ति पर उसमें वह तारीख और वह समय जिस पर वह परिदत्त की गई थी, टीप लेगा ।

(2) धारा 37 की उपधारा (3) के अधीन की सूचना प्ररूप 6 में होगी ।

10. निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची की तैयारी--(1) निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची, जो धारा 38 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट है, प्ररूप 7क या प्ररूप 7ख में से जो भी समुचित हो, उसमें होगी और उसमें वे विशिष्टियां अन्तर्विष्ट होंगी जो उसमें उपवर्णित हैं और ऐसी भाषा या भाषाओं में तैयार की जाएंगी जैसी निर्वाचन आयोग निर्दिष्ट करे ।

[4]* * * * *

(3) यदि सूची एक से अधिक भाषाओं में तैयार की जाती है तो अभ्यर्थियों के उसमें नाम उन भाषाओं में से एक ऐसी भाषा की लिपि के वर्णक्रम से लिखे जाएंगे जैसी निर्वाचन आयोग निर्दिष्ट करे ।

---

[1] अधिसूचना सं0 का0 आ0 5573, तारीख 23 दिसम्बर, 1971 द्वारा कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[2] अधिसूचना सं0 का0 आ0 1542, तारीख 25 अप्रैल, 1967 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[3] अधिसूचना सं0 का0 आ0 3450, तारीख 9 नवम्बर, 1966 द्वारा नियम 8 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[4] अधिसूचना सं0 का0 आ0 3662, तारीख 12 अक्तूबर, 1964 द्वारा उपनियम (2) का लोप किया गया ।

(4) संसदीय या सभा निर्वाचन-क्षेत्र में के किसी निर्वाचन में जहां कि मतदान आवश्यक हो जाता है वहां निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा अपने नामनिर्देशन-पत्रों में अभिव्यक्त किए गए प्रतीकों संबंधी चुनाव पर रिटर्निंग आफिसर विचार करेगा और निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त निकाले गए किसी साधारण या विशेष निदेश के अध्यधीन--

(क) निर्वाचन लड़ने वाले हर एक अभ्यर्थी को उसके अपने चुनाव के यावत्साध्य अनुरूप भिन्न-भिन्न प्रतीक आबंटित करेगा ; तथा

(ख) यदि निर्वाचन लड़ने वाले एक से अधिक अभ्यर्थियों ने एक ही प्रतीक के लिए अपना अधिमान उपदर्शित किया है तो लाट द्वारा यह विनिश्चय करेगा कि वह प्रतीक ऐसे अभ्यर्थियों में से किसको आबंटित किया जाए।

(5) अभ्यर्थी को रिटर्निंग आफिसर द्वारा किसी प्रतीक का आबंटन वहां के सिवाय अन्तिम होगा जहां कि वह निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त निकाले गए किन्हीं निर्देशों से असंगत है और ऐसी दशा में निर्वाचन आयोग आबंटन को ऐसी रीति से पुनरीक्षित कर सकेगा जैसी वह ठीक समझता है ।

(6) हर अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता को, अभ्यर्थी को आबंटित प्रतीक की इत्तिला तत्क्षण दी जाएंगी और उसे रिटर्निंग आफिसर उसका एक नमूना भी देगा ।

[1][**11. निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन और निर्विरोध निर्वाचन की दशा में परिणाम की घोषणा**--(1) रिटर्निंग आफिसर निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची की तैयारी के पश्चात् तुरन्त उस सूची की एक प्रति अपने कार्यालय में किसी सहजदृश्य स्थान में लगवाएगा और जहां निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या भरे जाने वाले स्थानों की संख्या के बराबर या उससे कम हो, वहां वह सूची लगवाने के ठीक पश्चात् धारा 53 की, यथास्थिति, उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन निर्वाचन का परिणाम, प्ररूप 21 से 21ख तक में से किसी ऐसे एक प्ररूप में, जो समुचित हो, घोषित करेगा और घोषणा की हस्ताक्षरित प्रतियां समुचित प्राधिकारी, निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन आफिसर को भेजेगा ।

(2) यदि धारा 53 की उपधारा (1) के अधीन मतदान आवश्यक हो जाए तो रिटर्निंग आफिसर निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची की एक प्रति ऐसे प्रत्येक अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता को देगा और तब सूची को शासकीय राजपत्र में भी प्रकाशित करेगा ।]

12. निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति--[2][(1) धारा 40 के अधीन निर्वाचन अभिकर्ता की कोई नियुक्ति प्ररूप 8 में की जाएगी और ऐसी नियुक्ति की सूचना रिटर्निंग आफिसर को दो प्रतियों में भेजकर दी जाएगी जो उनमें से एक प्रति को उस पर उस नियुक्ति के अपने अनुमोदन के साक्ष्यस्वरूप अपनी मुद्रा लगाने और हस्ताक्षर करने के पश्चात् निर्वाचन अभिकर्ता को वापस कर देगा ।]

(2) निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति का, धारा 42 की उपधारा (1) के अधीन, प्रतिहरण प्ररूप 9 में किया जाएगा।

13. मतदान अभिकर्ताओं की नियुक्ति---(1) जितने मतदान अभिकर्ता धारा 46 के अधीन नियुक्त किए जा सकेंगे, वे एक अभिकर्ता और दो अवमुक्ति अभिकर्ता होंगे ।

(2) हर ऐसी नियुक्ति प्ररूप 10 में की जाएगी और, यथास्थिति, मतदान केन्द्र या मतदान के लिए नियत स्थान में पेश की जाने के लिए मतदान अभिकर्ता को दे दी जाएगी ।

(3) जब तक कि किसी मतदान अभिकर्ता ने पीठासीन आफिसर के उपनियम (2) के अधीन वाली अपनी नियुक्ति की लिखत, उसमें अन्तर्विष्ट घोषणा को पीठासीन आफिसर के समक्ष सम्यक् रूप से पूर्ण हस्ताक्षरित करने के पश्चात् परिदत्त न कर दी हो उसे मतदान केन्द्र या मतदान के लिए नियत स्थान में प्रवेश न करने दिया जाएगा ।

14. मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति का प्रतिसंहरण---(1) मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति का धारा 48 की उपधारा (1) के अधीन प्रतिसंहरण प्ररूप 11 में किया जाएगा और पीठासीन आफिसर के पास दाखिल किया जाएगा ।

(2) अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता किसी ऐसे प्रतिसंहरण की दशा में नई नियुक्ति मतदान बन्द होने के पहले किसी भी समय नियम 13 में विनिर्दिष्ट रीति से कर सकेगा और हर ऐसे अभिकर्ता को उस नियम के उपबन्ध लागू होंगे ।

---

[1] अधिसूचना सं0 का आ0 4542, तारीख 20 दिसम्बर, 1968 द्वारा (1-1-1969 से) प्रतिस्थापित ।

[2] अधिसूचना सं0 का0 आ0 3450, तारीख 9 नवम्बर, 1966 द्वारा उपनियम (1) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

15. मतदान के लिए नियत समय का प्रकाशन---मतदान के लिए धारा 56 के अधीन नियत समय शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाएगा ।

16. मत प्रसामान्यतः स्वयं दिए जाएंगे---यथा एतस्मिन्पश्चात् उपबन्धित के सिवाय निर्वाचन में मत देने वाले सब निर्वाचक, यथास्थिति, धारा 25 के अधीन अपने लिए उपबंधित किए गए मतदान केन्द्र में या धारा 29 के अधीन नियत मतदान के स्थान पर स्वयं मत देंगे ।

भाग 3

डाक-मतपत्र

17. परिभाषाएं----इस भाग में--

[1][(क) "सेवा नियोजित मतदाता" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो धारा 60 के खंड (क) या खंड (ख) में विनिर्दिष्ट है किन्तु इसके अंतर्गत नियम 27ङ में परिभाषित "अधिसूचित सेवा नियोजित मतदाता" नहीं है ;

(ख) "विशेष मतदाता" से ऐसे पद का धारक कोई व्यक्ति जिस पद की बाबत यह घोषणा की गई है कि उसको लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 20 की उपधारा (4) के उपबंध लागू हैं या ऐसे व्यक्ति की पत्नी अभिप्रेत है, यदि वह व्यक्ति या उसकी पत्नी उक्त धारा की उपधारा (5) के अधीन किए गए कथन के आधार पर निर्वाचक के रूप में रजिस्ट्रीकृत है ;

(ग) "निर्वाचन-कर्तव्यारूढ़ मतदाता" से मतदान अभिकर्ता, कोई मतदान आफिसर, पीठासीन आफिसर या अन्य लोक सेवक अभिप्रेत है जो निर्वाचन-क्षेत्र में निर्वाचक है और निर्वाचन-कर्तव्यारूढ़ होने के कारण उस मतदान केन्द्र से मत देने में असमर्थ है जहां कि वह मत देने का हकदार है ।

18. डाक द्वारा मत देने के हकदार व्यक्ति----एतस्मिनपश्चात् विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं की पूर्ति करने के अध्यधीन रहते हुए निम्नलिखित व्यक्ति, अर्थात् :--

(क) संसदीय या सभा निर्वाचन-क्षेत्र में होने वाले निर्वाचन में--

(i) विशेष मतदाता ;

(ii) सेवा नियोजित मतदाता ;

(iii) निर्वाचन-कर्तव्यारूढ़ मतदाता ;

(iv) निवारक निरोध के अध्यधीन निर्वाचक ;

(ख) परिषद् निर्वाचन क्षेत्र में होने वाले निर्वाचन में–

(i) निर्वाचन कर्तव्यारूढ़ मतदाता ;

(ii) निवारक निरोध के अध्यधीन निर्वाचक ; तथा

(iii) निर्वाचन-क्षेत्र के संपूर्ण या ा किन्हीं विनिर्दिष्ट भागों में निर्वाचक उस सूरत में जिसमें कि नियम 68 के खंड (ख) के अधीन इस निमित्त निर्वाचन आयोग द्वारा निर्दिष्ट हों ;

(ग) सभा सदस्यों द्वारा किसी निर्वाचन में--

(i) निवारक निरोध के अध्यधीन निर्वाचक ; तथा

(ii) सब निर्वाचक उस दशा में, जिसमें कि नियम 68 के खंड (क) के अधीन इस निमित्त निर्वाचन आयोग द्वारा निर्दिष्ट हों,

सभा सदस्यों द्वारा निर्वाचन में,

डाक द्वारा मत देने के हकदार होंगे ।

---

[1] अधिसूचना सं0 का0 आ0 903(अ) तारीख 5 अगस्त, 2003 द्वारा प्रतिस्थापित ।

19. विशेष मतदाताओं द्वारा प्रज्ञापना---जो विशेष मतदाता निर्वाचन में डाक द्वारा मत देना चाहता है वह रिटर्निंग आफिसर को प्ररूप 12 में प्रज्ञापना ऐसे भेजेगा कि वह मतदान की तारीख से कम से कम दस दिन पहले उसके पास पहुंच जाए और प्रज्ञापना के प्राप्त होने पर रिटर्निंग आफिसर उसे एक डाक-मतपत्र भेज देगा ।

20. निर्वाचन-कर्तव्यारूढ़ मतदाताओं द्वारा प्रज्ञापना---[1][(1)] जो निर्वाचन-कर्तव्यारूढ़ मतदाता निर्वाचन में डाक द्वारा मत देना चाहता है वह रिटर्निंग आफिसर को प्ररूप 12 में आवेदन ऐसे भेजेगा कि वह मतदान की तारीख से कम से कम सात दिन या ऐसी अल्पतर कालावधि से जैसी रिटर्निंग आफिसर अनुज्ञात करे, पहले उसके पास पहुंच जाए, और यदि रिटर्निंग आफिसर का समाधान हो जाता है कि आवेदक निर्वाचन-कर्तव्यारूढ़ मतदाता है तो वह उसे एक डाक-मतपत्र जारी कर देगा ।

[2][(2) जहां कि ऐसा मतदाता, उस निर्वाचन-क्षेत्र में जिसका वह निर्वाचक है, निर्वाचन-कर्तव्यारूढ़ मतदान आफिसर, पीठासीन आफिसर या अन्य लोक सेवक होते हुए [3][संसदीय या सभा निर्वाचन-क्षेत्र में] के निर्वाचन में स्वयं, न कि डाक द्वारा मत देना चाहता है, वहां वह रिटर्निंग आफिसर को प्ररूप 12क में आवेदन ऐसे भेजेगा कि वह मतदान की तारीख से कम से कम चार दिन या ऐसी अल्पतर कालावधि से, जैसी रिटर्निंग आफिसर अनुज्ञात करे पहले उसके पास पहुंच जाए, और यदि रिटर्निंग आफिसर का समाधान हो जाता है कि आवेदक उस निर्वाचन-क्षेत्र में निर्वाचन-कर्तव्यारूढ़ ऐसा लोक सेवक और मतदाता है तो वह--

(क) आवेदक को प्ररूप 12ख में निर्वाचन-कर्तव्य प्रमाणपत्र जारी कर देगा,

(ख) निर्वाचन नामावली की चिह्नित प्रति में उसके नाम के सामने "नि0क0प्र0" यह उपदर्शित करने के लिए अंकित करेगा कि उसे निर्वाचन-कर्तव्य प्रमाणपत्र जारी कर दिया गया है, तथा

(ग) यह सुनिश्चित करेगा कि वह उस मतदान केन्द्र पर, जिस पर वह मत देने के लिए अन्यथा हकदार होता, मत देने के लिए अनुज्ञात न किया जाए ।]

21. निवारक निरोध के अधीन निर्वाचन---(1) समुचित सरकार निर्वाचन के समाहूत किए जाने के पन्द्रह दिन के अन्दर, उन निर्वाचकों के, यदि कोई हों, नाम जो निवारक निरोध के अध्यधीन हैं, उनके पतों और निर्वाचक नामावली संख्यांकों तथा उनके निरोध के स्थानों की विशिष्टियों के सहित अभिनिश्चित करेगी और रिटर्निंग आफिसर को प्रज्ञापित करेगी ।

(2) निवारक निरोध के अध्यधीन कोई निर्वाचक के समाहूत किए जाने के पन्द्रह दिन के अन्दर अपना नाम, पता, निर्वाचक नामावली संख्यांक और निरोध के स्थान पर का विनिर्देश करते हुए रिटर्निंग आफिसर को यह प्रज्ञापना भेज सकेगा कि मैं डाक मत देना चाहता हूं ।

(3) निवारक निरोध के अध्यधीन हर निर्वाचक को, जिसके नाम की प्रज्ञापना रिटर्निंग आफिसर को उपनियम (1) के अधीन या उपनियम (2) के अधीन दी गई है रिटर्निंग आफिसर एक डाक-मतपत्र जारी कर देगा।

22. मतपत्र का प्ररूप----[4][(1) प्रत्येक डाक-मतपत्र के साथ एक प्रतिपर्ण संलग्न होगी और उक्त मतपत्र और प्रतिपर्ण ऐसे प्ररूप में होंगे और उनमें की विशिष्टियां ऐसी भाषा या भाषाओं में होंगी, जैसा या जैसी निर्वाचन आयोग निर्दिष्ट करे ।]

(2) अभ्यर्थियों के नाम [5][डाक-मतपत्र पर] उसी क्रम से लिखे होंगे जिसमें वे निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में दर्ज हैं ।

(3) यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों का एक ही नाम है तो उनकी उपजीविका या निवास-स्थान को जोडकर या किसी अन्य रीति में उनको सुभिन्न किया जाएगा ।

---

[1] अधिसूचना सं0 का0 आ0 3662, तारीख 12 अक्तूबर, 1964 द्वारा नियम 20 उसके उपनियम (1) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया गया ।
[2] अधिसूचना सं0 का0 आ0 3662, तारीख 12 अक्तूबर, 1964 द्वारा अन्तःस्थापित ।
[3] अधिसूचना सं0 का0 आ0 3450, तारीख 9 नवम्बर, 1966 द्वारा अन्तःस्थापित ।
[4] अधिसूचना सं0 का0 आ0 5573, तारीख 23 दिसम्बर, 1971 द्वारा उपनियम (1) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[5] अधिसूचना सं0 का0 आ0 5573, तारीख 23 दिसम्बर, 1971 द्वारा उपनियम (1) द्वारा अन्तःस्थापित ।

23. मतपत्रों का जारी किया जाना---(1) डाक प्रेषण प्रमाणपत्र के अधीन डाक द्वारा डाक-मतपत्र निर्वाचक को भेजा जाएगा, जिसके साथ---

(क) प्ररूप 13क में घोषणा ;

(ख) प्ररूप 13ख में लिफाफा ;

(ग) प्ररूप 13ग में रिटर्निंग आफिसर को सम्बोधित बड़ा लिफाफा ; तथा

(घ) निर्वाचक के मार्गदर्शन के लिए प्ररूप 13घ में अनुदेश,

भी होंगे :

परन्तु रिटर्निंग आफिसर विशेष मतदाता या निर्वाचन-कर्तव्यारूढ़ मतदाता की दशा में मतपत्र और प्ररूप स्वयं ऐसे मतदाता को परिदत्त कर सकेगा या परिदत्त करा सकेगा ।

[1][(2) रिटर्निंग आफिसर उसी समय--

(क) मतपत्र के प्रतिपर्ण पर निर्वाचक की वह निर्वाचक नामावली संख्या अभिलिखित करेगा जो निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति में प्रविष्ट है ;

(ख) निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति में, निर्वाचक का नाम यह उपर्दिशत करने के लिए चिह्नित करेगा कि उसे मतपत्र दिया गया है किन्तु वह उस निर्वाचक को दिए गए मतपत्र का क्रम संख्यांक उसमें अभिलिखित नहीं करेगा; और

(ग) यह सुनिश्चित करेगा कि वह निर्वाचक मतदान केन्द्र में मत देने के लिए अनुज्ञात न किया जाए ।]

(3) स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन-क्षेत्र में या सभा सदस्यों द्वारा निर्वाचन में निर्वाचक को कोई मतपत्र जारी करने के पहले मतपत्र का क्रम संख्यांक प्रभावपूर्ण रूप में ऐसी रीति से छिपाया जाएगा जैसी निर्वाचन आयोग निर्दिष्ट करे ।

(4) हर आफिसर, जिसकी देखरेख में या जिसके द्वारा डाक-मतपत्र भेजा जाता है, यह सुनिश्चित करेगा कि वह मतपत्र सम्बोधित व्यक्ति को अविलम्ब परिदत्त कर दिया जाए ।

(5) डाक द्वारा मत देने के लिए हकदार सब निर्वाचकों को मतपत्र जारी कर दिए जाने के पश्चात् रिटर्निंग आफिसर---

(क) संसदीय या सभा निर्वाचन-क्षेत्र में के निर्वाचन में निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति के उस भाग को जो सेवा-नियोजित मतदाताओं से संबद्ध है [2][नियम 27त के उपबंधों के अधीन रहते हुए, एक पैकेट में रखकर मुद्राबंद करेगा] और उसकी अंतर्वस्तुओं का संक्षिप्त वर्णन और वह तारीख, जिसको वह मुद्राबन्द किया गया है, पैकेट पर अभिलिखित करेगा और चिह्नित प्रति के अन्य सुसंगत भाग ऐसे [3][निर्वाचकों के नाम, जिन्हें मतदान केन्द्रों में मतपत्र, दिए गए हैं, निर्वाचकों को दिए गए मतपत्रों के क्रम संख्यांक उनमें अभिलिखित किए बिना, चिह्नित करने के लिए] विभिन्न पीठासीन आफिसरों को भेजेगा ; तथा

(ख) किसी अन्य निर्वाचन में निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति को एक पैकेट में रखकर मुद्राबन्द करेगा और उसकी अन्तर्वस्तुओं का संक्षिप्त वर्णन और वह तारीख जिसको वह मुद्राबंद किया गया है, पैकेट पर अभिलिखित करेगा।

[4][(6) रिटर्निंग आफिसर डाक द्वारा मतदान करने के लिए हकदार निर्वाचकों को दिए गए मतपत्रों के प्रतिपर्णों को एक अलग पैकेट में मुद्राबंद भी करेगा और पैकेट पर उसकी अंतर्वस्तु का संक्षिप्त वर्णन और वह तारीख अभिलिखित करेगा जिसको मुद्राबंद किया गया था ।]

24. मत का अभिलेखन---(1) जिस निर्वाचक को डाक-मतपत्र प्राप्त हुआ है और जो मत देना चाहता है वह मतपत्र पर अपना मत प्ररूप 13घ के भाग 1 में अन्तर्विष्ट निदेशों के अनुसार अभिलिखित करेगा और वह तब उसे प्ररूप 13ख वाले लिफाफे में बंद करेगा ।

---

[1] अधिसूचना सं0 का0 आ0 5573, तारीख 23 दिसम्बर, 1971 द्वारा उपनियम (2) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] अधिसूचना सं0 का0 आ0 903(अ), तारीख 5 अगस्त, 2003 द्वारा " एक पैकेट में रखकर मुद्राबंद करेगा" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[3] अधिसूचना सं0 का0 आ0 5573, तारीख 23 दिसम्बर, 1971 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[4] अधिसूचना सं0 का0 आ0 5573, तारीख 23 दिसम्बर, 1971 द्वारा अंतःस्थापित ।

(2) जो साम्बलिक मजिस्ट्रेट या नीचे विनिर्दिष्ट अन्य आफिसरों में से जो भी समुचित आफिसर निर्वाचक को स्वयं जानता है या जिसके समक्ष निर्वाचक समाधानप्रद रूप में पहचाना गया है उस मजिस्ट्रेट की या उस अन्य समुचित आफिसर की, अर्थात् :--

(क) सेवा नियोजित मतदाता की दशा में, उस आफिसर की, जो उस यूनिट, पोत या स्थापन के कमान आफिसर द्वारा इस निमित्त नियुक्त किया जाए, जिसमें, यथास्थिति, मतदाता या उसका पति नियोजित है या उस आफिसर को, उस देश में, जिसमें ऐसा मतदाता निवासी है, भारत के राजनयिक या कौंसलीय प्रतिनिधि द्वारा प्रदत्त इस निमित्त नियुक्त किया जाए ;

(ख) विशेष मतदाता की दशा में, उस आफिसर की जो सरकार के उपसचिव की पंक्ति से नीचे की पंक्ति का नहीं है ;

(ग) निर्वाचन-कर्तव्यारूढ़ मतदाता की दशा में किसी राजपत्रित आफिसर की [1][या उस मतदान केन्द्र के पीठासीन आफिसर की जिस पर वह निर्वाचन-कर्तव्यारूढ़ है] ;

(घ) निवारक निरोध के अधीन निर्वाचक की दशा में उस जेल के अधीक्षक या उस निरोध शिविर के समादेशक की, जिसमें वह निर्वाचक निरोधाधीन है ; तथा

(ङ) किसी अन्य दशा में, उस आफिसर की जो निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त अधिसूचित किया जाए,

उपस्थिति में निर्वाचक प्ररूप 13क वाली घोषणा पर हस्ताक्षर करेगा और उसमें अपने हस्ताक्षर को उसके द्वारा अनुप्रमाणित करा देगा ।

25. निरक्षर या शिथिलांग मतदाताओं की सहायता---(1) यदि निर्वाचक निरक्षरता, अन्धेपन या अन्य शारीरिक अंग-शैथिल्प के कारण अपना मत डाक-मतपत्र पर अभिलिखित करने में और घोषणा हस्ताक्षरित करने में असमर्थ है तो वह अपने द्वारा प्राप्त घोषणा और लिफाफों के सहित मतपत्र, नियम 24 के उपनियम (2) के अधीन अपने हस्ताक्षर को अनुप्रमाणित करने के लिए, सक्षम आफिसर के पास ले जाएगा और उस आफिसर से प्रार्थना करेगा कि वह उसकी ओर से उसका मत अभिलिखित करे और उसकी घोषणा हस्ताक्षरित करे ।

(2) ऐसा आफिसर तदुपरि मतपत्र को निर्वाचक की इच्छा के अनुसार उसकी उपस्थिति में चिह्नित करेगा, उसकी ओर से घोषणा हस्ताक्षरित करेगा और प्ररूप 13क में अंतर्विष्ट समुचित प्रमाणपत्र भर कर पूरा करेगा ।

26. मतपत्र का पुन: जारी किया जाना---(1) जबकि नियम 23 के अधीन भेजे गए डाक-मतपत्र और अन्य कागजपत्र किसी कारणवश अपरिदत्त लौटा दिए गए हों तब रिटर्निंग आफिसर अपने से प्रार्थना किए जाने पर उन्हें डाक प्रेषण प्रमाणपत्र के अधीन डाक द्वारा फिर उन्हें भेज सकेगा या स्वयं निर्वाचक को उन्हें परिदत्त कर सकेगा या परिदत्त करा सकेगा ।

(2) यदि किसी निर्वाचक ने अनवधानता से मतपत्र या अन्य कागजपत्रों में से किसी से, जो उसे नियम 23 के अधीन भेजे गए हैं, ऐसी रीति से बरता है कि वे सुविधानुसार उपयोग में नहीं लाए जा सकते तो कागजपत्रों का एक दूसरा संवर्ग खराब हुए कागजपत्रों को निर्वाचक द्वारा लौटाए जाने और रिटर्निंग आफिसर का समाधान अनवधानता के बारे में किए जाने पर उसे जारी कर दिया जाएगा ।

(3) रिटर्निंग आफिसर ऐसे लौटाए गए खराब कागजपत्रों को रद्द करेगा और निर्वाचन की विशिष्टियों और रद्द किए गए मतपत्रों के क्रम संख्यांकों को उस पर टिप्पण कर उन्हें पृथक् पैकेट में रखेगा ।

27. मतपत्र लौटाना---(1) निर्वाचक अपना मत अभिलिखित करने और नियम 24 या नियम 25 के अधीन अपनी घोषणा करने के पश्चात् वह मतपत्र और घोषणा रिटर्निंग आफिसर को उन अनुदशों के अनुसार जो उसे प्ररूप 13घ के भाग 2 में संसूचित किए गए हैं, ऐसे लौटा देगा कि वे रिटर्निंग आफिसर के पास [2][मतगणना के प्रारंभ के लिए नियत] समय से पहले पहुंच जाएं ।

(2) यदि डाक-मतपत्र अन्तर्विष्ट रखने वाला कोई लिफाफा रिटर्निंग आफिसर को उस समय के अवसान के पश्चात् जो उपनियम (1) के अधीन नियत है, प्राप्त होता है, तो वह उसकी प्राप्ति की तारीख और समय उस पर टीप लेगा और सब ऐसे लिफाफों को एक साथ पृथक् पैकेट में रखेगा ।

(3) रिटर्निंग आफिसर डाक-मतपत्र को अन्तर्विष्ट रखने वाले सब लिफाफों को जो उसे प्राप्त हुए हैं, मतों की गणना के प्रारंभ होने तक सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा ।

---

[1] अधिसूचना सं0 का0 आ0 3450, तारीख 9 नवंबर, 1966 द्वारा अंत:स्थापित ।

[2] अधिसूचना सं0 का0 आ0 479क, तारीख 27 जनवरी, 1971 द्वारा कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[1][भाग 3क

निर्वाचकों के अधिसूचित वर्ग द्वारा मतदान की प्रक्रिया

27क. परिभाषाएं--इस भाग में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,---

(क) "निर्वाचकों के अधिसूचित वर्ग के लिए सहायक रिटर्निंग आफिसर" से निर्वाचन आयोग द्वारा इस भाग के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित सहायक रिटर्निंग आफिसर अभिप्रेत है ;

(ख) "अधिसूचित निर्वाचक" से ऐसा निर्वाचक अभिप्रेत है जो निर्वाचन आयोग द्वारा अधिनियम की धारा 60 के खंड (ग) के अधीन अधिसूचित व्यक्तियों के वर्ग का है ।

27ख. निर्वाचकों के अधिसूचित वर्ग द्वारा मतदान के लिए विशेष उपबंध-- भाग 3 में किसी बात के होते हुए भी, इस भाग के उपबंध ऐसे अधिसूचित निर्वाचक को लागू होंगे जो किसी निर्वाचन में डाक द्वारा मत देना चाहता है ।

27ग. अधिसूचित निर्वाचक द्वारा प्रज्ञापना--ऐसा अधिसूचित निर्वाचक जो किसी निर्वाचन में डाक द्वारा मत देना चाहता है वह निर्वाचकों के अधिसूचित वर्ग के लिए सहायक रिटर्निंग आफिसर को प्ररूप 12ग में आवेदन ऐसे भेजेगा कि वह मतदान की तारीख से कम से कम दस दिन पूर्व उसके पास पहुंच जाए और ऐसी प्रज्ञापना प्राप्त होने पर ऐसा सहायक रिटर्निंग आफिसर उसे डाक मतपत्र जारी करेगा :

परन्तु यह कि ऐसा आवेदन जिसमें प्ररूप 12ग में अपेक्षित पूर्ण विशिष्टियां नहीं दी गई हैं, सहायक रिटर्निंग आफिसर द्वारा रद्द किया जा सकता है यदि युक्तियुक्त प्रयास करने पर भी वह अपेक्षित जानकारी अभिनिश्चित करने की स्थिति में नहीं है :

परन्तु यह भी कि प्ररूप 12ग में ऐसा आवेदन जिसके साथ प्ररूप 12ग के, भाग 2 के अधीन यथा अपेक्षित प्राधिकृत आफिसर का प्रमाणपत्र नहीं है, रद्द किया जा सकेगा ।

27घ. मतपत्र का प्ररूप--(1) प्रत्येक डाक मतपत्र के साथ प्रतिपर्ण संलग्न होगा और उक्त मतपत्र और प्रतिपर्ण ऐसे प्ररूप में होंगे और उसमें की विशिष्टियां ऐसी भाषा या भाषाओं में होंगी जैसी निर्वाचन आयोग निर्दिष्ट करे ।

(2) अभ्यर्थियों के नाम डाक मतपत्रों पर उस क्रम में क्रमांकित किए जाएंगे जिसमें वे निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में हैं ।

(3) यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों का एक ही नाम है, तो उनमें उनके व्यवसाय या निवास या किसी अन्य रीति से कोई परिवर्धन करके भेद किया जाएगा ।

27ङ. मतपत्रों का जारी किया जाना--(1) डाक मतपत्र, अधिसूचित निर्वाचक को डाक प्रेषण प्रमाणपत्र के अधीन डाक द्वारा भेजा जाएगा जिसके साथ---

(क) प्ररूप 13क में घोषणा होगी ;

(ख) प्ररूप 13ख में लिफाफा होगा ;

(ग) प्ररूप 13ग में सहायक रिटर्निंग आफिसर को संबोधित बड़ा लिफाफा होगा; और

(घ) प्ररूप 13ङ में निर्वाचक के मार्गदर्शन के लिए अनुदेश होंगे :

परन्तु निर्वाचकों के अधिसूचित वर्ग के लिए सहायक रिटर्निंग आफिसर मतपत्र और प्ररूप अधिसूचित निर्वाचक को व्यक्तिगत रूप से परिदत्त कर सकेगा या परिदान करा सकेगा ।

(2) निर्वाचकों के अधिसूचित वर्ग के लिए सहायक रिटर्निंग आफिसर, साथ ही,--

(क) मतपत्र के प्रतिपर्ण में निर्वाचक नामावली की चिह्नांकित प्रति में प्रविष्ट निर्वाचक नामावली की संख्या अभिलिखित करेगा ;

---

[1] अधिसूचना सं0 का0 आ0 32 (अ), तारीख 1 मई, 1996 द्वारा अंतःस्थापित और भाग 3क अधिसूचना सं. का0आ0 92(अ) तारीख 27 जनवरी, 1998 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(ख) निर्वाचक नामावली की चिह्नांकित प्रति में यह उपदर्शित करने के लिए कि उसे मतपत्र जारी किया जा चुका है, निर्वाचक के नाम पर चिह्न लगाएगा किन्तु वह निर्वाचक को जारी किए गए मतपत्र का क्रम संख्यांक उसमें अभिलिखित नहीं करेगा ;

(ग) यह सुनिश्चित करेगा कि निर्वाचक को किसी मतदान केन्द्र पर मतदान करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाता है ।

(3) प्रत्येक वह आधिकारी जिसकी देख-रेख में या जिसके माध्यम से डाक मतपत्र भेजा जा रहा है, संबोधित व्यक्ति को अविलंब उसका परिदान सुनिश्चित करेगा ।

(4) निर्वाचकों के अधिसूचित वर्ग के लिए सहायक रिटर्निंग आफिसर यह सुनिश्चित करेगा कि उन सभी निर्वाचकों को जिनकी प्रज्ञापना नियम 27ग के अनुसार प्राप्त हुई है और जो डाक द्वारा मत देने के हकदार हैं, निर्वाचन-क्षेत्र में मतदान की तारीख से आठ दिन पूर्व मतपत्र जारी कर दिए गए हैं तथा आठ दिन की उक्त अवधि की समाप्ति पर निर्वाचक नामावलियों की चिह्नांकित प्रतियां मोहरबंद लिफाफों में रखेगा और लिफाफों पर उसकी अंतर्वस्तु का संक्षिप्त वर्णन तथा वह तारीख, जिसको वह मोहरबंद किए गए थे अभिलिखित करेगा और संबधित रिटर्निंग आफिसर को ऐसे मोहरबंद लिफाफे भेजेगा ।

(5) निर्वाचकों के अधिसूचित वर्ग के लिए सहायक रिटर्निंग आफिसर, एक पृथक् पैकेट में, डाक द्वारा मत देने के हकदार निर्वाचकों को जारी किए गए मतपत्रों के प्रतिपर्ण मोहरबंद करेगा और पैकेट पर उसकी अंतर्वस्तु का संक्षिप्त वर्णन और वह तारीख, जिसको वह मोहरबंद किया गया था अभिलिखित करेगा और मोहरबंद पैकेट संबद्ध रिटर्निंग आफिसर को भेजेगा ।

27च. मत का अभिलिखित किया जाना--(1) ऐसा अधिसूचित निर्वाचक जिसे डाक मतपत्र प्राप्त हुआ है और जो मत देना चाहता है, मतपत्र पर प्ररूप 13ङ में अन्तर्विष्ट अनुदेशों के अनुसार अपना मत अभिलिखित करेगा और प्ररूप 13ख में के लिफाफे में उसे बंद करेगा ।

(2) अधिसूचित निर्वाचक प्ररूप 13क में घोषणा पर नियम 27ञ के उपनियम (2) के अधीन प्राधिकृत किसी आफिसर की उपस्थिति में हस्ताक्षर करेगा और उसके द्वारा हस्ताक्षर को अनुप्रमाणित कराएगा ।

27छ. निरक्षर या शिथिलांग निर्वाचकों की सहायता--(1) यदि अधिसूचित निर्वाचक निरक्षरता, अन्धेपन या अन्य शारीरिक अंग-शैथिल्य के कारण अपना मत डाक मतपत्र पर अभिलिखित करने में और घोषणा हस्ताक्षरित करने में असमर्थ है तो वह अपने द्वारा प्राप्त घोषणा और लिफाफों सहित मतपत्र, नियम 27ञ के उपनियम 2 के अधीन अपने हस्ताक्षर को अनुप्रमाणित कराने के लिए प्राधिकृत आफिसर के पास ले जाएगा और उस आफिसर से अनुरोध करेगा कि वह उसका मत अभिलिखित करे और उसकी ओर से उसकी घोषणा हस्ताक्षरित करे ।

(2) तब ऐसा आफिसर मतपत्र को निर्वाचक की इच्छा के अनुसार उसकी उपस्थिति में चिह्नित करेगा, उसकी ओर से घोषणा हस्ताक्षरित करेगा और इस निमित्त की जाने वाली सभी अपेक्षाओं को पूरा करेगा ।

27ज. मतपत्र का पुनः जारी किया जाना--(1) जब कि नियम 27ङ के अधीन भेजे गए डाक मतपत्र और अन्य कागज-पत्र, किसी कारणवश अपरिदत्त लौटा दिए गए हों तब निर्वाचकों के अधिसूचित वर्ग के लिए सहायक रिटर्निंग आफिसर, अनुरोध किए जाने पर डाक प्रेषण प्रमाणपत्र के अधीन डाक द्वारा फिर उन्हें भेज सकेगा (या) स्वयं निर्वाचक को उन्हें परिदत्त कर सकेगा या परिदत्त करा सकेगा ।

(2) यदि किसी अधिसूचित निर्वाचक ने, अनवधानता से मतपत्र या अन्य कागज-पत्रों में से किसी को, जो उसे नियम 27ङ के अधीन भेजे गए हैं, ऐसी रीति से बरता है कि वे सुविधानुसार उपयोग में नहीं लाए जा सकते हैं तो खराब हुए कागज-पत्रों के सैट को निर्वाचक द्वारा लौटाए जाने पर और निर्वाचकों के अधिसूचित वर्ग के लिए सहायक रिटर्निंग आफिसर को अनवधानता के बारे में समाधान किए जाने पर कागज-पत्रों का एक दूसरा सैट उसे जारी कर दिया जाएगा ।

(3) निर्वाचकों के अधिसूचित वर्ग के लिए सहायक रिटर्निंग आफिसर ऐसे लौटाए गए खराब कागजपत्रों को रद्द करेगा और निर्वाचन की विशिष्टियों और रद्द किए गए मतपत्रों के क्रम संख्याकों को, उस पर लिखकर उन्हें पृथक् पैकेट में रखेगा ।

27झ. मतपत्र लौटाना--(1) अधिसूचित निर्वाचक अपना मत अभिलिखित करने और नियम 27च या नियम 27छ के अधीन अपनी घोषणा करने के पश्चात् वह मतपत्र और घोषणा रिटर्निंग आफिसर को, ऐसे लौटा देगा कि वे संबद्ध रिटर्निंग आफिसर के पास मतगणना प्रारंभ करने के लिए नियत समय से पहले पहुंच जाएं ।

(2) यदि डाक मतपत्र वाला कोई लिफाफा रिटर्निंग आफिसर को उपनियम (1) में नियत समय के अवसान के पश्चात् प्राप्त होता है तो वह उसकी प्राप्ति की तारीख और समय उस पर लिखेगा और तब ऐसे लिफाफों को एक साथ पृथक् पैकेट में रखेगा ।

(3) रिटर्निंग आफिसर डाक मतपत्रों वाले सब लिफाफों को, जो उसे प्राप्त हुए हैं, मतों की गणना के प्रारंभ होने तक सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा ।

27ञ. इस भाग के अधीन कतिपय कृत्यों के निष्पादन के लिए प्राधिकृत आफिसर--(1) उपनियम (2) में वर्णित आफिसर निम्नलिखित प्रयोजन के लिए प्राधिकृत आफिसर होगा :--

(क) नियम 27छ का उपनियम (2) ;

(ख) प्ररूप 12ग के भाग (2) में प्रमाणपत्र जारी करना ।

(2) ऊपर उपनियम (1) के प्रयोजन के लिए प्राधिकृत आफिसर निम्नलिखित में से कोई एक आफिसर होगा :--

(क) किसी प्रवासी कैंप/ क्षेत्र का भारसाधक आफिसर ;

(ख) उस कार्यालय का भारसाधक आफिसर जिससे प्रवासी निर्वाचक प्रवासी कर्मचारी के रूप में अपना वेतन लेता है ;

(ग) ऐसे खजाने/बैंक का भारसाधक आफिसर जहां से प्रवासी निर्वाचक पेंशनभोगी के रूप में अपनी पेंशन लेता है;

(घ) कोई राजपत्रित आफिसर ।

27ट. निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति-- रिटर्निंग आफिसर यह सुनिश्चित करेगा कि अधिसूचित वर्ग के निर्वाचकों के लिए सहायक रिटर्निंग आफिसर से उसके द्वारा प्राप्त निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति निर्वाचन-क्षेत्र में मतदान के दौरान उपयोग में लाई जाएं ताकि ऐसे निर्वाचकों को जिन्हें डाक से मतपत्रों का प्रदाय किया गया है, वे दोबारा मतदान न कर सकें।

27ठ. नियम 54क में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, निर्वाचन आयोग, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा यह निदेश दे सकेगा कि नियम 59क के अधीन साधारण मतपत्रों को मिश्रित किए जाने के समय, डाक मतपत्र साधारण मतपत्रों के साथ मिश्रित किए जाएं और उस दशा में, निर्वाचन आयोग, रिटर्निंग आफिसर को निदेशों द्वारा वह रीति भी विहित कर सकेगा जिसमें किसी निर्वाचन-क्षेत्र में साधारण मतपत्रों के साथ डाक मतपत्रों का मिश्रण किया जाएगा ।]

[1][भाग 3ख

परोक्षी के माध्यम से अधिसूचित सेवा नियोजित मतदाताओं द्वारा मतदान

27ड. परिभाषाएं -- इस भाग में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अधिसूचित सेवा नियोजित मतदाता" से धारा 60 के खंड (क) में विनिर्दिष्ट ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने परोक्षी द्वारा अपना मत देने का विकल्प लिया है ;

(ख) "परोक्षी" से अधिसूचित सेवा नियोजित मतदाता द्वारा नियम 27ढ के अधीन उसकी ओर से और उसके नाम में मत देने के लिए अपने परोक्षी के रूप में नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है ;

(ग) "सेवा नियोजित मतदाता" से धारा 60 के खंड (क) में विनिर्दिष्ट और निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली के अंतिम भाग में निर्वाचक के रूप में रजिस्ट्रीकृत कोई व्यक्ति अभिप्रेत है ।

27ढ. अधिसूचित सेवा नियोजित मतदाता द्वारा परोक्षी की नियुक्ति – (1) सेवा नियोजित मतदाता उपनियम (2) से उपनियम (4) में उपबंधित रीति में नियुक्त परोक्षी द्वारा अपना मत देने का विकल्प ले सकेगा ।

(2) परोक्षी द्वारा मत देने का विकल्प लेने वाला कोई सेवा नियोजित मतदाता किसी संसदीय या सभा निर्वाचन-क्षेत्र के निर्वाचन में अपनी ओर से और अपने नाम में मत देने के लिए अपने परोक्षी के रूप में किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकेगा :

परन्तु ऐसा परोक्षी सम्बद्ध निर्वाचन-क्षेत्र का मामूली तौर से निवासी होगा और 18 वर्ष की आयु से कम नहीं होगा तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 16 के अधीन निर्वाचक नामावली में निर्वाचक के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए निरर्हित नहीं होगा ।

---

[1] अधिसूचना सं. का0आ0 903(अ), तारीख 5 अगस्त, 2003 द्वारा अंतःस्थापित ।

(3) उपनियम (2) के अधीन परोक्षी की नियुक्ति अधिसूचित सेवा नियोजित मतदाता द्वारा प्ररूप 13च में की जाएगी ।

(4) उपनियम (3) के अधीन की गई परोक्षी की कोई नियुक्ति तब तक विधिमान्य समझी जाएगी जब तक इसे करने वाला व्यक्ति सेवा नियोजित मतदाता के रूप में बना रहता है या जब तक वह ऐसी नियुक्ति को प्रतिसंगृहीत करता है या उसकी मृत्यु, इनमें जो भी पूर्वतर हो :

परन्तु नियुक्ति का कोई प्रतिसंहरण प्ररूप 13छ में किया जाएगा और उस तारीख से प्रभावी होगा जिसको वह रिटर्निंग आफिसर द्वारा प्राप्त किया गया है :

परन्तु यह और कि जहां उसके सेवा नियोजित मतदाता बने रहने के दौरान जब वह ऐसी नियुक्ति को प्रतिसंगृहीत करता है या उसके द्वारा नियुक्त परोक्षी की मृत्यु हो जाती है, तो वह इन नियमों के अधीन प्ररूप 13छ में परोक्षी के रूप में एक अन्य व्यक्ति को प्रतिस्थापित परोक्षी नियुक्त कर सकेगा और इस प्रकार नियुक्त प्रतिस्थापित परोक्षी उपनियम (3) के अधीन रिटर्निंग आफिसर द्वारा प्ररूप 13छ की प्राप्ति की तारीख से ऐसे अधिसूचित सेवा नियोजित मतदाता द्वारा नियुक्त, परोक्षी होगा ।

27ण. अधिसूचित सेवा नियोजित मतदाता द्वारा परोक्षी के नाम की प्रज्ञापना–(1) यथास्थिति, उपनियम (3) या नियम 27ढ के उपनियम (4) के दूसरे परन्तुक के अधीन अधिसूचित सेवा नियोजित मतदाता द्वारा नियुक्त परोक्षी का नाम उसके द्वारा ऐसी नियुक्ति किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र रिटर्निंग आफिसर को प्रज्ञापित किया जाएगा और ऐसी प्रज्ञापना रिटर्निंग आफिसर को ऐसी नियुक्ति के पश्चात् निर्वाचन-क्षेत्र में पूर्वतम निर्वाचन के लिए नामांकन करने के लिए अंतिम तारीख से पहले प्राप्त हो जानी चाहिए ।

(2) उपनियम (1) में किसी बात के होते हुए भी, यदि इस उपनियम के अधीन कोई प्रज्ञापना निर्वाचन-क्षेत्र में नामांकन करने की अंतिम तारीख के पश्चात् रिटर्निंग आफिसर को प्राप्त होती है तो ऐसी प्रज्ञापना उस समय होने वाले निर्वाचन के लिए विधिमान्य नहीं होगी किन्तु नियम 27ढ के उपनियम (4) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, निर्वाचन-क्षेत्र में किसी भावी निर्वाचन के लिए विधिमान्य होगी ।

27त. परोक्षी के नाम की प्रज्ञापना पर रिटर्निंग आफिसर द्वारा कार्रवाई -- (1) किसी अधिसूचित सेवा नियोजित मतदाता से उसके परोक्षी के संबंध में नियम 27ण के अधीन प्रज्ञापना की प्राप्ति पर, रिटर्निंग आफिसर सभी सेवा नियोजित मतदाताओं के नामों को अंतर्विष्ट करने वाली निर्वाचक नामावली के अंतिम भाग में ऐसे मतदाता के नाम के सामने "सी एस वी" लिखेगा जिससे यह उपदर्शित हो कि उक्त मतदाता ने अपना परोक्षी नियुक्त किया है और रिटर्निंग आफिसर -

(क) यदि प्रज्ञापना निर्वाचन-क्षेत्र में नामांकन करने के लिए अंतिम तारीख से पूर्व प्राप्त हुई है तो यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे अधिसूचित सेवा नियोजित मतदाता को कोई डाक मतपत्र जारी नहीं किया जाए ; और

(ख) यदि प्रज्ञापना उक्त अंतिम तारीख के पश्चात् प्राप्त हुई है तो यह सुनिश्चित करेगा कि उस समय होने वाले निर्वाचन के लिए ऐसे अधिसूचित सेवा नियोजित मतदाता को इन नियमों के भाग 3 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार डाक मतपत्र जारी किया जाए ।

(2) रिटर्निंग आफिसर ऐसी सभी अधिसूचित सेवा नियोजित मतदाताओं की एक पृथक् सूची तैयार करेगा और उसे अद्यतन रूप में भी रखेगा जिन्होंने नियम 27ण के अधीन अपने परोक्षियों की प्रज्ञापना दे दी है तथा ऐसे सभी परोक्षियों की भी, उनके पूरे पते के साथ ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में, जो समय-समय पर निर्वाचन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, पृथक् सूची तैयार करेगा और उसे अद्यतन रखेगा ।

(3) निर्वाचन-क्षेत्र में नामांकन करने के लिए अंतिम तारीख के पश्चात् यथाशीघ्र रिटर्निंग आफिसर उपनियम (2) के अधीन बनाई गई सूची के आधार पर और इस निमित्त ऐसे और निदेश के अधीन रहते हुए जो निर्वाचन आयोग द्वारा दिए जाएं, निर्वाचक नामावली में दिए गए ऐसे प्रत्येक अधिसूचित सेवा नियोजित मतदाता के निवास के पते को ध्यान में रखते हुए सभी नियोजित मतदाताओं और उनके परोक्षियों की मतदान केन्द्र के अनुसार उपसूचियां तैयार करेगा या करवाएगा ।

(4) उपनियम (3) के अधीन तैयार की गई प्रत्येक उपसूची तत्पश्चात् रिटर्निंग आफिसर प्रत्येक सम्बद्ध मतदान केन्द्र से संबंधित निर्वाचक नामावली के सुसंगत भाग के लिए अंत में जुड़वाई जाएगी और उक्त उपसूची के साथ निर्वाचक नामावली का ऐसा सुसंगत भाग निर्वाचक नामावली की प्रति समझा जाएगा जो, यथास्थिति, नियम 33क या नियम 49च के अधीन सम्बद्ध मतदान केन्द्र पर मतदान के दौरान निर्वाचक नामावली की अंकित प्रति के रूप में उपयोग की जाएगी ।

27थ. परोक्षी मतों का अभिलेखन--(1) किसी अधिसूचित सेवा नियोजित मतदाता के लिए परोक्षी के रूप में मतदान करने वाला व्यक्ति सम्बद्ध मतदान केन्द्र पर, जिसकी निर्वाचक नामावली में ऐसे अधिसूचित सेवा नियोजित मतदाता का नाम नियम 27त के उपनियम (4) के अधीन जोड़ा गया है, ऐसा व्यक्तिगत रूप से करेगा ।

(2) परोक्षी के रूप में मतदान करने वाला व्यक्ति उक्त मतदान केन्द्र पर अधिसूचित सेवा नियोजित मतदाता की ओर से उसी रीति में मत देगा जिस प्रकार उस मतदान केन्द्र को समनुदेशित कोई अन्य निर्वाचक करता है तथा, यथास्थिति, नियम 34, नियम 35 और नियम 36 से नियम 43 या नियम 49छ, 49ज, 49ञ से 49द के उपबंध ऐसे परोक्षी द्वारा मत के अभिलेखन के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे मतदान केन्द्र पर किसी अन्य निर्वाचक को लागू होते हैं :

परन्तु यथास्थिति, नियम 37 या नियम 49ट में निर्वाचक की बांई तर्जनी के प्रति किसी निर्देश का अर्थ उसी प्रकार लगाया जाएगा जैसे यह इस नियम के अधीन परोक्षी के रूप में मतदान करने वाले व्यक्ति की बांई मध्यमा के प्रति निर्देश हो ।]

भाग 4
संसदीय और सभा निर्वाचन-क्षेत्रों में मतदान

[1][अध्याय 1
मतपत्र द्वारा मतदान]

28. परिभाषाएं-- [2][इस अध्याय और अध्याय 2 में] जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो--

(क) "अभ्यर्थी" से निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी अभिप्रेत है,

(ख) "निर्वाचन-क्षेत्र" से संसदीय या सभा निर्वाचन-क्षेत्र अभिप्रेत है, तथा

(ग) "मतदान अभिकर्ता" से मतदान केन्द्र के सम्बन्ध में उस मतदान केन्द्र के लिए धारा 46 के अधीन सम्यक् रूप से नियुक्त अभ्यर्थी का मतदान अभिकर्ता अभिप्रेत है और अभ्यर्थी और अभ्यर्थी का निर्वाचन अभिकर्ता तब इसके अन्तर्गत आते हैं जबकि वे उस मतदान केन्द्र में उपस्थित हैं ।

29. मतपेटियों का परिकल्प---हर मतपेटी ऐसे परिकल्प की होगी जैसा निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित किया जाए।

30. मतपत्रों का प्ररूप---[3][(1) प्रत्येक मतपत्र के साथ एक प्रतिपर्ण संलग्न होगा और उक्त मतपत्र और प्रतिपर्ण ऐसे प्ररूप में होंगे और उनमें की विशिष्टियां ऐसी भाषा या भाषाओं में होंगी जैसा या जैसी निर्वाचन आयोग निर्दिष्ट करे ।]

(2) अभ्यर्थियों के नाम मतपत्र में उसी क्रम से लिखे होंगे जिसमें वे निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में दर्ज हैं।

(3) यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों का एक ही नाम है तो उनकी उपजीविका या निवास-स्थान को जोड़कर या किसी अन्य रीति में उनको सुभिन्न किया जाएगा ।

31. मतदान केन्द्रों में इंतजाम--(1) हर एक मतदान केन्द्र के बाहर--

(क) उस मतदान क्षेत्र को, जिसके मतदाता उस मतदान केन्द्र में मत देने के लिए हकदार हैं, और जबकि मतदान क्षेत्र में एक से अधिक मतदान केन्द्र हैं तब ऐसे हकदार निर्वाचकों की विशिष्टियां, विनिर्दिष्ट करने वाली सूचना, तथा

(ख) निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची की एक प्रति,

संलक्ष्यतः सम्प्रदर्शित की जाएगी ।

(2) हर एक मतदान केन्द्र में [4][एक या अधिक मतदान कोष्ठ] स्थापित किए जाएंगे जिनमें निर्वाचक परदे के पीछे रहकर संप्रेक्षित हुए बिना अपने मत दे सकेंगे ।

(3) रिटर्निंग आफिसर हर एक मतदान केन्द्र में पर्याप्त संख्या में मतपेटियां, निर्वाचक नामावली के सुसंगत भाग की प्रतियां, मतपत्र, मतपत्रों पर सुभिन्नक चिह्न मुद्रांकित करने के लिए उपकरण और मतपत्रों को चिह्नित करने के लिए निर्वाचकों के लिए आवश्यक चीजें उपबंधित करेगा ।

32. मतदान केन्द्रों में प्रवेश-- पीठासीन आफिसर निर्वाचकों की उस संख्या को विनियमित करेगा जिस संख्या में वे मतदान केन्द्र के अन्दर एक ही समय प्रवेश कर सकेंगे, तथा--

(क) मतदान आफिसरों के ;

(ख) निर्वाचन के संसंग में कर्तव्यारूढ़ लोक सेवकों के ;

(ग) निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों के ;

---

[1] अधिसूचना सं0 का0 आ0 230(अ), तारीख 24 मार्च, 1992 द्वारा अंतःस्थापित ।

[2] अधिसूचना सं0 का0 आ0 230(अ), तारीख 24 मार्च, 1992 द्वारा कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[3] अधिसूचना सं0 का0 आ0 5573(अ), तारीख 23 दिसम्बर, 1971 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[4] अधिसूचना सं0 का0 आ0 5573(अ), तारीख 23 दिसम्बर, 1971 द्वारा कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(घ) अभ्यर्थियों, उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं और नियम 13 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए हर एक अभ्यर्थी के एक मतदान अभिकर्ता के;

(ङ) निर्वाचक के साथ गोद वाले बालक के ;

(च) अन्धे या शिथिलांग निर्वाचक के जो सहायता के बिना चल फिर नहीं सकता, साथ वाले व्यक्ति के ; तथा

(छ) ऐसे अन्य व्यक्तियों के जिन्हें, रिटर्निंग आफिसर या पीठासीन आफिसर नियम 34 के उपनियम (2) या नियम 35 के उपनियम (1) के अधीन नियोजित करे,

सिवाय, सब अन्य व्यक्ति वहां से अपवर्जित करेगा ।

33. मतदान के लिए मतपेटियों का तैयार किया जाना--(1) जहां तक कि मतपेटी को सुरक्षित रूप से बन्द कराने के लिए पत्र-मुद्रा का उपयोग किया जाता है, वहां पीठासीन आफिसर पत्र-मुद्रा पर अपने हस्ताक्षर अंकित करेगा और उस पर उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं में से ऐसों के हस्ताक्षर कराएगा जो उन्हें अंकित करने की वांछा रखते हों ।

(2) पीठासीन आफिसर ऐसी हस्ताक्षरित पत्र-मुद्रा को मतपेटी में उसके लिए अभिप्रेत स्थान में तत्पश्चात् लगाएगा और मतपेटी को तब ऐसी रीति में सुरक्षित रूप से बंद और मुद्रांकित करेगा कि मतपत्र को उसके अन्दर घुसाने के लिए छेद खुला रहे ।

(3) मतपेटी को सुरक्षित रूप से बन्द करने के लिए उपयोग में लाई गई मुद्राएं ऐसी रीति में लगाई जाएंगी कि पेटी को बन्द कर देने के पश्चात् मुद्राओं को तोड़े बिना पेटी का खोलना संभव न हो ।

(4) जहां कि यह आवश्यक नहीं है कि मतपेटियों को सुरक्षित रूप से बन्द करने के लिए पत्र-मुद्राओं का उपयोग किया जाए वहां पीठासीन आफिसर मतपेटी को ऐसी रीति में सुरक्षित रूप से बन्द और मुद्रांकित करेगा कि मतपत्रों को उसके अन्दर घुसाने के लिए छेद खुला रहे और यदि उपस्थित मतदान अभिकर्ता ऐसा करने की वांछा करे तो उन्हें अपनी-अपनी मुद्रा उस पर लगाने की अनुज्ञा देगा।

(5) मतदान केन्द्र में प्रयुक्त हर मतपेटी के अन्दर और बाहर दोनों ओर लेबल लगे होंगे जिन पर--

(क) यदि निर्वाचन-क्षेत्र का कोई क्रम संख्यांक हो तो वह और उसका नाम;

(ख) मतदान केन्द्र का क्रम संख्यांक और नाम ;

(ग) मतपेटी का क्रम संख्यांक (जो मतपेटी के बाहर वाले लेबल पर ही मतदान की समाप्ति पर भरा जाएगा); तथा

(घ) मतदान की तारीख,

चिह्नित होगा या होगी ।

(6) मतदान के प्रारम्भ होने से अव्यवहित पूर्व पीठासीन आफिसर उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं और अन्य व्यक्तियों को यह निर्देशित करेगा कि मतपेटी खाली है और उस पर उपनियम (5) में निर्दिष्ट लेबल लगे हैं ।

(7) मतपेटी तब सुरक्षित रूप से बन्द और मुद्रांकित की जाएगी और इस प्रकार रखी जाएगी कि वह पीठासीन आफिसर और मतदान अभिकर्ताओं को पूर्णरूपेण दृष्टिगोचर रहे ।

[1][**33क. निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति**-- मतदान के प्रारंभ से ठीक पूर्व, पीठासीन आफिसर मतदान अभिकर्ताओं और अन्य उपस्थित लोगों को यह भी निर्देशित करेगा कि मतदान के दौरान काम में लाई जाने वाली निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति में--

[2][(क) नियम 20 के उपनियम (2) के खंड (ख) या नियम 27ङ के उपनियम (2) के खंड (ख) के अनुसरण में की गई प्रविष्टि से भिन्न कोई प्रविष्टि है; और]

[3][(ख) नियम 23 के उपनियम (2) के खंड (ख) या नियम 27ङ के उपनियम (2) के खंड (ख) के अनुसरण में लगाए गए चिह्न से भिन्न कोई चिह्न ।]]

---

[1] अधिसूचना सं0 का0आ0 5573, तारीख 23 दिसम्बर, 1971 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[2] अधिसूचना सं0 का0आ0 321(अ), तारीख 1 मई, 1996 द्वारा (1-5-1996 से) खंड (क) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[3] अधिसूचना सं0 का0आ0 628(अ), तारीख 4 अगस्त, 1999 द्वारा खंड (ख) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

34. मतदात्रिओं के लिए सुविधाएं---(1) जहां कि मतदान केन्द्र मतदाताओं और मतदात्रियों दोनों के लिए है वहां पीठासीन आफिसर यह निदेश दे सकेगा कि उनको मतदान केन्द्र में बारी-बारी से पृथक्-पृथक् टुकड़ियों में घुसने दिया जाएगा ।

(2) रिटर्निंग आफिसर या पीठासीन आफिसर किसी स्त्री मतदात्रियों को सहायता करने के लिए और मतदात्रियों की बाबत मतदान लेने में साधारणतया पीठासीन आफिसर की सहायता करने के लिए भी और विशिष्टतः किसी मतदात्री की उस दशा में तलाशी में मदद करने के लिए, जिसमें कि वह तलाशी आवश्यक हो, परिचारिका के रूप में किसी मतदान केन्द्र में सेवा करने के लिए नियुक्त कर सकेगा ।

35. निर्वाचनों का अभिज्ञान----(1) पीठासीन आफिसर ऐसे व्यक्तियों को जैसों को वह ठीक समझे मतदान केन्द्र में निर्वाचकों का अभिज्ञान करने में अपनी मदद करने के लिए या अन्यथा मतदान में अपनी सहायता करने के लिए नियोजित कर सकेगा ।

(2) जैसे-जैसे हर एक निर्वाचक मतदान केन्द्र में प्रवेश करे वैसे-वैसे पीठासीन आफिसर या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत मतदान आफिसर निर्वाचक के नाम और अन्य विशिष्टियों को निर्वाचक नामावली में की सुसंगत प्रविष्टि से मिलाएगा और तब निर्वाचक का क्रम संख्यांक, नाम और अन्य विशिष्टियां पढ़कर सुनाएगा ।

(3) जहां कि मतदान केन्द्र ऐसे निर्वाचन-क्षेत्र में आस्थित हैं जिसके निर्वाचकों को रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के उपबंधों के अधीन अभिज्ञान-पत्र दिए गए हैं वहां पीठासीन आफिसर या इस निमित्त उस द्वारा प्राधिकृत मतदान आफिसर के समक्ष निर्वाचक अपना अभिज्ञान-पत्र पेश करेगा ।

(4) मतपत्र अभिप्राप्त करने के व्यक्ति के अधिकार का विनिश्चय करने में, यथास्थिति, पीठासीन आफिसर या मतदान आफिसर निर्वाचक नामावली में की प्रविष्टि में कोरी लेखन संबंधी या मुद्रण संबंधी अशुद्धियों की उस दशा में अनवेक्षा करेगा जिसमें कि उसका समाधान हो जाता है कि ऐसा व्यक्ति निर्वाचक नहीं है जिससे कि ऐसी प्रविष्टि संबद्ध है ।

[1]**[35क. निर्वाचक-कर्तव्यारूढ़ लोक सेवकों के लिए सुविधाएं**---- (1) नियम 35 के उपबंध किसी ऐसे व्यक्ति को लागू न होंगे जो मतदान केन्द्र में प्ररूप 12ख में निर्वाचन-कर्तव्य प्रमाणपत्र पेश कर देता है और अपने को मतपत्र दिए जाने की मांग करता है भले ही मतदान केन्द्र उस केन्द्र से भिन्न हो जहां मत देने का वह हकदार है ।

(2) ऐसे प्रमाणपत्र के पेश किए जाने पर पीठासीन आफिसर---

(क) उस पर उसे पेश करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर अभिप्राप्त करेगा;

(ख) उस व्यक्ति का नाम और निर्वाचक नामावली संख्यांक, जो प्रमाणपत्र में वर्णित है, निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति के अन्त में प्रविष्टि कराएगा; तथा

(ग) उसे मतपत्र और मत देने की अनुज्ञा उसी रीति में देगा जिससे उस मतदान केन्द्र में मत देने के हकदार किसी निर्वाचक को देता है ।]

36. अनन्यता के बारे में अभ्याक्षेप----(1) कोई मतदान अभिकर्ता विशिष्ट निर्वाचक होने का दावा करने वाले व्यक्ति की अनन्यता के संबंध में अभ्याक्षेप हर एक ऐसे अभ्याक्षेप के लिए पीठासीन आफिसर के पास नकद दो रुपए की राशि पहले निक्षिप्त करके कर सकेगा ।

(2) पीठासीन आफिसर ऐसा निक्षेप किए जाने पर--

(क) व्यक्ति को, जिसकी बाबत ऐसा अभ्याक्षेप किया गया है, प्रतिरूपण के लिए शास्ति की चेतावनी देगा ;

(ख) निर्वाचक नामावली में की सुसंगत प्रविष्टि को पूरी तरह पढ़कर सुनाएगा और उससे पूछेगा कि क्या वह उस प्रविष्टि में निर्दिष्ट व्यक्ति है ;

(ग) अभ्याक्षेपित मतों की प्ररूप 14 वाली सूची में उसका नाम और पता प्रविष्ट करेगा; तथा

(घ) उक्त सूची में अपने हस्ताक्षर करने की उससे अपेक्षा करेगा ।

(3) पीठासीन आफिसर तत्पश्चात् उस अभ्याक्षेप के संबंध में संक्षिप्त जांच करेगा और उस प्रयोजन के लिए----

(क) यह अपेक्षा कर सकेगा कि अभ्याक्षेपकर्ता अपने अभ्याक्षेप के सबूत में साक्ष्य दे और अभ्याक्षेपित व्यक्ति अपनी अनन्यता के सबूत में व्यक्ति साक्ष्य दे ;

---

[1] अधिसूचना सं0 का0 आ0 3662, तारीख 12 अक्तूबर, 1964 द्वारा अंतःस्थापित ।

(ख) जिस व्यक्ति की बाबत अभ्याक्षेप किया गया है उसकी अनन्यता स्थापित करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक कोई प्रश्न उससे पूछ सकेगा और उनका उत्तर शपथ पर देने की उससे अपेक्षा कर सकेगा ; और

(ग) जिस व्यक्ति की बाबत अभ्याक्षेप किया गया है उसको और साक्ष्य देने की प्रस्थापना करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को शपथ दिला सकेगा ।

(4) यदि जांच के पश्चात् पीठासीन आफिसर का विचार हो कि अभ्याक्षेप सत्य साबित नहीं हुआ है तो वह अभ्याक्षेपित व्यक्ति को अनुज्ञा देगा कि वह मत दे, और यदि उसका विचार हो कि अभ्याक्षेप स्थापित कर दिया गया है तो वह अभ्याक्षेपित व्यक्ति को मत देने से विवर्जित करेगा ।

(5) यदि पीठीसीन आफिसर की यह राय है कि अभ्याक्षेप तुच्छ है या सद्भावनापूर्वक नहीं किया गया है तो वह यह निदेश देगा कि उपनियम (1) के अधीन किया गया निक्षेप सरकार के पक्ष में समपहृत कर लिया जाए और अन्य किसी दशा में वह जांच की समाप्ति पर उसे अभ्याक्षेपकर्ता को लौटा देगा ।

37. प्रतिरूपण के खिलाफ उपाय----(1) हर ऐसा निर्वाचक, जिसकी अनन्यता की बाबत, यथास्थिति, पीठासीन आफिसर या मतदान आफिसर का समाधान हो गया है अपनी बाईं तर्जनी का निरीक्षण पीठासीन आफिसर या मतदान आफिसर द्वारा किया जाने देगा, और उस पर अमिट स्याही का चिह्न लगाया जाने देगा ।

(2) यदि कोई निर्वाचक----

(क) अपनी बाईं तर्जनी को उपनियम (1) के अनुसार निरीक्षित या चिह्नित कराने से इंकार करता है या उसकी अपनी बाईं तर्जनी पर ऐसा चिह्न पहले से है या ऐसे स्याही-चिह्न को हटाने की दृष्टि से कोई कार्य करता है, अथवा

(ख) नियम 35 के उपनियम (3) द्वारा यथापेक्षित रूप में अपना अभिज्ञान पत्र पेश करने में असफल होता है या पेश करने से इंकार करता है,

तो उसे किसी मतपत्र का प्रदाय न किया जाएगा और न उसे मतदान करने दिया जाएगा ।

(3) जहां कि संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र तथा सभा निर्वाचन-क्षेत्र में मतदान साथ-साथ हो वहां उस निर्वाचक को जिसकी बाईं तर्जनी ऐसे एक निर्वाचन में, अमिट स्याही से चिह्नित कर दी गई है या जिसने अपना अभिज्ञान पत्र ऐसे एक निर्वाचन में पेश कर दिया है, उपनियम (1) और (2) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, दूसरे निर्वाचन के लिए मतपत्र का प्रदाय किया जाएगा ।

(4) इस नियम में निर्वाचक की बाईं तर्जनी के प्रति किसी निर्देश का उस दशा में, जिसमें निर्वाचक की बाईं तर्जनी नहीं है ऐसे अर्थ लगयाा जाएगा मानो वह उसके बाएं हाथ की किसी दूसरी उंगली के प्रति निर्देश है और जहां कि उसके बाएं हाथ की सब उंगलियां न हों वहां ऐसे अर्थ लगयाा जाएगा मानो वह निर्देश उसके दाहिने हाथ की तर्जनी या किसी दूसरी उंगली के प्रति निर्देश है और जहां कि उसके दोनों हाथों की सब उंगलियां नहीं है वहां ऐसे अर्थ लगयाा जाएगा मानो वह उसकी बाईं या दाहिनी भुजा के ऐसे अग्रतम भाग के प्रति निर्देश हो जैसा कि उसका है ।

[1]**[38. निर्वाचकों को मतपत्रों का दिया जाना**----(1) निर्वाचक को दिए जाने के पूर्व प्रत्येक मतपत्र और उससे संलग्न प्रतिपर्ण पृष्ठ भाग पर ऐसे सुभिन्नक चिह्न से मुद्रांकित किए जाएंगे जैसा निर्वाचन आयोग निर्दिष्ट करे, और पीठासीन आफिसर मतपत्र दिए जाने से पूर्व उसके पृष्ठ भाग पर पूरे हस्ताक्षर करेगा ।]

(2) निर्वाचक को मतपत्र दिए जाने के साथ, मतदान आफिसर --

(क) उसके प्रतिपर्ण पर निर्वाचक की वह निर्वाचक नामावली संख्यांक अभिलिखित करेगा जो निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति में प्रविष्ट है ;

[2][(ख) उक्त प्रतिपर्ण पर उस निर्वाचक के हस्ताक्षर या अंगूठे की छाप अभिप्राप्त करेगा ; और]

(ग) निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति में निर्वाचक का नाम यह उपदर्शित करने के लिए चिह्नित करेगा कि उसे मतपत्र दिया गया है किन्तु वह निर्वाचक को दिए गए मतपत्र का क्रम संख्यांक उसमें अभिलिखित नहीं करेगा :

[2][परन्तु किसी निर्वाचक को कोई मतपत्र तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि उसने उस मतपत्र के प्रतिपर्ण पर अपने हस्ताक्षर न कर दिए हों या अंगूठे की छाप न लगा दी हो ।

---

[1] अधिसूचना सं0 का0 आ0 5573, तारीख 23 दिसम्बर, 1971 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[2] अधिसूचना सं0 का0 आ0 518 (अ),तारीख 7 सितम्बर, 1979 द्वारा अन्तःस्थापित ।

(3) नियम 2 के उपनियम (2) में किसी बात के होते हुए भी किसी पीठासीन आफिसर या मतदान आफिसर या किसी अन्य आफिसर के लिए आवश्यक नहीं होगा कि वह प्रतिपर्ण पर निर्वाचक के अंगूठे की छाप को अनुप्रमाणित करे।]

(4) मतदान केन्द्र में कोई भी व्यक्ति किन्हीं भी निर्वाचकों को दिए गए मतपत्रों के क्रम संख्यांक को नोट नहीं करेगा।]

[1][**39. निर्वाचकों द्वारा मतदान केन्द्र में मतदान की गोपनीयता बनाए रखना और मतदान प्रक्रिया** ---- (1) हर वह निर्वाचक जिसे नियम 38 या इन नियमों के किसी अन्य उपबंध के अधीन मतपत्र दिए गए हैं, मतदान केन्द्र में मतदान की गोपनीयता बनाए रखेगा और इस प्रयोजन के लिए एतस्मिन्पश्चात् अधिकथित मतदान प्रक्रिया का अनुपालन करेगा ।

(2) निर्वाचक मतपत्र प्राप्त होने पर तत्क्षण ---

(क) मतदान कोष्ठों में से एक में जाएगा ;

(ख) वहां उस अभ्यर्थी के प्रतीक पर या उसके निकट, जिसके लिए मत देने का उसका आशय है, मतपत्र में उस प्रयोजन के लिए दिए गए, उपकरण से चिह्न बनाएगा ;

(ग) मतपत्र को इस तरह मोड़ लेगा कि उसका मत छिप जाए ;

(घ) उस दशा में, जिसमें कि उससे यह अपेक्षा की जाए, मतपत्र पर लगा सुभिन्नक चिह्न पीठासीन आफिसर को दर्शित करेगा ;

(ङ) मुड़े मतपत्र को मतपेटी में डालेगा ; तथा

(च) मतदान केन्द्र से बाहर चला जाएगा ।

(3) हर निर्वाचक असम्यक् विलम्ब के बिना मत देगा ।

(4) जब मतदान कोष्ठ में कोई निर्वाचक है तब अन्य किसी निर्वाचक को उसमें प्रवेश न करने दिया जाएगा ।

(5) यदि कोई निर्वाचक जिसे मतपत्र दिया गया है । उपनियम (2) में अधिकथित प्रक्रिया का अनुपालन करने से पीठासीन आफिसर द्वारा चेतावनी दिए जाने के पश्चात् भी इंकार करे तो, उसे दिया गया मतपत्र, चाहे उसने उस पर अपना मत अभिलिखित किया हो या नहीं, पीठासीन आफिसर द्वारा या पीठासीन आफिसर के निदेश से मतदान आफिसर द्वारा वापस ले लिया जाएगा ।

(6) मतपत्र वापस लिए जा चुकने के पश्चात् पीठासीन आफिसर उसके पृष्ठ भाग पर "रद्द किया गया : मतदान प्रक्रिया का अतिक्रमण किया गया" शब्द अभिलिखित करेगा और उन शब्दों के नीचे अपने हस्ताक्षर करेगा ।

(7) ऐसे सब मतपत्र जिन पर "रद्द किया गया : मतदान प्रक्रिया का अतिक्रमण किया गया" शब्द अभिलिखित हों, एक पृथक् लिफाफे में रखे जाएंगे जिसके ऊपर "मतपत्र : मतदान प्रक्रिया का अतिक्रमण किया गया" शब्द अभिलिखित होंगे ।

(8) ऐसी अन्य किसी भी शास्ति पर, जिससे कि ऐसा निर्वाचक, जिससे उपनियम (5) के अधीन मतपत्र वापस ले लिया गया है, दण्डनीय हो, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उसका मत, यदि ऐसे मतपत्र पर अभिलिखित किया गया है, संगणित नहीं किया जाएगा ।]

[1] अधिसूचना सं0 का0 आ0 1433, तारीख 19 अप्रैल,1968 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[1][**40. अंधे या शिथिलांग निर्वाचकों द्वारा मतों का अभिलेखन**---(1) यदि पीठासीन आफिसर का समाधान हो जाता है कि अन्धेपन या अन्य अंगशैथिल्य के कारण निर्वाचक मतपत्र में प्रतीकों को पहचानने में या सहायता के बिना उस पर चिह्न बनाने में असमर्थ है तो पीठासीन आफिसर, निर्वाचक को मतपत्र पर अपनी ओर से और अपनी इच्छाओं के अनुसार मत अभिलिखित करने के लिए और यदि आवश्यकता हो तो मतपत्र को ऐसे मोड़ने के लिए कि मत छिप जाए और उसे मतपेटी में घुसाने के लिए, अपने साथ [2][अठारह] वर्ष से अन्यून आयु का एक साथी मतदान कोष्ठ में ले जाने की अनुज्ञा देगा :

परन्तु किसी व्यक्ति को एक ही दिन किसी मतदान केन्द्र में एक से अधिक निर्वाचकों के साथी के रूप में कार्य करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा :

परन्तु यह और भी कि किसी व्यक्ति को इस नियम के अधीन किसी दिन किसी निर्वाचक के साथी के तौर पर कार्य करने के लिए अनुज्ञात करने से पहले उस व्यक्ति से यह घोषणा करने की अपेक्षा की जाएगी कि वह निर्वाचक की ओर से अपने द्वारा अभिलिखित किए गए मत को गुप्त रखेगा और यह कि उसने उस दिन किसी मतदान केन्द्र में किसी अन्य निर्वाचक के साथी के तौर पर पहले कार्य नहीं किया है, करने की अपेक्षा की जाएगी ।

(2) पीठासीन आफिसर इस नियम के अधीन के सभी मामलों का प्ररूप 14क में अभिलेख रखेगा ।]

41. खराब हुए और लौटाए गए मतपत्र----(1) उस निर्वाचक को, जिसने अपना मतपत्र अनवधानता से ऐसी रीति से बरता है कि वह मतपत्र के रूप में सुविधानुसार उपयोग में नहीं लाया जा सकता, पीठासीन आफिसर को उसे लौटा दिए जाने पर और अनवधानता के संबंध में उसका समाधान कर दिए जाने पर, दूसरा मतपत्र दिया जा सकेगा और [3][ऐसे लौटाए गए मतपत्र और ऐसे मतपत्र के प्रतिपर्ण पर] पीठासीन आफिसर "खराब : रद्द किया गया" शब्द अंकित करेगा ।

(2) यदि निर्वाचक कोई मतपत्र अभिप्राप्त करने के पश्चात् उसे उपयोग में न लाने का विनिश्चय करता है तो उसे वह पीठासीन आफिसर को लौटा देगा और [3][ऐसे लौटाए गए मतपत्र और ऐसे मतपत्र के प्रतिपर्ण पर] पीठासीन आफिसर "लौटाया गया : रद्द किया गया" शब्द अंकित करेगा ।

(3) उपनियम (1) या उपनियम (2) के अधीन रद्द किए गए सब मतपत्र पृथक् पैकेट में रखे जाएंगे ।

42. निविदत्त मत---(1) यदि कोई व्यक्ति अपनी बाबत यह व्यपदिष्ट करके कि वह विशिष्ट निर्वाचक है ऐसे निर्वाचक के रूप में दूसरे व्यक्ति द्वारा पहले से ही मत दे दिए जाने के पश्चात् मतपत्र के लिए आवेदन करता है तो अपनी अनन्यता के बारे में ऐसे प्रश्नों के समाधानप्रद रूप में उत्तर देने के पश्चात् जैसे पीठासीन आफिसर पूछे, वह इस नियम के निम्नलिखित उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए (एतस्मिन् पश्चात् इन नियमों में "निविदत्त मतपत्र" के रूप में निर्दिष्ट) मतपत्र को चिह्नित करने का हकदार ऐसे होगा जैसे कोई अन्य निर्वाचक होता है ।

(2) हर ऐसा व्यक्ति निविदत्त मतपत्र का प्रदाय किए जाने के पहले अपना नाम प्ररूप 15 की सूची में अपने से सम्बद्ध प्रविष्टि के सामने हस्ताक्षरित करेगा ।

[4][(3) निविदत्त मतपत्र, इसके सिवाय कि--

(क) ऐसा निविदत्त मत मतदान केन्द्र में उपयोग के लिए दिए गए मतपत्रों के बंडल में क्रम में अंतिम होगा ; तथा

(ख) ऐसा निविदत्त मत और उसके प्रतिपर्ण पृष्ठ पर "निविदत्त मतपत्र" शब्दों से पीठासीन आफिसर द्वारा अपने हाथ से पृष्ठांकित और हस्ताक्षरित होंगे,

वैसा ही होगा जैसा मतदान में उपयोग में लाया जाने वाला अन्य मतपत्र होता है ।]

---

[1] अधिसूचना सं0 का0 आ0 3662,तारीख 12 अक्तूबर, 1964 द्वारा नियम 40 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[2] अधिसूचना सं0 का0 आ0 542(अ), तारीख 13 जुलाई, 1989 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[3] अधिसूचना सं0 का0 आ0 5573, तारीख 23 दिसम्बर, 1971 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[4] अधिसूचना सं0 का0 आ0 5573, तारीख 23 दिसम्बर, 1971 द्वारा उपनियम (3) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(4) निर्वाचक निविदत्त मतपत्र को मतदान कोष्ठ में चिह्नित करने और उसको मोड़ने के पश्चात् उसे मत-पेटी में रखने के बजाय उसे पीठासीन आफिसर को देगा जो उसे उस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से रखे गए लिफाफे में रखेगा:

[1][परन्तु जहां ऐसा निर्वाचक राज्य सभा में किसी स्थान या स्थानों को भरने के लिए किसी निर्वाचन में किसी राजनैतिक दल का सदस्य है, वहां पीठासीन आफिसर निविदत्त मतपत्र को उक्त लिफाफे में रखने से पूर्व उस राजनैतिक दल के प्राधिकृत अभिकर्ता को यह सत्यापित करने के लिए अनुज्ञात करेगा कि निर्वाचक ने अपना मत किस अभ्यर्थी को दिया है ।

स्पष्टीकरण-- इस नियम के प्रयोजनों के लिए, किसी राजनैतिक दल के संबंध में "प्राधिकृत अभिकर्ता" से परिषद् निर्वाचन-क्षेत्र में और नियम 68 के खंड (क) के अधीन डाकमत पत्र से भिन्न सभा सदस्यों द्वारा निर्वाचन में उस राजनैतिक दल द्वारा नियम 70 के खंड (ii) द्वारा यथा लागू नियम 39कक के उपनियम (2) के अधीन, नियुक्त कोई प्राधिकृत अभिकर्ता अभिप्रेत है ।]

43. मतदान बन्द करना---(1) पीठासीन आफिसर मतदान केन्द्र को धारा 56 के अधीन तन्निमित्त नियत समय पर बन्द कर देगा और तत्पश्चात् किसी निर्वाचक को उसमें प्रवेश न करने देगा :

परन्तु मतदान केन्द्र के बन्द किए जाने के पूर्व उसमें उपस्थित सब निर्वाचक अपने मत डालने के लिए अनुज्ञात किए जाएंगे ।

(2) यदि कोई प्रश्न इस बाबत पैदा होता है कि कोई निर्वाचक मतदान केन्द्र बन्द किए जाने के पूर्व वहां उपस्थित था या नहीं तो उसका विनिश्चय पीठासीन आफिसर द्वारा किया जाएगा और उसका विनिश्चय अन्तिम होगा ।

44. मतदान के पश्चात् मतपेटियों का मुद्राबन्द किया जाना----(1) मतदान के बन्द होने के पश्चात् यथासाध्य शीघ्रता से पीठासीन आफिसर मतपेटी के छेद को बन्द कर देगा और जहां छेद को बन्द करने के लिए कोई यांत्रिक युक्ति पेटी में नहीं है वहां वह उस छेद को मुद्राबन्द करेगा और किसी भी उपस्थित मतदान अभिकर्ता को उस पर मुद्रा लगाने देगा ।

(2) मतपेटी तत्पश्चात् मुद्राबन्द की जाएगी और सुरक्षित कर दी जाएगी ।

(3) जहां कि पहली मतपेटी के भर जाने के कारण दूसरी मतपेटी को उपयोग में लाना आवश्यक हो जाता है वहां दूसरी मतपेटी को उपयोग में लाने से पूर्व उपनियम (1) और (2) में यथा उपबंधित रूप से पहली मतपेटी बन्द, मुद्रांकित और सुरक्षित कर दी जाएगी ।

(4) इस नियम के पूर्वगामी उपबन्ध उस मतदान केन्द्र को लागू न होंगे जिसके पीठासीन आफिसर को निर्वाचन आयोग ने यह निदेश दिया है कि वह उपनियम (5) के अनुसार अग्रसर हो ।

(5) ऐसे किसी मतदान केन्द्र पर मतदान के बन्द होने के पश्चात् यथासाध्य शीघ्रता से पीठासीन आफिसर---

(क) उस मतदान केन्द्र में उपयोग में लाई गई मतपेटी या पेटियों में अन्तर्विष्ट सब मतपत्रों को उनकी परीक्षा या गणना किए बिना और मत की गोपनीयता का सम्यक् ध्यान रखकर एक कपडे के थैले या कपड़े की परत लगे लिफाफे में उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं को यह निर्दिष्ट करने के पश्चात् अन्तरित करेगा कि ऐसा थैला या लिफाफा खाली है;

(ख) उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं को हर एक मतपेटी का निरीक्षण करने की अनुज्ञा देगा और उन्हें निर्देशित करेगा कि उसे खाली कर दिया गया है ;

(ग) थैले या लिफाफे पर निर्वाचन-क्षेत्र का नाम, मतदान केन्द्र का नाम और मतदान की तारीख अभिलिखित करेगा ; तथा

(घ) थैले या लिफाफे को मुद्राबन्द करेगा और किसी उपस्थित मतदान अभिकर्ता को उस पर अपनी मुद्रा लगाने देगा ।

45. मतपत्रों का लेखा----[2][(1)] पीठासीन आफिसर मतदान के बन्द होने पर मतपत्र-लेखा प्ररूप 16 में तैयार करेगा और उसे एक पृथक् लिफाफे में रखेगा और उसके उपर "मतपत्र-लेखा" शब्द लिखेगा ।

---

[1] अधिसूचना सं0 का0 आ0 272(अ), तारीख 27-2-2004 द्वारा अंतःस्थापित ।

[2] अधिसूचना सं0 का0 आ0 3875,तारीख 15 दिसम्बर,1966 द्वारा नियम 45 को उसके उपनियम (1) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया गया ।

[1][(2) पीठासीन आफिसर मतदान की समाप्ति पर उपस्थित प्रत्येक मतदान अभिकर्ता को, मतपत्र-लेखा में की गई प्रविष्टियों की एक शुद्ध प्रति, उक्त मतदान अभिकर्ता से उसकी रसीद अभिप्राप्त करने के पश्चात् देगा और यह अनुप्रमाणित भी करेगा कि वह शुद्ध प्रति है।]

46. अन्य पैकेटों का मुद्राबन्द किया जाना----(1) पीठासीन आफिसर तब--

(क) निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति के ;

[2][(कक) उपयोग में लाए गए मतपत्रों के प्रतिपर्णों के ;]

[3][(ख) नियम 38 के उपनियम (1) के अधीन पीठासीन आफिसर द्वारा हस्ताक्षरित किन्तु मतदाता को जारी न किए गए मतपत्रों के ;

(खख) मतदाताओं को जारी न किए गए किन्हीं अन्य मतपत्रों के ;

(ग) नियम 39 के अधीन मतदान की प्रक्रिया के उल्लंघन स्वरूप रद्द किए गए मतपत्रों के ;

(गग) किन्हीं अन्य रद्द किए गए मतपत्रों के ;]

(घ) निविदित्त मतपत्रों को अन्तर्विष्ट रखने वाले लिफाफे और प्ररूप 15 की सूची के ;

(ङ) अभ्याक्षेपित मतों की सूची के ; और

(च) किन्हीं अन्य ऐसे कागजपत्र के, जिनकी बाबत निर्वाचन आयोग ने निदेश दिया है कि वे मुद्राबन्द पैकेट में रखे जाएं, पृथक् पैकेट बनाएगा ।

[3][(2) ऐसा हर एक पैकेट पीठासीन आफिसर की और, या तो अभ्यर्थी को या उसके निर्वाचक अभिकर्ता अथवा उसके मतदान अभिकर्ता को जो मतदान केन्द्र पर उपस्थित हों और उस पर अपनी मुद्राएं लगाना चाहें मुद्राओं से मुद्रांकित किया जाएगा ।]

47. मतपेटियों, आदि का रिटर्निंग आफिसर को पारेषण----(1) पीठासीन आफिसर तब रिटर्निंग आफिसर को---

(क) मतपेटियों या यथास्थिति, नियम 44 में निर्दिष्ट थैले या लिफाफे ;

(ख) मतपत्र-लेखा ;

(ग) नियम 46 में निर्दिष्ट मुद्राबन्द पैकेट ; तथा

(घ) मतदान में उपयोग में लाए गए सब अन्य कागजपत्र,

ऐसे स्थान में जैसा रिटर्निंग आफिसर निर्दिष्ट करे, परिदत्त करेगा या परिदत्त कराएगा ।

(2) रिटर्निंग आफिसर सब मतपेटियों, पैकेटों और अन्य काजगपत्रों के सुरक्षापूर्ण परिवहन के लिए और मतों की गणना के प्रारम्भ होने तक उनकी सुरक्षित अभिरक्षा के लिए यथायोग्य इंतजाम करेगा ।

48. मतदान के स्थगन पर प्रक्रिया----(1) यदि मतदान किसी मतदान केन्द्र में धारा 57 की उपधारा (1) के अधीन स्थगित किया गया है तो नियम 44 से लेकर 47 तक के उपबंध यावत्साध्य ऐसे लागू होंगे मानो मतदान धारा 56 के अधीन तन्निमित्त नियत समय पर बन्द हुआ हो ।

(2) जब स्थगित मतदान धारा 57 की उपधारा (2) के अधीन पुनः आरम्भ हुआ है तब उन निर्वाचकों को जिन्होंने ऐसे स्थगित मतदान में पहले ही मत दिया था, पुनः मत देने के लिए अनुज्ञा न दी जाएगी ।

(3) रिटर्निंग आफिसर उस मतदान केन्द्र के पीठासीन आफिसर को, जिनमें ऐसा स्थगित मतदान होता है वह मुद्राबन्द पैकेट जिसमें निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति अन्तर्विष्ट है और एक नई मतपेटी उपबन्धित करेगा ।

(4) पीठासीन आफिसर ऐसे मतदान अभिकर्ताओं की, जो उपस्थित हैं, उपस्थिति में मुद्राबन्द पैकेट को खोलेगा और निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति का उपयोग [4][ऐसे निर्वाचकों के नाम, जिन्हें स्थगित मतदान में मतपत्र दिए गए हैं, उनका क्रम संख्यांक उनमें अभिलिखित किए बिना चिह्नित करने के लिए] करेगा ।

---

[1] अधिसूचना सं0 का0 आ0 229(अ), तारीख 26 मई, 1975 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[2] अधिसूचना सं0 का0 आ0 5573, तारीख 23 दिसम्बर, 1971 द्वारा अंतःस्थापित ।
[3] अधिसूचना सं0 का0 आ0 4542, तारीख 20 दिसम्बर, 1968 द्वारा (1-1-1969 से) प्रतिस्थापित ।
[4] अधिसूचना सं0 का0 आ0 5573, तारीख 23 दिसम्बर, 1971 द्वारा कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(5) नियम 28 से लेकर 47 तक के उपबंध स्थगित मतदान के संचालन के संबंध में ऐसे लागू होंगे जैसे वे ऐसे स्थगन किए जाने के पूर्व के मतदान के संबंध में लागू होते हैं ।

49. अधिसूचित मतदान केन्द्रों में मतपत्र द्वारा मत का दिया जाना----(1) इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी निर्वाचन आयोग निर्वाचन के लिए नियत मतदान की तारीख या तारीखों में से प्रथम तारीख से कम से कम 15 दिन पहले शासकीय राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकेगा कि उस निर्वाचन में ऐसे मतदान केन्द्रों में, जैसे अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं मतपत्र द्वारा मतदान की पद्धति का अनुसरण किया जाएगा ।

(2) हर ऐसे मतदान केन्द्र को एतत्पश्चात् इन नियमों में "अधिसूचित मतदान केन्द्र" कहा गया है ।

(3) नियम 28 से लेकर 48 तक के उपबन्ध हर अधिसूचित मतदान केन्द्र के संबंध में निम्नलिखित उपान्तरों के अध्यधीन रहते हुए लागू होंगे, अर्थात् :---

(क) नियम 30 के बदले में निम्नलिखित नियम लागू होगा :---

"30क. **मतपत्र का प्ररूप**----हर मतपत्र ऐसे परिकल्प का होगा जैसा निर्वाचन आयोग विनिश्चित करे ।" ;

(ख) नियम 31 के उपनियम (2) और (3) के बदले में निम्नलिखित उपनियम लागू होंगे--

"(2) हर एक अधिसूचित मतदान केन्द्र में एक मतदान कोष्ठ स्थापित किया जाएगा जिसमें हर एक अभ्यर्थी के लिए एक के हिसाब से मतपेटियां मतदान के दौरान मतपत्रों को ग्रहण करने के लिए रखी होंगी और जिसका परिकल्प इस प्रकार का होगा कि कोष्ठ के बाहर किसी व्यक्ति से संप्रेक्षित हुए बिना निर्वाचक मतपेटियों में से किसी में मतपत्र घुसा सके ।

(3) रिटर्निंग आफिसर हर एक अधिसूचित मतदान केन्द्र में पर्याप्त संख्या में मतपेटियां,निर्वाचक नामावली के सुसंगत भाग की प्रतियां, मतपत्र और ऐसी अन्य निर्वाचन सामग्री जैसी मतदान के लिए अपेक्षित हो उपबन्धित करेगा ।" ;

(ग) नियम 33 के उपनियम (5),(6) और (7) के बदले में निम्नलिखित उपनियम लागू होंगे--

"(5) नियम 10 के अधीन हर एक अभ्यर्थी को आबंटित प्रतीक लेबलों पर मुद्रित किया जाएगा जो मतपेटी के भीतर और बाहर दोनों ओर लगाए जाएंगे और ऐसी मतपेटी की बाबत तत्पश्चात् यह समझा जाएगा कि वह उस अभ्यर्थी को आबंटित कर दी गई है ।

(6) हर एक मतपेटी पर ऐसे अन्य सुभिन्नक चिह्न भी चिह्नित किए जाएंगे जैसे निर्वाचन आयोग निर्दिष्ट करे ।

(7) मतदान के प्रारंभ होने से अव्यवहित पूर्व पीठासीन आफिसर उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं द्वारा हर एक मतपेटी का निरीक्षण अनुज्ञात करेगा और उनको यह निर्देशित करेगा कि (क) वह खाली है, (ख) पेटी के भीतर और बाहर दोनों ओर उचित लेबल लगा दिए गए हैं, और (ग) मतपेटी उपनियम (6) के अनुसार चिह्नित है ।

(8) लेबल लगा दिए जाने, सुरक्षित रूप से बन्द कर दिए जाने और मुद्रांकित कर दिए जाने के पश्चात् सब मतपेटियां मतदान कोष्ठ में साथ-साथ उसी क्रम में रखी जाएंगी जिसमें उन अभ्यर्थियों के नाम,जिनको वे क्रमशः आबंटित की गई हैं, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में हैं ।" ;

[1][(गग) नियम 38 के बदले निम्नलिखित नियम लागू होगा--

"38ख. **निर्वाचकों को मतपत्र देना**---(1) निर्वाचक को दिए जाने के पूर्व प्रत्येक मतपत्र--

[1] अधिसूचना सं0 का0 आ0 5573, तारीख 23 दिसम्बर,1971 द्वारा अन्तःस्थापित ।

(क) ऐसे सुभिन्नक चिह्न से मुद्रांकित किया जाएगा, जैसे निर्वाचन आयोग निदिष्ट करे ; और

(ख) पीठासीन आफिसर द्वारा उसके पृष्ठ भाग पर पूरा नाम लिखकर हस्ताक्षरित किया जाएगा ।

(2) निर्वाचक को मतपत्र देते समय, मतदान आफिसर उसका क्रम संख्यांक निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति में, निर्वाचक से संबंधित प्रविष्टि के सामने अभिलिखित करेगा ।

(3) उपनियम (2) में यथा उपबन्धित के सिवाय केन्द्र में कोई भी व्यक्ति किन्हीं भी निर्वाचकों को दिए गए मतपत्रों के क्रम संख्यांकों को नोट नहीं करेगा ।"];

(घ) [1][नियम 39 के उपनियम (2) के बदले में निम्नलिखित उपनियम लागू होगा--

"(1) मतपत्र प्राप्त होने पर निर्वाचक तत्क्षण मतदान कोष्ठ में जाएगा और जिस अभ्यर्थी को वह मत देना चाहता है उसको आबंटित मतपेटी के छेद में से मतपत्र घुसाएगा ।";

[2][(ङ) नियम 40 के उपनियम (1) के बदले में निम्नलिखित उपनियम लागू होगा--

"(1) यदि पीठासीन आफिसर का समाधान हो जाता है कि अन्धेपन या अन्य अंग-शैथिल्य के कारण निर्वाचक मतपेटियों पर प्रतीकों को पहचानने में या मतपेटी में मतपत्र धुसाने में असमर्थ है तो पीठासीन आफिसर निर्वाचक को अपने साथ [3][अठारह] वर्ष से अन्यून आयु का एक साथी, उससे उस अभ्यर्थी का नाम अभिनिश्चित करने के लिए जिसे वह मत देना चाहता है और मतपत्र को ऐसे अभ्यर्थी की मतपेटी में ऐसे निर्वाचक की इच्छाओं के अनुसार घुसाने के लिए,मतदान कोष्ठ में ले जाने की अनुज्ञा देगा :

परन्तु किसी व्यक्ति को एक ही दिन किसी मतदान केन्द्र में एक से अधिक निर्वाचकों के साथी के रूप में कार्य करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा :

परन्तु यह और भी कि किसी व्यक्ति को इस नियम के अधीन किसी दिन किसी निर्वाचक के साथी के रूप में कार्य करने के लिए अनुज्ञात करने से पहले उस व्यक्ति से यह घोषणा कि वह उस अभ्यर्थी का नाम गुप्त रखेगा जिसे निर्वाचक ने मत दिया है और यह कि उसने उस दिन किसी मतदान केन्द्र में किसी अन्य निर्वाचक के साथी के रूप में पहले कार्य नहीं किया है, करने की अपेक्षा की जाएगी । "];

(च) नियम 42 के बदले में निम्नलिखित नियम लागू होंगे--

"42क. **निविदत्त मत**---(1) यदि कोई व्यक्ति अपनी बाबत यह व्यपदिष्ट करके कि वह विशिष्ट निर्वाचक है ऐसे निर्वाचक के रूप में के दूसरे व्यक्ति द्वारा पहले से ही मत दे दिए जाने के पश्चात् मतपत्र के लिए आवेदन करता है तो अपनी अनन्यता के बारे में ऐसे प्रश्नों के समाधानप्रद रूप में उत्तर देने के पश्चात् जैसे पीठासीन आफिसर पूछे उसे प्ररूप 17 में मतपत्र (एतत्पश्चात् इन नियमों में "निविदत्त मतपत्र" के रूप में निर्दिष्ट) किया जाएगा ।

(2) हर ऐसा व्यक्ति निविदत्त मतपत्र दिए जाने के पूर्व अपना नाम प्ररूप 15 की सूची में अपने से संबद्ध प्रविष्टि के सामने हस्ताक्षरित करेगा ।

(3) ऐसा व्यक्ति तत्पश्चात् निविदत्त मतपत्र पर उस अभ्यर्थी का नाम अभिलिखित करेगा जिसको कि वह मत देना चाहता है, किन्तु यदि निरक्षरता, अन्धेपन, अंग-शैथिल्य या किसी अन्य कारण से वह ऐसा अभिलेख करने में असमर्थ है तो पीठासीन आफिसर उसकी इच्छाओं के अनुसार वैसा करेगा ।

(4) उपनियम (3) में अधिकथित प्रक्रिया गोपनीयता का सम्यक् ध्यान रखकर अनुसरित की जाएगी।

(5) हर ऐसा निविदत्त मतपत्र उस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से रखे गए लिफाफे में तत्क्षण रखा जाएगा ।

[4][परन्तु जहां उपनियम (3) में निर्दिष्ट व्यक्ति राज्य सभा में किसी स्थान या स्थानों को भरने के लिए किसी निर्वाचन में किसी राजनैतिक दल का सदस्य है, वहां पीठासीन आफिसर, उपनियम (3) में किसी बात

---

[1] अधिसूचना सं0 का0 आ0 1433, तारीख 19 अप्रैल, 1968 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[2] अधिसूचना सं0 का0 आ0 3662, तारीख 12 अक्तूबर, 1964 द्वारा खंड (ङ) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[3] अधिसूचना सा0 का0 आ0 542(अ), तारीख 13 जुलाई, 1989 द्वारा "इक्कीस" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[4] अधिसूचना सं0 का0 आ0 272(अ), तारीख 27-2-2004 द्वारा अंतःस्थापित ।

के होते हुए भी, उक्त लिफाफे में निविदत्त मतपत्र को रखने से पूर्व, उस राजनैतिक दल के प्राधिकृत अभिकर्ता को यह सत्यापित करने के लिए अनुज्ञात करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने अपना मत किसे दिया है ।

स्पष्टीकरण--इस नियम के प्रयोजनों के लिए, किसी राजनैतिक दल के संबंध में "प्राधिकृत अभिकर्ता" से परिषद् निर्वाचन-क्षेत्र में और नियम 68 के खंड (क) के अधीन डाकमत पत्र से भिन्न सभा सदस्यों द्वारा निर्वाचन में उस राजनैतिक दल द्वारा नियम 70 के खंड (ii) द्वारा यथा लागू नियम 39कक के उपनियम (2) के अधीन नियुक्त प्राधिकृत अभिकर्ता अभिप्रेत है ।]

42ख. **मतदान के दौरान मतदान कोष्ठ में पीठासीन आफिसर का प्रवेश करना**----(1) जब कभी पीठासीन आफिसर ऐसा करना आवश्यक समझे तब वह मतदान के दौरान मतदान कोष्ठ में प्रवेश कर सकेगा और ऐसे कदम उठा सकेगा जैसे यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हों कि उसमें की मतपेटियों में किसी प्रकार से कोई गड़बड़ या हस्तक्षेप न किया जाए ।

(2) यदि पीठासीन आफिसर के पास यह सन्देह करने का कारण है कि कोई निर्वाचक, जिसने मतदान कोष्ठ में प्रवेश किया है, किसी मतपेटी में गड़बड़ कर रहा है या अन्यथा उसमें हस्तक्षेप कर रहा है या मतदान कोष्ठ में असम्यक् देरी तक बना रहा है तो वह मतदान कोष्ठ में प्रवेश करेगा और ऐसे कदम उठाएगा जैसे मतदान की निर्विघ्न और सत्वर प्रगति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हों ।

(3) जब कभी पीठासीन आफिसर मतदान कोष्ठ में इस नियम के अधीन प्रवेश करे तब वह उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं को अपने साथ आने देगा ।

42ग. **मतपेटियों के पूर्णतः या भागतः बाहर पाए गए मतपत्रों का व्ययन**---(1) यदि कोई मतपत्र, जो निर्वाचक को दिया गया है, उसके द्वारा किसी मतपेटी में घुसाया नहीं गया है किन्तु मतदान केन्द्रों में या उसके पास कहीं, चाहे मतदान कोष्ठ के बाहर या भीतर, पाया जाता है तो उसकी बाबत यह समझा जाएगा कि वह नियम 41 के उपनियम (2) के अधीन पीठासीन आफिसर को लौटा दिया गया है और उसे तद्नुसार बरता जाएगा ।

(2) यदि कोई मतपत्र किसी अभ्यर्थी की मतपेटी में भागतः घुसाया गया पाया जाता है तो उसकी बाबत यह उपधारित किया जाएगा कि निर्वाचक का आशय वह मत उस अभ्यर्थी को देना था और पीठासीन आफिसर तदनुसार उस मतपत्र को उस मतपेटी में घुसा देगा ।" ;

(छ) नियम 44 के बदले में निम्नलिखित नियम लागू होगा---

"44क. **मतदान के पश्चात् मतपेटियों का मुद्राबन्द किया जाना**---(1) मतदान के बन्द होने के पश्चात् यथासाध्य शीघ्रता से पीठासीन आफिसर हर एक मतपेटी के छेद को बन्द कर देगा और जहां कि छेद को बन्द करने के लिए कोई यांत्रिक युक्ति पेटियों में नहीं है वहां वह उस छेद को मुद्राबन्द करेगा और किसी उपस्थित मतदान अभिकर्ता को भी उस पर अपनी मुद्राएं लगाने देगा ।

(2) सब मतपेटियां तत्पश्चात् मुद्राबन्द की जाएंगी और सुरक्षित कर दी जाएंगी ।" ;

[1]* * * * * *

[2][(झ) नियम 46 के उपनियम (1) का खंड (कक) लागू नहीं होगा ; तथा

(ञ) नियम 48 के उपनियम (3) और (4) के बदले निम्नलिखित उपनियम लागू नहीं होंगे---

"(3) रिटर्निंग आफिसर उस मतदान केन्द्र के पाठासीन आफिसर को जिसमें स्थगित मतदान होता है वह मुद्राबन्द पैकेट जिसमें निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति अन्तर्विष्ट है, और नई मतपेटियों का एक सेट देगा ।

(4) पीठासीन आफिसर ऐसे मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थिति में, जो वहां उपस्थित हों, मुद्राबन्द पैकेट खोलेगा और स्थगित मतदान में निर्वाचक को दिए गए मतपत्रों के क्रम संख्यांक को अभिलिखित करने के लिए निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति का उपयोग करेगा ।"] ।

---

[1] अधिसूचना सं0 का0 आ0 518(अ), तारीख 7 सितम्बर, 1979 द्वारा खंड (ज) का लोप किया गया ।

[2] अधिसूचना सं0 का0 आ0 5573, तारीख 23 दिसम्बर, 1971 द्वारा खंड (झ) और (ञ) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[1][अध्याय 2

इलैक्ट्रोनिक मतदान मशीनों द्वारा मतदान

49क. इलैक्ट्रोनिक मतदान मशीनों का परिकल्प---प्रत्येक मतदान मशीन (जिसे इसमें इसके पश्चात् मतदान मशीन कहा गया है) में एक नियंत्रण यूनिट और एक मतदान यूनिट होगी और वह ऐसी परिकल्प की होगी जैसा निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित किया जाए ।

49ख. रिटर्निंग आफिसर द्वारा मतदान यूनिट पर विशिष्टियां---(1) मतदान मशीन के मतदान यूनिट पर विशिष्टियां ऐसी भाषा या भाषाओं में होंगी जो निर्वाचन आयोग निदेशित करे ।

(2) अभ्यर्थियों के नाम मतदान यूनिट पर उसी क्रम से लिखे होंगे जिसमें वे निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में दर्ज हैं ।

(3) यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों का एक ही नाम है तो उनकी उपजीविका या निवास-स्थान जोड़कर या किसी अन्य रीति से उनको सुभिन्न किया जाएगा ।

(4) इस नियम के पूर्वगामी उपबंधों के अधीन रहते हुए, रिटर्निंग आफिसर,--

(क) निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के नामों और चिह्नों को अंतर्विष्ट करने वाला लेबल मतदान यूनिट में लगाएगा और उस यूनिट को अपनी मुद्रा से और निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों या वहां उपस्थित उनके ऐसे निर्वाचन अभिकर्ताओं की मुद्राओं से, जो उस पर अपनी मुद्राएं लगाना चाहे, मुद्रांकित करेगा ;

(ख) निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की संख्या व्यवस्थित करेगा और अभ्यर्थी व्यवस्था अनुभाग को नियंत्रण यूनिट में बंद करेगा और उसे अपनी मुद्रा से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों या वहां उपस्थित उनके ऐसे निर्वाचन अभिकर्ताओं की मुद्राओं से, जो उन पर अपनी मुद्राएं लगाना चाहे, मुद्रांकित करेगा ।

49ग. मतदान केन्द्रों में इंतजाम---(1) हर एक मतदान केन्द्र के बाहर--

(क) उस मतदान क्षेत्र को, जिसके मतदाता उस मतदान केन्द्र में मत देने के लिए हकदार हैं, और जबकि मतदान क्षेत्र में एक से अधिक मतदान केन्द्र हैं तब ऐसे हकदार निर्वाचकों की विशिष्टियां, विनिर्दिष्ट करने वाली सूचना, तथा

(ख) निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची की एक प्रति, संलक्ष्यतः सम्प्रदर्शित की जाएगी ।

(2) हर एक मतदान केन्द्र में एक या अधिक मतदान कोष्ठ स्थापित किए जाएंगे जिनमें निर्वाचक संप्रेक्षित हुए बिना अपने मत दे सकेंगे ।

(3) रिटर्निंग आफिसर हर एक मतदान केन्द्र पर एक मतदान मशीन और निर्वाचक नामावली के सुसंगत भाग की प्रतियां और ऐसी अन्य निर्वाचन सामग्री जो मतदान कराने के लिए आवश्यक हो, की व्यवस्था करेगा ।

(4) निर्वाचन आफिसर, उपनियम (3) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निर्वाचन आयोग के पूर्वानुमोदन से एक ही परिसर में अवस्थित दो या अधिक मतदान केन्द्रों के लिए एक सामान्य मतदान मशीन की व्यवस्था करेगा।

49घ. मतदान केन्द्रों में प्रवेश---पीठासीन आफिसर निर्वाचकों की उस संख्या को विनियमित करेगा जिस संख्या में वे मतदान केन्द्र के अन्दर एक ही समय प्रवेश कर सकेंगे, तथा--

(क) मतदान आफिसर के ;

(ख) निर्वाचन के संबंध में कर्तव्यारूढ़ लोक सेवकों के ;

(ग) निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों के ;

(घ) अभ्यर्थियों, उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं और नियम 13 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए हर एक अभ्यर्थी के एक मतदान अभिकर्ता के ;

(ङ) निर्वाचक के साथ गोद वाले बालक के ;

---

[1] अधिसूचना सं0 का0 आ0 230(अ), तारीख 24 मार्च, 1992 द्वारा अंतःस्थापित ।

(च) अंधे या शिथिलांग निर्वाचक के, जो सहायता के बिना चल-फिर नहीं सकता, साथ वाले व्यक्ति के ; तथा

(छ) ऐसे अन्य व्यक्तियों के जिन्हें, रिटर्निंग आफिसर या पीठासीन आफिसर नियम 49छ के उपनियम (2) या नियम 19ज के उपनियम (1) के अधीन नियोजित करे,

सिवाय सब अन्य व्यक्ति वहां से अपवर्जित करेगा ।

49ङ. मतदान के लिए मतदान मशीन का तैयार किया जाना---(1) मतदान केन्द्र में प्रयुक्त प्रत्येक मतदान मशीन के नियंत्रण यूनिट और मतदान यूनिट पर एक ऐसा लेबल लगा होगा जिस पर--

(क) यदि निर्वाचन-क्षेत्र का कोई क्रम संख्यांक हो तो वह और उसका नाम ;

(ख) यथास्थिति, मतदान केन्द्र या केन्द्रों का क्रम संख्यांक और नाम ;

(ग) यूनिट का क्रम संख्यांक ; और

(घ) मतदान की तारीख,

चिह्नित होगा या होगी ।

(2) मतदान के प्रारम्भ होने से अव्यवहित पूर्व पीठासीन आफिसर उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं और अन्य व्यक्तियों को यह निर्देशित करेगा कि मतदान मशीन में पहले से ही कोई मत दर्ज नहीं किया गया है और उस पर उपनियम (4) में निर्दिष्ट लेबल लगा है ।

(3) जहां तक कि मतदान मशीन के नियंत्रण यूनिट को सुरक्षित रूप से बंद कराने के लिए पत्र-मुद्रा का उपयोग किया जाता है, वहां पीठासीन आफिसर पत्र-मुद्रा पर अपने हस्ताक्षर अंकित करेगा और उन पर उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं में से ऐसों के हस्ताक्षर कराएगा जो उन्हें अंकित करने की वांछा रखते हों ।

(4) पीठासीन आफिसर इस प्रकार हस्ताक्षरित पत्र-मुद्रा को मतदान मशीन के नियंत्रण यूनिट में उसके लिए अभिप्रेत स्थान में तत्पश्चात् लगाएगा और उसे सुरक्षित रूप से बंद और मुद्रांकित करेगा ।

(5) नियंत्रण यूनिट को सुरक्षित रूप से बंद करने के लिए उपयोग में लाई गई मुद्राएं ऐसी रीति से लगाई जाएंगी कि यूनिट को मुद्रांकित किए जाने के पश्चात् मुद्राओं को तोड़े बिना "परिणाम बटन" को दबाना संभव न हो।

(6) नियंत्रण यूनिट सुरक्षित रूप से बंद और मुद्रांकित किया जाएगा और इस प्रकार रखा जाएगा कि वह पीठासीन आफिसर और मतदान अभिकर्ताओं के पूर्ण रूपेण दृष्टिगोचर रहे और मतदान यूनिट को मतदान कोष्ठ में रखा जाएगा ।

49च. निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति---मतदान के प्रारंभ से ठीक पूर्व, पीठासीन आफिसर मतदान अभिकर्ताओं और अन्य उपस्थित लोगों को यह भी निर्देशित करेगा कि मतदान के दौरान काम में लाई जाने वाली निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति में---

(क) नियम 20 के उपनियम (2) के खंड (ख) के अनुसरण में की गई प्रविष्टि से भिन्न कोई प्रविष्टि ; और

(ख) नियम 23 के उपनियम (2) के खंड (ख) के अनुसरण में किए गए चिह्न से भिन्न कोई चिह्न,

अंतर्विष्ट नहीं है ।

49छ. मतदात्रियों के लिए सुविधाएं---(1) जहां कि मतदान केन्द्र मतदाताओं और मतदात्रियों दोनों के लिए है वहां पीठासीन आफिसर यह निदेश दे सकेगा कि उनको मतदान केन्द्र में बारी-बारी से पृथक्-पृथक् टुकड़ियों में घुसने दिया जाएगा ।

(2) रिटर्निंग आफिसर या पीठासीन आफिसर किसी स्त्री को मतदात्रियों की सहायता करने के लिए और मतदात्रियों की बाबत मतदान करने में साधारणतया पीठासीन आफिसर की सहायता करने के लिए भी और विशिष्टतः किसी मतदात्री को उस दशा में हटाने में मदद करने के लिए, जब कि वह आवश्यक हो, परिचारिका के रूप में किसी मतदान केन्द्र में सेवा करने के लिए नियुक्त कर सकेगा ।

49ज. निर्वाचकों का अभिज्ञान---(1) पीठासीन आफिसर ऐसे व्यक्तियों को जैसों को वह ठीक समझे मतदान केन्द्र में निर्वाचकों के अभिज्ञान करने में अपनी मदद करने के लिए या अन्यथा मतदान में अपनी सहायता करने के लिए नियोजित कर सकेगा ।

(2) जैसे-जैसे हर एक निर्वाचक मतदान केन्द्र में प्रवेश करे वैसे-वैसे पीठासीन आफिसर या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत मतदान आफिसर निर्वाचक के नाम और अन्य विशिष्टियों को निर्वाचक नामावली में की सुसंगत प्रविष्टि से मिलाएगा और तब निर्वाचक का क्रम संख्यांक, नाम और अन्य विशिष्टियां पढ़ कर सुनाएगा ।

(3) जहां कि मतदान केन्द्र ऐसे निर्वाचन-क्षेत्र में अवस्थित है जिसके निर्वाचकों को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के उपबंधों के अधीन अभिज्ञान-पत्र दिए गए हैं वहां पीठासीन आफिसर या इस निमित्त उस द्वारा प्राधिकृत मतदान आफिसर के समक्ष निर्वाचक अपना अभिज्ञान-पत्र पेश करेगा ।

(4) किसी व्यक्ति के मतदान करने के अधिकार का विनिश्चय करने में, यथास्थिति, पीठासीन आफिसर या मतदान आफिसर निर्वाचक नामावली में की प्रविष्टि में लिपिकीय या मुद्रण संबंधी अशुद्धियों की उस दशा में अनवेक्षा करेगा जिसमें कि उसका समाधान हो जाता है कि ऐसा व्यक्ति वही निर्वाचक है जिससे कि ऐसी प्रविष्टि संबद्ध है ।

49झ. निर्वाचन कर्तव्यारूढ़ लोक सेवकों के लिए सुविधाएं---(1) नियम 49ज के उपबंध किसी ऐसे व्यक्ति को लागू न होंगे जो मतदान केन्द्र में प्ररूप 12ख में निर्वाचन कर्तव्य प्रमाणपत्र पेश कर देता है और उस मतदान केन्द्र में अपना मत देने की अनुज्ञा दिए जाने की मांग करता है भले ही वह मतदान केन्द्र उस केन्द्र से भिन्न हो जहां मत देने का वह हकदार है ।

(2) ऐसे प्रमाणपत्र के पेश किए जाने पर पीठासीन आफिसर---

(क) उस पर उसे पेश करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर अभिप्राप्त करेगा ;

(ख) उस व्यक्ति का नाम और निर्वाचक नामावली संख्यांक, जो प्रमाणपत्र में वर्णित है, निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति के अंत में प्रविष्ट कराएगा ; तथा

(ग) मत देने की अनुज्ञा उसी रीति से देगा जैसी उस मतदान केन्द्र में मत देने के हकदार किसी निर्वाचक को देता है ।

49ञ. अनन्यता के बारे में अभ्याक्षेप---(1) कोई मतदान अभिकर्ता विशिष्ट निर्वाचक होने का दावा करने वाले व्यक्ति की अनन्यता के संबंध में अभ्याक्षेप हर एक ऐसे अभ्याक्षेप के लिए पीठासीन आफिसर के पास नकद दो रुपए की राशि पहले निक्षिप्त करके कर सकेगा ।

(2) पीठासीन आफिसर ऐसा निक्षेप किए जाने पर---

(क) उस व्यक्ति को, जिसकी बाबत ऐसा अभ्याक्षेप किया गया है, प्रतिरूपण के लिए शास्ति की चेतावनी देगा ;

(ख) निर्वाचक नामावली में की सुसंगत प्रविष्टि को पूरी तरह पढ़कर सुनाएगा और उससे पूछेगा कि क्या वह उस प्रविष्टि में निर्दिष्ट व्यक्ति है ;

(ग) अभ्याक्षेपित मतों की प्ररूप 14 वाली सूची में उसका नाम और पता प्रविष्ट करेगा ; तथा

(घ) उक्त सूची में अपने हस्ताक्षर करने की उससे अपेक्षा करेगा ।

(3) पीठासीन आफिसर तत्पश्चात् उस अभ्याक्षेप के संबंध में संक्षिप्त जांच करेगा और उस प्रयोजन के लिए---

(क) यह अपेक्षा कर सकेगा कि अभ्याक्षेपकर्ता अपने अभ्याक्षेप के सबूत के साक्ष्य दें और अभ्याक्षेपित व्यक्ति अपनी अनन्यता के सबूत में साक्ष्य दें ;

(ख) जिस व्यक्ति की बाबत अभ्याक्षेप किया गया है उसकी अनन्यता स्थापित करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक कोई प्रश्न उससे पूछ सकेगा और उनका उत्तर शपथ पर देने की उससे अपेक्षा कर सकेगा ; और

(ग) जिस व्यक्ति की बाबत अभ्याक्षेप किया गया है उसको और साक्ष्य देने की प्रस्तावना करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को शपथ दिला सकेगा ।

(4) यदि जांच के पश्चात् पीठासीन आफिसर का विचार हो कि अभ्याक्षेप सत्य साबित नहीं हुआ है तो वह अभ्याक्षेपित व्यक्ति को अनुज्ञा देगा कि वह मत दे, और यदि उसका विचार हो कि अभ्याक्षेप स्थापित कर दिया गया है तो वह अभ्याक्षेपित व्यक्ति को मत देने से विवर्जित करेगा ।

(5) यदि पीठासीन आफिसर की यह राय है कि अभ्याक्षेप तुच्छ है या सद्भावनापूर्वक नहीं किया गया है तो वह यह निदेश देगा कि उपनियम (1) के अधीन किया गया निक्षेप सरकार के पक्ष में समपहृत कर लिया जाए और किसी अन्य दशा में जांच की समाप्ति पर उसे अभ्याक्षेपकर्ता को लौटा दिया जाए ।

49ट. प्रतिरूपण के खिलाफ उपाय---(1) हर ऐसा निर्वाचक, जिसकी अनन्यता की बाबत, यथास्थिति, पीठासीन आफिसर या मतदान आफिसर का समाधान हो गया है, अपनी बाईं तर्जनी का निरीक्षण पीठासीन आफिसर या मतदान आफिसर द्वारा किया जाने देगा, और उस पर अमिट स्याही का चिह्न लगाया जाने देगा ।

(2) यदि कोई निर्वाचक---

(क) अपनी बांई तर्जनी को उपनियम (1) के अनुसार निरीक्षित या चिह्नित कराने से इंकार करता है या उसकी अपनी बांई तर्जनी पर ऐसा चिह्न पहले से है या ऐसे स्याही चिह्न को हटाने की दृष्टि से कोई कार्य करता है, अथवा

(ख) नियम 49ज के उपनियम (3) द्वारा यथापेक्षित रूप में अपना अभिज्ञान-पत्र पेश करने में असफल होता है या पेश करने से इंकार करता है,

तो उसे मतदान नहीं करने दिया जाएगा ।

(3) जहां कि संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र तथा सभा निर्वाचन-क्षेत्र में मतदान साथ-साथ हो वहां उस निर्वाचक को, जिसकी बाईं तर्जनी ऐसे एक निर्वाचन में, अमिट स्याही से चिह्नित कर दी गई है या जिसने अपना अभिज्ञान-पत्र ऐसे एक निर्वाचन में पेश कर दिया है, उपनियम (1) और (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, दूसरे निर्वाचन के लिए मतदान नहीं करने दिया जाएगा ।

(4) इस नियम में निर्वाचक की बाईं तर्जनी के प्रति किसी निर्देश का उस दशा में, जिसमें निर्वाचक की बाईं तर्जनी नहीं है ऐसे अर्थ लगाया जाएगा मानो वह उसके बाएं हाथ की किसी दूसरी उंगली के प्रति निर्देश है और जहां कि उसके बाएं हाथ की सब उंगलियां न हों वहां ऐसे अर्थ लगाया जाएगा मानो वह निर्देश उसके दाहिने हाथ की तर्जनी या किसी दूसरी उंगली के प्रति निर्देश है और जहां कि उसके दोनों हाथों की सब उंगलियां नहीं हैं वहां ऐसे अर्थ लगाया जाएगा मानो वह उसकी बाईं या दाहिनी भुजा के ऐसे अग्रतम भाग के प्रति निर्देश हो जैसा कि उसका है ।

49ठ. मतदान मशीनों द्वारा मतदान के लिए प्रक्रिया---(1) किसी निर्वाचक को मतदान करने की अनुज्ञा देने के पूर्व, मतदान आफिसर---

(क) निर्वाचक का निर्वाचक नामावली संख्यांक, जो मतदाता रजिस्टर में प्ररूप 17क में निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति में प्रविष्ट है, अभिलिखित करेगा ;

(ख) उक्त मतदाता रजिस्टर में निर्वाचक के हस्ताक्षर अथवा अंगूठे की छाप अभिप्राप्त करेगा ;

(ग) निर्वाचक का नाम निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति में यह उपदर्शित करने के लिए चिह्नित करेगा कि उसको मतदान करने की अनुज्ञा दी गई है ; और

[1][(घ) निर्वाचक द्वारा अपनी पहचान के सबूत में प्रस्तुत दस्तावेज का ब्यौरा देगा :]

परन्तु यह कि किसी निर्वाचक को तब तक मतदान नहीं करने दिया जाएगा जब तक कि उसने मतदाता रजिस्टर में अपने हस्ताक्षर न किए हों या अंगूठे की छाप न लगाई हो ।

(2) नियम 2 के उपनियम (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी पीठासीन आफिसर या मतदान आफिसर या किसी अन्य आफिसर के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि वह मतदाता रजिस्टर में निर्वाचक के अंगूठे की छाप को अनुप्रमाणित करे ।

49ड. निर्वाचकों द्वारा मतदान केन्द्र में मतदान की गोपनीयता बनाए रखना और मतदान प्रक्रिया---(1) हर वह निर्वाचक,जिसे नियम 49ठ के अधीन मत देने के लिए अनुज्ञात किया गया है, मतदान केन्द्र में मतदान की गोपनीयता बनाए रखेगा और इस प्रयोजन के लिए एतस्मिन्पश्चात् अधिकथित मतदान प्रक्रिया का अनुपालन करेगा ।

(2) मतदान करने के लिए अनुज्ञात किए जाने पर तत्काल निर्वाचक पीठासीन अधिकारी के पास या मतदान मशीन की नियंत्रण यूनिट के भारसाधक मतदान अधिकारी के पास जाएगा जो, नियंत्रण यूनिट पर समुचित बटन दबाकर, निर्वाचक का मत अभिलिखित करने के लिए मतदान यूनिट को सक्रिय करेगा ।

(3) निर्वाचक उसके पश्चात् तत्काल---

(क) मतदान कोष्ठ में जाएगा ;

(ख) उस अभ्यर्थी के नाम और प्रतीक के सामने जिसको वह मत देने का आशय रखता है, मतदान यूनिट का बटन दबाकर अपना मत अभिलिखित करेगा ; और

(ग) मतदान कोष्ठ से बाहर जाएगा तथा मतदान केन्द्र से बाहर चला जाएगा ।

(4) हर निर्वाचक असम्यक् विलम्ब के बिना मत देगा ।

(5) जब मतदान कोष्ठ में कोई निर्वाचक है तब अन्य किसी निर्वाचक को उसमें प्रवेश न करने दिया जाएगा ।

(6) यदि कोई निर्वाचक, जिसे नियम 49ठ या 49त के अधीन मत देने के लिए अनुज्ञात किया गया है, उक्त नियमों के उपनियम (3) में अधिकथित प्रक्रिया का अनुपालन करने के लिए पीठासीन आफिसर द्वारा चेतावनी दिए जाने के पश्चात् भी इंकार करे, तो पीठासीन आफिसर या पीठासीन आफिसर के निर्देश से मतदान आफिसर ऐसे निर्वाचक को मत देने के लिए अनुज्ञात नहीं करेगा ।

---

[1] अधिसूचना सं0 का0आ0 728(अ), तारीख 8 मई, 2007 द्वारा अंतःस्थापित ।

(7) जहां उपनियम (6) के अधीन निर्वाचक को मत देने के लिए अनुज्ञात नहीं किया गया है, पीठासीन आफिसर अपने हस्ताक्षर से मतदाताओं के रजिस्टर में निर्वाचक के नाम के सामने प्ररूप 17क में इस आशय का टिप्पण लिखेगा कि मतदान प्रक्रिया का अतिक्रमण किया गया है ।

49ढ. अंधे या शिथिलांग निर्वाचकों के मतों का अभिलेखन---(1) यदि पीठासीन आफिसर का समाधान हो जाता है कि अंधेपन या अन्य अंगशैथिल्य के कारण कोई निर्वाचक मतदान मशीन की मतदान यूनिट पर प्रतीक को पहचानने में या सहायता के बिना उसका समुचित बटन दबाकर अपना मत अभिलिखित करने में असमर्थ है तो पीठासीन आफिसर, निर्वाचक को अपनी ओर से और अपनी इच्छाओं के अनुसार मत अभिलिखित करने के लिए अपने साथ अठारह वर्ष से अन्यून आयु का एक साथी मतदान कोष्ठ में ले जाने की अनुज्ञा देगा :

परन्तु किसी व्यक्ति को एक ही दिन किसी मतदान केन्द्र में एक से अधिक निर्वाचकों के साथी के रूप में कार्य करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा :

परन्तु यह और भी कि किसी व्यक्ति को इस नियम के अधीन किसी दिन किसी निर्वाचक के साथी के तौर पर कार्य करने के लिए अनुज्ञात करने से पहले उस व्यक्ति से यह घोषणा करने की अपेक्षा की जाएगी कि वह निर्वाचक की ओर से अपने द्वारा अभिलिखित किए गए मत को गुप्त रखेगा और यह कि उसने उस दिन किसी मतदान केन्द्र में किसी अन्य निर्वाचक के साथी के तौर पर पहले कार्य नहीं किया है ।

(2) पीठासीन आफिसर इस नियम के अधीन के सभी मामलों का प्ररूप 14क में अभिलेख रखेगा ।

49ण. निर्वाचक का मत न देने के लिए विनिश्चय करना---यदि कोई निर्वाचक, उसका निर्वाचक नामावली संख्यांक मतदाता रजिस्टर में प्ररूप 17क में सम्यक् रूप से प्रविष्ट किए जाने और नियम 39ठ के उपनियम (1) के अधीन अपेक्षित रूप में उस पर अपने हस्ताक्षर करने या अंगूठे की छाप लगाने के पश्चात् अपना मत अभिलिखित न करने का विनिश्चय करता है तो उस आशय की एक टिप्पणी पीठासीन अधिकारी प्ररूप 17क में उक्त प्रविष्टि के सामने लिखेगा और निर्वाचक के हस्ताक्षर या अंगूठे की छाप ऐसी टिप्पणी के सामने अभिप्राप्त करेगा ।

49त. निविदत्त मत---(1) यदि कोई व्यक्ति अपनी बाबत यह व्यपदिष्ट करके कि वह विशिष्ट निर्वाचक है, से निर्वाचक के रूप में दूसरे व्यक्ति द्वारा पहले से ही मत दे दिए जाने के पश्चात् मत देना चाहता है, तो उसे अपनी अनन्यता के बारे में ऐसे प्रश्नों के समाधानप्रद रूप में उत्तर देने के पश्चात् जैसे पीठासीन आफिसर पूछे, मतदान यूनिट के माध्यम से मत देने के लिए अनुज्ञात करने के बजाय निविदत्त मतपत्र का प्रदाय किया जाएगा जो ऐसी डिजाइन का होगा और जिसकी विशिष्टियां ऐसी भाषा या भाषाओं में होंगी जो निर्वाचन आयोग विनिर्दिष्ट करे ।

(2) हर ऐसा व्यक्ति निविदत्त मतपत्र का प्रदाय किए जाने के पहले अपना नाम प्ररूप 17ख से संबंधित प्रविष्टि के सामने लिखेगा ।

(3) मतपत्र प्राप्त करने पर वह तत्क्षण,---

(क) मतदान कोष्ठ में जाएगा ;

(ख) अपना मत मतदान पत्र पर उस प्रयोजन के लिए उसे दिए गए उपकरण या वस्तु से उस अभ्यर्थी के प्रतीक पर या उसके निकट, जिसके लिए मत देने का उसका आशय है, एक क्रास चिह्न (X) लगा कर अभिलिखित करेगा ;

(ग) मतपत्र को इस तरह मोड़ लेगा कि उसका मत छिप जाए ;

(घ) पीठासीन आफिसर को, यदि अपेक्षित हो तो, मतपत्र पर लगा सुभिन्नक चिह्न दर्शित करेगा ;

(ङ) उसे पीठासीन आफिसर को देगा, जो उसे उस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से रखे गए लिफाफे में रखेगा ; और

(च) मतदान केन्द्र से बाहर चला जाएगा ।

(4) यदि अन्धेपन या अंगशैथिल्य के कारण ऐसा निर्वाचक सहायता के बिना अपना मत अभिलिखित करने में असमर्थ है तो पीठासीन आफिसर निर्वाचक को अपनी इच्छाओं के अनुसार मत अभिलिखित करने के लिए उन्हीं शर्तों के अधीन रहते हुए और नियम 49ड में अधिकथित प्रक्रिया का अनुसरण करने के पश्चात् एक साथी अपने साथ ले जाने की अनुज्ञा देगा ।

49थ. मतदान के दौरान कोष्ठ में पीठासीन आफिसर का प्रवेश करना---(1) जब कभी पीठासीन आफिसर ऐसा करना आवश्यक समझे तब वह मतदान के दौरान मतदान कोष्ठ में प्रवेश कर सकेगा और ऐसे कदम उठा सकेगा जैसे यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हों कि उसमें की मतदान यूनिट में किसी प्रकार से कोई गड़बड़ या हस्तक्षेप न किया जाए ।

(2) यदि पीठासीन आफिसर के पास यह सन्देह करने का कारण है कि कोई निर्वाचक, जिसने मतदान कोष्ठ में प्रवेश किया है, किसी मतदान यूनिट में गड़बड़ कर रहा है या अन्यथा उसमें हस्तक्षेप कर रहा है या मतदान कोष्ठ में असम्यक् देरी तक बना रहा है तो वह मतदान कोष्ठ में प्रवेश करेगा और ऐसे कदम उठाएगा जैसे मतदान की निर्विघ्न और व्यवस्थित प्रगति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो ।

(3) जब कभी पीठासीन आफिसर मतदान कोष्ठ में इस नियम के अधीन प्रवेश करे तब वह उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं को, यदि वे ऐसी वांछा करें तो अपने साथ जाने देगा ।

49द. मतदान बन्द करना---(1) पीठासीन आफिसर मतदान केन्द्र को धारा 56 के अधीन तन्निमित्त नियत समय पर बन्द कर देगा और तत्पश्चात् किसी निर्वाचक को उसमें प्रवेश न करने देगा :

परन्तु मतदान केन्द्र के बन्द किए जाने के पूर्व उसमें उपस्थित सब निर्वाचक अपने मत डालने के लिए अनुज्ञात किए जाएंगे ।

(2) यदि कोई प्रश्न इस बाबत पैदा होता है कि कोई निर्वाचक मतदान केन्द्र बन्द किए जाने के पूर्व वहां उपस्थित था या नहीं तो उसका विनिश्चय पीठासीन आफिसर द्वारा किया जाएगा और उनका विनिश्चय अन्तिम होगा ।

49ध. अभिलिखित मतों का लेखा---(1) पीठासीन आफिसर मतदान के बन्द होने पर प्ररूप 17ग में मतों का लेखा तैयार करेगा और उसे एक पृथक् लिफाफे में परिवेष्टित कर उस पर 'अभिलिखित मतों का लेखा' शब्द लिखेगा ।

(2) पीठासीन आफिसर मतदान के बन्द होने पर उपस्थित प्रत्येक मतदान अभिकर्ता को प्ररूप 17ग में की गई प्रविष्टियों की एक सही प्रति उस मतदान अभिकर्ता से उसकी रसीद प्राप्त करने के पश्चात् देगा और उसे सही प्रति के रूप में अनुप्रमाणित करेगा ।

49न. मतदान के पश्चात् मतदान मशीन का मुद्राबन्द किया जाना---(1) मतदान के बन्द होने के पश्चात् यथासाध्य शीघ्रता से, पीठासीन आफिसर यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई और मतों का अभिलेखन न किया जा सके नियंत्रण यूनिट को बंद कर देगा और मतदान यूनिट को नियंत्रण यूनिट से वियोजित कर देगा ।

(2) नियंत्रण यूनिट और मतदान यूनिट को उसके पश्चात् अलग-अलग रूप से उस रीति से जैसा कि निर्वाचन आयोग निदेशित करे मुद्राबंद और सुरक्षित किया जाएगा और उन्हें सुरक्षित करने के लिए प्रयुक्त मुद्रा इस प्रकार लगाई जाएगी कि बिना मुद्राओं को तोड़े यूनिटों का खोलना संभव नहीं होगा ।

(3) मतदान केन्द्र पर उपस्थित मतदान अभिकर्ता, जो उनकी मुद्रा लगाने की वांछा करे को भी ऐसा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा ।

49प. अन्य पैकेटों को मुद्राबन्द करना---(1) पीठासीन आफिसर तब---

(क) निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति के ;

(ख) प्ररूप 17क में मतदाता रजिस्टर के ;

(ग) निविदत्त मतपत्रों को अंतर्विष्ट रखने वाले लिफाफे और प्ररूप 17ख में सूची के ;

(घ) अभ्याक्षेपित मतों की सूची के ; और

(ङ) किन्हीं अन्य ऐसे कागजपत्रों के, जिनकी बाबत निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिया है कि वे मुद्राबंद पैकेट में रखे जाएं,

पृथक् पैकेट बनाएगा ।

(2) ऐसे हर पैकेट पीठासीन आफिसर की ओर से या तो अभ्यर्थी को या उसके निर्वाचक अभिकर्ता अथवा उसके मतदान अभिकर्ता को जो मतदान केन्द्र पर उपस्थित हो और उस पर अपनी मुद्रा लगाना चाहे, मुद्रा से मुद्रांकित किया जाएगा ।

49फ. मतदान मशीन आदि का रिटर्निंग आफिसर को पारेषण---(1) पीठासीन आफिसर तब रिटर्निंग आफिसर को---

(क) मतदान मशीन ;

(ख) प्ररूप 17ग में अभिलिखित मतों का लेखा ;

(ग) नियम 49प में निर्दिष्ट मुद्राबंद पैकेट ; और

(घ) मतदान में उपयोग में लाए गए सब अन्य कागजपत्र,

ऐसे स्थान में जैसा रिटर्निंग आफिसर निर्दिष्ट करे, परिदत्त करेगा या परिदत्त कराएगा ।

(2) रिटर्निंग आफिसर मतदान मशीन, पैकेटों और अन्य कागजपत्रों के सुरक्षापूर्ण परिवहन के लिए और मतों की गणना के प्रारंभ होने तक उनकी सुरक्षित अभिरक्षा के लिए यथायोग्य इंतजाम करेगा ।

49ब. मतदान के स्थगन पर प्रक्रिया---(1) यदि मतदान किसी मतदान केन्द्र में धारा 57 की उपधारा (1) के अधीन स्थगित किया गया है तो नियम 49थ से 49फ तक के उपबंध यावत्साध्य ऐसे लागू होंगे मानो मतदान धारा 56 के अधीन तन्निमित्त नियत समय पर बन्द हुआ हो ।

(2) जब स्थगित मतदान धारा 57 की उपधारा (2) के अधीन पुनः प्रारम्भ हुआ हो तब उन निर्वाचकों को जिन्होंने ऐसे स्थगित मतदान में पहले ही मत दिया था पुनः मत देने के लिए अनुज्ञा न दी जाएगी ।

(3) रिटर्निंग आफिसर उस मतदान केन्द्र के पीठासीन आफिसर को, जिनमें ऐसा स्थगित मतदान होता है वह मुद्राबंद पैकेट जिसमें निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति अंतर्विष्ट है, प्ररूप 17क में मतदाता रजिस्टर और एक नई मतदान मशीन उपबंधित करेगा ।

(4) पीठासीन आफिसर ऐसे मतदान अभिकर्ताओं की, जो उपस्थित हैं, उपस्थिति में मुद्राबंद पैकेट को खोलेगा और निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति का उपयोग ऐसे निर्वाचकों के नाम जिन्हें स्थगित मतदान में मत देने के लिए अनुज्ञात किया गया है नाम चिह्नित करने के लिए करेगा ।

(5) नियम 28 और नियम 49क से 49फ तक के उपबंध स्थगित मतदान के संचालन के संबंध में ऐसे स्थगन से पूर्व किए जाने वाले मतदान की तरह लागू होंगे ।

49भ. बूथ पर कब्जा करने की दशा में मतदान मशीन का बन्द किया जाना---जहां पीठासीन आफिसर की यह राय है कि किसी मतदान केन्द्र पर या मतदान के लिए नियत किसी स्थान पर बूथ पर कब्जा किया जा रहा है, वहां वह मतदान मशीन के नियंत्रण यूनिट को यह सुनिश्चित करने के लिए तुरन्त बंद कर देगा कि कोई और मत अभिलिखित न किए जाएं तथा मतदान यूनिट को नियंत्रण यूनिट से अलग कर देगा ।]

भाग 5

संसदीय और सभा निर्वाचन-क्षेत्रों में मतों की गणना

50. परिभाषाएं---इस भाग में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो---

(क) "अभ्यर्थी" से निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी अभिप्रेत है,

(ख) "निर्वाचन-क्षेत्र" से संसदीय या सभा निर्वाचन-क्षेत्र अभिप्रेत है,

(ग) "गणना अभिकर्ता" से वह गणना अभिकर्ता है, जो धारा 47 के अधीन सम्यक् रूप से नियुक्त है, और इसके अन्तर्गत अभ्यर्थी और अभ्यर्थी का निर्वाचन अभिकर्ता तब आता है जबकि वह गणना के समय उपस्थित है,

(घ) "अधिसूचित मतदान केन्द्र" से नियम 40 के अधीन अधिसूचित मतदान केन्द्र अभिप्रेत है,

(ङ) "मतदान केन्द्र" से अधिसूचित मतदान केन्द्र से भिन्न वह मतदान केन्द्र अभिप्रेत है जो धारा 25 के अधीन उपबन्धित है ।

51. मतों की गणना के लिए समय और स्थान---रिटर्निंग आफिसर मतदान के लिए नियत तारीख या तारीखों में की प्रथम तारीख से कम से कम एक सप्ताह पहले वह स्थान या वे स्थान जहां मतों की गणना की जाएगी और वह तारीख और समय जब मतों की गणना प्रारम्भ होगी, नियत करेगा और हर एक अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता को उसकी लिखित सूचना देगा :

परन्तु यदि रिटर्निंग आफिसर किसी कारणवश वैसा करना आवश्यक समझता है तो वह ऐसी नियत तारीख, समय और स्थान या स्थानों या उनमें से किसी को हर एक अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता को उसको लिखित सूचना देने के पश्चात् बदल सकेगा ।

52. गणन अभिकर्ताओं की नियुक्ति और ऐसी नियुक्तियों का प्रतिसंहरण---(1) गणन अभिकर्ताओं की जो संख्या धारा 47 के अधीन अभ्यर्थी द्वारा नियुक्त की जा सकेगी वह निर्वाचन आयोग के ऐसे साधारण या विशेष निदेशों के अध्यधीन रहते हुए, जैसे निर्वाचन आयोग इस निमित्त निकाले, नियम 51 के अधीन गणना के लिए नियत स्थान में या स्थानों में से हर एक में सोलह से अधिक न होगी ।

(2) हर ऐसी नियुक्ति प्ररूप 18 में दो प्रतियों में की जाएगी जिसमें से एक प्रति रिटर्निंग आफिसर को भेजी जाएगी और दूसरी प्रति गणन अभिकर्ता को गणना के लिए नियम 51 के अधीन [1][नियत समय के एक घंटे पूर्व से अपश्चात्] रिटर्निंग आफिसर के समक्ष पेश की जाने के लिए दे दी जाएगी ।

(3) जब तक किसी गणन अभिकर्ता ने रिटर्निंग आफिसर को उपनियम (2) के अधीन अपने नियुक्ति पत्र की दूसरी प्रति उसमें अंतर्विष्ट घोषणा को सम्यक् रूप से पूरा करने और हस्ताक्षरित करने के पश्चात् परिदत्त न कर दी हो और रिटर्निंग आफिसर से गणना के लिए नियत स्थान में प्रविष्ट होने के लिए प्राधिकार प्राप्त न कर लिया हो उसे गणना के लिए नियत स्थान में प्रवेश न करने दिया जाएगा ।

(4) गणना अभिकर्ता की नियुक्ति की धारा 48 की उपधारा (2) के अधीन प्रतिसंहरण प्ररूप 19 में किया जाएगा और रिटर्निंग आफिसर के पास दाखिल किया जाएगा ।

(5) अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता मतों की गणना के प्रारम्भ के पूर्व किसी ऐसे प्रतिसंहरण की दशा में नई नियुक्ति उपनियम (2) के अनुसार कर सकेगा ।

53. गणना के लिए नियत स्थान में प्रवेश---(1) रिटर्निंग आफिसर मतों की गणना के लिए नियत स्थान में से---

(क) [2][ऐसे व्यक्तियों के, (जो गणना पर्यवेक्षक और गणना सहायक के रूप में ज्ञात होंगे)] , और जिन्हें वह गणना में अपनी सहायता के लिए नियुक्त करे ;

(ख) निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों के ;

(ग) निर्वाचन के संसग में कर्तव्यारूढ़ लोक सेवकों के ; और

(घ) अभ्यर्थियों, उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं और गणन अभिकर्ताओं के सिवाय सब व्यक्तियों को अपवर्जित रखेगा ।

(2) जो कोई व्यक्ति निर्वाचन में या निर्वाचन की बाबत अभ्यर्थी के द्वारा या की ओर से नियोजित है, या अन्यथा उसके लिए कार्य कर रहा है वह उपनियम (1) के खंड (क) के अधीन नियुक्त न किया जाएगा ।

(3) रिटर्निंग आफिसर इस बात का विनिश्चय करेगा कि कौन सा या कौन से अभिकर्ता किसी विशिष्ट गणना पटल या गणना पटलों के समूह पर गणना देखेगा या देखेंगे ।

(4) जो कोई व्यक्ति मतों की गणना के दौरान स्वयं अवचार करता है या रिटर्निंग आफिसर के विधिपूर्ण निदेशों के पालन में असफल रहता है वह उस स्थान से, जहां मतों की गणना की जा रही है, रिटर्निंग आफिसर द्वारा या किसी कर्तव्यारूढ़ पुलिस आफिसर द्वारा या रिटर्निंग आफिसर द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा हटाया जा सकेगा ।

54. मतदान की गोपनीयता बनाए रखना---रिटर्निंग आफिसर, इसके पूर्व कि वह गणना प्रारम्भ करे, धारा 128 के उपबंध उन व्यक्तियों को, जो उपस्थित हों, पढ़कर सुनाएगा ।

[3]**[54क. डाक द्वारा प्राप्त मतों की गणना**---(1) रिटर्निंग आफिसर डाक मतपत्रों के विषय में प्रथमतः एतस्मिन् पश्चात् उपबंधित रीति से कार्यवाही करेगा ।

(2) तन्निमित नियत समय के अवसान के पश्चात् रिटर्निंग आफिसर द्वारा प्राप्त प्ररूप 13ग में के किसी लिफाफे को खोला नहीं जाएगा और ऐसे किसी लिफाफे में अंतर्विष्ट किसी मत की गणना नहीं की जाएगी ।

(3) अन्य लिफाफे को एक-एक करके खोला जाएगा और जैसे ही हर एक लिफाफे को खोला जाए रिटर्निंग आफिसर प्रथमतः उसमें अंतर्विष्ट प्ररूप 13क में की घोषणा की संवीक्षा करेगा ।

(4) यदि उक्त घोषणा नहीं पाई जाती है या उसे सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित और अनुप्रमाणित नहीं किया गया है या अन्यथा सारतः त्रुटिपूर्ण है या यदि उसमें यथा प्रविष्ट मतपत्र का क्रम संख्या प्ररूप 13ख में के लिफाफे पर पृष्ठांकित क्रम संख्यांक से भिन्न है तो उस लिफाफे को खोला नहीं जाएगा और उस पर समुचित पृष्ठांकन करने के पश्चात् रिटर्निंग आफिसर उसमें अंतर्विष्ट मतपत्र को प्रतिक्षेपित कर देगा ।

(5) ऐसे पृष्ठांकित हर एक लिफाफे और उसके साथ प्राप्त घोषणा को पुनः प्ररूप 13ग में के लिफाफे में रखा जाएगा और प्ररूप 13ग में के ऐसे सभी लिफाफे एक पृथक् पैकेट में रखे जाएंगे जिसे मुद्राबन्द किया जाएगा और जिस पर निर्वाचन-क्षेत्र का नाम, गणना की तारीख और उसकी अन्तर्वस्तुओं का संक्षिप्त वर्णन अभिलिखित किया जाएगा ।

---

[1] अधिसूचना सं0 का0 आ0 3662, तारीख 12 अक्तूबर, 1964 द्वारा कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] अधिसूचना सं0 का0 आ0 4542, तारीख 20 दिसम्बर, 1968 द्वारा (1-1-1969 से) प्रतिस्थापित ।

[3] अधिसूचना सं0 का0आ0 3662, तारीख 12 अक्तूबर, 1964 द्वारा अन्तःस्थापित ।

(6) रिटर्निंग आफिसर तब प्ररूप 13क में की उन सभी घोषणाओं को, जो उसने व्यवस्थानुरूप पाई हैं, पृथक् पैकेट में रखेगा जिसे प्ररूप 13ख में के किसी लिफाफे को खोलने के पहले मुद्राबन्द किया जाएगा और जिस पर उपनियम (5) में निर्दिष्ट विशिष्टियां अभिलिखित की जाएंगी ।

(7) प्ररूप 13ख में के उन लिफाफों को, जिनके विषय में इस नियम के पूर्वगामी उपबंधों के अधीन पहले ही कार्यवाही नहीं की गई है, तब एक-एक करके खोला जाएगा और रिटर्निंग आफिसर हर एक मतपत्र की संवीक्षा करेगा और उस पर अभिलिखित मत की विधिमान्यता का विनिश्चय करेगा ।

(8) डाक मतपत्र को प्रतिक्षेपित कर दिया जाएगा---

[1][(क) यदि उस पर ऐसा कोई चिह्न (मत को अभिलिखित करने के लिए चिह्न से भिन्न) या लेख है जिससे निर्वाचक की पहचान हो सके ; या]

[2][(कक)] यदि उस पर कोई अभिलिखित नहीं है ; या

(ख) यदि उस पर मत एक से अधिक अभ्यर्थियों के पक्ष में दिए गए हैं ;

(ग) यदि वह बनावटी मतपत्र है ; या

(घ) यदि वह ऐसे क्षत या विकृत है कि असली मतपत्र के रूप में उसकी अनन्यता स्थापित नहीं की जा सकती है;

(ङ) यदि उसे उस लिफाफे में रखकर नहीं लौटाया गया है जो रिटर्निंग आफिसर द्वारा निर्वाचक को उसके साथ ही भेजा गया था ।

(9) डाक मतपत्र पर अभिलिखित मत को प्रतिक्षेपित कर दिया जाएगा यदि मत को उपदर्शित करने वाला चिह्न मतपत्र पर ऐसी रीति में लगा है कि यह बात सन्देहपूर्ण हो जाती है कि मत किस अभ्यर्थी को दिया गया है ।

(10) डाक मतपत्र पर अभिलिखित मत को केवल इस आधार पर कि मत को उपदर्शित करने वाला चिह्न अस्पष्ट है या एक से अधिक बार लगाया गया है प्रतिक्षेपित नहीं किया जाएगा यदि यह आशय कि मत किसी विशिष्ट अभ्यर्थी के लिए है, मतपत्र चिह्नित किए जाने के ढंग से स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है ।

(11) रिटर्निंग आफिसर उन सभी विधिमान्य मतों की, जो डाक मतपत्र द्वारा हर एक अभ्यर्थी के पक्ष में दिए गए है, गणना करेगा, उनके जोड़ को प्ररूप 20 में के परिणामपत्र में अभिलिखित करेगा और उसे आख्यापित करेगा ।

(12) तदुपरांत सभी विधिमान्य मतपत्रों और सभी प्रतिक्षेपित मतपत्रों के पृथक्-पृथक् बंडल बनाए जाएंगे और उन्हें एक साथ एक पैकेट में रखा जाएगा जिसे रिटर्निंग आफिसर की और ऐसे अभ्यर्थियों, उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं या गणन अभिकर्ताओं की, जो इस पर अपनी मुद्राएं लगाना चाहें, मुद्राओं से मुद्रांकित किया जाएगा और ऐसे मुद्राबंद पैकेट पर निर्वाचन-क्षेत्र का नाम, गणना की तारीख और उसकी अन्तर्वस्तुओं का संक्षिप्त वर्णन अभिलिखित किया जाएगा ।]

55. मतपेटियों की संवीक्षा और उनका खोला जाना--- [3][(1) रिटर्निंग आफिसर एक से अधिक मतदान केन्द्रों में उपयोग में लाई गई मतपेटी या मतपेटियों को खुलवा सकेगा और ऐसी मतपेटी या मतपेटियों में पाए गए मतपत्रों की साथ-साथ गणना करवा सकेगा ।]

[4]* * * * * *

(2) जो गणना अभिकर्ता गणना पटल पर उपस्थित है उस पटल पर किसी मतपेटी के खोले जाने के पहले उन्हें उस पत्र-मुद्रा या ऐसी अन्य मुद्रा का, जो उस पर लगी हो, निरीक्षण और अपना यह समाधान कि वह ठीक है, करने दिया जाएगा ।

(3) रिटर्निंग आफिसर अपना यह समाधान करेगा कि मतपेटियों में से किसी में वास्तव में कोई गड़बड़ नहीं की गई है ।

(4) यदि रिटर्निंग आफिसर का समाधान हो जाता है कि किसी मतपेटी में वास्तव में कोई गड़बड़ की गई है तो वह उस पेटी में अन्तर्विष्ट मतपत्रों की गणना नहीं करेगा और उस मतदान केन्द्र की बाबत धारा 58 में अधिकथित प्रक्रिया का पालन करेगा ।

---

[1] अधिसूचना सं0 का0 आ0 5573, तारीख 23 दिसम्बर, 1971 द्वारा अन्तःस्थापित ।

[2] अधिसूचना सं0 का0 आ0 5573, तारीख 23 दिसम्बर 1971 द्वारा मूल खंड (क) को खंड (कक) के रूप में पुनःअक्षरांकित किया गया ।

[3] अधिसूचना सं0 का0 आ0 518(अ), तारीख 7 सितंबर, 1979 द्वारा उपनियम (1) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[4] अधिसूचना सं0 का0 आ0 518(अ), तारीख 7 सितंबर, 1979 द्वारा उपनियम (1) द्वारा उपनियम (1क) का लोप किया गया ।

56. [1][मतों की गणना]---[2][(1) प्रत्येक मतपेटी से निकाले गए मतपत्र सुविधाजनक बंडलों में रखे जाएंगे और उनकी संवीक्षा की जाएगी ।]

(2) रिटर्निंग आफिसर मतपत्र को प्रतिक्षेपित उस दशा में कर देगा यदि ----

(क) उस पर ऐसा कोई चिह्न या लेख है, जिससे निर्वाचक का अभिज्ञान किया जा सकता है, अथवा

[3][(ख) उस पर कोई चिह्न ही नहीं है, या, मत उपदर्शित करने के लिए मतपत्र पर सामने की ओर अभ्यर्थियों में से किसी एक के प्रतीक पर से या उसके निकट से अन्यत्र ऐसा कोई चिह्न है,या ऐसा चिह्न है जो उस प्रयोजन के लिए प्रदाय किए गए उपकरण से लगाने या अन्यथा लगाया गया है, अथवा]

(ग) उस पर एक अभ्यर्थी से अधिक के पक्ष में मत दिए गए हैं, अथवा

(घ) उस पर मत उपदर्शित करने वाला चिह्न ऐसी रीति में लगाया गया है जिसमें कि यह बात शंकास्पद हो जाती है कि मत किस अभ्यर्थी को दिया गया है, अथवा

(ङ) वह बनावटी मतपत्र है, अथवा

(च) वह ऐसे क्षत या विकृत है कि असली मतपत्र के रूप में उसकी अनन्यता स्थापित नहीं की जा सकती है, अथवा

(छ) वह उस विशिष्ट मतदान केन्द्र में उपयोग में लाए जाने के लिए प्राधिकृत मतपत्रों के, यथास्थिति, क्रम संख्यांकों से भिन्न क्रम संख्यांक या परिकल्पों से भिन्न परिकल्प का है, अथवा

(ज) उस पर [4][वह चिह्न और वह हस्ताक्षर दोनों] ही नहीं हैं जो उस पर नियम 38 के उपनियम (1) के उपबंधों के अधीन होने चाहिए थे :

परन्तु जहां कि रिटर्निंग आफिसर का यह समाधान हो जाता है कि खंड (छ) या खंड (ज) में वर्णित जैसी कोई त्रुटि, पीठासीन आफिसर या मतदान आफिसर की ओर से की गई किसी भूल या असफलता के कारण हुई है वहां मतपत्र केवल ऐसी त्रुटि के आधार पर ही प्रतिक्षेपित न किया जाएगा :

परन्तु यह और भी कि कोई मतपत्र केवल इस आधार पर कि मत उपदर्शित करने वाला चिह्न अस्पष्ट है या एक से अधिक बार लगाया गया है, प्रतिक्षेपित न किया जाएगा यदि यह आशय कि मत किसी विशिष्ट अभ्यर्थी के लिए होगा, मतपत्र चिह्नित किए जाने के ढंग से स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है ।

(3) रिटर्निंग आफिसर किसी मतपत्र को उपनियम (2) के अधीन प्रतिक्षेपित करने से पहले हर एक गणन अभिकर्ता को,जो उपस्थित है, मतपत्र के निरीक्षण के लिए युक्तियुक्त अवसर देगा, किन्तु उस मतपत्र को या अन्य किसी मतपत्र को हाथ लगाने देगा ।

[5][(4) रिटर्निंग आफिसर ऐसे हर मतपत्र पर जिसे वह प्रतिक्षेपित करता है, अक्षर "प्र" और प्रतिक्षेपण के आधारों को संक्षिप्त रूप में या तो स्वहस्तेन लिखकर या रबड़ स्टाम्प से पृष्ठांकित करेगा और ऐसे पृष्ठांकन पर आद्याक्षर करेगा ।]

(5) इस नियम के अधीन प्रतिक्षेपित किए गए सभी मतपत्र एक साथ बंडल में बांधे जाएंगे ।

[6][(6) हर मतपत्र की,जिसे इस नियम के अधीन प्रतिक्षेपित नहीं किया गया है, एक विधिमान्य मत के रूप में गणना की जाएगी :

परन्तु निविदत्त मतपत्र अन्तर्विष्ट रखने वाले किसी लिफाफे को खोला नहीं जाएगा और ऐसे किसी मतपत्र की गणना नहीं की जाएगी ।

[7][(7) किसी मतदान केन्द्र के उपयोग में लाई गई सभी मतपेटियों में अन्तर्विष्ट सब मतपत्रों की गणना खत्म हो जाने के पश्चात्---

---

[1] अधिसूचना सं0 का0 आ0 3662, तारीख 12 अक्तूबर, 1964 द्वारा पूर्ववर्ती पार्श्व शीर्ष के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[2] अधिसूचना सं0 का0 आ0 518(अ), तारीख 7 सितंबर, 1979 द्वारा उपनियम (1) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[3] अधिसूचना सं0 का0 आ0 505, (अ) तारीख 18 सितंबर, 1973 द्वारा खंड (ख) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[4] अधिसूचना सं0 का0 आ0 4542, तारीख 20 दिसम्बर, 1968 द्वारा (1-1-1969 से) प्रतिस्थापित ।
[5] अधिसूचना सं0 का0 आ0 479क, तारीख 27 जनवरी, 1971 द्वारा उपनियम (4) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[6] अधिसूचना सं0 का0 आ0 3662, तारीख 12 अक्तूबर, 1964 द्वारा अन्तःस्थापित ।
[7] अधिसूचना सं0 का0 आ0 518(अ), तारीख 7 दिसम्बर, 1979 द्वारा उपनियम (7) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(क) गणना पर्यवेक्षक प्ररूप 16 में, भाग 2 में गणना का फल भरेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा तथा रिटर्निंग आफिसर उस पर हस्ताक्षर करेगा ; और

(ख) रिटर्निंग आफिसर प्ररूप 20 में परिणामपत्र में प्रविष्टियां करेगा और विशिष्टियां आख्यापित करेगा ।]]

[1]* * * * * *

[2][**57. उपयोग में लाए गए मतपत्रों को मुद्रा बन्द करना**---तत्पश्चात् हर एक अभ्यर्थी के विधिमान्य मतपत्रों को और प्रतिक्षेपित मतपत्रों को पृथक्-पृथक् बंडलों में बांधा जाएगा और कई बंडलों का पृथक् पैकेट बनाया जाएगा जिसे रिटर्निंग आफिसर की और ऐसे अभ्यर्थियों, उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं या गणन अभिकर्ता की, जो उन पर अपनी मुद्राएं लगाना चाहे, मुद्राओं से मुद्रांकित किया जाएगा और ऐसे मुद्राबन्द पैकेटों पर निम्नलिखित विशिष्टियां अभिलिखित की जाएंगी, अर्थात् :---

(क) निर्वाचन-क्षेत्र का नाम,

[3][(ख) उस मतदान के केन्द्र की विशिष्टियां जहां मतपत्रों को उपयोग में लाया गया है ; और]

(ग) गणना की तारीख ।]

58. थैलों या लिफाफों में नियम 44 के अधीन अंतरित मतपत्रों की गणना करना---नियम 55, 56 और 57 के उपबंध उन मतपत्रों और मतों की, यदि कोई हों, गणना के संबंध में यावत्शक्य लागू होंगे जो मतपेटियों में से कपड़े के थैलों या कपड़े के अस्तर वाले लिफाफों में नियम 44 के उपनियम (5) के अधीन अन्तरित किए गए हैं :

परन्तु उक्त नियमों में मतपेटी के प्रति हर निर्देश का अर्थ यह लगाया जाएगा कि वह उस थैले या लिफाफे के प्रति निर्देश है जिसमें मतपेटी की अन्तर्वस्तुएं अंतरित की गई हैं ।

59. अधिसूचित मतदान केन्द्रों पर मतों की गणना---अधिसूचित मतदान केन्द्रों में उपयोग में लाई गई मतपेटियों में पाए गए मतपत्रों की गणना के संबंध में [4][नियम 50 से लेकर 54 तक के नियम] और नियम 55. 56 और 57 के स्थान पर निम्नलिखित नियम लागू होंगे, अर्थात् :--

"55क. **संवीक्षा और मतपेटियों का खोलना**---(1) किसी अधिसूचित मतदान केन्द्र में उपयोग में लाई गई सभी मतपेटियां एक ही समय में खोली जाएंगी किन्तु हर मतपेटी से ऐसी रीति में बरता जाएगा कि उसकी अन्तर्वस्तुएं किसी अन्य मतपेटी की अन्तर्वस्तुओं से मिश्रित न हो जाएं ।

(2) उपनियम (1) के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए रिटर्निंग आफिसर एक से अधिक अधिसूचित मतदान केन्द्रों में उपयोग में लाई गई मतपेटियों को एक साथ खुलवा सकेगा और उनकी अन्तर्वस्तुओं की एक साथ गणना करवा सकेगा ।

(3) किसी मतपेटी के खोले जाने के पूर्व उन गणन अभिकर्ताओं को, जो उपस्थित हों, पत्र-मुद्रा का या किसी अन्य मुद्रा का, जो उस पर लगी हो, निरीक्षण और अपना यह समाधान, कि वह ठीक हालत में है, करने दिया जाएगा ।

(4) रिटर्निंग आफिसर अपना यह समाधान करेगा कि मतपेटियों में से किसी में वास्तव में कोई गड़बड़ी नहीं की गई है ।

(5) यदि रिटर्निंग आफिसर का समाधान हो जाता है कि मतपेटियों में से किसी में वास्तव में कोई गड़बड़ की गई है तो वह उस मतदान केन्द्र में, जिसमें ऐसी पेटी उपयोग में लाई गई थी, उपयोग में लाई गई मतपेटियों में से किसी में अन्तर्विष्ट मतपत्रों की गणना न करेगा और उस मतदान केन्द्र की बाबत धारा 58 में यथा अधिकथित रूप में अग्रसर होगा ।

(6) हर एक मतपेटी के खोलने के पश्चात् गणन अभिकर्ताओं को जो, उपस्थित हों, मतपेटी का निरीक्षण और अपना यह समाधान, कि उसके अंदर उचित प्रतीक लगा हुआ है और नियम 49 के उपनियम (3) के खंड (ग) से

---

[1] अधिसूचना सं0 का0 आ0 518(अ), तारीख 7 दिसम्बर, 1979 द्वारा स्पष्टीकरण का लोप किया गया ।

[2] अधिसूचना सं0 का0 आ0 3662, तारीख 12 अक्तूबर, 1964 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[3] खंड (ख) अधिसूचना सं0 का0 आ0 518(अ), तारीख 7 सितंबर, 1979 द्वारा अन्तःस्थापित । इससे पूर्व इसका अधिसूचना सं0 का0 आ0 5573, तारीख 23 दिसम्बर, 1971 द्वारा खंड (ख) का लोप किया गया था।

[4] अधिसूचना सं0 का0 आ0 5573, तारीख 23 दिसम्बर, 1971 द्वारा प्रतिस्थापित ।

यथा उपांतरित नियम 33 के उपनियम (6) के उपबन्धों के अनुसार यह सम्यक् रूप से चिह्नित है, करने दिया जाएगा ।

(7) यदि कोई प्रश्न इस बारे में पैदा होता है कि विशिष्ट मतपेटी किस अभ्यर्थी को मतदान में आबंटित की गई थी, तो रिटर्निंग आफिसर ऐसे प्रश्न का विनिश्चय पेटी के अन्दर वाले प्रतीक के प्रति निर्देश से करेगा :

परन्तु---

(क) यदि पेटी के अन्दर कोई प्रतीक नहीं है, अथवा

(ख) यदि पेटी के अन्दर वाला प्रतीक इतना क्षत या विकृत हो गया है कि पहचाना नहीं जा सकता, अथवा

(ग) यदि एक ही प्रतीक एक ही मतदान केन्द्र में उपयोग में लाई गई दो या अधिक पेटियों के अंदर पाया जाता है, तो रिटर्निंग आफिसर जहां कहीं ऐसा करना संभव हो वहां प्रश्न का विनिश्चय मतपेटी पर सुभिन्नक चिह्नों के सहित सब सुसगंत परिस्थितियों के प्रति निर्देश से करेगा और जहां कि वह यह पाता है कि प्रश्न का विनिश्चय करना संभव नहीं है वहां वह उसे निर्वाचन आयोग के विनिश्चय के लिए आयोग को तुरन्त निर्देशित करेगा ।

56क. [1][मतों की गणना]--(1) हर एक मतपेटी में से निकाले गए मतपत्र सुविधाजनक बंडलों में व्यवस्थानुसार रखे जाएंगे और उनकी संवीक्षा की जाएगी ।

(2) रिटर्निंग आफिसर मतपत्रों को उस दशा में प्रतिक्षेपित कर देगा जिसमें कि मतपत्र---

(क) पर ऐसा कोई चिह्न या लेख है जिससे निर्वाचक का अभिज्ञान किया जा सकता है, अथवा

(ख) बनावटी मतपत्र है, अथवा

(ग) ऐसे क्षत या विकृत है कि असली मतपत्र के रूप में उसकी अनन्यता स्थापित की जा सकती है, अथवा

(घ) उस विशिष्ट मतदान केन्द्र में उपयोग में लाए जाने के लिए प्राधिकृत मतपत्रों के, यथास्थिति, क्रम संख्यांकों से भिन्न क्रम संख्यांक या परिकल्पों से भिन्न परिकल्प का है, अथवा

(ङ) पर [2][वह चिह्न और हस्ताक्षर दोनों] नहीं हैं जिन्हें उस पर नियम 38 के उपनियम (1) के उपबन्धों के अधीन होना चाहिए था :

परन्तु जहां कि रिटर्निंग आफिसर का समाधान हो जाता है कि खंड (घ) या खंड (ङ) में वर्णित जैसी कोई त्रुटि, पीठासीन आफिसर या मतदान आफिसर की ओर से की गई किसी भूल या असफलता के कारण हुई है वहां मतपत्र ऐसी त्रुटि के आधार पर प्रतिक्षेपित न किया जाएगा ।

(3) रिटर्निंग आफिसर उपनियम (2) के अधीन किसी मतपत्र को प्रतिक्षेपित करने से पूर्व गणन अभिकर्ताओं को, जो उपस्थित हो, मतपत्र के निरीक्षण के लिए युक्तियुक्त अवसर देगा, किन्तु उन्हें उस मतपत्र को या अन्य किसी मतपत्र को हाथ न लगाने देगा ।

(4) रिटर्निंग आफिसर ऐसे हर मतपत्र पर, जिसे वह प्रतिक्षेपित करता है, अक्षर "प्र" और प्रतिक्षेपण के आधारों को संक्षिप्त रूप में या तो स्वहस्तेन लिखकर या रबड़ स्टाम्प से अभिलिखित करेगा ।

(5) किसी एक मतपेटी में से निकाले गए और इस नियम के अधीन प्रतिक्षेपित किए गए सब मतपत्रों का एक पृथक् बंडल बनाया जाएगा ।]

[3][(6) हर मतपत्र की, जिसे इस नियम के अधीन प्रतिक्षेपित नहीं किया गया है, एक विधिमान्य मत के रूप में गणना की जाएगी :

---

[1] अधिसूचना सं0 का0 आ0 3662, तारीख 12 अक्तूबर, 1964 द्वारा पूर्ववर्ती पाशर्व शीर्ष के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] अधिसूचना सं0 का0 आ0 4542, तारीख 20 दिसम्बर, 1968 द्वारा (1-1-1969 से) प्रतिस्थापित ।

[3] अधिसूचना सं0 का0 आ0 3662, तारीख 12 अक्तूबर, 1964 द्वारा अंतःस्थापित ।

परन्तु निविदत्त मतपत्र अन्तर्विष्ट रखने वाले किसी लिफाफे को खोला नहीं जाएगा और ऐसे किसी मतपत्र की गणना नहीं की जाएगी ।]

[1][(7) किसी मतदान केन्द्र में उपयोग में लाई गई सब मतपेटियों में अन्तर्विष्ट मतपत्रों की गणना खत्म हो जाने के पश्चात्----

(क) गणना पर्यवेक्षक [2][प्ररूप 16] में भाग 2 में गणना का फल भरेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा तथा रिटर्निंग आफिसर भी उस पर हस्ताक्षर करेगा ; और

(ख) रिटर्निंग आफिसर प्ररूप 20 में परिणामपत्र में प्रविष्टियां करेगा और विशिष्टियां आख्यापित करेगा ।]

[3][**57क. उपयोग में लाए गए मतपत्रों को मुद्राबन्द करना**---(1) हर एक मतपेटी में पाए गए विधिमान्य मतपत्रों को तत्पश्चात् एक साथ बंडल में बांधा जाएगा और उस पेटी में पाए गए प्रतिक्षेपित मतपत्रों के बंडल के, यदि कोई हों, साथ ही पृथक् पैकेट में रखा जाएगा जिसे रिटर्निंग आफिसर की और ऐसे अभ्यर्थियों, उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं या गणन अभिकर्ताओं की, जो उन पर अपनी मुद्राएं लगाना चाहें, मुद्राओं से मुद्रांकित किया जाएगा, और ऐसे मुद्राबंद पैकेट पर निम्नलिखित विशिष्टियां अभिलिखित की जाएंगी, अर्थात्:---

(क) निर्वाचन-क्षेत्र का नाम,

(ख) उस मतदान केन्द्र की विशिष्टियां जहां मतपत्रों को प्रयोग में लाया गया है,

(ग) उस अभ्यर्थी का नाम जिसे वह मतपेटी आबंटित की गई थी, तथा

(घ) गणना की तारीख ।

(2) रिटर्निंग आफिसर तब हर एक अभ्यर्थी की बाबत उपनियम (1) के अधीन बनाए गए सब पैकेट पृथक् लिफाफे में एक साथ रखेगा जिसे रिटर्निंग आफिसर ऐसे अभ्यर्थियों, उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं या उनके गणन अभिकर्ताओं को, जो उन पर अपनी मुद्राएं लगाना चाहें, मुद्राओं से मुद्रांकित किया जाएगा और ऐसे मुद्राबंद किए गए लिफाफे पर निम्नलिखित विशिष्टियां अभिलिखित की जाएंगी, अर्थात् :---

(क) निर्वाचन-क्षेत्र का नाम,

(ख) अभ्यर्थियों का नाम, तथा

(ग) गणना की तारीख] ।

[4][**59क. [5][विनिर्दिष्ट निर्वाचन-क्षेत्रों में मतों की गणना**---जहां निर्वाचन आयोग को किसी निर्वाचन-क्षेत्र में निर्वाचकों को अभित्रस्त करने और सताने की आशंका है और उसकी यह राय है कि यह आत्यन्तिक रूप से आवश्यक है कि उस निर्वाचन-क्षेत्र में उपयोग में लाई गई सभी मतपेटियों में से निकाले गए मतपत्रों को गणना करने के पूर्व मिलाया जाए वहां वह, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे निर्वाचन-क्षेत्र को विनिर्दिष्ट कर सकेगा और ऐसे मतपत्रों की गणना के लिए, नियम 55, नियम 56, नियम 57 और नियम 59 के स्थान में निम्नलिखित नियम लागू होंगे, अर्थात्---]

'55ख. **मतपेटियों की संवीक्षा और उनका खोला जाना**---(1) रिटर्निंग आफिसर एक से अधिक मतदान केन्द्रों में उपयोग में लाई गई मतपेटी या मतपेटियों को एक साथ खोलेगा या खुलवाएगा और ऐसी मतपेटी या मतपेटियों में पाए गए मतपत्रों की कुल संख्या की गणना करेगा और उसे प्ररूप 16क के भाग 2 में अभिलिखित करेगा :

---

[1] अधिसूचना सं0 का0 आ0 4542, तारीख 20 दिसम्बर, 1968 द्वारा (1-1-1969 से) प्रतिस्थापित ।
[2] अधिसूचना सं0 का0 आ0 518(अ), तारीख 7 सितम्बर, 1979 द्वारा कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[3] अधिसूचना सं0 का0 आ0 3662, तारीख 12 अक्तूबर, 1964 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[4] अधिसूचना सं0 का0 आ0 958(अ), तारीख 17-11-1989 द्वारा अंतःस्थापित ।
[5] अधिसूचना सं0 का0 आ0 105(अ), तारीख 15 फरवरी, 1993 द्वारा कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

परन्तु पूर्वोक्त रूप में अभिलिखित ऐसे मतपत्रों की कुल संख्या और भाग 1 की मद सं0 5 के सामने दर्शित मतपत्रों की कुल संख्या के बीच कोई फर्क, यदि कोई हो, प्ररूप 16क के भाग 2 में भी अभिलिखित किया जाएगा ।

(2) जो गणन अभिकर्ता गणना पटल पर उपस्थित है उस पटल पर किसी मतपेटी के खोले जाने के पहले उन्हें उस पत्रमुद्रा या ऐसी अन्य मुद्रा का, जो उस पर लगी हो, निरीक्षण और अपना यह समाधान कि वह ठीक है, करने दिया जाएगा ।

(3) रिटर्निंग आफिसर अपना यह समाधान करेगा कि मतपेटियों में से किसी में वास्तव में कोई गड़बड़ नहीं की गई है ।

(4) यदि रिटर्निंग आफिसर का समाधान हो जाता है कि किसी मतपेटी में वास्तव में कोई गड़बड़ की गई है तो वह उस पेटी में अंतर्विष्ट मतपत्रों की गणना नहीं करेगा और उस मतदान केन्द्र की बाबत धारा 58 में अधिकथित प्रक्रिया का पालन करेगा ।

56ख. **मतों की गणना**---(1) ऐसे साधारण या विशेष निदेशों के, यदि कोई हों, अधीन रहते हुए, जो निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त दिए जाएं, [1][किसी निर्वाचन-क्षेत्र में एक से अधिक मतदान केन्द्रों में उपयोग में लाई गई], सभी मतपेटियों से निकाले गए मतपत्रों को एक साथ मिलाया जाएगा और तब उन्हें सुविधाजनक बंडलों में रखा जाएगा और उनकी संवीक्षा की जाएगी ।

(2) रिटर्निंग आफिसर मतपत्र को प्रतिक्षेपित उस दशा में कर देगा यदि ---

(क) उस पर ऐसा कोई चिह्न या लेख है, जिससे निर्वाचक का अभिज्ञान किया जा सकता है, अथवा

(ख) उस पर कोई चिह्न ही नहीं, या, मत उपदर्शित करने के लिए मतपत्र पर सामने की ओर अभ्यर्थियों में से किसी एक के प्रतीक पर से या उसके निकट से अन्यत्र ऐसा कोई चिह्न है, या ऐसा चिह्न है जो उस प्रयोजन के लिए प्रदाय किए गए उपकरण से लगाने से अन्यथा लगाया गया है, अथवा

(ग) उस पर एक अभ्यर्थी से अधिक के पक्ष में मत दिए गए हैं, अथवा

(घ) उस पर मत उपदर्शित करने वाला चिह्न ऐसी रीति में लगाया गया है जिसमें कि यह बात शंकास्पद हो जाती है कि मत किस अभ्यर्थी को दिया गया है, अथवा

(ङ) वह बनावटी मतपत्र है, अथवा

(च) वह ऐसे क्षत या विकृत है कि असली मतपत्र के रूप में उसकी अनन्यता स्थापित नहीं की जा सकती है, अथवा

(छ) वह उस विशिष्ट मतदान केन्द्र में उपयोग में लाए जाने के लिए प्राधिकृत मतपत्रों के, यथास्थिति, क्रम संख्यांकों से भिन्न क्रम संख्यांक या परिकल्पों से भिन्न परिकल्प का है, अथवा

(ज) उस पर वह चिह्न और वह हस्ताक्षर दोनों ही नहीं हैं जो उस पर नियम 38 के उपनियम (1) के उपबंधों के अधीन होने चाहिए थे :

परन्तु जहां कि रिटर्निंग आफिसर का यह समाधान हो जाता है कि खंड (छ) या खंड (ज) में वर्णित जैसी कोई त्रुटि, पीठासीन आफिसर या मतदान आफिसर की ओर से की गई किसी भूल या असफलता के कारण हुई है वहां मतपत्र केवल ऐसी त्रुटि के आधार पर ही प्रतिक्षेपित न किया जाएगा :

परन्तु यह और कि कोई मतपत्र केवल इस आधार पर कि मत उपदर्शित करने वाला चिह्न अस्पष्ट है या एक से अधिक बार लगाया गया है, प्रतिक्षेपित न किया जाएगा यदि यह आशय कि मत किसी विशिष्ट अभ्यर्थी के लिए होगा, मतपत्र चिह्नित किए जाने के ढंग से स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है ।

[1] अधिसूचना सं0 का0 आ0 105(अ), तारीख 15 फरवरी, 1993 द्वारा कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(3) रिटर्निंग आफिसर किसी मतपत्र को उपनियम (2) के अधीन प्रतिक्षेपित करने से पहले हर एक गणन अभिकर्ता को, जो उपस्थित है, मतपत्र के निरीक्षण के लिए युक्तियुक्त अवसर देगा, किन्तु उसे उस मतपत्र को, या अन्य किसी मतपत्र को हाथ नहीं लगाने देगा ।

(4) रिटर्निंग आफिसर ऐसे हर मतपत्र पर जिसे वह प्रतिक्षेपित करता है, अक्षर "प्र" और प्रतिरूपण के आधारों को संक्षिप्त रूप में या तो स्वहस्तेन लिखकर या रबड़ स्टाम्प से पृष्ठांकित करेगा और ऐसे पृष्ठाकंन पर आद्याक्षर करेगा ।

(5) इस नियम के अधीन प्रतिक्षेपित किए गए सभी मतपत्र एक साथ बंड़ल में बांधे जाएंगे ।

(6) हर मतपत्र की, जिसे इस नियम के अधीन प्रतिक्षेपित नहीं किया गया है, एक विधिमान्य मत के रूप में गणना की जाएगी :

परन्तु निविदत्त मतपत्र अन्तर्विष्ट रखने वाले किसी लिफाफे को खोला नहीं जाएगा और ऐसे किसी मतपत्र की गणना नहीं की जाएगी ।

(7) किसी निर्वाचन-क्षेत्र में उपयोग में लाई गई सभी मतपेटियों में अंतर्विष्ट सभी मतपत्रों की गणना खत्म हो जाने के पश्चात् रिटर्निंग आफिसर प्ररूप 20क में परिणामपत्र में प्रविष्टियां करेगा और विशिष्टियां आख्यापित करेगा ।

स्पष्टीकरण---इस नियम के प्रयोजन के लिए, "निर्वाचन-क्षेत्र" अभिव्यक्ति से किसी संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से निर्वाचन के संबंध में, उसमें समाविष्ट सभा निर्वाचन-क्षेत्र अभिप्रेत है ।

57ख. **उपयोग में लाए गए मतपत्रों को मुद्राबंद करना**---तत्पश्चात् हर एक अभ्यर्थी के विधिमान्य मतपत्रों को, और प्रतिक्षेपित मतपत्रों को पृथक्-पृथक् बंडलों में बांधा जाएगा और कई बंडलों का पृथक् पैकेट बनाया जाएगा जिसे रिटर्निंग आफिसर की और ऐसे अभ्यर्थियों, उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं या गणन अभिकर्ताओं की, जो उन पर अपनी मुद्राएं लगाना चाहें, मुद्राओं से मुद्रांकित किया जाएगा और ऐसे मुद्राबंद पैकेटों पर निम्नलिखित विशिष्टियां अभिलिखित की जाएंगी, अर्थात् :---

(क) निर्वाचन-क्षेत्र का नाम, और

(ख) गणना की तारीख] ।' ।

60. गणना लगातार की जाएगी---रिटर्निंग आफिसर यावत्साध्य गणना लगातार करता रहेगा और ऐसे किन्हीं अन्तरालों के दौरान जब गणना निलम्बित करनी पड़ती है, निर्वाचन से संबंधित मतपत्रों, पैकटों और अन्य कागज-पत्रों को, स्वयं अपनी मुद्रा और ऐसे अभ्यर्थियों या निर्वाचन अभिकर्ताओं की, जो अपनी मुद्राएं लगाना चाहें, मुद्राओं से मुद्रांकित करके रखेगा और ऐसे अन्तरालों के दौरान उनकी सुरक्षित अभिरक्षा के लिए पर्याप्त पूर्वावधानी बरतेगा ।

61. नए मतदान के पश्चात् गणना का पुनरारम्भ---(1) यदि धारा 58 के अधीन नया मतदान किया जाना है तो रिटर्निंग आफिसर उस मतदान की समाप्ति के पश्चात् उस तारीख को और उस समय और स्थान में मतों की गणना पुनः आरम्भ करेगा जो उसने उस निमित्त की थी या किया था और जिसकी सूचना अभ्यर्थियों और उनके निर्वाचन अभिकर्तओं को पहले दी जा चुकी थी ।

(2) नियम 56 और 57 के उपबन्ध ऐसी अपर गणना के संबंध में यावत्शक्य लागू होंगे ।

[1]* * * * * *

63. मतों की पुनर्गणना---(1) रिटर्निंग आफिसर गणना की समाप्ति के पश्चात् उन मतों की कुल संख्या प्ररूप 20 में के परिणामपत्र में अभिलिखित करेगा जो हर एक अभ्यर्थी को मतदान में मिले हैं और उसे आख्यापित करेगा ।

[2][(2) ऐसा आख्यापन किए जाने के पश्चात् अभ्यर्थी या उसकी अनुपस्थिति में उसका निर्वाचन अभिकर्ता या उसके गणन अभिकर्ताओं में से कोई मतों की पूर्णतः या भागतः पुनर्गणना के लिए उन आधारों का कथन करने वाला, जिन पर यह ऐसी पुनर्गणना की मांग करता है, लिखित आवेदन रिटर्निंग आफिसर से कर सकेगा ।]

---

[1] अधिसूचना सं0 का0 आ0 3662, तारीख 12 अक्तूबर, 1964 द्वारा नियम 62 का लोप किया गया ।

[2] अधिसूचना सं0 का0 आ0 3662, तारीख 12 अक्तूबर, 1964 द्वारा उपनियम (2) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(3) रिटर्निंग आफिसर ऐसा अवेदन किए जाने पर उस विषय का विनिश्चय करेगा और आवेदन को पूर्णतः या भागतः मंजूर कर सकेगा या उस दशा में जिसमें कि वह उसे तुच्छ या अयुक्तियुक्त प्रतीत हो उसे पूर्ण रूप से प्रतिक्षेपित कर सकेगा ।

(4) रिटर्निंग आफिसर का उपनियम (3) के अधीन हर विनिश्चय लिखित होगा और उसमें उस विनिश्चय के लिए कारण अन्तर्विष्ट होंगे ।

[1][(5) यदि रिटर्निंग आफिसर मतों की या तो पूर्णतः या भागतः पुनर्गणना अनुज्ञात करने का उपनियम (3) के अधीन विनिश्चय करता है तो वह---

(क) पुनर्गणना, यथास्थिति, [2][नियम 54क,] नियम 56 या नियम 56क के अनुसार करेगा,

(ख) प्ररूप 20 में परिणामपत्र को ऐसी पुनर्गणना के पश्चात् आवश्यक विस्तार तक संशोधित करेगा, तथा

(ग) अपने द्वारा ऐसे किए गए संशोधनों को आख्यापित करेगा ।]

(6) हर एक अभ्यर्थी को मतदान में मिले मतों की कुल संख्या उपनियम (1) या उपनियम (5) के अधीन आख्यापित किए जाने के पश्चात् रिटर्निंग आफिसर प्ररूप 20 वाले परिणामपत्र को पूरा करेगा और हस्ताक्षरित करेगा और पुनर्गणना के लिए कोई आवेदन तत्पश्चात् गृहीत न किया जाएगा :

परन्तु गणना के पूरा होने पर इस उपनियम के अधीन कोई कार्यवाही तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि उसे पूरा करने में उपस्थित अभ्यर्थियों और निर्वाचन अभिकर्ताओं को उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करने का युक्तियुक्त अवसर नहीं दिया गया हो ।

[3]**[64. निर्वाचन के परिणाम की घोषणा और निर्वाचन का विवरण**----रिटर्निंग आफिसर धारा 65 के उपबंधों के, उस सूरत में और जहां तक कि वे उस विशिष्ट दशा में लागू होते हों, अध्यधीन रहते हुए :---

(क) प्ररूप 21ग या प्ररूप 21घ में, जो भी समुचित हो, उस अभ्यर्थी को, जिसे अधिकतम संख्या में विधिमान्य मत मिले हैं, धारा 66 के अधीन निर्वाचित घोषित करेगा और घोषणा की हस्ताक्षरित प्रतियां समुचित प्राधिकारी, निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन आफिसर को भेजेगा ; और

(ख) प्ररूप 21 में निर्वाचन की विवरणी पूरी करेगा और प्रमाणित करेगा तथा उसकी हस्ताक्षरित प्रतियां निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन आफिसर को भेजेगा ।]

65. दो या अधिक स्थानों में गणना---यदि मतपत्रों की गणना एक से अधिक स्थानों में की जाती है तो [4][नियम 53, 54 और 55 से लेकर 60 तक] के उपबन्ध हर एक स्थान में गणना को लागू होंगे, किन्तु [5][नियम 54क, 63 और 64] के उपबन्ध ऐसे स्थानों में से अन्तिम स्थान में गणना को ही लागू होंगे ।

66. निर्वाचित अभ्यर्थी को निर्वाचन के प्रमाणपत्र का अनुदान---रिटर्निंग आफिसर द्वारा धारा 53 या धारा 66 के उपबन्धों के अधीन अभ्यर्थी के निर्वाचित हो जाने की घोषणा कर दी जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र रिटर्निंग आफिसर प्ररूप 22 में निर्वाचन का प्रमाणपत्र ऐसे अभ्यर्थी को अनुदत्त करेगा और उसके द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित उसकी प्राप्ति की अभिस्वीकृति अभ्यर्थी से अभिप्राप्त करेगा और, यथास्थिति, लोक सभा के सचिव या विधान सभा के सचिव को रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा वह अभिस्वीकृति तुरन्त भेजेगा ।

[6]**[66क. जहां इलैक्ट्रानिक मतदान मशीनों का उपयोग किया गया है मतों की गणना**---जहां मतदान मशीन का प्रयोग किया गया है मतदान केन्द्र पर डाले गए मतों की गणना के संबंध में---

(i) नियम 50 से 54 के उपबंध और नियम 55, 56 और 57 के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित नियम लागू होंगे, अर्थात्:---

---

[1] अधिसूचना सं0 का0 आ0 3662, तारीख 12 अक्तूबर, 1964 द्वारा पूर्ववर्ती उपनियम के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[2] अधिसूचना सं0 का0 आ0 3450, तारीख 9 नवम्बर, 1966 द्वारा अन्तःस्थापित ।
[3] अधिसूचना सं0 का0 आ0 4542, तारीख 20 दिसम्बर, 1968 द्वारा (1-1-1969 से) प्रतिस्थापित ।
[4] अधिसूचना सं0 का0 आ0 3450, तारीख 9 नवम्बर, 1966 द्वारा "नियम 53 से 60 तक" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[5] अधिसूचना सं0 का0 आ0 3450, तारीख 9 नवम्बर, 1966 द्वारा "नियम 62 से 64 तक" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[6] अधिसूचना सं0 का0 आ0 230(अ), तारीख 24 मार्च, 1992 द्वारा अन्तःस्थापित ।

"55ग. **मतदान मशीनों की संवीक्षा और निरीक्षण**---(1) रिटर्निंग आफिसर एक से अधिक मतदान केन्द्रों पर उपयोग में लाई गई मतदान मशीनों के नियंत्रण यूनिटों की संवीक्षा और निरीक्षण करवा सकेगा और ऐसे यूनिट में अभिलिखित किए गए मतों की साथ-साथ गणना करवा सकेगा ।

(2) इसके पहले कि किसी मतदान मशीन में अभिलिखित किए गए मतों की उपनियम (1) के अधीन गणना की जाती है अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता या गणन अभिकर्ता, जो गणना पटल पर उपस्थित है, को उस पत्रमुद्रा और ऐसी अन्य महत्वपूर्ण मुद्राओं का जो यूनिट पर लगी हो का निरीक्षण और अपना यह समाधान कि मुद्रा अविकल है, करने दिया जाएगा ।

(3) रिटर्निंग आफिसर अपना यह समाधान करेगा कि किसी भी मतदान मशीन में वास्तव में कोई गड़बड़ नहीं की गई है ।

(4) यदि रिटर्निंग आफिसर का यह समाधान हो जाता है कि किसी मतदान मशीन में वास्तव में कोई गड़बड़ की गई है तो वह उस मशीन में अभिलिखित मतों की गणना नहीं करेगा और उस मतदान केन्द्र या केन्द्रों की बाबत जहां उस मशीन का प्रयोग किया गया है को यथा लागू धारा 58 या धारा 58क या धारा 64क में अधिकथित प्रक्रिया का पालन करेगा ।

56ग. मतों की गणना---(1) रिटर्निंग आफिसर का यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि मतदान मशीन में वास्तव में कोई गड़बड़ नहीं की गई है तो वह नियंत्रण यूनिट में लगे "परिणाम" (Result) चिह्नित उपयुक्त बटन को दबा कर उसमें अभिलिखित किए गए मतों की गणना कराएगा जिसके द्वारा यूनिट में इस प्रयोजन के लिए उपबंधित प्रदर्शन पैनल पर मतांकित कुल मत और प्रत्येक ऐसे अभ्यर्थी की बाबत प्रत्येक अभ्यर्थी को दिए गए मत प्रदर्शित होंगे ।

(2) जैसे ही नियंत्रण यूनिट पर प्रत्येक अभ्यर्थी को दिए मतों का संप्रदर्शन किया जाता है, रिटर्निंग आफिसर --

(क) प्ररूप 17ग के भाग 2 में प्रत्येक अभ्यर्थी की बाबत ऐसे मतों की संख्या अलग-अलग अभिलिखित कराएगा ;

(ख) प्ररूप 17ग का भाग 2 अन्य संदर्भ में पूर्ण कराएगा और गणना पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर और उपस्थित अभ्यर्थियों या उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं या उनके गणन अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर कराएगा ; और

(ग) परिणाम शीट प्ररूप 20 में तत्स्थानी प्रविष्टियां कराएगा और परिणाम शीट में इस प्रकार दर्ज विशिष्टियों की घोषणा कराएगा ।

57ग. मतदान मशीनों का मुद्राबंद करना---(1) किसी नियंत्रण यूनिट में अभिलिखित मतों का परिणाम अभ्यर्थीवार अभिनिश्चित करने और नियम 56ग के अधीन प्ररूप 17ग के भाग 2 और प्ररूप 20 में दर्ज करने के पश्चात्, रिटर्निंग आफिसर अपनी मुद्रा से और उपस्थित ऐसे अभ्यर्थियों या उनके निर्वाचन अभिकर्ता, जो उस पर अपनी मुद्रा लगाना चाहें, मुद्रा से यूनिट को पुनः मुद्राबंद करेगा जिससे यूनिट में अभिलिखित मतदान का फल न मिटाया जा सके और यूनिट ऐसे परिणाम की स्मृति प्रतिधारित कर सके ।

(2) इस प्रकार मुद्राबन्द किए गए नियंत्रण यूनिट को विशेष रूप से तैयार किए गए बक्सों में रखा जाएगा जिस पर रिटर्निंग आफिसर निम्नलिखित विशिष्टियां अभिलिखित करेगा, अर्थात् :---

(क) निर्वाचन-क्षेत्र का नाम ;

(ख) उस मतदान केन्द्र या केन्द्रों की विशिष्टियां जहां नियन्त्रण यूनिट को उपयोग में लाया गया है ;

(ग) नियंत्रण यूनिट का क्रम संख्यांक ;

(घ) मतदान की तारीख ; और

(ङ) गणना की तारीख। ";

(ii) नियम 60 से 66 के उपबंध, जहां तक हो सके, मतदान मशीनों द्वारा मतदान करने के संबंध में लागू होंगे और उन नियमों में कोई प्रतिनिर्देश,---

(क) मतपत्र को ऐसी मतदान मशीन के प्रतिनिर्देश में सम्मिलित समझा जाएगा ;

(ख) कोई नियम भाग 4 के अध्याय 2 के तत्स्थानी नियम या, यथास्थिति, नियम 55ग या 56ग या 57ग के प्रतिनिर्देश समझा जाएगा ।]

भाग 6

सभा सदस्यों द्वारा और परिषद् निर्वाचन-क्षेत्रों में निर्वाचनों में मतदान

[1][**67. परिभाषा**-- जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस भाग में--

(क) और नियम 84 में, राजनैतिक दल के संबंध में, "प्राधिकृत अभिकर्ता" से परिषद् निर्वाचन-क्षेत्र में और नियम 68 के खंड (क) के अधीन डाकमत पत्र से भिन्न सभा सदस्यों द्वारा निर्वाचन में उस राजनैतिक दल द्वारा नियम 70 के खंड (ii) द्वारा यथा लागू नियम 39कक के उपनियम (2) के अधीन उस राजनैतिक दल द्वारा नियुक्त प्राधिकृत अभिकर्ता अभिप्रेत है ;

(ख) "निर्वाचन" से सभा सदस्यों द्वारा निर्वाचन या परिषद् निर्वाचन-क्षेत्र में निर्वाचन अभिप्रेत है ।]

68. डाक मतपत्र की बाबत अधिसूचना----निर्वाचन आयोग निर्वाचन में अभ्यर्थिताओं से नाम वापस लेने की अन्तिम तारीख से पूर्व किसी समय शासकीय राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकेगा कि डाक मतपत्र द्वारा मत देने की पद्धति का---

(क) उस निर्वाचन में, उस दशा में, जिसमें कि यह सभा सदस्यों द्वारा निर्वाचन है ; अथवा

(ख) संपूर्ण निर्वाचन-क्षेत्र या उसके किन्हीं विनिर्दिष्ट भागों में, उस दशा में, जिसमें कि यह परिषद् निर्वाचन-क्षेत्र में निर्वाचन है,

अनुसरण किया जाएगा ।

[2][**69. सभा सदस्यों द्वारा निर्वाचन में निर्वाचकों को सूचना**----सभा सदस्यों द्वारा निर्वाचन में, वहां जहां कि मतदान आवश्यक हो जाता है, ऐसे निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर अभ्यर्थिताओं के वापस लेने के लिए अन्तिम तारीख के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र हर एक निर्वाचक को मतदान के लिए नियत तारीख, समय और स्थान की इत्तिला देते हुए सूचना भेजेगा ।]

70. मतदान के संचालन के लिए नियम----[3][नियम 28 से लेकर 35 तक और नियम 36 से लेकर 48 तक] के उपबंध---

(क) सभा सदस्यों द्वारा हर ऐसे निर्वाचन को, जिसके संबंध में नियम 68 के खंड (क) के अधीन कोई निदेश नहीं दिया गया है, और

(ख) जब तक कि डाक मतपत्र द्वारा मतदान नियम 68 के खंड (ख) के अधीन उस संपूर्ण निर्वाचन-क्षेत्र में निदेशित नहीं किया गया हो, परिषद् निर्वाचन-क्षेत्र में के हर निर्वाचन को निम्नलिखित उपांतरों के अध्यधीन लागू होंगे, अर्थात् :---

(i) नियम 31 के उपनियम (1) का खंड (क) सभा सदस्यों द्वारा निर्वाचन को लागू नहीं होगा,

(ii) [4][नियम 37 से लेकर नियम 40 तक के बदले] निम्नलिखित नियम लागू होंगे---

"37क. **मत देने की पद्धति**---(1) भरे जाने वाले स्थानों की संख्या से अपेक्षतः निर्वाचन में हर निर्वाचक का केवल एक मत होगा ।

[5][(1क) नियम 37 के उपनियम (1), (2) और (4) के उपबंध स्नातक निर्वाचन-क्षेत्र तथा अध्यापक निर्वाचन-क्षेत्र में निर्वाचकों के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों तथा सभा निर्वाचन-क्षेत्रों में निर्वाचकों के संबंध में लागू होते हैं ।]

(2) निर्वाचक अपना मत देते हुए---

---

[1] अधिसूचना सं0 का0 आ0 272 (अ), तारीख 27 फरवरी, 2004 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[2] अधिसूचना सं0 का0 आ0 3662, तारीख 12 अक्तूबर, 1964 द्वारा नियम 69 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[3] अधिसूचना सं0 का0 आ0 3450, तारीख 9 नवम्बर, 1966 द्वारा "नियम 28 से 48 तक" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[4] अधिसूचना सं0 का0 आ0 1520, तारीख 25 अप्रैल, 1968 द्वारा कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[5] अधिसूचना सं0 का0 आ0 335 (अ), तारीख 23 अप्रैल, 1990 द्वारा अंतःस्थापित ।

(क) अपने मतपत्र पर उस अभ्यर्थी के नाम के सामने वाले रिक्त स्थान में, जिसके लिए वह प्रथमतः मत देना चाहता है, अंक 1 अंकित करेगा; तथा

(ख) इसके अतिरिक्त अपने मतपत्र पर अन्य अभ्यर्थियों के नामों के सामने वाले रिक्त स्थान में अपने अधिमान के अनुसार अंक 2 या अंक 2 और 3 या अंक 2, 3 और 4 और इसी भांति आगे भी अंक अंकित कर सकेगा ।

[1][**स्पष्टीकरण**----इस उपनियम के खंड (क) और (ख) में निर्दिष्ट अंक भारतीय अंकों के अन्तराष्ट्रीय रूप में या रोमन रूप में या किसी भारतीय भाषा में प्रयुक्त रूप में अंकित किए जा सकेंगे किंतु शब्दों में उपदर्शित नहीं किए जाएंगे ।]

[2][**38क. निर्वाचकों को मतपत्रों का दिया जाना**----(1) निर्वाचक को दिए जाने से पूर्व, प्रत्येक मतपत्र और उससे संलग्न प्रतिपर्ण, पृष्ठ भाग पर ऐसे सुभिन्नक चिह्न से मुद्रांकित किए जांएगे जैसा निर्वाचन आयोग निर्दिष्ट करे, और पीठासीन आफिसर मतपत्र दिए जाने से पूर्व उसके पृष्ठ भाग पर पूरे हस्ताक्षर करेगा ।

(2) निर्वाचक को मतपत्र देने के समय मतदान आफिसर---

(क) उसके प्रतिपर्ण पर निर्वाचक की वह निर्वाचक नामावली संख्या अभिलिखित करेगा जो निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति में प्रविष्ट है ;

(ख) उस निर्वाचक के हस्ताक्षर या अंगूठा निशान उक्त प्रतिपर्ण पर अभिप्राप्त करेगा ; और

[3][(ग) निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति में निर्वाचक का नाम यह उपदर्शित करने के लिए चिह्नित करेगा कि उसे मतपत्र दिया गया है,--

(i) राज्य सभा में किसी स्थान या स्थानों को भरने के लिए किसी निर्वाचन की दशा में, निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति में उस निर्वाचक को दिए गए मतपत्र का क्रम संख्यांक अभिलिखित करेगा ;

(ii) किसी राज्य की विधान परिषद् में किसी स्थान या स्थानों को भरने के लिए किसी निर्वाचन की दशा में, निर्वाचक को दिए गए मतपत्र पर क्रम संख्यांक उसमें अभिलिखित नहीं करेगा :

[3][परन्तु कोई भी मतपत्र तब तक किसी निर्वाचक को परिदत्त नहीं किया जाएगा, जब तक उसने उस मतपत्र के प्रतिपर्ण पर अपने हस्ताक्षर न कर दिए हों या अंगूठे का निशान न लगा दिया हो ।]

(3) नियम 2 के उपनियम (2) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, पीठासीन आफिसर या मतदान आफिसर या किसी अन्य आफिसर के लिए यह आवश्यक न होगा कि वह प्रतिपर्ण पर लगे निर्वाचक के अंगूठा-निशान को अनुप्रमाणित करे ।

(4) मतदान केन्द्रों में [3][नियम 39कक के अधीन रहते हुए कोई भी व्यक्ति] किन्हीं भी निर्वाचकों को दिए गए मतपत्रों के क्रम संख्यांकों को नोट नहीं करेगा ।

[3][(5) किसी राज्य की विधान परिषद् में किसी स्थान या स्थानों को भरने के लिए सभा सदस्यों द्वारा निर्वाचन में या स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन-क्षेत्र में किसी निर्वाचन में किसी निर्वाचक को कोई मतपत्र परिदत्त किए जाने से पूर्व मतपत्र का क्रम संख्यांक प्रभावी रूप से ऐसी रीति में छिपाया जाएगा, जैसी निर्वाचन आयोग निर्दिष्ट करे ।]

[4][**39क. निर्वाचकों द्वारा मतदान केन्द्र में मतदान की गोपनीयता बनाए रखना और मतदान प्रक्रिया**-- (1) हर वह निर्वाचक, जिसे नियम 38क या इन नियमों के किसी अन्य उपबंध के अधीन

---

[1] अधिसूचना सं0 का0 आ0 3875, तारीख 15 दिसम्बर, 1966 द्वारा अंतःस्थापित ।
[2] अधिसूचना सं0 का0 आ0 5573, तारीख 23 दिसम्बर, 1971 द्वारा नियम 38क के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[3] अधिसूचना सं0 का0 आ0 272 (अ), तारीख 27 फरवरी, 2004 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[4] अधिसूचना सं0 का0 आ0 286 (अ), तारीख 8 मई, 1974 द्वारा नियम 39क के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

मतपत्र दिया गया है, मतदान केन्द्र में मतदान की गोपनीयता बनाए रखेगा और उस प्रयोजन के लिए इसमें इसके पश्चात् अधिकथित मतदान प्रक्रिया का अनुपालन करेगा ।

(2) निर्वाचक, मतपत्र प्राप्त होने पर तत्क्षण,---

(क) मतदान कोष्ठों में से एक में जाएगा;

(ख) नियम 37क के उपनियम (2) के अनुसार अपना मत, उस प्रयोजन के लिए दिए गए उपकरण से, अभिलिखित करेगा;

(ग) मतपत्र को इस तरह मोड़ लेगा कि उसका मत छिप जाए;

[1][(घ) उस दशा में, जिसमें कि उससे यह अपेक्षा की जाए, मतपत्र पर लगा सुभिन्नक चिह्न पीठासीन आफिसर दर्शित करेगा];

[2][(ङ)] जुड़े मतपत्र को मतपेटी में डालेगा; और

[2][(च)] मतदान केन्द्र से बाहर चला जाएगा ।

(3) हर निर्वाचक असम्यक् विलम्ब के बिना मत देगा ।

(4) जब मतदान कोष्ठ में कोई निर्वाचक है तब अन्य किसी निर्वाचक को उसमें प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा ।

(5) यदि कोई निर्वाचक, जिसे मतपत्र दिया गया है, उपनियम (2) में अधिकथित प्रक्रिया का अनुपालन करने से, पीठासीन आफिसर द्वारा चेतावनी दिए जाने के पश्चात् भी, इंकार करे तो उसे दिया गया मतपत्र, चाहे उसने उस पर अपना मत अभिलिखित किया हो या नहीं, पीठासीन आफिसर द्वारा या पीठासीन आफिसर के निदेश से मतदान आफिसर द्वारा उससे वापस ले लिया जाएगा ।

(6) मतपत्र वापस लिए जा चुकने के पश्चात् पीठासीन आफिसर उसके पृष्ठ भाग पर "रद्द किया गया : मतदान प्रक्रिया का अतिक्रमण किया गया" शब्द अभिलिखित करेगा और उन शब्दों के नीचे अपने हस्ताक्षर करेगा ।

(7) ऐसे सब मतपत्र जिन पर "रद्द किया गया : मतदान प्रक्रिया का अतिक्रमण किया गया" शब्द अभिलिखित हों, एक पृथक् लिफाफे में रखे जाएंगे जिसके ऊपर "मतपत्र : मतदान प्रक्रिया का अतिक्रमण किया गया" शब्द अभिलिखित होंगे ।

(8) ऐसी अन्य किसी भी शास्ति पर, जिससे कि ऐसा निर्वाचक, जिससे उपनियम (5) के अधीन मतपत्र वापस ले लिया गया है, दंडनीय हो, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उसका मत, यदि ऐसे मतपत्र पर अभिलिखित किया गया है, संगणित नहीं किया जाएगा।]

[3][**39कक. मत देने के बारे में सूचना**--(1) नियम 39क में किसी बात के होते हुए भी, पीठासीन आफिसर, उस अवधि के दौरान जब कोई निर्वाचक किसी राजनैतिक दल का सदस्य होते हुए मतपत्र पर अपना मत अभिलिखित करता है और उससे पूर्व जब ऐसा निर्वाचक मतपत्र को मतपेटी में डालता है, उस राजनैतिक दल के प्राधिकृत अभिकर्ता को यह सत्यापित करने के लिए अनुज्ञात करेगा कि ऐसे निर्वाचक ने अपना मत किसे दिया है :

परन्तु यदि ऐसा निर्वाचक अपने राजनैतिक दल के प्राधिकृत अभिकर्ता को अपना चिह्नित मतपत्र दिखाने से इंकार करता है तो उसे दिया गया मतपत्र पीठासीन आफिसर या पीठासीन आफिसर के निदेश के अधीन मतदान आफिसर द्वारा वापस ले लिया जाएगा और इस प्रकार वापस लिए गए मतपत्र पर नियम 39क के उपनियम (6) से उपनियम (8) में विनिर्दिष्ट रीति में आगे इस प्रकार कार्रवाई की जाएगी मानो ऐसा मतपत्र उस नियम के उपनियम (5) के अधीन वापस लिया गया था ।

---

[1] अधिसूचना सं0 का0 आ0 340 (अ), तारीख 4 जून, 1986 द्वारा अंतःस्थापित ।

[2] अधिसूचना सं0 का0 आ0 340 (अ), तारीख 4 जून, 1986 द्वारा खंड (घ) और खंड (ङ) क्रमशः खंड (ङ) और खंड (च) के रूप में पुनःअक्षरांकित ।

[3] अधिसूचना सं0 का0 आ0 272 (अ), तारीख 27 फरवरी, 2004 द्वारा अंतःस्थापित ।

(2) प्रत्येक राजनैतिक दल, जिसका सदस्य निर्वाचक के रूप में किसी मतदान केन्द्र पर मत देता है, उपनियम (1) के प्रयोजनों के लिए, प्ररूप 22क में दो प्राधिकृत अभिकर्ता नियुक्त करेगा ।

(3) उपनियम (2) के अधीन नियुक्त कोई प्राधिकृत अभिकर्ता मतदान केन्द्र पर संपूर्ण मतदान के घंटों में उपस्थित रहेगा और दूसरा उसे तब मुक्त करेगा जब वह मतदान केन्द्र से बाहर जाता है या विपर्येन ।]

[1][40क. **निरक्षर, अंधे या शिथिलांग निर्वाचकों के मतों का अभिलेखन**---(1) यदि कोई निर्वाचक निरक्षरता, अंधेपन या अन्य अंगशैथिल्य के कारण नियम 37क के अनुसार मतपत्र पढ़ने या उस पर अपना मत अभिलिखित करने में असमर्थ है तो पीठासीन आफिसर, ऐसी निरक्षरता, अंधेपन या अन्य अंगशैथिल्य के संबंध में अपना समाधान हो जाने पर, निर्वाचक को मतपत्र पर उसकी ओर से और उसकी इच्छाओं के अनुसार मत अभिलिखित करने के लिए और यदि आवश्यक हो तो मतपत्र के ऐसे मोड़ने के लिए कि मत छिप जाए और उसे मतपेटी में घुसाने के लिए, अपने साथ [2][अठारह] वर्ष से अन्यून आयु का एक साथी, जो मतपत्र पढ़ने में समर्थ हो, मतदान कोष्ठों में ले जाने की अनुज्ञा देगा :

परन्तु किसी व्यक्ति को एक ही दिन किसी मतदान केन्द्र में एक से अधिक निर्वाचकों के साथी के रूप में कार्य करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा :

परन्तु यह और भी कि किसी व्यक्ति को इस नियम के अधीन किसी दिन किसी निर्वाचक के साथी के रूप में कार्य करने के लिए अनुज्ञात करने से पहले उस व्यक्ति से यह घोषणा करने की अपेक्षा की जाएगी कि वह निर्वाचक की ओर से अपने द्वारा अभिलिखित किए गए मत को गुप्त रखेगा और यह कि उसने उस दिन किसी मतदान केन्द्र में किसी अन्य निर्वाचक के साथी के रूप में पहले कार्य नहीं किया है :

[3][परन्तु यह और भी कि सभी सदस्यों द्वारा निर्वाचन में ऐसा कोई भी साथी उस निर्वाचन में निर्वाचक नहीं होगा ।]

(2) पीठासीन आफिसर इस नियम के अधीन सभी मामलों का अभिलेख प्ररूप 14क में रखेगा ।

(3) पीठासीन आफिसर, यदि किसी निर्वाचक का कोई साथी उससे वैसा अनुरोध करे तो, मत अभिलिखित करने संबंधी अनुदेश उसे समझाएगा।];

(iii) नियम 44 के स्थान पर निम्नलिखित नियम लागू होगा---

"44ख. **मतदान के पश्चात् मतपेटी का बंद किया जाना**----मतदान बंद होने के पश्चात् यथासाध्य शीघ्रता से [4][पीठासीन आफिसर] किन्हीं ऐसे मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थिति में, जो उपस्थित हों, मतपत्रों के घुसाने के लिए हर एक मतपेटी के छेद को बन्द करेगा या जहां छेद को बन्द करने के लिए कोई यांत्रिक युक्ति पेटी में नहीं है वहां छेद को मुद्राबन्द करेगा और मतपेटी को सुरक्षित करेगा :

परन्तु यदि मतदान के बन्द होने के अव्यवहित पश्चात् ही मतों की गणना प्रारम्भ होनी है तो छेद को मुद्रा बंद करने या मतपेटी को सुरक्षित करने की आवश्यकता नहीं होगी ।";

[5][(iv) नियम 46 के उपनियम (1) में, खंड (ख) और (ग) के बदले, निम्नलिखित खंड लागू होंगे : ---

"(ख) नियम 38क के उपनियम (1) के अधीन पीठासीन आफिसर द्वारा हस्ताक्षरित किन्तु मतदाताओं को जारी न किए गए मतपत्र ;

(ग) नियम 39क के अधीन मतदान की प्रक्रिया के उल्लंघनस्वरूप रद्द किए गए मतपत्र ।"]

---

[1] अधिसूचना सं0 का0 आ0 1520, तारीख 25 अप्रैल, 1968 द्वारा अंतःस्थापित ।
[2] अधिसूचना सं0 का0 आ0 542 (अ), तारीख 13-7-1989 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[3] अधिसूचना सं0 का0 आ0 5573, तारीख 23 दिसम्बर, 1971 द्वारा जोड़ा गया ।
[4] अधिसूचना सं0 का0 आ0 2912, तारीख 21 अगस्त, 1964 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[5] अधिसूचना सं0 का0 आ0 286 (अ), तारीख 8 मई, 1974 द्वारा खंड (iv) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

भाग 7

सभा सदस्यों द्वारा या परिषद् निर्वाचन-क्षेत्रों में निर्वाचनों में मतों की गणना

71. परिभाषाएं--- इस भाग में---

(1) "बने रहने वाला अभ्यर्थी" से कोई ऐसा अभ्यर्थी अभिप्रेत है जो निर्वाचित नहीं हुआ है और किसी दिए गए समय पर मतदान से अपवर्जित नहीं किया गया है;

(2) "गणना" से---

(क) अभ्यर्थियों के लिए अभिलिखित प्रथम अधिमानों की गणना में अन्तर्वलित सब क्रियाएं; अथवा

(ख) निर्वाचित अभ्यर्थी के अधिशेष के अन्तरण में अन्तर्वलित सब क्रियाएं; अथवा

(ग) अपवर्जित अभ्यर्थी के मतों के कुल मूल्यांक के अन्तरण में अन्तर्वलित सब क्रियाएं अभिप्रेत हैं;

(3) "निःशेषित पत्र" से वह मतपत्र अभिप्रेत है जिस पर बने रहने वाले अभ्यर्थी के लिए आगे और अधिमान अभिलिखित नहीं है, परन्तु किसी पत्र की बाबत तभी यह समझा जाएगा कि वह निःशेषित है, जब कभी---

(क) दो या अधिक अभ्यर्थियों के नाम, चाहे वे बने रहने वाले हों या न हों एक ही अंक में चिह्नित हैं, और अधिमान के क्रम में अगले हैं, अथवा

(ख) अधिमान के क्रम में अगले अभ्यर्थी का नाम चाहे वह बने रहने वाला हो या न हो, ऐसे अंक से, जो मतपत्र पर किसी अन्य अंक का क्रमवर्ती अनुगामी अंक नहीं है या दो या अधिक अंकों से, चिह्नित है;

(4) "प्रथम अधिमान" से अंक 1 अभिप्रेत है जो किसी अभ्यर्थी के नाम के सामने लिखा है, "द्वितीय अधिमान" से अंक 2 अभिप्रेत है जो किसी अभ्यर्थी के नाम के सामने लिखा है; और "तृतीय अधिमान" से अंक 3 अभिप्रेत है जो किसी अभ्यर्थी के नाम के सामने लिखा है और इसी भांति आगे भी अभिप्रेत है ;

(5) "मूल मत" से किसी अभ्यर्थी के संबंध में वह मत अभिप्रेत है जो ऐसे मतपत्र से व्युत्पन्न है जिसमें ऐसे अभ्यर्थी के लिए प्रथम अधिमान अभिलिखित है;

(6) "अधिशेष" से वह संख्या अभिप्रेत है जितनी से किसी अभ्यर्थी के मूल और अन्तरित मतों का मूल्यांक कोटे के आधिक्य में है;

(7) "अन्तरित मत" से किसी अभ्यर्थी के संबंध में वह मत अभिप्रेत है जिसका मूल्यांक या जिसके मूल्यांक का भाग ऐसे अभ्यर्थी के नाम आकलित है और जो ऐसे मतपत्र से व्युत्पन्न है जिस पर ऐसे अभ्यर्थी के लिए द्वितीय या पश्चात्वर्ती अधिमान अभिलिखित है; तथा

(8) "अनिःशेषित पत्र" से वह मतपत्र अभिप्रेत है जिस पर बने रहने वाले अभ्यर्थी के लिए आगे और अधिमान अभिलिखित है ।

72. कुछ नियमों का लागू होना----नियम 51 से लेकर 54 तक के उपबन्ध सभा सदस्यों द्वारा या परिषद् निर्वाचन-क्षेत्र में हुए किसी निर्वाचन में मतों की गणना को ऐसे लागू होंगे जैसे वे संसदीय या सभा निर्वाचन-क्षेत्र के निर्वाचन में मतों की गणना को लागू होते हैं ।

73. मतपेटियों और डाक मतपत्रों के पैकेटों की संवीक्षा और उनका खोला जाना---(1) रिटर्निंग आफिसर---

[1][(क) डाक मतपत्रों को, यदि कोई हों, अन्तर्विष्ट रखने वाले लिफाफों पर प्रथमतः उस रीति से कार्यवाही करेगा जो नियम 54क के उपनियम (2) से लेकर उपनियम (7) तक में उपबन्धित है;

(ख) तब मतपेटियों को खोलेगा, हर एक पेटी के अन्दर, जो मतपत्र अन्तर्विष्ट हैं, उन्हें उनमें से निकालेगा और उनकी गणना करेगा और उनकी संख्या एक विवरणी में अभिलिखित करेगा;]

(ग) मतपेटियों में से निकाले गए मतपत्रों और लिफाफों में से निकाले गए डाक-मतपत्रों की संवीक्षा करेगा; तथा

---

[1] अधिसूचना सं0 का0 आ0 3662, तारीख 12 अक्तूबर, 1964 द्वारा खंड (क) और (ख) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(घ) जिन मतपत्रों को वह विधिमान्य समझता है उन्हें उन मतपत्रों से, जिन्हें वह प्रतिक्षेपित करता है, पृथक् करेगा और पश्चात् कथित हर एक मतपत्र पर "प्रतिक्षेपित" शब्द और ऐसे प्रतिक्षेपण के आधार पृष्ठांकित करेगा ।

(2) [1][परिषद् निर्वाचन-क्षेत्र में और नियम 68 के खंड (क) के अधीन डाकमत पत्र से भिन्न सभा सदस्यों द्वारा निर्वाचन में नियम 70 के खंड (ii) में यथा उपांतरित नियम 38क के अधीन रहते हुए वह मतपत्र अविधिमान्य होगा] जिस पर---

(क) अंक 1 चिह्नित नहीं है, अथवा

(ख) अंक 1 से अधिक अभ्यर्थी के नाम के सामने लिखा है या ऐसे स्थान पर है जिससे यह शंकास्पद हो जाता है कि किस अभ्यर्थी को लागू होने के लिए वह आशयित है; अथवा

(ग) अंक 1 और कुछ अन्य एक ही अभ्यर्थी के नाम के सामने लिखे हैं; अथवा

(घ) कोई ऐसा चिह्न या ऐसी लिखावट है जिससे निर्वाचक पहचाना जा सकता है; [2][या]

[3][(ङ) कोई ऐसा अंक है जिससे चिह्न लगाने के प्रयोजन के लिए परिदत्त वस्तु से भिन्न किसी वस्तु से चिह्नित किया गया है :

परन्तु यह खण्ड किसी डाक मतपत्र को लागू नहीं होगा :

परन्तु यह और कि जहां रिटर्निंग आफिसर का यह समाधान हो जाता है कि इस खण्ड में उल्लिखित किसी किस्म की कोई त्रुटि पीठासीन आफिसर या मतदान आफिसर की गलती या चूक से हुई है वहां मात्र ऐसी त्रुटि के आधार पर मतपत्र अस्वीकृत नहीं किया जाएगा ।]

[4][**स्पष्टीकरण**--- इस उपनियम के खण्ड (क), (ख) और (ग) में निर्दिष्ट अंक भारतीय अंकों के अन्तरराष्ट्रीय रूप में या रोमन रूप में या किसी भारतीय भाषा में प्रयुक्त रूप में अंकित किए जा सकेंगे किन्तु शब्दों में उपदर्शित नहीं किए जाएंगे ।]

74. विधिमान्य मतपत्रों का पार्सलों में रखना---जो मतपत्र अविधिमान्य हैं उनको प्रतिक्षेपित करने के पश्चात् रिटर्निंग आफिसर--

(क) शेष मतपत्रों को हर एक अभ्यर्थी के लिए अभिलिखित प्रथम अधिमान के अनुसार पार्सलों में रखेगा ;

(ख) हर एक पार्सल में के मतपत्रों की गणना करेगा और उनकी संख्या तथा कुल संख्या अभिलिखित करेगा ; तथा

(ग) हर एक अभ्यर्थी के नाम उसके पार्सल के मतपत्रों के मूल्यांक आकलित करेगा ।

75. जहां कि केवल एक स्थान भरा जाना है वहां मतों की गणना---(1) ऐसे किसी निर्वाचन में, जिसमें केवल एक स्थान भरा जाना है, हर विधिमान्य मतपत्र हर एक गणना में मूल्यांक 1 का समझा जाएगा और निर्वाचन के अभ्यर्थी का निर्वाचन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कोटा निम्नलिखित रूप में अवधारित किया जाएगा :---

(क) नियम 74 के खण्ड (ग) के अधीन सभी अभ्यर्थियों के नाम आकलित मूल्यांकों को जोड़िए ;

(ख) जोड़ को 2 से भाग दीजिए ; तथा

(ग) यदि कुछ शेष बचता है तो उसका ध्यान न रखते हुए, भागफल में 1 जोड़िए और फलस्वरूप जो संख्या निकलेगी वही कोटा है ।

(2) यदि प्रथम या किसी पश्चात्वर्ती गणना के खत्म होने पर किसी अभ्यर्थी के नाम आकलित मतपत्रों का कुल मूल्यांक कोटे के बराबर है या कोटे से ज्यादा है या बना रहने वाला अभ्यर्थी केवल एक ही है तो वह अभ्यर्थी निर्वाचित घोषित कर दिया जाएगा ।

---

[1] अधिसूचना सं0 का0 आ0 272 (अ), तारीख 27 फरवरी, 2004 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[2] अधिसूचना सं0 का0 आ0 286 (अ), तारीख 8 मई, 1974 द्वारा अंतःस्थापित ।

[3] अधिसूचना सं0 का0 आ0 795 (अ), तारीख 14 दिसम्बर, 1976 द्वारा खंड (ङ) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[4] अधिसूचना सं0 का0 आ0 3662, तारीख 12 अक्तूबर, 1964 द्वारा अंतःस्थापित ।

(3) यदि किसी गणना के खत्म होने पर कोई अभ्यर्थी निर्वाचित घोषित नहीं किया जा सकता है तो रिटर्निंग आफिसर---

(क) उस अभ्यर्थी को, जिसके नाम उस प्रक्रम तक न्यूनतम मूल्यांक आकलित है, मतदान से अपवर्जित कर देगा;

(ख) उसके पार्सल और उप-पार्सलों में के सब मतपत्रों की पड़ताल करेगा, उप-पार्सलों में के अनिःशेषित पत्रों को, उन पर अभिलिखित निकटतम अनुगामी अधिमानों के अनुसार बने रहने वाले अभ्यर्थियों के लिए रखेगा ; ऐसे हर एक उप-पार्सल में के पत्रों की संख्या गिनेगा और उसे उस अभ्यर्थी के नाम आकलित करेगा जिसके लिए ऐसा अधिमान अभिलिखित है, वह उप-पार्सल उस अभ्यर्थी को अन्तरित कर देगा और सभी निःशेषित पत्रों का एक पृथक् उप-पार्सल बनाएगा; और

(ग) यह देखेगा कि क्या बने रहने वाले किसी अभ्यर्थी ने ऐसे अन्तरण और मूल्यांक के उसके नाम लिखे जाने के पश्चात् कोटा प्राप्त कर लिया है ।

(4) यदि उस समय जब कोई अभ्यर्थी उपनियम (3) के खण्ड (क) के अधीन अपवर्जित किया जाना है दो या अधिक अभ्यर्थियों के नाम समान मूल्यांकन आकलित हैं और वे मतदान में निम्नतम हैं, तो जिस अभ्यर्थी को न्यूनतम संख्या में मूल मत मिले हैं, उसे अपवर्जित कर दिया जाएगा, और यदि यह संख्या भी दो या अधिक अभ्यर्थियों की दशा में समान है तो रिटर्निंग आफिसर लाट द्वारा विनिश्चय करेगा कि उनमें से किसे अपवर्जित किया जाए ।

जब एक से अधिक स्थान भरे जाने हैं तब मतों की गणना

76. कोटे का अभिनिश्चयन---ऐसे किसी निर्वाचन में, जिसमें एक से अधिक स्थान भरे जाने हैं, हर विधिमान्य मतपत्र मूल्यांक 100 का समझा जाएगा और अभ्यर्थी का निर्वाचन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कोटा निम्नलिखित रूप में अवधारित किया जाएगा:---

(क) नियम 74 के खंड (ग) के अधीन सभी अभ्यर्थियों के नाम आकलित मूल्यांकों को जोड़िए;

(ख) जोड़ को उस संख्या से विभाजित कीजिए जो भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या से एक अधिक है; तथा

(ग) यदि कुछ शेष बचता है तो उसका ध्यान न रखते हुए भागफल में 1 जोड़िए और फलस्वरूप जो संख्या निकलेगी वही कोटा है ।

77. साधारण अनुदेश---नियम 78 से नियम 82 तक के उपबन्ध को कार्यान्वित करने में रिटर्निंग आफिसर सभी भिन्नों की अवहेलना करेगा और निर्वाचित हो चुके या मतदान से अपवर्जित अभ्यर्थियों के लिए अभिलिखित सभी अधिमानों की उपेक्षा करेगा ।

78. जिन अभ्यर्थियों को कोटा प्राप्त हो गया है, वे निर्वाचित हो जाएंगे---यदि किसी गणना के खत्म होने पर या अपवर्जित अभ्यर्थी के किसी पार्सल या उप-पार्सल के अन्तरण के पश्चात् अभ्यर्थी के नाम आक्कलित मतपत्रों का मूल्यांक कोटे के बराबर है या कोटे से ज्यादा है तो वह अभ्यर्थी निर्वाचित घोषित कर दिया जाएगा ।

79. अधिशेष का अन्तरण---(1) यदि किसी गणना के खत्म होने पर अभ्यर्थी के नाम आकलित मतपत्रों का मूल्यांक कोटे से ज्यादा है तो अधिशेष उन बने रहने वाले अभ्यर्थियों के पक्ष में इस नियम के उपबन्धों के अनुसार अन्तरित कर दिया जाएगा जो कि उस अभ्यर्थी के मतपत्रों में निर्वाचक के अधिमान क्रम में निकटतम अनुगामी के रूप में उपदर्शित हैं ।

(2) यदि एक से अधिक अभ्यर्थी को अधिशेष प्राप्त है तो अधिकतम अधिशेष से पहले बरता जाएगा और दूसरों से उनके परिणाम-क्रम के अनुसार बरता जाएगा :

परन्तु प्रथम गणना में उद्भूत हर अधिशेष से दूसरी गणना में उद्भूत अधिशेष के मुकाबले में पहले बरता जाएगा और इसी क्रम में अनुवर्ती अधिशेषों से बरता जाएगा ।

(3) जहां कि वितरण के लिए एक से अधिक अधिशेष हैं और दो या अधिक अधिशेष समान हैं वहां हर एक अभ्यर्थी के मूल मतों को ध्यान में रखा जाएगा और जिस अभ्यर्थी को सर्वाधिक मूल मत मिले हैं उसका अधिशेष सर्वप्रथम वितरित किया जाएगा और यदि उनके मूल मतों का मूल्यांक समान है तो रिटर्निंग आफिसर लाट द्वारा यह विनिश्चय करेगा कि किस अभ्यर्थी का अधिशेष सर्वप्रथम वितरित किया जाए।

(4) (क) यदि किसी अभ्यर्थी का वह अधिशेष, जो अन्तरित किया जाना है, केवल मूल मतों से ही उद्भूत हुआ है, तो रिटर्निंग आफिसर उस अभ्यर्थी के पार्सल में के सब मतपत्रों की पड़ताल करेगा, अनिःशेषित पत्रों को उनमें

अभिलिखित निकटतम अनुगामी अधिमान के अनुसार उप-पार्सलों में विभाजित करेगा और अनिःशेषित मतपत्रों का एक पृथक् उप-पार्सल बनाएगा ।

(ख) वह हर एक उप-पार्सल में के मतपत्रों का और सब अनिःशेषित मतपत्रों का मूल्यांक अभिनिश्चित करेगा ।

(ग) यदि अनिःशेषित मतपत्रों का मूल्यांक अधिशेष के बराबर है या उससे कम है तो वह सब अनिःशेषित मतपत्रों को उस मूल्यांक पर, जिस पर वे उस अभ्यर्थी को प्राप्त हुए थे जिसका अधिशेष अन्तरित किया जा रहा है, अन्तरित करेगा ।

(घ) यदि अनिःशेषित मतपत्रों का मूल्यांक अधिशेष से अधिक है तो वह अनिःशेषित मतपत्रों के उप-पार्सलों का अन्तरण करेगा और वह मूल्यांक जिस पर हर एक मतपत्र अन्तरित किया जाएगा, अधिशेष को अनिःशेषित मतपत्रों की कुल संख्या से विभक्त करके अभिनिश्चित किया जाएगा ।

(5) यदि किसी अभ्यर्थी का वह अधिशेष, जो अन्तरित किया जाना है, अन्तरित और मूल मतों से उद्‌भूत हुआ है तो, रिटर्निंग आफिसर अभ्यर्थी को सबसे अन्त में अन्तरित उप-पार्सल में के सब मतपत्रों की पुनः पड़ताल करेगा, अनिःशेषित मतपत्रों को उन पर अभिलिखित निकटतम अनुगामी अधिमानों के अनुसार उप-पार्सलों में विभाजित करेगा और तब उप-पार्सलों से उसी रीति में बरतेगा जैसी उपनियम (4) में निर्दिष्ट उप-पार्सलों की दशा में के लिए उपबंधित है ।

(6) हर अभ्यर्थी को अन्तरित मतपत्र ऐसे अभ्यर्थी के पहले से ही मतपत्रों में उप-पार्सल के रूप में मिला दिए जाएंगे ।

(7) निर्वाचित अभ्यर्थी के पार्सल या उप-पार्सल में के वे सब मतपत्र, जो इस नियम के अधीन अन्तरित नहीं किए गए हैं, अन्तिमरूपेण बरते गए के रूप में अलग रख दिए जाएंगे ।

80. मतदान में के निम्नतम अभ्यर्थियों का अपवर्जन---(1) यदि सब अधिशेष के ऐसे अन्तरित कर दिए जाने के पश्चात्, जैसे एतस्मिन्‌पूर्व उपबन्धित है, निर्वाचित अभ्यर्थियों की संख्या अपेक्षित संख्या से कम है तो रिटर्निंग आफिसर मतदान में के निकटतम अभ्यर्थी को मतदान से अपवर्जित कर देगा और उसके अनिःशेषित मतपत्रों को बने रहने वाले अभ्यर्थियों के बीच उन निकटतम अनुगामी अधिमानों के अनुसार वितरित कर देगा जो उन पर अभिलिखित हैं, और किन्हीं निःशेषित मतपत्रों को अन्तिमरूपेण बरते गए के रूप में अलग रखा जाएगा।

(2) अपवर्जित अभ्यर्थी के मूल मतों को अन्तर्विष्ट रखने वाले मतपत्र सर्वप्रथम अन्तरित किए जाएंगे और हर एक मतपत्र का अन्तरण मूल्यांक एक सौ होगा ।

(3) अपवर्जित अभ्यर्थी के अन्तरित मतों को अन्तर्विष्ट रखने वाले मतपत्र तब अन्तरण के उस क्रम में, जिसमें और उस मूल्यांक पर, जिसमें उसने उन्हें अभिप्राप्त किया था, अन्तरित किए जाएंगे ।

(4) ऐसे हर एक अन्तरण की बाबत यह समझा जाएगा कि वह पृथक् अन्तरण है किन्तु पृथक् गणना नहीं है ।

(5) यदि मतों के अन्तरण के फलस्वरूप अभ्यर्थी द्वारा अभिप्राप्त मतों का मूल्यांक कोटे के बराबर है या उससे ज्यादा हो जाता है तो उस समय चलने वाली गणना पूरी की जाएगी किन्तु कोई अन्य मतपत्र उसे अन्तरित न किए जाएंगे ।

(6) इस नियम द्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया मतदान में निम्नतम अभ्यर्थियों में से एक के पश्चात् दूसरे के उत्तरोत्तर अपवर्जनों में तब तक बार-बार बरती जाएगी जब तक ऐसी रिक्ति या तो कोटे सहित अभ्यर्थी के निर्वाचन द्वारा या एतस्मिन्‌पश्चात् उपबन्धित रूप में भर न जाए ।

(7) यदि किसी समय अभ्यर्थी का अपवर्जन करना आवश्यक हो जाता है और दो या अधिक अभ्यर्थियों के मतों का मूल्यांक एक ही है और वे मतदान में निम्नतम हैं तो हर एक अभ्यर्थी के मूल मतों को विचार में लिया जाएगा और जिस अभ्यर्थी को न्यूनतम मूल मत मिले हैं उसे अपवर्जित कर दिया जाएगा और यदि उनके मूल मतों का मूल्यांक बराबर है तो उस सबसे पहले वाली गणना में, जिसमें इन अभ्यर्थियों के असमान मूल्यांक थे सबसे थोड़े मूल्यांक वाला अभ्यर्थी अपवर्जित किया जाएगा ।

(8) यदि मतदान में दो या अधिक अभ्यर्थी निम्नतम हैं और सब गणनाओं में हर एक के मतों का मूल्यांक बराबर है तो रिटर्निंग आफिसर लाट द्वारा विनिश्चय करेगा कि कौन सा अभ्यर्थी अपवर्जित किया जाए ।

81. अन्तिम रिक्तियों की पूर्ति---(1) जब कि किसी गणना के खत्म होने पर बने रहने वाले अभ्यर्थियों की संख्या घट कर न भरी गई शेष रिक्तियों की संख्या के बराबर हो जाती है तब बने रहने वाले अभ्यर्थियों को निर्वाचित घोषित किया जाएगा ।

(2) जबकि किसी गणना के खत्म होने पर केवल एक रिक्ति बिना भरी रह जाती है और किसी एक अभ्यर्थी के मतपत्रों का मूल्यांक किसी अन्तरित न किए गए अधिशेष सहित अन्य बने रहने वाले अभ्यर्थियों के मतपत्रों के कुल मूल्यांक से आधिक्य में है तब वह अभ्यर्थी निर्वाचित घोषित किया जाएगा ।

(3) जबकि किसी गणना के खत्म होने पर केवल एक रिक्ति बिना भरी रह जाती है और बने रहने वाले अभ्यर्थी दो ही रह गए हैं और उनमें से हर एक के मतों का मूल्यांक एक बराबर है और कोई अन्तरण के योग्य अधिशेष नहीं रहा है तब रिटर्निंग आफिसर लाट द्वारा यह विनिश्चित करेगा कि उनमें से कौन सा अपवर्जित किया जाए और उसको पूर्वोक्त रीति में अपवर्जित करने के पश्चात् दूसरे अभ्यर्थी को निर्वाचित घोषित करेगा ।

82. पुनर्गणना के लिए उपबंध----(1) कोई अभ्यर्थी या उसकी अनुपस्थिति में उसका निर्वाचन या गणन अभिकर्ता मतों की गणना के दौरान या तो मतों के (चाहे वे अधिशेषित हों या अन्य प्रकार के हों) किसी अन्तरण के प्रारम्भ के पूर्व या समाप्ति के पश्चात् किसी समय रिटर्निंग आफिसर से प्रार्थना कर सकेगा कि वह सब अभ्यर्थियों या किन्हीं अभ्यर्थियों के मतपत्रों को (जो ऐसे मतपत्र नहीं हैं जिन्हें इस आधार पर कि उनकी बाबत अंतिमरूपेण कार्यवाही कर दी गई है किसी पूर्वतन अन्तरण में अलग नहीं रख दिया गया है) पुनः पड़ताल और पुनर्गणना करे और रिटर्निंग आफिसर तदनुसार उनकी तत्क्षण पुनः पड़ताल और पुनर्गणना करेगा ।

(2) रिटर्निंग आफिसर ऐसी किसी दशा में, जिसमें किसी पूर्वतन गणना की विशुद्धता की बाबत उसका समाधान नहीं हुआ है, मतों की पुनर्गणना या तो एक बार या एक से अधिक बार स्वविवेकानुसार कर सकेगा :

परन्तु इस उपनियम की किसी बात से रिटर्निंग आफिसर के लिए यह आबद्धकर न हो जाएगा कि वह उन्हीं मतों की पुनर्गणना एक से अधिक बार कराए ।

83. नियम 76 से लेकर 81 तक के अधीन मतों की गणना के बारे में प्रक्रिया का दृष्टांत---[1][नियम 76 से 81 तक] के उपबन्धों के अनुसार मतों की गणना के बारे में प्रक्रिया का दृष्टांत इन नियमों की अनुसूची में दिया हुआ है ।

[2]**[84. रिटर्निंग आफिसरों द्वारा परिणाम की घोषणा और विवरण**----(1) गणना की समाप्ति पर रिटर्निंग आफिसर नियम 81 के उपनियम (3) के उपबन्धों के अध्यधीन,---

(क) प्ररूप 23 या प्ररूप 23क में, जो भी समुचित हो, धारा 66 के अधीन परिणाम घोषित करेगा और उसकी हस्ताक्षरित प्रतियां समुचित प्राधिकारी, निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन आफिसर को भेजेगा;

(ख) प्ररूप 23ख में निर्वाचन की विवरणी तैयार और प्रमाणित करेगा और धारा 67 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की रिपोर्ट भेजने के पश्चात् उक्त प्ररूप की हस्ताक्षरित प्रतियां निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन आफिसर को भेजेगा; और

(ग) किसी अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता या गणन अभिकर्ता को प्ररूप 23ख में की ऐसी विवरणी की प्रति या उसमें से उद्धरण लेने की अनुज्ञा देगा।]

[1][(2) तत्पश्चात् रिटर्निंग आफिसर----

(क) विधिमान्य मतपत्रों को एक पैकेट में और प्रतिक्षेपित मतपत्रों को दूसरे में रखेगा ;

(ख) खण्ड (क) में निर्दिष्ट पैकेटों में से हर एक को और निर्वाचकों द्वारा की गई घोषणाओं और उनके हस्ताक्षरों के अनुप्रमाणन को अन्तर्विष्ट रखने वाले पैकेट को रिटर्निंग आफिसर की और ऐसे अभ्यर्थियों, उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं या गणन अभिकर्ताओं की, जो अपनी मुद्राएं लगाना चाहें, मुद्राओं से मुद्रांकित करेगा, तथा

(ग) मुद्राबन्द पैकेटों में से हर एक पर उसकी अन्तर्वस्तुओं का वर्णन और निर्वाचन की तारीख अभिलिखित करेगा :]

[3][परन्तु जहां ऐसी गणना राज्य सभा का कोई स्थान या स्थानों के भरने के लिए किसी निर्वाचन से संबंधित है वहां रिटर्निंग आफिसर खंड (ख) के अधीन पैकेटों को मुद्रांकित करने से पूर्व, किसी राजनैतिक दल के प्राधिकृत अभिकर्ता को यह सत्यापन करने के लिए अनुज्ञात करेगा कि निर्वाचकों ने उस राजनैतिक दल के सदस्यों के रूप में अपने मत किसे दिए हैं ।]

---

[1] अधिसूचना सं0 का0 आ0 3662, तारीख 12 अक्तूबर, 1964 द्वारा क्रमशः कुछ शब्द और उपनियम (2) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] अधिसूचना सं0 का0 आ0 4542, तारीख 20 दिसम्बर, 1968 द्वारा (1-1-1969 से) नियम 84 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[3] अधिसूचना सं0 का0 आ0 272 (अ), तारीख 27 फरवरी, 2004 द्वारा अंतःस्थापित ।

[1]* * * * * *

85. निर्वाचित अभ्यर्थी को निर्वाचन के प्रमाणपत्र का अनुदान---- अभ्यर्थी के निर्वाचित हो जाने की घोषणा कर दिए जाने के पश्चात् यथाशक्यशीघ्र रिटर्निंग आफिसर प्ररूप 24 में निर्वाचन का प्रमाणपत्र ऐसे अभ्यर्थी को अनुदत्त करेगा और उसके द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित उसकी प्राप्ति की अभिस्वीकृति अभ्यर्थी से अभिप्राप्त करेगा, और, यथास्थिति, राज्य सभा के सचिव या विधान परिषद् के सचिव को रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा वह अभिस्वीकृति तुरन्त भेजेगा ।

[2][भाग 7क

अभिदाय रिपोर्ट, इलैक्ट्रानिक मीडिया पर समय का साम्यापूर्ण बंटवारा और मान्यताप्राप्त राजनैतिक दलों को प्रदाय की जाने वाली सामग्री

85क. परिभाषाएं-- इस भाग में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

(क) "केबल टेलीविजन नेटवर्क" और "केबल आपरेटर" के वही अर्थ हैं जो उनके धारा 39क के स्पष्टीकरण के खंड (ख) में हैं,

(ख) "इलैक्ट्रानिक मीडिया" का वही अर्थ है जो उसका धारा 39क के स्पष्टीकरण के खंड (क) में है,

(ग) "राजनैतिक दल" का वही अर्थ है जो उसका धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (च) में है,

(घ) "मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल" का वही अर्थ है जो उसका निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आबंटन) आदेश, 1968 में है ।

85ख. अभिदाय रिपोर्ट का प्ररूप-- धारा 29ग की उपधारा (1) के अधीन किसी वित्तीय वर्ष के लिए रिपोर्ट किसी राजनैतिक दल के कोषाध्यक्ष या राजनैतिक दल द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 139 के अधीन उस वित्तीय वर्ष की उसकी आय की विवरणी प्रस्तुत करने की तारीख से पूर्व प्ररूप 24क में निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत की जाएगी ।

85ग. इलैक्ट्रानिक मीडिया पर समय का साम्यापूर्ण बंटवारे का आबंटन--(1) निर्वाचन आयोग, धारा 39क की उपधारा (1) के अधीन केबल टेलीविजन नेटवर्क और अन्य इलैक्ट्रानिक मीडिया पर समय को साम्यापूर्ण बंटवारे का आबंटन करने के प्रयोजन के लिए, केबल टेलीविजन नेटवर्क और इलैक्ट्रानिक मीडिया को दो पृथक् प्रवर्गों में प्रवर्गीकृत करेगा अर्थात् एक वह प्रवर्ग जो केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके नियंत्रण में है या उसके द्वारा उनको उपलब्ध कराई गई निधियों से पूर्णतः या पर्याप्ततः वित्तपोषित हैं और अन्य वह जो केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रण में नहीं है या उसके द्वारा उनको उपलब्ध कराई गई निधियों से पूर्णतः या पर्याप्ततः वित्तपोषित नहीं है ।

(2) निर्वाचन आयोग केबल टेलीविजन नेटवर्क और अन्य इलैक्ट्रानिक मीडिया पर जो उपनियम (1) में निर्दिष्ट केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके नियंत्रण में हैं या उसके द्वारा उनको उपलब्ध कराई गई निधियों से पूर्णतः या पर्याप्ततः वित्तपोषित है, समय के साम्यापूर्ण बंटवारे का आबंटन करने के लिए ऐसे केबल टेलीविजन नेटवर्क और इलैक्ट्रानिक मीडिया पर उपलब्ध अधिकतम समयावधि का अवधारण भारत सरकार के उस मंत्रालय के, जो संबद्ध विषय के बारे में कार्रवाई कर रहा है, परामर्श से करेगा, और धारा 39क की उपधारा (1) के अधीन निर्वाचन के संबंध में किसी निर्वाचन सामग्री का संप्रदर्शन या प्रचार करने या जनता को राजनैतिक दलों के बीच उनके प्रदर्शन के आधार पर समानुपातिक रूप में आबंटित करेगा ।

(3) इस नियम के प्रयोजनों के लिए "किसी मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल के पूर्व प्रदर्शन" की संगणना,--

(i) लोक सभा में किसी स्थान या स्थानों को भरने के लिए निर्वाचन के संबंध में, उस सदन में स्थानों को भरने के लिए गत पूर्ववर्ती साधारण निर्वाचन में डाले गए कुल मतों के प्रतिनिर्देश से उस मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल के पक्ष में उस साधारण निर्वाचन में डाले गए मतों की प्रतिशतता के आधार पर की जाएगी ;

(ii) किसी राज्य की (जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय) विधान सभा में किसी स्थान या स्थानों को भरने के लिए गत पूर्ववर्ती साधारण निर्वाचन में डाले गए कुल मतों के प्रतिनिर्देश से उस मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल के पक्ष में उस साधारण निर्वाचन में डाले गए मतों की प्रतिशतता के आधार पर की जाएगी ।

---

[1] अधिसूचना सं0 का0 आ0 4542, तारीख 20 दिसम्बर, 1968 द्वारा (1-1-1969 से) लोप किया गया ।

[2] अधिसूचना सं0 का0आ0 1283(अ), तारीख 10 नवम्बर, 2003 द्वारा अंतःस्थापित ।

85घ. सरकार द्वारा सामग्री का प्रदाय--केन्द्रीय सरकार लोक सभा या किसी राज्य की विधान सभा का गठन करने के प्रयोजन के लिए किए जाने वाले किसी साधारण निर्वाचन के समय निर्वाचन आयोग को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) के अधीन अंतिम रूप से यथा प्रकाशित निर्वाचक नामावलियों की उतनी संख्या में प्रतियां, जितनी निर्वाचन आयोग मान्यताप्राप्त राजनैतिक दलों के अभ्यर्थी को ऐसे अधिकारियों के माध्यम से जो निर्वाचन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, निःशुल्क प्रदान करने की अपेक्षा करे, प्रदाय करेगी और ऐसा अधिकारी ऐसे साधारण या विशेष निदेशों के अनुसार, जो इस निमित्त निर्वाचन आयोग द्वारा किए जाएं, कार्य करेगा ।'।

भाग 8

निर्वाचन व्यय

86. निर्वाचन व्ययों के लेखा की विशिष्टियां---(1) अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा जो निर्वाचन व्ययों का लेखा धारा 77 के अधीन रखा जाना है उसमें दिन प्रतिदिन के व्यय की हर एक मद की बाबत निम्नलिखित विशिष्टियां अंतर्विष्ट होंगी, अर्थात् :---

(क) वह तारीख जिसको व्यय उपगत या प्राधिकृत किया गया था ;

(ख) व्यय की प्रकृति (उदाहरण के लिए यात्रा, डाक या मुद्रण और तत्समान व्यय) ;

(ग) व्यय की रकम---

(i) संदत्त रकम ;

(ii) परादेय रकम ;

(घ) संदाय की तारीख ;

(ङ) पाने वाले का नाम और पता ;

(च) संदाय की गई रकम की दशा में वाउचरों का क्रम संख्यांक ;

(छ) परादेय रकम की दशा में विपत्रों में का यदि कोई हो क्रम संख्यांक ;

(ज) उस व्यक्ति का नाम और पता, जिससे परादेय रकम देय है ।

(2) व्यय की हर मद के लिए वाउचर तब के सिवाय अभिप्राप्त किया जाएगा जबकि डाक व्यय या रेल द्वारा यात्रा और तद्रूप मामलों जैसे मामले की प्रकृति के कारण वाउचर अभिप्राप्त करना साध्य नहीं है ।

(3) सब वाउचर अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा संदाय की तारीख के क्रम से रखे जाकर और क्रम संख्यांकित किए जाकर निर्वाचन व्ययों के लेखे के साथ दाखिल किए जाएंगे और ऐसे क्रम संख्यांक उपनियम (1) में के लेखे में मद (च) के अंतर्गत दर्ज किए जाएंगे ।

(4) उपनियम (1) की मद (ङ) में वर्णित विशिष्टियां व्यय की उन मदों की बाबत देनी आवश्यक न होंगी जिनके लिए उपनियम (2) के अधीन वाउचर अभिप्राप्त नहीं किए गए हैं ।

87. लेखाओं के निरीक्षण के लिए [1][जिला निर्वाचन आफिसर] द्वारा सूचना---[1][जिला निर्वाचन आफिसर] उस तारीख से जिसको निर्वाचन व्ययों का लेखा अभ्यर्थी द्वारा धारा 78 के अधीन दाखिल किया गया है, दो दिन के अंदर एक सूचना जिसमें---

(क) वह तारीख जिसको लेखा दाखिल किया गया है ;

(ख) अभ्यर्थी का नाम ; तथा

---

[1] अधिसूचना सं0 का0 आ0 3875, तारीख 15 दिसंबर, 1966 द्वारा "रिटर्निंग आफिसर" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(ग) वह समय और स्थान, जिसमें ऐसे लेखा का निरीक्षण किया जा सकेगा,

विनिर्दिष्ट होंगी, अपने सूचनाफलक पर लगवाएगा ।

88. लेखाओं का निरीक्षण और उनकी प्रतियां अभिप्राप्त करना---कोई व्यक्ति एक रुपए की फीस का संदाय करके ऐसे किसी लेखा का निरीक्षण करने का हकदार होगा और ऐसी फीस के संदाय पर, जैसी निर्वाचन आयोग इस निमित्त नियत करे, ऐसे लेखा या उसके किसी भाग की अनुप्रमाणित प्रतियां अभिप्राप्त करने का हकदार होगा ।

89. निर्वाचन व्ययों के लेखा दाखिल करने की बाबत [1][जिला निर्वाचन आफिसर] द्वारा रिपोर्ट और निर्वाचन आयोग का उस पर विनिश्चय---(1) किसी निर्वाचन में निर्वाचन व्ययों के लेखाओं के दाखिल करने के लिए धारा 78 में विनिर्दिष्ट समय के अवसान के पश्चात् यथाशक्यशीघ्र [1][जिला निर्वाचन आफिसर] ---

(क) हर एक निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी के नाम की ;

(ख) इस बात की कि क्या ऐसे अभ्यर्थी ने अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल कर दिया है या नहीं और यदि किया है तो उस तारीख की, जिसको ऐसा लेखा दाखिल किया गया है, तथा

(ग) इस बात की कि क्या उसकी राय में ऐसा लेखा उतने समय के अंदर और उस रीति में, जो अधिनियम और इन नियमों द्वारा अपेक्षित हैं, दाखिल किया गया है या नहीं,

रिपोर्ट निर्वाचन आयोग को देगा ।

(2) जहां कि [1][जिला निर्वाचन आफिसर] की यह राय है कि किसी अभ्यर्थी के निर्वाचन व्ययों का लेखा इस अधिनियम और इन नियमों द्वारा अपेक्षित रीति में दाखिल नहीं किया गया है वहां वह हर ऐसी रिपोर्ट के साथ उस अभ्यर्थी के निर्वाचन व्ययों के लेखाओं और उसके साथ दाखिल वाउचरों को निर्वाचन आयोग को भेजेगा ।

(3) [1][जिला निर्वाचन आफिसर] उपनियम (1) में निर्दिष्ट रिपोर्ट भेजी जाने के अव्यवहित पश्चात् उसकी प्रति अपने सूचना फलक पर लगाकर उसका प्रकाशन करेगा ।

(4) निर्वाचन आयोग उपनियम (1) में निर्दिष्ट रिपोर्ट की प्राप्ति के पश्चात् यथाशक्यशीघ्र उस पर विचार करेगा और यह विनिश्चय करेगा कि क्या कोई निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के अंदर और उस रीति में, जो कि अधिनियम और इन नियमों द्वारा अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है या नहीं ।

[2][(5) जहां कि निर्वाचन आयोग का यह विनिश्चय है कि निर्वाचन लड़ने वाला कोई अभ्यर्थी निर्वाचन व्ययों का अपना लेखा उस समय के अंदर और उस रीति में, जो अधिनियम और इन नियमों द्वारा अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है वहां वह लिखित सूचना द्वारा अभ्यर्थी से अपेक्षा करेगा कि वह हेतुक दर्शित करे कि उसे असफलता के लिए धारा 10क के अधीन क्यों निरर्हित नहीं किया जाना चाहिए ।

(6) ऐसा कोई निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी, जिससे उपनियम (5) के अधीन हेतुक दर्शित करने के लिए अपेक्षा की गई है, ऐसी सूचना की प्राप्ति के बीस दिन के भीतर उस विषय की बाबत लिखित अभ्यावेदन निर्वाचन आयोग को निवेदित कर सकेगा और उसी समय अभ्यावेदन की एक प्रति और यदि उसने पहले ही ऐसा नहीं कर दिया है तो निर्वाचन व्ययों का पूरा लेखा भी जिला निर्वाचन आफिसर को भेजेगा ।

(7) जिला निर्वाचन आफिसर उसकी प्राप्ति के पांच दिन के अंदर अभ्यावेदन की प्रति और यदि कोई लेखा हो तो ऐसा लेखा ऐसी टिप्पणियों सहित, जैसी वह उन पर करना चाहे, निर्वाचन आयोग को भेजेगा ।

(8) यदि अभ्यर्थियों द्वारा भेजे गए अभ्यावेदन पर और जिला निर्वाचन आफिसर द्वारा की गई टिप्पणियों पर विचार करने के पश्चात् और ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी वह ठीक समझे, निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि अभ्यर्थी के पास अपना लेखा दाखिल करने में असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं है, तो वह उसे आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए धारा 10क के अधीन निरर्हित घोषित करेगा और आदेश को शासकीय राजपत्र में प्रकाशित कराएगा।]

---

[1] अधिसूचना सं0 का0 आ0 3875, तारीख 15 दिसंबर, 1966 द्वारा " रिटर्निंग आफिसर" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] अधिसूचना सं0 का0 आ0 3875, तारीख 15 दिसंबर, 1966 द्वारा उपनियम (5) से (9) तक के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[1][**90. अधिकतम निर्वाचन व्यय**---उस व्यय का योग, जिसका धारा 77 के अधीन हिसाब रखा जाएगा और जो नीचे दी गई सारणी के स्तंभ 1 में वर्णित किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के निर्वाचन के संबंध में उपगत या प्राधिकृत किए जाएंगे, निम्नलिखित से अधिक नहीं होगा, अर्थात् :---

(क) उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के किसी एक संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के लिए उक्त सारणी के तत्स्थानी स्तंभ में विनिर्दिष्ट रकम ; और

(ख) उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के किसी एक विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र, यदि कोई हो, के लिए उक्त सारणी के तत्स्थानी स्तंभ 3 में विनिर्दिष्ट रकम---

[1] अधिसूचना सं0 का0 आ0 767(अ), तारीख 29 नवंबर, 1979 द्वारा नियम 90 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[1][सारणी

क्रम सं0	राज्य या संघ राज्यक्षेत्र का नाम	किसी एक में निर्वाचन व्ययों की अधिकतम सीमा	
		संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र	विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र
1	2	3	4
I. राज्य			
1.	आन्ध्र प्रदेश	40,00,000	16,00,000
2.	अरुणाचल प्रदेश	27,00,000	10,00,000
3.	असम	40,00,000	16,00,000
4.	बिहार	40,00,000	16,00,000
5.	गोवा	22,00,000	8,00,000
6.	गुजरात	40,00,000	16,00,000
7.	हरियाणा	40,00,000	16,00,000
8.	हिमाचल प्रदेश	40,00,000	11,00,000
9.	जम्मू-कश्मीर	40,00,000	-
10.	कर्नाटक	40,00,000	16,00,000
11.	केरल	40,00,000	16,00,000
12.	मध्य प्रदेश	40,00,000	16,00,000
13.	महाराष्ट्र	40,00,000	16,00,000
14.	मणिपुर	35,00,000	8,00,000
15.	मेघालय	35,00,000	8,00,000
16.	मिजोरम	32,00,000	8,00,000
17.	नागालैंड	40,00,000	8,00,000
18.	उड़ीसा	40,00,000	16,00,000
19.	पंजाब	40,00,000	16,00,000
20.	राजस्थान	40,00,000	16,00,000
21.	सिक्किम	27,00,000	8,00,000
22.	तमिलनाडु	40,00,000	16,00,000
23.	त्रिपुरा	40,00,000	8,00,000
24.	उत्तर प्रदेश	40,00,000	16,00,000
25.	पश्चिमी बंगाल	40,00,000	16,00,000
26.	छत्तीसगढ़	40,00,000	16,00,000
27.	उत्तराखंड	40,00,000	11,00,000
28.	झारखंड	40,00,000	16,00,000
II. संघ राज्यक्षेत्र			
1.	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	27,00,000	-
2.	चंडीगढ़	22,00,000	-
3.	दादरा और नागर हवेली	16,00,000	-
4.	दमण और दीव	16,00,000	-
5.	दिल्ली	40,00,000	14,00,000
6.	लक्षदीप	16,00,000	-
7.	पुडुचेरी	32,00,000	8,00,000]

[1] अधिसूचना सं0 का0 आ0 425(अ), तारीख 23 फरवरी, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित ।

भाग 9
प्रकीर्ण

91. सदन में के एक से अधिक स्थानों के लिए निर्वाचन की दशा में स्थानों से त्यागपत्र---(1) वह समय, जिसके अन्दर व्यक्ति संसद् के दोनों सदनों में से किसी सदन में या राज्य के विधान-मण्डल के सदन या दोनों सदनों में से किसी सदन में के स्थानों में से, जिनके लिए वह निर्वाचित हो गया है, एक को छोड़कर सब स्थानों से त्यागपत्र दे सकेगा---

(क) धारा 67क के अधीन उसके अपने निर्वाचन की तारीख से चौदह दिन का होगा, अथवा

(ख) उस दशा में, जिसमें कि विभिन्न स्थानों की बाबत उसके निर्वाचन की तारीखें विभिन्न हैं उन तारीखों में से अन्तिम तारीख से चौदह दिन का होगा ।

(2) ऐसा त्यागपत्र---

(क) सम्पृक्त सदन के अध्यक्ष या सभापति को; अथवा

(ख) उस दशा में जिसमें कि अध्यक्ष या सभापति का पद तत्समय रिक्त है या अनिहितावस्था में है या अनिहितावस्था में समझा जाता है, सम्पृक्त सदन के उपाध्यक्ष या उपसभापति को; अथवा

(ग) उस दशा में, जिसमें कि उपाध्यक्ष या उपसभापति का पद भी तत्समय रिक्त है या अनिहितावस्था में है या अनिहितावस्था में समझा जाता है, निर्वाचन आयोग को,

सम्बोधित होगा ।

(3) जहां कि त्यागपत्र निर्वाचन आयोग को उपनियम (2) के अधीन सम्बोधित किया गया है वहां निर्वाचन आयोग त्यागपत्र की प्राप्ति से यथाशक्यशीघ्र पश्चात् उसकी प्रति सम्पृक्त सदन के सचिव को भेजेगा ।

92. मतपेटियों और निर्वाचन संबंधी कागज-पत्रों की अभिरक्षा---(1) निर्वाचन में उपयोग में लाई गई सब मतपेटियां ऐसी अभिरक्षा में रखी जाएंगी जैसी मुख्य निर्वाचन आफिसर निर्दिष्ट करे ।

[1][(1क) किसी निर्वाचन में उपयोग में लाई गई सभी मतदान मशीनों को संबंधित जिला निर्वाचन आफिसर की अभिरक्षा में रखा जाएगा ।]

[2][(2) जिला निर्वाचन आफिसर---

(क) अप्रयुक्त मतपत्रों के उनसे संलग्न प्रतिपर्णों के साथ पैकेट;

(ख) अप्रयुक्त मतपत्रों के चाहे वे विधिमान्य हों या निविदत्त या प्रतिक्षेपित पैकेट;

(ग) प्रयुक्त मतपत्रों के प्रतिपर्णों के पैकेट;

(घ) यथास्थिति, निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति या धारा 152 की उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन रखी गई सूची के पैकेट;

[1][(घघ) प्ररूप 17क में के मतदाता रजिस्टरों वाले पैकेट;]

(ङ) निर्वाचकों द्वारा की गई घोषणाओं और उनके हस्ताक्षरों के अनुप्रमाणन के पैकेट; और

(च) निर्वाचन से संबंधित सभी अन्य कागज-पत्र,

सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा :

परन्तु किसी सभा निर्वाचन-क्षेत्र या किसी संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र या किसी परिषद् निर्वाचन-क्षेत्र में निर्वाचन की दशा में, जिसका विस्तार एक से अधिक जिलों में हो, उक्त कागज-पत्र उस निर्वाचन-क्षेत्र में अधिकारिता रखने वाले जिला निर्वाचन आफिसरों में से ऐसे किसी एक आफिसर की अभिरक्षा में रखे जाएंगे जिसका निदेश निर्वाचन आयोग करे :

परंतु यह और भी कि विधान सभा सदस्यों द्वारा निर्वाचन की दशा में उक्त कागज-पत्र रिटर्निंग आफिसर की अभिरक्षा में रखे जाएंगे।]

---

[1] अधिसूचना सं0 का0 आ0 230 (अ), तारीख 24 मार्च, 1991 द्वारा अंतःस्थापित ।

[2] अधिसूचना सं0 का0 आ0 5573, तारीख 23 दिसम्बर, 1971 द्वारा उपनियम (2) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[1][**93. निर्वाचन कागज-पत्रों का पेश करना और उनके निरीक्षण**--- (1) जब---

(क) अप्रयुक्त मतपत्रों के, उनसे संलग्न प्रतिपर्णों के साथ, पैकेट ;

(ख) प्रयुक्त मतपत्रों के, चाहे वे विधिमान्य हों या निविदत्त या प्रतिक्षेपित, पैकेट ;

(ग) प्रयुक्त मतपत्रों के प्रतिपर्णों के पैकेट ;

(घ) यथास्थिति, निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति, या धारा 152 की उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन रखी गई सूची के पैकेट ; और

[2][(घघ) प्ररूप 17क में के मतदाता रजिस्टरों वाले पैकेट ;]

(ङ) निर्वाचकों द्वारा की गई घोषणाओं और उनके हस्ताक्षरों के अनुप्रमाणन के पैकेट,

यथास्थिति, जिला निर्वाचन आफिसर या रिटर्निंग आफिसर की अभिरक्षा में हों, तब वे किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना किसी व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा न तो खोले जाएंगे और न उनकी अंतर्वस्तुओं का निरीक्षण किया जाएगा और न ही वे वस्तुएं उसके समक्ष पेश की जाएंगी ।

[2][(1क) नियम 57ग के उपबंधों के अधीन मुद्राबंद की गई और जिला निर्वाचन आफिसर की अभिरक्षा में रखे गए नियंत्रण यूनिटों को किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के अधीन के सिवाय खोला नहीं जाएगा और किसी व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा निरीक्षण या उसके समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जाएगा ।]

(2) ऐसी शर्तों और ऐसी फीस के संदाय के अध्यधीन रहते हुए, जैसी निर्वाचन आयोग निर्दिष्ट करे :---

(क) निर्वाचन से संबंधित सभी अन्य कागज-पत्र जनता के निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेंगे ; और

(ख) उनकी प्रतियां, आवेदन करने पर, दी जाएंगी ।

(3) यथास्थिति, नियम 64 या नियम 84 के उपनियम (1) के खंड (ख) के अधीन रिटर्निंग आफिसर द्वारा भेजी गई विवरणियों की प्रतियां प्रत्येक प्रति के लिए दो रुपए की फीस के संदाय पर रिटर्निंग आफिसर, जिला निर्वाचन आफिसर, मुख्य निर्वाचन आफिसर या निर्वाचन आयोग द्वारा दी जाएंगी ।]

94. निर्वाचन कागज-पत्रों का व्ययन--- निर्वाचन आयोग द्वारा या सक्षम न्यायालय या अधिकरण द्वारा इसके प्रतिकूल दिए गए किसी निदेश के अध्यधीन रहते हुए :---

[1][(क) अप्रयुक्त मतपत्रों के पैकेट, छह मास की कालावधि के लिए, प्रतिधृत रखे जाएंगे और तत्पश्चात् ऐसी रीति से नष्ट कर दिए जाएंगे जैसी निर्वाचन आयोग निर्दिष्ट करे ।]

[2][(कक) नियम 92 के उपनियम (1क) के अधीन जिला निर्वाचन अधिकारी की सुरक्षित अभिरक्षा में रखी गई मतदान मशीनें, ऐसी कालावधि के लिए अखंड रूप से प्रतिधृत रखी जाएंगी जैसी निर्वाचन आयोग निर्दिष्ट करे और उनका किसी पश्चात्वर्ती निर्वाचन में निर्वाचन आयोग के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रयोग नहीं किया जाएगा ।]

(ख) नियम 93 के उपनियम (1) में निर्दिष्ट अन्य पैकेट एक वर्ष की कालावधि के लिए प्रतिधृत रखे जाएंगे और तत्पश्चात् नष्ट कर दिए जाएंगे :

[3][परंतु प्रयुक्त मतपत्रों के प्रतिपर्णों को अंतर्विष्ट करने वाले पैकेट निर्वाचन आयोग के पूर्व अनुमोदन के बिना, नष्ट नहीं किए जाएंगे ;]

(ग) निर्वाचन संबंधी सब अन्य कागज-पत्र ऐसी कालावधि के लिए प्रतिधृत रखे जाएंगे जैसी निर्वाचन आयोग निर्दिष्ट करे ।

---

[1] अधिसूचना सं0 का0 आ0 5573, तारीख 23 दिसंबर, 1971 द्वारा नियम 93 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[2] अधिसूचना सं0 का0 आ0 230(अ), तारीख 24 मार्च, 1992 द्वारा अंतःस्थापित ।
[3] अधिसूचना सं0 का0 आ0 5573, तारीख 23 दिसम्बर, 1971 द्वारा जोड़ा गया ।

[1][**94क. निर्वाचन अर्जी के साथ फाइल किए जाने वाले शपथपत्र का प्ररूप**---धारा 83 की उपधारा (1) के परंतुक में निर्दिष्ट शपथपत्र प्रथम वर्ग के मजिस्ट्रेट या नोटेरी या शपथ आयुक्त के समक्ष शपथगृहीत किया जाएगा और प्ररूप 25 में होगा ।]

[2][**95. निदेश जारी करने की निर्वाचन आयोग की शक्ति**--- इन नियमों के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए निर्वाचन आयोग मतदान मशीनों के समुचित उपयोग और प्रचालन को सुकर बनाने के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह आवश्यक समझे ।]

96. राज्य विधान सभाओं और निर्वाचकगणों के सदस्यों की सूची---(1) राज्य सभा में के या राज्य की विधान परिषद् में के, स्थान या स्थानों को भरने के लिए राज्य की विधान सभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर उस विधान सभा के सदस्यों की सूची उनके अद्यतन शुद्धिकृत पतों सहित ऐसे प्ररूप में बनाए रखेगा जैसा निर्वाचन आयोग निर्दिष्ट करे ।

स्पष्टीकरण---इस उपनियम में राज्य सभा के निर्वाचन के संबंध में राज्य की विधान सभा के सदस्यों के प्रति किसी निर्देश का अर्थ ऐसे लगाया जाएगा मानो वह उस विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों के प्रति निर्देश है ।

(2) राज्य सभा में के स्थान या स्थानों को भरने के लिए संघ राज्यक्षेत्र के निर्वाचकगण के सदस्यों द्वारा निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर उस निर्वाचकगण के सदस्यों की सूची उनके अद्यतन शुद्धिकृत पतों के सहित ऐसे प्ररूप में बनाए रखेगा जैसा निर्वाचन आयोग निर्दिष्ट करे ।

97. उन मतों की संख्या जो कुछ मामलों में समपहृत निक्षेपों की वापसी के संबंध में अभ्यर्थी का निर्वाचन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त समझे जाएंगे---धारा 158 की उपधारा (4) के परंतुक के प्रयोजनों के लिए---

(क) ऐसे अभ्यर्थी के बारे में जो निर्वाचित नहीं हुआ है, यह समझा जाएगा कि :---

(i) यदि वह बना रहने वाला अभ्यर्थी है तो, उसे वे मत मिले हैं जो उसने अंतिम गणना के अंत में अभिप्राप्त किए थे ; तथा

(ii) यदि वह मतदान से अपवर्जित अभ्यर्थी है, तो उसे वे मत मिले हैं जो उसने अपने अपवर्जन से अव्यवहित पूर्व वाली गणना के अंत में अभिप्राप्त किए थे ;

(ख) नियम 75 या नियम 76 में निर्दिष्ट कोटे के बारे में यह समझा जाएगा कि वह अभ्यर्थी का निर्वाचन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त मत संख्या है ।

98. परिसर, यानों, आदि के अधिग्रहण के आदेश की तामील की रीति---धारा 160 के अधीन वाले अधिग्रहण आदेश की तामील---

(क) उस दशा में जिसमें कि वह व्यक्ति, जिसे कि ऐसा आदेश संबोधित है निगम या फर्म है सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) की प्रथम अनुसूची में, यथास्थिति, आदेश 29 के नियम 2 या आदेश 30 के नियम 3 के समनों की तामील के लिए उपबंधित रीति में की जाएगी, तथा

(ख) उस दशा में, जिसमें कि वह व्यक्ति, जिसे ऐसा आदेश संबोधित है, एक व्यष्टि है---

(i) आदेश को उस वैयक्तिक रूप से परिदत्त या निविदत्त करके, अथवा

(ii) रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा, अथवा

(iii) तब जबकि उस व्यक्ति का पता नहीं चलाया जा सकता आदेश की अधिप्रमाणीकृत प्रति उसके कुटुंब के किसी वयस्क सदस्य के पास छोड़कर या उस परिसर के, जिसकी बाबत यह ज्ञात है कि उसने जब पिछली बार उसमें निवास किया था या कारबार चलाया था या स्वयं अभिलाभ के लिए काम किया था किसी सहजदृश्य भाग में ऐसी प्रति को लगाकर की जाएगी ।

99. धारा 161 के अधीन माध्यस्थम् के वास्ते निर्देशनार्थ आवेदन के लिए समय---वह समय जिसके अंदर कोई हितबद्ध व्यक्ति, जो धारा 168 की उपधारा (1) के अधीन अवधारित प्रतिकर की रकम की बाबत व्यथित है, या जिसके अंदर यान, जलयान या जीवजन्तु का ऐसा कोई स्वामी जो उस धारा की उपधारा (2) के अधीन अवधारित प्रतिकर की रकम की बाबत व्यथित है उस विषय को माध्यस्थम् के लिए निर्देशित किए जाने के लिए आवेदन कर सकेगा, ऐसे प्रतिकर की रकम के अवधारण की तारीख से चौदह दिन का या जहां कि ऐसे प्रतिकर की रकम, यथास्थिति, हितबद्ध व्यक्ति या स्वामी की अनुपस्थिति में अवधारित की गई है वहां उस तारीख से, जिसको उस व्यक्ति या स्वामी को ऐसे अवधारण की प्रज्ञापना भेजी जाती है, चौदह दिन का होगा ।

---

[1] अधिसूचना सं0 का0 आ0 597, तारीख 27 फरवरी, 1962 द्वारा अंतःस्थापित

[2] अधिसूचना सं0 का0 आ0 230 (अ), तारीख 24 मार्च, 1992 द्वारा अंतःस्थापित ।

[1][प्ररूप 1

(नियम 3 देखिए)

निर्वाचन की सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि---

(1) .....निर्वाचन-क्षेत्र में लोक सभा/.....विधान सभा/ ..../विधान परिषद् के सदस्य का निर्वाचन होना है,

अथवा

(1).....विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, राज्य सभा/.....विधान परिषद्.....के सदस्य (सदस्यों) का निर्वाचन होना है ।

(2) नामनिर्देशन-पत्र रिटर्निंग आफिसर को या.....सहायक रिटर्निंग आफिसर को अभ्यर्थी या (उसके किसी प्रस्थापक द्वारा) .....से अपश्चात् (लोक अवकाश दिन से भिन्न) किसी दिन 11 बजे पूर्वाह्न और 3 बजे अपराह्न के बीच .....में परिदत्त किए जा सकेंगे,

(3) नामनिर्देशन-पत्र के प्ररूप पूर्वोक्त स्थान और समय पर अभिप्राप्त किए जा सकेंगे,

(4) नामनिर्देशन-पत्र संवीक्षा के लिए.....में.....को..... बजे लिए जाएंगे,

(5) अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना या तो अभ्यर्थी द्वारा या उसके किसी प्रस्थापक द्वारा या उसके निर्वाचन अभ्यर्थी द्वारा जो अभ्यर्थी द्वारा उसे परिदत्त करने के लिए लिखित में प्राधिकृत किया गया हो ऊपर पैरा (2) में विनिर्दिष्ट आफिसरों में से किसी को उसके कार्यालय में .....को 3 बजे अपराह्न के पूर्व परिदत्त की जा सकेगी,

(6) निर्वाचन लड़े जाने की दशा में ..... को ..... बजे .... और ..... बजे के बीच मतदान होगा ।

स्थान.....

तारीख.....

रिटर्निंग आफिसर ।]

[1] अधिसूचना सं0 का0आ0 321(अ), तारीख 1 मई, 1996 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[1][प्ररूप 2क

(नियम 4 देखिए)

नामनिर्देशन-पत्र

लोक सभा के लिए निर्वाचन

नीचे भाग 1 या भाग 2, इनमें से जो भी लागू न हो, उसे काट दें

भाग 1

(मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थी द्वारा उपयोग किया जाना है)

मैं लोक सभा के निर्वाचन के लिए.....संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से अभ्यर्थी के रूप में निम्नलिखित को नामनिर्दिष्ट करता हूं ।

अभ्यर्थी का नाम.....पिता/माता/पति का नाम.....उसका डाक पता .....उसका नाम.....संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र [में समाविष्ट विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र] की निर्वाचक नामावली के भाग सं0.....में क्रम सं0.....पर प्रविष्ट है ।

मेरा नाम.....है जो.....संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र [में समाविष्ट .....विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र] की निर्वाचक नामावली के भाग सं0.....में क्रम सं0 .....पर प्रविष्ट है ।

तारीख.....

(प्रस्थापक के हस्ताक्षर)

भाग 2

(मान्यताप्राप्त दल द्वारा खड़े न किए गए अभ्यर्थी द्वारा उपयोग किए जाने के लिए)

हम घोषणा करते हैं कि हम लोक सभा के निर्वाचन के लिए.....संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से निम्नलिखित को अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्देशित करते हैं ।

अभ्यर्थी का नाम.....

पिता/माता/पति का नाम.....

उसका डाक पता.....

उसका नाम.....संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र *(में समाविष्ट विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र) की निर्वाचक नामावली के भाग संख्यांक.....में क्रम संख्यांक पर प्रविष्ट है ।

हम घोषणा करते हैं कि हम उपरोक्त संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के निर्वाचक हैं और हमारे नाम उस संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में जैसे कि नीचे उपदर्शित हैं, दर्ज हैं और हम इस नामनिर्देशन के नीचे प्रतीक स्वरूप अपने हस्ताक्षर करते हैं ।

प्रस्थापकों की विशिष्टियां और उनके हस्ताक्षर

	प्रस्थापक का निर्वाचक नामावली संख्यांक					
क्रम सं.	विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र घटक का नाम	निर्वाचक नामावली का भाग संख्यांक	उस भाग में क्रम सं0	पूरा नाम	हस्ताक्षर	तारीख
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						

कृपया ध्यान दें : प्रस्थापक के रूप में निर्वाचन-क्षेत्र के 10 निर्वाचक होने चाहिएं ।

---

[1] अधिसूचना सं0 का0 आ0 558(अ) ,तारीख 9 अगस्त, 1996 द्वारा प्ररूप 2क से 2ग के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

भाग 3

मैं, भाग 1/भाग 2 (जो लागू न हो उसे काट दें) में उल्लिखित अभ्यर्थी इस नामनिर्देशन के लिए अपनी अनुमति देता हूं और घोषणा करता हूं कि ---

(क) मैंने.....वर्ष की आयु पूरी कर ली है

[नीचे (ख)(i) या (ख)(ii) जो लागू न हो उसे काट दें]

(ख) (i) मुझे इस निर्वाचन में.....दल द्वारा खड़ा किया गया है, जो इस राय में मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय दल/राज्य दल है और उपरोक्त दल के लिए आरक्षित प्रतीक मुझे, आबंटित किया जाए ।

या

(ख) (ii) मुझे इस निर्वाचन में.....दल द्वारा खड़ा किया गया है, रजिस्ट्रीकृत अमान्यताप्राप्त राजनैतिक दल है । मैं यह निर्वाचन स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूं (जो लागू न हो उसे काट दें) और मैंने जो प्रतीक चुने हैं वे अधिमान क्रम में (i) .....(ii) .....(iii).....हैं ।

(ग) मेरा नाम और मेरे पिता/माता/पति का नाम ऊपर.....(भाषा का नाम) में सही रूप से लिखा गया है ।

(घ) अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार मैं लोक सभा का स्थान भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हित हूं और निरर्हित भी नहीं हूं ।

*मैं यह भी घोषणा करता हूं कि मैं ** जाति/जनजाति का सदस्य हूं जो.....राज्य के उस राज्य में के.....(क्षेत्र) के संबंध में अनुसूचित ***जाति/जनजाति है ।

मैं यह भी घोषणा करता हूं कि मुझे लोक सभा के लिए निर्वाचन कराए जा रहे साधारण निर्वाचन/उप-निर्वाचन में दो से अधिक संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों में अभ्यर्थी के रूप में **** नामनिर्देशित नहीं किया गया है और न ही किया जाएगा ।

तारीख..... (अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

---

* जम्मू-कश्मीर, अंदमान और निकोबार द्वीप, चंडीगढ़, दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव तथा लक्षद्वीप की दशा में "में समाविष्ट विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र" शब्द काट दीजिए ।

** यदि लागू न हो तो इस पैरा को काट दीजिए ।

*** लागू न होने वाले शब्द काट दीजिए ।

****जम्मू-कश्मीर, अंदमान और निकोबार द्वीप, चंडीगढ़, दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव तथा लक्षद्वीप की दशा में लागू नहीं होगा ।

कृपया ध्यान दें :--- "मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल" से निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आबंटन) आदेश, 1968 के अधीन संबंधित राज्य में मान्यताप्राप्त कोई राजनैतिक दल अभिप्रेत है ।

---

[1][भाग 3क

(अभ्यर्थी द्वारा भरा जाए)

क्या अभ्यर्थी को--

(i) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की -- (क) उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध (अपराधों) के लिए ; या (ख) उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट किसी विधि के उल्लंघन के लिए, सिद्धदोष ठहराया गया है ; या	हां/नहीं

[1] अधिसूचना सं0 का0आ0 935(अ), तारीख 3 सितम्बर, 2002 द्वारा अंतःस्थापित ।

(ii) ऐसे किसी अन्य अपराध (अपराधों) के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, जिसके (जिनके) लिए उसे दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडित किया गया है

यदि उत्तर "हां" में है, तो अभ्यर्थी निम्नलिखित जानकारी देगा :

(i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट

संख्यांक.....

(ii) पुलिस थाना

(थाने).....जिला(जिले).....राज्य.....

(iii) संबद्ध अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण, जिसके (जिनके) लिए उसे सिद्धदोष ठहराया गया था

.....

(iv) दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) की तारीख/(तारीखें)

.....

(v) वह (वे) न्यायालय जिसने (जिन्होंने) अभ्यर्थी को सिद्धदोष ठहराया था

.....

(vi) अधिरोपित दंड कारावास (कारावासों) की अवधि और/या जुर्माने(जुर्मानों) की राशि उपदर्शित करें .....

(vii) कारागार से निर्मुक्ति की तारीख (तारीखें).....

(viii) क्या उपरोक्त दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) के विरुद्ध कोई अपील (अपीलें)/पुनरीक्षण फाइल किए गए थे **: हां/नहीं**

(ix) फाइल की गई अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) की विशिष्टियां.....

(x) उस न्यायालय (उन न्यायालयों) का (के) नाम, जिसके (जिनके) समक्ष अपील (अपीलें)/पुनरीक्षण आवेदन फाइल किए गए थे.....

(xi) क्या उक्त अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है या वह/वे लंबित हैं.....

(xii) यदि उक्त अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है, तो -

(क) निपटारे की तारीख(तारीखें).....

(ख) पारित आदेश (आदेशों की प्रकृति).....

स्थान : **(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)]**

तारीख :

भाग 4

(रिटर्निंग आफिसर द्वारा भरा जाए)

नामनिर्देशन-पत्र की क्रम सं0.....

यह नामनिर्देशन मुझे/मेरे कार्यालय में.....(तारीख) को.....(बजे) *अभ्यर्थी/प्रस्थापक द्वारा परिदत्त किया गया ।

तारीख..... रिटर्निंग आफिसर

भाग 5

नामनिर्देशन-पत्र को प्रतिगृहीत या रद्द करने वाले रिटर्निंग आफिसर का विनिश्चय

मैंने इस नामनिर्देशन-पत्र को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 36 के अनुसार परीक्षित कर लिया है और मैं निम्नलिखित रूप में विनिश्चय करता हूं :--

तारीख..... रिटर्निंग आफिसर

(छिद्रण) .....

---

* लागू न होने वाले शब्द काट दीजिए

भाग 6

नामनिर्देशन-पत्र के लिए रसीद और संवीक्षा की सूचना

(नामनिर्देशन-पत्र उपस्थित करने वाले व्यक्ति को दी जाने के लिए)

नामनिर्देशन-पत्र की क्रम सं0 .....का, जो..... संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी हैं, नामनिर्देशन-पत्र मुझे/मेरे कार्यालय में ..... (तारीख) को..... (बजे) * अभ्यर्थी/प्रस्थापक द्वारा परिदत्त किया गया । सब नामनिर्देशन-पत्रों की संवीक्षा ..... (तारीख) को..... (बजे) ..... (स्थान) में की जाएगी ।

तारीख .....

रिटर्निंग आफिसर

* लागू न होने वाले शब्द काट दीजिए ।

प्ररूप 2ख

(नियम 4 देखिए)

नामनिर्देशन-पत्र

.....(राज्य) की विधानसभा के लिए निर्वाचन

नीचे भाग 1 या भाग 2, जो लागू न हो, उसे काट दें

भाग 1

(मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थी द्वारा उपयोग के लिए)

मैं विधान सभा के निर्वाचन के लिए ..... विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र से अभ्यर्थी के रूप में निम्नलिखित को नामनिर्दिष्ट करता हूं ।

अभ्यर्थी का नाम .....पिता/माता/पति का नाम..... उसका डाक पता.....उसका नाम ..... विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली के भाग सं0 .....में क्रम सं0 पर प्रविष्ट है ।

मेरा नाम.....है जो.....विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली के भाग सं0.....में क्रम सं0.....पर प्रविष्ट है ।

तारीख ..... (प्रस्थापक के हस्ताक्षर)

भाग 2

हम विधान सभा के निर्वाचन के लिए ..... विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र से अभ्यर्थी के रूप में निम्नलिखित का नामनिर्देशन करते हैं ।

अभ्यर्थी का नाम ..... पिता/माता/पति का नाम..... उसका डाक पता .....उसका नाम ..... विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली के भाग सं0 .....में क्रम सं0.....पर प्रविष्ट है ।

हम घोषणा करते हैं कि हम उपरोक्त विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र के निर्वाचक हैं और हमारे नाम उस विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में जैसे कि नीचे उपदर्शित हैं, दर्ज हैं और हम इस नामनिर्देशन के प्रतीक स्वरूप नीचे अपने हस्ताक्षर करते हैं ।

प्रस्थापकों की विशिष्टियां और उनके हस्ताक्षर

क्रम सं0	प्रस्थापक का निर्वाचक नामावली संख्यांक				
	निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली का भाग संख्यांक	उस भाग की क्रम सं0	पूरा नाम	हस्ताक्षर	तारीख
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					

कृपया ध्यान दें : प्रस्थापक के रूप में निर्वाचन-क्षेत्र के 10 निर्वाचक होने चाहिएं ।

भाग 3

मैं, भाग 1/ भाग 2 (जो लागू न हो उसे काट दें) में वर्णित अभ्यर्थी इस नामनिर्देशन के लिए अपनी अनुमति देता हूं और घोषणा करता हूं कि---

(क) मैंने ..... वर्ष की आयु पूरी कर ली है ;

[नीचे (ख)(i) या (ख) (ii) ,जो लागू न हो उसे काट दें]

(ख) (i) मुझे इस निर्वाचन में ..... दल द्वारा खड़ा किया गया है, जो इस राज्य में मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय दल/राज्य दल है और उपरोक्त दल के लिए आरक्षित प्रतीक मुझे, आबंटित किया जाए ।

(ख) (ii) मुझे इस निर्वाचन में .....दल द्वारा खड़ा किया गया है, जो रजिस्ट्रीकृत अमान्यताप्राप्त राजनैतिक दल है । मैं यह निर्वाचन स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूं (जो लागू न हो उसे काट दें) और मैंने जो प्रतीक चुने हैं वे अधिमान क्रम में (i) ..... (ii) ..... (iii) ..... है ।

(ग) मेरा नाम और मेरे पिता/माता/पति का नाम ऊपर ..... (भाषा का नाम) में सही रूप से लिखा गया है।

(घ) अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार मैं इस राज्य की विधान सभा का स्थान भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हित हूं और निरर्हित भी नहीं हूं ।

†मैं यह भी घोषणा करता हूं कि मैं ..... **जाति/जनजाति का सदस्य हूं जो ..... राज्य के उस राज्य में के .....(क्षेत्र) के संबंध में अनुसूचित .....***जाति/जनजाति है ।

मैं यह भी घोषणा करता हूं कि मुझे.....राज्य की विधान सभा के लिए साथ-साथ कराए जा रहे वर्तमान साधारण निर्वाचन/उप-निर्वाचन में से दो से अधिक विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्रों में अभ्यर्थी के रूप में ****नामनिर्देशित नहीं किया गया है और न ही किया जाएगा ।

तारीख ..... (अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

---

† यदि लागू न हो तो इस पैरा को काट दें ।

कृपया ध्यान दें :-- "मान्याप्राप्त राजनीतिक दल" निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आबंटन) आदेश, 1968 के अधीन संबंधित राज्य में मान्यताप्राप्त कोई राजनैतिक दल अभिप्रेत है ।

[1][भाग 3क

(अभ्यर्थी द्वारा भरा जाए)

क्या अभ्यर्थी को-

(i) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की-

(क) उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध (अपराधों) के लिए ; या

(ख) उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट किसी विधि के उल्लंघन के लिए,

सिद्धदोष ठहराया गया है ; या — हां/ नहीं

(ii) ऐसे किसी अन्य अपराध (अपराधों) के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, जिसके (जिनके) लिए उसे दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडित किया गया है

यदि उत्तर "हां" में है, तो अभ्यर्थी निम्नलिखित जानकारी देगा :

(i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्यांक.....

(ii) पुलिस थाना (थाने).....जिला(जिले).....राज्य.....

(iii) संबद्ध अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण, जिसके (जिनके) लिए उसे सिद्धदोष ठहराया गया था.....

(iv) दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) की तारीख(तारीखें).....

(v) वह (वे) न्यायालय जिसने (जिन्होंने) अभ्यर्थी को सिद्धदोष ठहराया था.....

(vi) अधिरोपित दंड कारावास (कारावासों) की अवधि और/या (जुर्माने की राशि उपदर्शित करें).....

(vii) कारागार से निर्मुक्ति की तारीख (तारीखें).....

(viii) क्या उपरोक्त दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) के विरुद्ध कोई अपील (अपीलें)/पुनरीक्षण फाइल किए गए थे : **हां/नहीं**

(ix) फाइल की गई अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) की विशिष्टियां.....

(x) उस न्यायालय (उन न्यायालयों) का (के) नाम, जिसके (जिनके) समक्ष अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन फाइल किए गए थे.....

(xi) क्या उक्त अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है या वह/वे लंबित हैं.....

(xii) यदि उक्त अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है, तो-

(क) निपटारे की तारीख(तारीखें).....

(ख) पारित आदेश (आदेशों की प्रकृति).....

स्थान :

तारीख :

(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)]

[1] अधिसूचना सं0 का0आ0 935(अ), तारीख 3 सितम्बर, 2002 द्वारा अंतःस्थापित ।

भाग 4

(रिटर्निंग आफिसर द्वारा भरा जाएगा)

नामनिर्देशन-पत्र को क्रम सं0 ..... यह नामनिर्देशन मुझे/मेरे कार्यालय में .....(तारीख) को .....(बजे) *अभ्यर्थी/प्रस्थापक द्वारा परिदत्त किया गया ।

तारीख .....

(रिटर्निंग आफिसर)

*जो शब्द लागू न हो उसे काट दीजिए ।

भाग 5

नामनिर्देशन पत्र को प्रतिगृहीत या रद्द करने वाले रिटर्निंग आफिसर का विनिश्चय

मैंने इस नामनिर्देशन पत्र को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 36 के अनुसार परीक्षित कर लिया है और मैं निम्नलिखित रूप में विनिश्चय करता हूं :--

तारीख..... (रिटर्निंग आफिसर)

(छिद्रण) ह्र.....

भाग 6

नामनिर्देशन पत्र के लिए रसीद और संवीक्षा की सूचना

(नामनिर्देशन-पत्र उपस्थित करने वाले व्यक्ति को दी जाने के लिए)

नामनिर्देशन-पत्र की क्रम सं0 ..... का, जो ..... विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र से निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी हैं, नामनिर्देशन-पत्र मुझे/मेरे कार्यालय में ..... (तारीख) को ..... (बजे) *अभ्यर्थी/प्रस्थापक द्वारा परिदत्त किया गया । सब नामनिर्देशन-पत्रों की संवीक्षा .....(तारीख) को .....(बजे) ..... (स्थान) में की जाएगी ।

तारीख ..... (रिटर्निंग आफिसर)

*जो शब्द लागू न हो उसे काट दीजिए ।

प्ररूप 2ग

(नियम 4 देखिए)

नामनिर्देशन-पत्र

राज्य सभा के लिए निर्वाचन

[1][भाग 1]

हम एतद्द्वारा राज्य सभा के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी के रूप में निम्नलिखित को नामनिर्दिष्ट करते हैं :

अभ्यर्थी का नाम ..... (पिता/माता/पति का नाम) ..... उसका डाक पता ..... उसका नाम..... विधान सभा/*संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली के भाग सं0 .....में क्रम सं0..... पर प्रविष्ट है ।

हम घोषणा करते हैं कि हम .....विधान सभा के निर्वाचित सदस्य निर्वाचकगण के सदस्य हैं और हमारे नाम धारा 152 के अधीन रखी गई सूची में जैसा कि नीचे उपदर्शित किया गया है प्रविष्ट है और उस नामनिर्देशन के प्रतीक स्वरूप हम नीचे अपने हस्ताक्षर करते हैं ।

प्रस्थापकों की विशिष्टियां और उनके हस्ताक्षर

क्रम सं0	धारा 152 के अधीन रखी गई सूची में प्रविष्टि क्रम संख्यांक	पूरा नाम	हस्ताक्षर	तारीख
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.**				

*केवल जम्मू व कश्मीर के लिए ।

**प्रस्थापक विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों में से दस प्रतिशत या निर्वाचकगण के सदस्यों में से दस प्रतिशत या संबंधित दस सदस्य, जो भी कम हों, होने चाहिएं ।

मैं, ऊपरिवर्णित अभ्यर्थी इस नामनिर्देशन के लिए अपनी अनुमति देता/देती हूं और घोषणा करता/करती हूं कि---

(क) मैंने ..... वर्ष की आयु पूरी कर ली है ;

(ख) मैं इस निर्वाचन में .....दल द्वारा खड़ा किया गया हूं/खड़ी की गई हूं ;

(ग) मेरा नाम और मेरे (पिता/माता/पति का नाम ऊपर ..... (भाषा का नाम) में सही रूप से लिखा गया है ; और

(घ) अपनी पूर्ण जानकारी और विश्वास के अनुसार मैं राज्य सभा में रिक्त स्थान भरने के लिए चुने जाने के हेतु अर्हित हूं और निरर्हित नहीं हूं ।

मैं यह भी घोषणा करता हूं कि इसके साथ-साथ होने वाले विधान परिषद् के विद्यमान द्विवार्षिक निर्वाचन/उप निर्वाचनों में दो स्थानों के लिए किसी अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्दिष्ट नहीं किया गया हूं और न ही किया जाऊंगा ।

तारीख .....

(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

[1] अधिसूचना सं0 का0आ0 935(अ), तारीख 3 सितम्बर, 2002 द्वारा अंतःस्थापित ।

[1][भाग 2

(अभ्यर्थी द्वारा भरा जाए)

क्या अभ्यर्थी को--

(i) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की-- (क) उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध (अपराधों) के लिए ; या (ख) उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट किसी विधि के उल्लंघन के लिए, सिद्धदोष ठहराया गया है ; या	हां/नहीं

(ii) ऐसे किसी अन्य अपराध (अपराधों) के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, जिसके (जिनके) लिए उसे दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडित किया गया है

यदि उत्तर "हां" में है तो, अभ्यर्थी निम्नलिखित जानकारी देगा :

(i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्यांक.....

(ii) पुलिस थाना (थाने).....जिला(जिले).....राज्य.....

(iii) संबद्ध अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण, जिसके (जिनके) लिए उसे सिद्धदोष ठहराया गया था.....

(iv) दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) की तारीख(तारीखें).....

(v) वह (वे) न्यायालय जिसने (जिन्होंने) अभ्यर्थी को सिद्धदोष ठहराया था.....

(vi) अधिरोपित दंड कारावास (कारावासों) की अवधि और/या (जुर्माने) की राशि उपदर्शित करें .....

(vii) कारागार से निर्मुक्ति की तारीख (तारीखें).....

(viii) क्या उपरोक्त दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) के विरुद्ध कोई अपील (अपीलें)/पुनरीक्षण फाइल किए गए थे : **हां/नहीं**

(ix) फाइल की गई अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) की विशिष्टियां.....

(x) उस न्यायालय (उन न्यायालयों) का (के) नाम, जिसके (जिनके) समक्ष अपील (अपीलें)/पुनरीक्षण आवेदन फाइल किए गए थे.....

(xi) क्या उक्त अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है या वह/वे लंबित हैं.....

(xii) यदि उक्त अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है, तो--

(क) निपटारे की तारीख(तारीखें).....

(ख) पारित आदेश (आदेशों की प्रकृति).....

स्थान :

(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)]

तारीख :

[1] अधिसूचना सं0 का0आ0 935(अ), तारीख 3 सितम्बर, 2002 द्वारा अंतःस्थापित ।

[1][भाग 3]

(रिटर्निंग आफिसर द्वारा भरा जाए)

नामनिर्देशन पत्र की क्रम सं0.....

यह नामनिर्देशन मुझे/मेरे कार्यालय में.....(तारीख) को.....(बजे)/अभ्यर्थी/प्रस्थापक..... (नाम) द्वारा परिदत्त किया गया ।

तारीख ..... (रिटर्निंग आफिसर)

टिप्पण :-- जहां कहीं अनुकल्प दिए गए हैं वहां लागू हाने वाले शब्दों को काट दें ।

---

[1][भाग 4]

नामनिर्देशन-पत्र को प्रतिगृहीत या रद्द करने वाले रिटर्निंग आफिसर का विनिश्चय

मैंने इस नामनिर्देशन-पत्र को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 36 के अनुसार परीक्षित कर लिया है और निम्नलिखित रूप में विनिश्चय करता हूं :---

तारीख ..... (रिटर्निंग आफिसर)

(छिद्रण) .....

[1][भाग 5]

नामनिर्देशन-पत्र के लिए रसीद और संवीक्षा की सूचना

(नामनिर्देशन-पत्र प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को देने के लिए)

नामनिर्देशन-पत्र का क्रम संख्यांक ..... (राज्य) को विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों/..... (राज्य) के निर्वाचकगण के सदस्यों द्वारा विधान सभा के लिए निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी है, नामनिर्देशन-पत्र मुझे/मेरे कार्यालय में ..... (तारीख) को ..... (बजे) अभ्यर्थी/प्रस्थापक ..... (नाम) द्वारा परिदत्त किया गया है । सभी नामनिर्देशन-पत्रों की संवीक्षा .....(तारीख) को ..... (बजे) ..... (स्थान) में की जाएगी ।

तारीख ..... रिटर्निंग आफिसर ॥]

---

[1] अधिसूचना सं0 का0आ0 935(अ), तारीख 3 सितम्बर, 2002 द्वारा अंतःस्थापित ।

प्ररूप 2घ

(नियम 4 देखिए)

नामनिर्देशन-पत्र

विधान सभा के सदस्यों द्वारा ..... (राज्य) की विधान परिषद् के लिए निर्वाचन

[1][भाग 1]

हम एतद्द्वारा ऊपरिवर्णित निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी के रूप में निम्नलिखित को नामनिर्दिष्ट करते हैं ।

अभ्यर्थी का नाम ..... [2][पिता/माता/पति का नाम] .....

उसका डाक पता .....

.....

.....

उसका नाम .....विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली के भाग सं0.....में क्रम संख्या ..... पर प्रविष्ट है ।

हम घोषणा करते हैं कि हम .....विधान सभा के सदस्य हैं और हमारे नाम धारा 152 के अधीन रखी गई सूची में, जैसा कि नीचे उपदर्शित किया गया है, प्रविष्ट हैं और हम इस नामनिर्देशन के प्रतीक स्वरूप नीचे अपने हस्ताक्षर करते हैं :--

प्रस्थापकों की विशिष्टियां और उनके हस्ताक्षर

क्रम सं.	धारा 152 के अधीन रखी गई सूची में उपदर्शित क्रम संख्यांक	पूरा नाम	हस्ताक्षर	तारीख
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.*				

* प्रस्थापक विधान सभा के सदस्यों में से दस प्रतिशत या संबंधित दस सदस्य, जो भी कम हों, होने चाहिएं ।

मैं, ऊपरिवर्णित अभ्यर्थी, इस नामनिर्देशन के लिए अपनी अनुमति देता/देती हूं और एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूं कि--

(क) मैंने ..... वर्ष की आयु पूरी कर ली है ।

(ख) मैं इस निर्वाचन में ..... पार्टी द्वारा खड़ा किया गया हूं/खड़ी की गई हूं ।

(ग) मेरा नाम और मेरे [2][पिता/माता/पति का नाम] ऊपर ..... (भाषा का नाम) में सही रूप से लिखा गया है ; और

(घ) अपनी पूर्ण जानकारी और विश्वास के अनुसार मैं .....(राज्य) की विधान परिषद् में रिक्त स्थान को भरने के लिए विधान सभा के सदस्यों द्वारा, चुने जाने हेतु अर्हित हूं और निरर्हित नहीं हूं ।

तारीख .....

(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

[1] अधिसूचना सं0 का0आ0 935(अ), तारीख 3 सितम्बर, 2002 द्वारा अंतःस्थापित ।

[2] अधिसूचना सं0 का0 आ0 124(अ) , तारीख 24 फरवरी, 1993 द्वारा कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[1]**[भाग 2**

(अभ्यर्थी द्वारा भरा जाए)

क्या अभ्यर्थी को--

(i) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की--

(क) उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध (अपराधों) के लिए ; या

(ख) उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट किसी विधि के उल्लंघन के लिए,

सिद्धदोष ठहराया गया है ; या

हां/ नहीं

(ii) ऐसे किसी अन्य अपराध (अपराधों) के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, जिसके (जिनके) लिए उसे दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडित किया गया है ।

यदि उत्तर "हां" में है, अभ्यर्थी निम्नलिखित जानकारी देगा :

(i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्यांक.....

(ii) पुलिस थाना (थाने).....जिला(जिले).....राज्य.....

(iii) संबद्ध अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण, जिसके (जिनके) लिए उसे सिद्धदोष ठहराया गया था.....

(iv) दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) की तारीख(तारीखें).....

(v) वह (वे) न्यायालय जिसने (जिन्होंने) अभ्यर्थी को सिद्धदोष ठहराया .....

(vi) अधिरोपित दंड कारावास (कारावासों) की अवधि और/या (जुर्माने की राशि उपदर्शित करें).....

(vii) कारागार से निर्मुक्ति की तारीख (तारीखें).....

(viii) क्या उपरोक्त दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) के विरुद्ध कोई अपील (अपीलें)/पुनरीक्षण फाइल किए गए थे **: हां/नहीं**

(ix) फाइल की गई अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) की विशिष्टियां.....

(x) उस न्यायालय (उन न्यायालयों) का (के) नाम, जिसके (जिनके) समक्ष अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन फाइल किए गए थे.....

(xi) क्या उक्त अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है या वह/वे लंबित हैं.....

(xii) यदि उक्त अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है, तो--

(क) निपटारे की तारीख(तारीखें).....

(ख) पारित आदेश (आदेशों की प्रकृति).....

स्थान :

(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)]

तारीख :

[1] अधिसूचना सं0 का0आ0 935(अ), तारीख 3 सितम्बर, 2002 द्वारा अंतःस्थापित ।

[1][भाग 3]

(रिटर्निंग आफिसर द्वारा भरा जाए)

नामनिर्देशन-पत्र का क्रम सं0..... .....

यह नामनिर्देशन मुझे मेरे कार्यालय में.....(तारीख) को.....(बजे) अभ्यर्थी/प्रस्थापक.....(नाम) द्वारा परिदत्त किया गया ।

तारीख ..... **(रिटर्निंग आफिसर)**

[1][भाग 4]

नामनिर्देशन-पत्र को प्रतिगृहीत या प्रतिक्षेपित करने वाले रिटर्निंग आफिसर का विनिश्चय

मैंने इस नामनिर्देशन-पत्र को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 36 के अनुसार परीक्षित कर लिया है और मैं निम्नलिखित रूप में विनिश्चय करता हूं---

तारीख ..... **(रिटर्निंग आफिसर)**

(छिद्रण).....

---

[1][भाग 5]

नामनिर्देशन-पत्र को प्रतिगृहीत या प्रतिक्षेपित करने वाले रिटर्निंग आफिसर का विनिश्चय

(नामनिर्देशन-पत्र के लिए रसीद और संवीक्षा की सूचना)

नामनिर्देशन-पत्र का क्रम सं0.....

.....का, जो .....(राज्य) की विधान परिषद् के लिए विधान सभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी है, नामनिर्देशन पत्र मुझे मेरे कार्यालय में.....(तारीख) को .....(बजे) .....अभ्यर्थी/प्रस्थापक ..... (नाम) द्वारा परिदत्त किया गया है । सभी नामनिर्देशन-पत्रों की संवीक्षा ..... (तारीख) को .....(बजे) ..... (स्थान) में की जाएगी ।

तारीख ..... **(रिटर्निंग आफिसर)**

टिप्पण :-- जहां अनुकल्प दिया गया है वहां लागू न होने वाले शब्द काट दीजिए ।

[1] अधिसूचना सं0 का0आ0 935(अ), तारीख 3 सितम्बर, 2002 द्वारा अंतःस्थापित ।

[1][प्ररूप 2ङ

(नियम 4 देखिए)

नामनिर्देशन-पत्र

परिषद् निर्वाचन-क्षेत्र से .....(राज्य) की विधान परिषद् के लिए निर्वाचन

[2][भाग 1]

हम .....(राज्य) की विधान परिषद् के निर्वाचन के लिए .....निर्वाचन-क्षेत्र से अभ्यर्थी के रूप में निम्नलिखित को नामनिर्देशित करते हैं :–

अभ्यर्थी का नाम .....(पिता/माता/पति का नाम)..... उसका डाक पता .....उसका नाम .....विधान सभा/निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली के भाग सं0 .....में क्रम सं0 .....पर प्रविष्ट है ।

हम घोषणा करते हैं कि हम मतदाता हैं और हमारे नाम .....परिषद् निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में, जैसा कि नीचे उपदर्शित किया गया है, प्रविष्ट हैं और इस नामनिर्देशन के प्रतीक स्वरूप हम नीचे अपने हस्ताक्षर करते हैं :

प्रस्थापकों की विशिष्टियां और उनके हस्ताक्षर

क्रम सं0	प्रस्थापक की निर्वाचक नामावली सं0		पूरा नाम	हस्ताक्षर	तारीख
	निर्वाचक नामावली की भाग सं0	उस भाग में क्रम सं0			
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
*10.					

* प्रस्थापक निर्वाचन-क्षेत्र के दस प्रतिशत मतदाता या दस ऐसे मतदाता, जो भी कम हों, होने चाहिए ।

मैं, ऊपरिवर्णित अभ्यर्थी इस नामनिर्देशन के लिए अपनी अनुमति देता/देती हूं और घोषणा करता/करती हूं कि :–

(क) मैंने .....वर्ष की आयु पूरी कर ली है ;

(ख) मैं इस निर्वाचन में .....दल द्वारा खड़ा किया गया हूं/खड़ी की गई हूं ;

(ग) मेरा नाम और मेरे पिता/माता/पति का नाम ऊपर .....(भाषा का नाम) में सही रूप से लिखा गया है ; और

(घ) अपनी पूर्ण जानकारी और विश्वास के अनुसार मैं ..... परिषद् निर्वाचन-क्षेत्र से ..... (राज्य) की विधान परिषद् के रिक्त स्थान को भरने के लिए चुने जाने हेतु अर्हित हूं और निरर्हित नहीं हूं ।

मैं यह भी घोषणा करता हूं कि इसके साथ-साथ होने वाले विधान परिषद् के विद्यमान द्विवार्षिक निर्वाचन/उप निर्वाचनों में दो स्थानों के लिए किसी अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्दिष्ट नहीं किया गया हूं और न ही किया जाऊंगा ।

तारीख..... (अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

*** जो लागू न हो, उसे काट दें ।**

[1] अधिसूचना सं0 का0 आ0 558(अ) , तारीख 9 अगस्त, 1996 द्वारा प्ररूप 2ङ के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] अधिसूचना सं0 का0 आ0 935(अ), तारीख 3 सितम्बर, 2002 द्वारा अंतःस्थापित ।

[1][भाग 2

(अभ्यर्थी द्वारा भरा जाए)

क्या अभ्यर्थी को--

(i) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की-- (क) उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध (अपराधों) के लिए ; या (ख) उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट किसी विधि के उल्लंघन के लिए, सिद्धदोष ठहराया गया है ; या	हां/ नहीं

(ii) ऐसे किसी अन्य अपराध (अपराधों) के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, जिसके (जिनके) लिए उसे दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडित किया गया है

यदि उत्तर "हां" में है, तो अभ्यर्थी निम्नलिखित जानकारी देगा :

(i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्यांक.....

(ii) पुलिस थाना (थाने).....जिला(जिले).....राज्य.....

(iii) संबद्ध अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण, जिसके (जिनके) लिए उसे सिद्धदोष ठहराया गया था.....

(iv) दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) की तारीख/(तारीखें).....

(v) वह (वे) न्यायालय जिसने (जिन्होंने) अभ्यर्थी को सिद्धदोष ठहराया था.....

(vi) अधिरोपित दंड कारावास (कारावासों) की अवधि और/या (जुर्माने) की राशि उपदर्शित करें .....

(vii) कारागार से निर्मुक्ति की तारीख (तारीखें).....

(viii) क्या उपरोक्त दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) के विरुद्ध कोई अपील (अपीलें)/पुनरीक्षण फाइल किए गए थे : **हां/नहीं**

(ix) फाइल की गई अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) की विशिष्टियां.....

(x) उस न्यायालय (उन न्यायालयों) का (के) नाम, जिसके (जिनके) समक्ष अपील (अपीलें)/पुनरीक्षण आवेदन फाइल किए गए थे.....

(xi) क्या उक्त अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है या वह/वे लंबित हैं.....

(xii) यदि उक्त अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है, तो--

(क) निपटारे की तारीख(तारीखें).....

(ख) पारित आदेश (आदेशों की प्रकृति).....

स्थान :

(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)]

तारीख :

[1] अधिसूचना सं0 का0आ0 935(अ), तारीख 3 सितम्बर, 2002 द्वारा अंतःस्थापित ।

[1][भाग 3

(रिटर्निंग आफिसर द्वारा भरा जाए)

नामनिर्देशन पत्र की क्रम सं0 .....

यह नामनिर्देशन मुझे/मेरे कार्यालय में ..... (तारीख) को ..... (बजे) अभ्यर्थी/प्रस्थापक ..... (नाम) द्वारा परिदत्त किया गया ।

तारीख ..... (रिटर्निंग आफिसर)

---

[1][भाग 4]

नामनिर्देशन-पत्र को प्रतिगृहीत या रद्द करने वाले रिटर्निंग आफिसर का विनिश्चय

मैंने इस नामनिर्देशन-पत्र को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 36 के अनुसार परीक्षित कर लिया है और मैं निम्नलिखित रूप में विनिश्चय करता हूं :---

तारीख ..... (रिटर्निंग आफिसर)

---

[1][भाग 5]

नामनिर्देशन-पत्र के लिए रसीद और संवीक्षा की सूचना

(नामनिर्देशन-पत्र प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को देने के लिए)

नामनिर्देशन पत्र का क्रम संख्यांक ..... को, जो ..... राज्य की विधान सभा के लिए निर्वाचन हेतु ..... स्नातकों/अध्यापकों/स्थानीय प्राधिकरणों के निर्वाचन-क्षेत्र से अभ्यर्थी है, नामनिर्देशन-पत्र मुझे/मेरे कार्यालय में .....(तारीख) को ..... (बजे) अभ्यर्थी/प्रस्थापक .... (नाम) द्वारा परिदत्त किया गया है । सभी नामनिर्देशन-पत्रों की संवीक्षा ..... (तारीख) को ..... (बजे) ..... (स्थान) में की जाएगी ।

तारीख ..... रिटर्निंग आफिसर]

टिप्पण :-- जहां अनुकल्प दिया गया है, वहां लागू न होने वाले शब्द काट दीजिए ।

[1] अधिसूचना सं0 का0आ0 935(अ), तारीख 3 सितम्बर, 2002 द्वारा अंतःस्थापित ।

[1][प्ररूप 3क

(नियम 7 देखिए)

नामनिर्देशन की सूचना

.....निर्वाचन-क्षेत्र से *लोक सभा/विधान सभा के लिए निर्वाचन

यह सूचना दी जाती है कि ऊपरिवर्णित निर्वाचन की बाबत निम्नलिखित नामनिर्देशन आज 3 बजे सायं तक प्राप्त हुए हैं ।

नामनिर्देशन-पत्र का क्रम संख्यांक	अभ्यर्थी का नाम	*पिता/माता/पति का नाम	अभ्यर्थी की आयु	पता
1	2	3	4	5

दल सहबद्धता	अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए जाति या जनजाति की विशिष्टियां	अभ्यर्थी का निर्वाचक नामावली सं0	प्रस्थापक का नाम	प्रस्थापक का निर्वाचक नामावली संख्यांक
6	7	8	9	10

स्थान.....
तारीख ..... रिटर्निंग आफिसर]

* अनुपयुक्त अनुकल्प को काट दीजिए ।

[1] अधिसूचना सं0 का0आ0 558(अ), तारीख 9-8-1996 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[1][प्ररूप 3ख

(नियम 7 देखिए)

नामनिर्देशन की सूचना

..... की विधान सभा/..... के निर्वाचकगण के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा/विधान परिषद् के लिए निर्वाचन

एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि ऊपरिवर्णित निर्वाचन की बाबत निम्नलिखित नामनिर्देशन आज 3 बजे अपराह्न तक प्राप्त हुए हैं --

नामनिर्देशन-पत्र का क्रम संख्यांक	अभ्यर्थी का नाम	[2][पिता/माता/पति]का नाम	अभ्यर्थी की आयु	पता	किस पार्टी से संबंधित हैं
1	2	3	4	5	6

अभ्यर्थी का नामावली संख्यांक	निर्वाचक प्रस्थापकों का नाम	धारा 152 के अधीन रखी जाने वाली सूची में प्रस्थापकों के क्रम संख्यांक
7	8	9

तारीख .....
स्थान .....

रिटर्निंग आफिसर

टिप्पण : --जहां अनुकल्प दिया गया है वहां लागू न होने वाले शब्द काट दीजिए ।

[1] अधिसूचना सं0 का0 आ0 364 (अ), तारीख 18 मई, 1989 द्वारा प्ररूप 3ख और 3ग के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] अधिसूचना सं0 का0 आ0 124 (अ), तारीख 24 फरवरी, 1993 द्वारा कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

प्ररूप 3ग

(नियम 7 देखिए)

नामनिर्देशन की सूचना

..... निर्वाचन-क्षेत्र से ..... राज्य को विधान परिषद् के लिए निर्वाचन

एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि ऊपरिवर्णित निर्वाचन की बाबत निम्नलिखित नामनिर्देशन आज 3 बजे अपराह्न तक प्राप्त हुए हैं--

नामनिर्देशन-पत्र का क्रम संख्यांक	अभ्यर्थी का नाम	[1][पिता/माता/पति] का नाम	अभ्यर्थी की आयु	पता	किस पार्टी से संबंधित हैं
1	2	3	4	5	6

विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र में अभ्यर्थी की निर्वाचक नामावली संख्यांक	प्रस्थापकों के नाम	परिषद् निर्वाचन-क्षेत्रों में प्रस्थापकों के निर्वाचक नामावली संख्यांक
7	8	9

तारीख .....

स्थान ..... रिटर्निंग आफिसर]

टिप्पण :-- जहां अनुकल्प दिया गया है वहां लागू न होने वाले शब्द काट दीजिए ।

[1] अधिसूचना सं0 का0आ0 124(अ), तारीख 24 फरवरी, 1993 द्वारा कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[1][प्ररूप 4

(नियम 8 देखिए)

विधिमान्यतः नामनिर्देशित अभ्यर्थियों की सूची

..... *के लिए निर्वाचन

क्रम सं0	अभ्यर्थी का नाम	** पिता/माता/पति का नाम	अभ्यर्थी का पता	दल सहबद्धता[@]
1	2	3	4	5

(i) मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय और राज्य राजनैतिक दलों के अभ्यर्थी
(ii) रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक दलों के अभ्यर्थी (मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय और राज्य राजनैतिक दलों से भिन्न)
(iii) अन्य अभ्यर्थी

स्थान .....
तारीख .....

रिटर्निंग आफिसर]

* निर्वाचन संबंधी समुचित विशिष्टियां यहां लिखिए ।
** जो अनुकल्प समुचित न हो उसे काट दें ।
[@] उपरोक्त प्रवर्ग (i) और प्रवर्ग (ii) के अधीन उल्लिखित अभ्यर्थियों की दशा में लागू ।
कृपया ध्यान दें :-- उपरोक्त स्तंभ 1 के अधीन सभी तीन प्रवर्गों के अभ्यर्थियों की क्रम संख्या क्रमवार होगी न कि प्रत्येक प्रवर्ग के लिए पृथक्तया ।

[1] अधिसूचना सं0 का0आ0 558(अ) , तारीख 9 अगस्त, 1996 द्वारा प्ररूप 4 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

प्ररूप 5

[नियम 9 (1) देखिए]

अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना

.....*के लिए निर्वाचन

प्रेषिती--

रिटर्निंग आफिसर,

मैं, ...जो ऊपरिवर्णित निर्वाचन में [1][विधिमान्यतः नामनिर्दिष्ट अभ्यर्थी] हूं, एतद्द्वारा सूचना देता हूं कि मैं अपनी अभ्यर्थिता वापस लेता हूं ।

स्थान .....

तारीख .....

[1][विधिमान्यतः नामनिर्दिष्ट अभ्यर्थी]के हस्ताक्षर

यह सूचना .....(नाम) द्वारा, जो .....है, ...(तारीख) को ..... (बजे) मुझे/मेरे कार्यालय में परिदत्त की गई ।

तारीख.....

रिटर्निंग आफिसर

अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना के लिए रसीद
(सूचना परिदत्त करने वाले व्यक्ति को दी जाने के लिए)

.....की, जो कि ..... *के लिए निर्वाचन में [1][विधिमान्यतः नामनिर्दिष्ट अभ्यर्थी] है, अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना ..... †द्वारा ..... (तारीख) को .....(बजे) मुझे/मेरे कार्यालय में परिदत्त की गई ।

रिटर्निंग आफिसर

---

* यहां निम्नलिखित अनुकल्पों में से एक, जो समुचित हो, लिखिए ---

(1) .....निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा ।

(2) .....निर्वाचन-क्षेत्र से विधान सभा ।

(3) ..... (राज्य) की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा ।

(4) .....(संघ राज्यक्षेत्र) के निर्वाचकगण के सदस्यों द्वारा राज्य सभा ।

(5) विधान सभा के सदस्यों द्वारा विधान परिषद् ।

(6) .....निर्वाचन-क्षेत्र से विधान परिषद् ।

†यहां निम्नलिखित अनुकल्पों में से एक, जो समुचित हो, लिखिए --

(1) अभ्यर्थी ।

(2) अभ्यर्थी का प्रस्थापक जिसे अभ्यर्थी ने इसे परिदत्त करने के लिए लिखित रूप में प्राधिकृत किया है ।

(3) अभ्यर्थी का निर्वाचन अभिकर्ता जिसे अभ्यर्थी ने इसे परिदत्त करने के लिए लिखित रूप में प्राधिकृत किया है ।

---

[1] अधिसूचना सं0 का0आ0 565 (अ) , तारीख 4 अगस्त, 1984 द्वारा प्रतिस्थापित ।

प्ररूप 6

[नियम 9 (2) देखिए]

अभ्यर्थिताएं वापस लिए जाने की सूचना

.....के लिए निर्वाचन*

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि ऊपरिवर्णित निर्वाचन में निम्नलिखित [1][विधिमान्यतः नामनिर्दिष्ट [B]अभ्यर्थी]/अभ्यर्थियों में [B]अपनी अभ्यर्थिता/अभ्यर्थिताएं आज वापस ले ली है/हैं ।

[1][विधिमान्यतः नामनिर्दिष्ट अभ्यर्थी] का नाम	[1][विधिमान्यतः नामनिर्दिष्ट अभ्यर्थी] का पता	टिप्पणियां
1.		
2.		
3.		
आदि		

तारीख ..... रिटर्निंग आफिसर

* निर्वाचन संबंधी समुचित विशिष्टियां यहां लिखिए ।

[B]जो अनुकल्प समुचित न हो, उसे काट दीजिए ।

[1] अधिसूचना सं0 का0 आ0 565(अ) , तारीख 4 अगस्त, 1984 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[1][प्ररूप 7क

[नियम 10 (1) देखिए]

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची

.....निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा/विधान सभा के लिए निर्वाचन

क्रम सं0	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी का पता	दल सहबद्धता*	आबंटित प्रतीक
1	2	3	4	5

(i) मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय और राज्य राजनैतिक दलों के अभ्यर्थी

(ii) रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक दलों के अभ्यर्थी (मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय और राज्य राजनैतिक दलों से भिन्न)

(iii) अन्य अभ्यर्थी

स्थान .....
तारीख.....

रिटर्निंग आफिसर]

*उपरोक्त प्रवर्ग (i) और प्रवर्ग (ii) के अधीन उल्लिखित अभ्यर्थियों की दशा में लागू ।

कृपया ध्यान दें :--उपरोक्त स्तंभ 1 के अधीन सभी तीन प्रवर्गों के अभ्यर्थियों की क्रम संख्या क्रमवार होगी न कि प्रत्येक प्रवर्ग के लिए पृथक्तया ।

[1] अधिसूचना सं0 का0आ0 558 (अ) , तारीख 9 अगस्त, 1996 द्वारा प्ररूप 7क के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[1][प्ररूप 7ख

[नियम 10 (1) देखिए]

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची

..... ***के लिए निर्वाचन**

क्रम सं0	*अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी का पता	**दल सहबद्धता
1	2	3	4

(i) मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय और राज्य राजनैतिक दलों के अभ्यर्थी
(ii) रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक दलों के अभ्यर्थी (मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय और राज्य राजनैतिक दलों से भिन्न)
(iii) अन्य अभ्यर्थी

स्थान .....
तारीख..... रिटर्निंग आफिसर

*यहां निम्नलिखित अनुकल्पों में से एक जो समुचित हो, लिखिए :---

(1).....(राज्य) की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा

(2).....(संघ राज्यक्षेत्र) के निर्वाचकगण के सदस्यों द्वारा राज्य सभा

(3).....राज्य के विधान सभा के सदस्यों द्वारा विधान परिषद् ।

(4).....निर्वाचन-क्षेत्र से.....राज्य की विधान परिषद् ।

**उपरोक्त प्रवर्ग (i) और प्रवर्ग (ii) के अधीन उल्लिखित अभ्यर्थियों की दशा में लागू ।

कृपया ध्यान दें :--उपरोक्त स्तंभ 1 के अधीन सभी तीन प्रवर्गों के अभ्यर्थियों की संख्या क्रमवार होगी न कि प्रत्येक प्रवर्ग के लिए पृथक्तया।

[1] अधिसूचना सं0 का0 आ0 558(अ), तारीख 9 अगस्त, 1996 द्वारा प्ररूप 7ख के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

प्ररूप 8

[नियम 12(1) देखिए]

निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति

.....* के लिए निर्वाचन

प्रेषिती

रिटर्निंग आफिसर,

मैं.....जो..... का हूं और ऊपरिवर्णित निर्वाचन में अभ्यर्थी हूं, एतद्द्वारा .....कल .....को ऊपरिवर्णित निर्वाचन में आज से अपना निर्वाचन अभिकर्ता नियुक्त करता हूं ।

स्थान .....
तारीख ..... अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

मैं ऊपरिवर्णित नियुक्ति को प्रतिगृहीत करता हूं ।

निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर

स्थान.....
तारीख .....

रिटर्निंग आफिसर के हस्ताक्षर और मुद्रा]

[1][अनुमोदित

---

*यहां निम्नलिखित अनुकल्पों में से एक, जो समुचित हो, लिखिए :-

(1) .....निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा ।
(2) ....निर्वाचन-क्षेत्र से विधान सभा ।
(3) .....(राज्य) की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा ।
(4).....(संघ राज्यक्षेत्र) के निर्वाचकगण के सदस्यों द्वारा राज्य सभा ।
(5).....विधान सभा के सदस्यों द्वारा विधान परिषद् ।
(6)**...**.....निर्वाचन-क्षेत्र से विधान परिषद् ।

[1] अधिसूचना सं0 का0 आ0 565(अ) , तारीख 4 अगस्त, 1984 द्वारा अन्तःस्थापित ।

प्ररूप 9

[नियम 12(2) देखिए]

निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति का प्रतिसंहरण

.....* के लिए निर्वाचन

प्रेषिती--

रिटर्निंग आफिसर,

मैं.....जो ऊपरिवर्णित निर्वाचन में अभ्यर्थी हूं , एतद्द्वारा अपने निर्वाचन अभिकर्ता, ...की नियुक्ति प्रतिसंहरण करता हूं ।

स्थान .....

तारीख ..... अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

---

* यहां निम्नलिखित अनुकल्पों में से एक जो समुचित हो, लिखिए--

(1).....निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा ।

(2)..... ....निर्वाचन-क्षेत्र से विधान सभा ।

(3).....(राज्य) की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा ।

(4).....(संघ राज्यक्षेत्र) के निर्वाचकगण के सदस्यों द्वारा राज्य सभा ।

(5) विधान सभा के सदस्यों द्वारा विधान परिषद् ।

(6).....निर्वाचन-क्षेत्र से विधान परिषद् ।

प्ररूप 10

[नियम 13(2) देखिए]

*मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति

..... के लिए निर्वाचन**

मैं,.....जो ऊपरिवर्णित निर्वाचन में †अभ्यर्थी हूं/ .....का, जो ऊपरिवर्णित निर्वाचन में अभ्यर्थी है, निर्वाचन अभिकर्ता हूं, एतदद्वारा.....[1][.....(नाम और पता) को] .....में .....(संख्याक वाले †मतदान केन्द्र में/ मतदान के लिए नियत स्थान.....में हाजिर रहने के लिए मतदान अभिकर्ता के रूप में नियुक्त करता हूं ।

स्थान.....

तारीख..... †अभ्यर्थी/ निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर

मैं ऐसे मतदान अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए सहमत हूं ।

स्थान .....

तारीख..... मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर

पीठासीन आफिसर के समक्ष हस्ताक्षरित की जाने वाली मतदान अभिकर्ता की घोषणा

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि ऊपरिवर्णित निर्वाचन में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 128†† द्वारा, * जो मैंने पढ़ ली है/ जो मुझे पढ़ कर सुना दी गई है, निषिद्ध कोई बात न करूंगा ।

तारीख.....

मेरे समक्ष हस्ताक्षिरत की गई

मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर

तारीख .....

पीठासीन आफिसर

---

* मतदान केन्द्र में या मतदान के लिए नियत स्थान में पेश किए जाने के लिए मतदान अभिकर्ता को दे दिया जाए ।

**यहां निम्नलिखित अनुकल्पों में से एक, जो समुचित हो, लिखिए :--

(1).....निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा ।

(2)..... ....निर्वाचन-क्षेत्र से विधान सभा ।

(3).....(राज्य) की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा ।

(4).....(संघ राज्यक्षेत्र) के निर्वाचकगण के सदस्यों द्वारा राज्य सभा ।

(5) विधान सभा के सदस्यों द्वारा विधान परिषद् ।

(6).....निर्वाचन-क्षेत्र से विधान परिषद् ।

†जो अनुकल्प समुचित न हो उसे काट दीजिए ।

††लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 128 --

"128. मतदान की गोपनीयता को बनाए रखना--(1) ऐसा हर आफिसर, लिपिक, अभिकर्ता या अन्य व्यक्ति, जो निर्वाचन में मतों को अभिलिखित करने या उनकी गणना करने से संसक्त किसी कर्तव्य का पालन करता है, मतदान की गोपनीयता को बनाए रखेगा और बनाए रखने में सहायता करेगा और ऐसी गोपनीयता का अतिक्रमण करने के लिए प्रकल्पित कोई जानकारी किसी व्यक्ति को (किसी विधि के द्वारा या अधीन प्राधिकृत किसी प्रयोजन के लिए संसूचित करने के सिवाय) संसूचित न करेगा ।

(2) जो कोई व्यक्ति उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडनीय होगा ।" ।

---

[1] अधिसूचना सं0 का0 आ0 565(अ) , तारीख 4 अगस्त, 1984 द्वारा प्रतिस्थापित ।

प्ररूप 11

[नियम 14(1)देखिए]

मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति का प्रतिसंहरण

.....* के लिए निर्वाचन

प्रेषिती--

पीठासीन आफिसर,

मैं, ..., जो ऊपरिवर्णित निर्वाचन में अभ्यर्थी [.....का निर्वाचन अभिकर्ता] अपने/उसके मतदान अभिकर्ता .....की नियुक्ति एतद्द्वारा प्रतिसंहृत करता हूं ।

स्थान.....

तारीख ..... प्रतिसंहरण करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर

---

* यहां निम्नलिखित अनुकल्पों में से एक, जो समुचित हो, लिखिए :-

(1).....निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा ।

(2)..... ....निर्वाचन-क्षेत्र से विधान सभा ।

(3)..... (राज्य) की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा ।

(4).....(संघ राज्यक्षेत्र) के निर्वाचकगण के सदस्यों द्वारा राज्य सभा ।

(5) विधान सभा के सदस्यों द्वारा विधान परिषद् ।

(6).....निर्वाचन-क्षेत्र से विधान परिषद् ।

विशेष टिप्पण--[ ] से चिह्नित शब्द, यदि उन्हें छोड़ देना आवश्यक हो तो, छोड़ दीजिए ।

---

[1][प्ररूप 12

[नियम 19 और 20 देखिए]

रिटर्निंग आफिसर को प्रज्ञापना पत्र

प्रेषिती---

.....सभा/संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के लिए

रिटर्निंग आफिसर

महोदय,

विधान सभा

मैं.....विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र से ---------- के लिए होने वाले निर्वाचन में अपना मत डाक द्वारा

लोक सभा

देना चाहता हूं ।

मेरा नाम संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र ..... में समाविष्ट ..... विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामवली के भाग सं0 ..... में क्रम सं0..... पर प्रविष्ट है ।

मुझे मतपत्र निम्नलिखित पते पर भेजा जाए ---

.....

.....

.....

स्थान .....

तारीख .....

भवदीय,

.....]

[1] अधिसूचना सं0 का0 आ0 3662, तारीख 12 अक्तूबर, 1964 द्वारा प्ररूप 12 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[1][प्ररूप 12क

[नियम 20(2) देखिए]

निर्वाचन कर्तव्य प्रमाणपत्र के लिए आवेदन

प्रेषिती---

रिटर्निंग आफिसर,

---------- विधान सभा/संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र ।

महोदय,

विधान सभा

मैं.....विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र से ---------- के लिए होने वाले निर्वाचन में अपना मत स्वयं देना चाहता हूं ।

लोक सभा

मुझे निर्वाचन-क्षेत्र में.....(मतदान केन्द्र का सं0 और नाम) में निर्वाचन-कर्तव्य पर नियुक्त किया गया है किन्तु मेरा नाम.....संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में समाविष्ट.....विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली के भाग सं0.....में क्रम सं0.....पर प्रविष्ट है ।

मैं प्रार्थना करता हूं कि मुझे प्ररूप 12ख में एक निर्वाचन-कर्तव्य प्रमाणपत्र, उस मतदान केन्द्र से जहां मतदान के दिन मैं कर्तव्यारूढ़ रहूंगा, मत देने के लिए दिया जाए ।

यह प्रमाणपत्र मुझे निम्नलिखित पते पर भेजा जाए :--

.....

.....

.....

स्थान.....

तारीख.....

भवदीय,

.....]

प्ररूप 12ख

[नियम 20(2) और 35क देखिए]

निर्वाचन-कर्तव्य प्रमाणपत्र

विधान सभा

प्रमाणित किया जाता है कि.....----------.....

संसदीय

निर्वाचन-क्षेत्र में निर्वाचक है, उनका निर्वाचक नामावली संख्यांक ..... है, उसके निर्वाचन-कर्तव्यारूढ़ होने के कारण वह उस मतदान केन्द्र में, जहां वह मत देने का हकदार है, मत देने में असमर्थ है और इसलिए उसे [2][उक्त निर्वाचन-क्षेत्र में] किसी भी मतदान केन्द्र में, जहां मतदान के दिन वह कर्तव्यारूढ़ हो, मत देने के लिए एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है ।

स्थान..... हस्ताक्षर.....

तारीख.....

रिटर्निंग आफिसर

मुद्रा

---

[1] अधिसूचना सं0 का0 आ0 565(अ) , तारीख 4 अगस्त, 1984 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[2] अधिसूचना सं0 का0आ0 565(अ), तारीख 4 अगस्त, 1984 द्वारा अंतःस्थापित ।

[1][प्ररूप 12ग

(नियम 27ग देखिए)

भाग 1

अधिसूचित वर्ग के निर्वाचकों के लिए सहायक रिटर्निंग आफिसर को सूचना के बारे में पत्र ।

सेवा में,

सहायक रिटर्निंग आफिसर

(अधिसूचित वर्ग के निर्वाचकों के लिए)

----------संसदीय/विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र

(सहायक रिटर्निंग आफिसर का पदनाम और पता)

महोदय,

मैं ---------- पुत्र/पुत्री/पत्नी ---------- निवासी ग्राम/ मोहल्ला ---------- शहर/नगर/तहसील ---------- (राज्य) अधिसूचित वर्ग का निर्वाचक हूं और ---------- निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा/ विधान सभा के निर्वाचन में डाक द्वारा अपना मतदान करना चाहता हूं ।

मेरा डाक का पूरा वर्तमान पता निम्नलिखित है :---

गृह/ निवास गृह/ टेंट सं0 ----------

कैंप/ मोहल्ला/ ग्राम ----------

वार्ड/ नगर/ तहसील ----------

जिला ----------

राज्य ---------- पिन कोड ----------

मेरा नाम ---------- संसदीय/विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली के भाग संख्या----------के क्रम संख्या----------पर दर्ज है ।

*मैं ---------- सरकार के रजिस्ट्रेशन संख्या ---------- के अधीन स्वयं/ श्री/ श्रीमती ---------- के कुटुम्ब के प्रधान/सदस्य के रूप में ---------- के (अधिकारी पदाभिधान) यहां प्रवासी के रूप में रजिस्ट्रीकृत हूं ।

*मैं प्रवासी के रूप में रजिस्ट्रीकृत नहीं हूं ।

*मैं ---------- मेरे कुटुम्ब का प्रधान ---------- के कार्यालय में ------ (पूरा पता) सरकारी कर्मचारी (पदाभिधान) ----------के रूप में सेवारत हूं ।

मैं ---------- मेरे कुटुम्ब का प्रधान पेंशनभोगी हूं और लेखा सं0 ---------- के अधीन ---------- स्थित (पूरा पता) सरकारी खजाना/बैंक शाखा सं.------- से पेंशन प्राप्त कर रहा हूं ।

भवदीय

भाग 2

प्रवासी कैंप/कार्यालय/क्षेत्र के भारसाधक या उस कार्यालय के प्रधान द्वारा, जहां आवेदक प्रवासी कर्मचारी के रूप में कार्य कर रहा है या उस कोषाधिकारी/बैंक प्रबंधक द्वारा, जहां से प्रवासी पेंशन भोगी के रूप में अपनी पेंशन प्राप्त कर रहा है या किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र ।

यह प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक द्वारा भाग 1 में दी गई विशिष्टियां हमारे अभिलेख/मेरी सर्वोत्तम जानकारी और समझ के अनुसार सही हैं ।

सत्यापन अधिकारी के पूरे हस्ताक्षर

(नाम) ----------

(पता) ----------

(रबड़ की मुद्रा) ----------

*जो लागू न हो उसे काट दें तथा सुसंगत कथन पर चिह्न लगाएं ।

[1] अधिसूचना सं0 का0 आ0 628 (अ), तारीख 4 अगस्त, 1999 द्वारा प्रतिस्थापित ।

प्ररूप 13क

[नियम 23 (1) (क) देखिए]

निर्वाचक द्वारा घोषणा

..... * के लिए निर्वाचन

(यह तरफ तभी उपयोग में लाई जाए जब निर्वाचक स्वयं घोषणा को हस्ताक्षरित करे)

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि मैं वह निर्वाचक हूं जिसे ..... क्रम संख्यांक वाला डाक मतपत्र ऊपरिवर्णित निर्वाचन में जारी किया गया है ।

तारीख..... निर्वाचक के हस्ताक्षर

पता.....

हस्ताक्षर का अनुप्रमाणन

ऊपरिवर्णित पर ..... (निर्वाचक) ने, जिसे ** मैं स्वयं जानता हूं/या जिसे ..... (पहचानने वाले) ने, जिसे मैं स्वयं जानता हूं , मेरे समाधानप्रद रूप में पहचाना है, मेरी उपस्थिति में हस्ताक्षर किए हैं ।

यदि कोई पहचानने वाला है तो उसके हस्ताक्षर .....

पता..... अनुप्रमाणनकर्ता आफिसर के हस्ताक्षर

पदाभिधान.....

पता.....

तारीख.....

(यह तरफ तब उपयोग में लाई जाए जब निर्वाचक स्वयं हस्ताक्षर नहीं कर सकता)

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि मैं वह निर्वाचक हूं जिसे ..... क्रम संख्यांक वाला डाक मतपत्र ऊपरिवर्णित निर्वाचन में जारी किया गया है ।

तारीख.....

निर्वाचक की ओर से अनुप्रमाणकर्ता आफिसर के हस्ताक्षर

निर्वाचक का पता.....

प्रमाणपत्र

मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूं कि--

(1) उपरिनामांकित निर्वाचक को ** मैं स्वयं जानता हूं / ..... (पहचानने वाले) ने, जिसे मैं स्वयं जानता हूं , मेरे समाधानप्रद रूप में पहचाना है ।

(2) मेरा समाधान हो गया है कि निर्वाचक ** निरक्षर है ..... (अंग-शैथिल्य) से ग्रस्त है और अपना मत स्वयं अभिलिखित करने में या अपनी घोषणा हस्ताक्षरित करने में असमर्थ है ।

(3) उसने मुझसे प्रार्थना की थी कि उसकी ओर से मैं मतपत्र चिह्नित कर दूं और उपर्युक्त घोषणा पर हस्ताक्षर कर दूं , तथा

(4) मैंने उसकी उपस्थिति में और उसकी इच्छा के अनुसार उसकी ओर से मतपत्र चिह्नित किया है और घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं ।

यदि कोई पहचानने वाला है तो उसके हस्ताक्षर.....

पता..... अनुप्रमाणकर्ता आफिसर के हस्ताक्षर

पदाभिधान.....

पता.....

तारीख.....

---

*यहां निम्नलिखित अनुकल्पों में से एक, जो समुचित हो, लिखिए :- --

(1) .....निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा ।

(2) .....निर्वाचन-क्षेत्र से विधान सभा ।

(3) .....(राज्य) की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा ।

(4) .....(संघ राज्यक्षेत्र) के निर्वाचकगण के सदस्यों द्वारा राज्य सभा ।

(5) विधान सभा के सदस्यों द्वारा विधान परिषद् ।

(6) ..... निर्वाचन-क्षेत्र से विधान परिषद् ।

** जो अनुकल्प लागू न हो, उसे काट दीजिए ।

प्ररूप 13ख

[नियम 23 (1) (ख) देखिए]

[1][लिफाफा क]

लिफाफा 'क' **गणना से पूर्व न खोला जाए**

..... * के लिए

निर्वाचन

डाक मतपत्र

मतपत्र का क्रम संख्यांक.....

* निर्वाचन की समुचित विशिष्टियां यहां लिखिए ।

प्ररूप 13ग

[नियम 23 (1) (ख) देखिए]

[1][लिफाफा ख]

(लोक सभा या राज्य की विधान सभा के निर्वाचन में उपयोग में लाया जाए)

लिफाफा 'ख' ["हर आफिसर, जिसकी देखरेख में या जिसके द्वारा डाक मतपत्र भेजा जाता है, यह सुनिश्चित करेगा कि वह पत्र सम्बोधित व्यक्ति को अविलम्ब परिदत्त कर दिया जाए----निर्वाचनों का संचालन नियम,1961 का नियम 22(4)"] [2][*** सरकारी बिना टिकट]

निर्वाचन-अविलम्ब

डाक मतपत्र

..... * निर्वाचन-क्षेत्र के लिए

गणना से पूर्व न खोला जाए

प्रेषित--
रिटर्निंग आफिसर
** भेजने वाले के हस्ताक्षर

*रिटर्निंग आफिसर यहां पर समुचित संसदीय/विधानसभा निर्वाचन-क्षेत्र का नाम लिखें ।
** रिटर्निंग आफिसर यहां पर अपना डाक पता लिखे ।
[2][*** ऐसे निर्वाचक की दशा में, जो भारत से बाहर किसी पद पर भारत सरकार के अधीन नियोजित है, काट दीजिए ।]

---

[1] अधिसूचना सं0 का0 आ0 565(अ) ,तारीख 4 अगस्त,1984 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[2] अधिसूचना सं0 का0 आ0 2362 ,तारीख 3 जुलाई, 1970 द्वारा प्रतिस्थापित ।

प्ररूप 13ग

[नियम 23 (1) (ग) देखिए]

[1][लिफाफा ख]

(राज्य सभा के लिए या राज्य की विधान परिषद् के लिए निर्वाचन में उपयोग में लाया जाए)

गणना से पूर्व न खोला जाए

लिफाफा ख

निर्वाचन अविलम्ब *---------------------------------

डाक मतपत्र

रिटर्निंग आफिसर --

**------------------------------

----

*यहां पर राज्य सभा या विधान परिषद् या समुचित निर्वाचकगण का नाम लिखिए ।

** यहां पर रिटर्निंग आफिसर का पूरा पता लिखा जाए ।

[1] अधिसूचना सं0 का0 आ0 565(अ) ,तारीख 4 अगस्त,1984 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[1][प्ररूप 13घ

[नियम 23 (1) (घ) देखिए]

निर्वाचकों के मार्गदर्शन के लिए अनुदेश

(लोक सभा या राज्य की विधान सभा के लिए निर्वाचन में उपयोग में लाया जाए)

.....से .....के लिए निर्वाचन*

इसके साथ भेजे गए मतपत्र पर जिन व्यक्तियों के नाम मुद्रित हैं वे ऊपरिवर्णित निर्वाचन में अभ्यर्थी हैं । आप जिस अभ्यर्थी को अपना मत देना चाहते हैं उसके नाम के सामने स्पष्ट रूप से चिह्न लगाकर अपना मत अभिलिखित करें । चिह्न इस प्रकार लगाएं जिससे स्पष्टतः और किसी शंका के बिना यह उपदर्शित हो जाए कि किस अभ्यर्थी को आपने अपना मत दिया है । यदि चिह्न इस प्रकार लगाया गया है जिससे यह शंका हो गई है कि किस अभ्यर्थी को आपने अपना मत दिया है तो आपका मत अविधिमान्य हो जाएगा ।

निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की संख्या एक है । कृपया यह भी याद रखें कि आपका केवल एक मत है । तदनुसार आपको एक से अधिक अभ्यर्थी के लिए मत नहीं देना चाहिए । यदि आप ऐसा करेंगे तो आपका मतपत्र प्रतिक्षेपित कर दिया जाएगा ।

उस चिह्न के सिवाय, जिसे मतपत्र पर आपसे अपना मत अभिलिखित करने की अपेक्षा की गई है, उस पर आप न तो हस्ताक्षर करें, न कोई शब्द लिखें, न कोई चिह्न या संकेत लगाएं और न कोई बात लिखें ।

मतपत्र पर अपना मत अभिलिखित करने के पश्चात् मतपत्र को आप इसके साथ भेजे गए "क" चिह्नित छोटे लिफाफे में रखें । लिफाफे को बंद कर दें और उसे मुद्रा लगाकर या अन्यथा सुनिश्चित रूप से बंद कर दें ।

(1) तब आप प्ररूप 13क में की घोषणा भी, जो इसके साथ भेजी जा रही है, किसी सांबलिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में हस्ताक्षरित करें और अपने हस्ताक्षर का अनुप्रमाणन ऐसे सांबलिक मजिस्ट्रेट से कराएं ।

(2) यदि आप संघ के सशस्त्र बलों के सदस्य हैं या राज्य के सशस्त्र पुलिस बल के सदस्य हैं किन्तु उस राज्य के बाहर सेवा कर रहे हैं तो अनुप्रमाणन उस आफिसर से कराएं जिसे उस यूनिट, पोत या स्थापन का कमान आफिसर इस निमित्त नियुक्त करे, जिसमें यथास्थिति, आप या आपका पति नियोजित है ।

(3) यदि आप भारत सरकार के अधीन भारत के बाहर किसी पद पर नियोजित हैं तो ऐसे आफिसर से कराएं जिसे उस देश में, जिसमें आप निवासी हैं, भारत का राजनयिक या कौंसलीय प्रतिनिधि इस निमित्त नियुक्त करे ।

(4) यदि आप निम्नलिखित कोई पद धारण करते हैं, अर्थात्--(i) राष्ट्रपति, (ii) उपराष्ट्रपति, (iii) राज्यों के राज्यपाल, (iv) संघ या किसी राज्य के मंत्रिमंडल के मंत्री, (v) योजना आयोग के उपाध्यक्ष और सदस्य, (vi) संघ या किसी राज्य के राज्य मंत्री, (vii) संघ या किसी राज्य के उप मंत्री (viii) लोक सभा या किसी राज्य की विधान सभा का अध्यक्ष (ix) किसी राज्य विधान परिषद् का सभापति, (x) संघ राज्यक्षेत्र के उपराज्यपाल, (xi) लोक सभा या किसी राज्य की विधान सभा का उपाध्यक्ष, (xii) राज्य सभा या किसी राज्य विधान परिषद् का उपसभापति, (xiii) संघ या किसी राज्य के संसदीय सचिव, तो अनुप्रमाणन ऐसे आफिसर से कराएं जो, यथास्थिति, संघ या राज्य की सरकार के उप सचिव की पंक्ति से नीचे की पंक्ति का नहीं है ।

(5) यदि आप निर्वाचन कर्त्तव्यारूढ़ हैं तो अनुप्रमाणन किसी राजपत्रित आफिसर से या उस मतदान केन्द्र के पीठासीन आफिसर से कराएं, जिसमें आप निर्वाचन-कर्तव्यारूढ़ हैं ।

(6) यदि आप निवारक निरोध के अधीन हैं तो अनुप्रमाणन उस जिले के अधीक्षक से या उस निरोध शिविर के समादेशक से कराएं जिसमें आप निरोधाधीन हैं ।

उपरोक्त सभी मामलों में आप घोषणा को प्राधिकृत आफिसर के पास ले जाएं और आपकी अनन्यता के बारे में जब उसका समाधान हो जाए तब उसकी उपस्थिति में उसे हस्ताक्षरित करें । आफिसर आपके हस्ताक्षर को अनुप्रमाणित करेगा और घोषणा आपको लौटा देगा । आपको अपना मतपत्र अनुप्रमाणनकर्ता आफिसर को नहीं दिखाना चाहिए और न उसे यह बताना चाहिए कि आपने किसके पक्ष में मत दिया है ।

यदि आप निरक्षरता, अन्धेपन या अन्य अंग शैथिल्य के कारण उस रीति से, जो ऊपर उपदर्शित है, स्वयं मतपत्र चिह्नित करने और उपनी घोषणा हस्ताक्षरित करने में असमर्थ हैं तो आप उपरिलिखित किसी प्राधिकृत आफिसर द्वारा, अपनी ओर से अपना मत चिह्नित कराने और अपनी घोषणा हस्ताक्षरित कराने के लिए हकदार हैं । ऐसा आफिसर आपकी प्रार्थना पर आपकी उपस्थिति में, और आपकी इच्छा के अनुसार मतपत्र चिह्नित करेगा । वह इस निमित्त आवश्यक प्रमाणपत्र भी भर कर पूरा कर देगा ।

आपकी घोषणा हस्ताक्षरित किए जाने और आपके हस्ताक्षर अनुप्रमाणित किए जाने के पश्चात् आप प्ररूप 13क वाली घोषणा और साथ ही मतपत्र अन्तर्विष्ट करने वाला "क" चिह्नित छोटा लिफाफा, "ख" चिह्नित बड़े लिफाफे में रखें । बड़े लिफाफे को बंद करने के पश्चात् आप उसे रिटर्निंग आफिसर को डाक द्वारा या संदेशवाहक द्वारा भेज दें । आपको "ख" चिह्नित लिफाफे में उपबंधित स्थान पर पूरे हस्ताक्षर करने हैं ।

---

[1] अधिसूचना सं0 का0 आ0 961(अ), तारीख 29 दिसम्बर, 1986 द्वारा प्ररूप 13घ के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

* निर्वाचन की समुचित विशिष्टियां यहां अंतःस्थापित करें ।

यदि लिफाफा भारत में डाक से भेजा जाता है तो कोई भी डाक टिकट आपके द्वारा लगाया जाना आवश्यक नहीं है । किन्तु यदि आप ऐसे निर्वाचक हैं जो भारत के बाहर किसी पद पर भारत सरकार के अधीन नियोजित हैं तो उस दशा को छोड़कर, जिसमें यह लिफाफा राजनयिक डाक-थैले में भेजा जाता है, आपको चाहिए कि जिस कार्यालय में आप सेवा कर रहे हैं उसके द्वारा उस पर अपेक्षित डाक टिकट लगवाने के बाद उसे हवाई डाक से सीधे संबद्ध रिटर्निंग आफिसर को लौटा दें ।

आप यह अवश्य सुनिश्चित कर लें कि लिफाफा रिटर्निंग आफिसर के पास.....** को..... **बजे से पूर्व पहुंच जाए ।

कृपया यह भी ध्यान रखें कि---

(i) यदि आप अपनी घोषणा ऊपर उपदर्शित रीति से अनुप्रमाणित या प्रमाणित कराने में असफल रहते हैं तो आपका मतपत्र प्रतिक्षेपित कर दिया जाएगा, तथा

(ii) यदि लिफाफा रिटर्निंग आफिसर के पास..... **को..... **बजे के पश्चात् पहुंचेगा तो आपके मत की गणना नहीं की जाएगी

**(यहां मतगणना के प्रारंभ के लिए नियत समय और नियत तारीख विनिर्दिष्ट कीजिए) ।

प्ररूप 13घ

[नियम 23 (1) (घ) देखिए]

निर्वाचकों के मार्गदर्शन के लिए अनुदेश

(राज्य सभा के लिए या राज्य की विधान परिषद् के लिए निर्वाचन में उपयोग में लाया जाए)

राज्य सभा/.....विधान परिषद् के लिए निर्वाचन ।

इसके साथ भेजे गए मतपत्र पर जिन व्यक्तियों के नाम मुद्रित हैं ऊपर वर्णित निर्वाचन में अभ्यर्थी हैं । आप जिस अभ्यर्थी को मत देना चाहते हैं उसके नाम के सामने वाले स्थान में अंक 1 लगाकर अपना मत अभिलिखित करें *(यद्यपि एक से अधिक सदस्य निर्वाचित किए जाने हैं) अंक 1 केवल एक अभ्यर्थी के नाम के सामने लगाएं । अन्य अभ्यर्थियों के लिए अपने क्रमिक अधिमान का उपदर्शन आप उनके नाम के सामने वाले स्थान में ऐसे अधिमान के क्रमानुसार अंक 2, 3, 4 आदि लगाकर कर सकते हैं । किसी अभ्यर्थी के नाम के सामने एक से अधिक अंक न लगाएं और एक से अधिक अभ्यर्थियों के नाम के सामने वही अंक न लगाएं ।

निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की संख्या .....

मतपत्र पर अपना मत अभिलिखित करने के पश्चात् मतपत्र को इसके साथ भेजे गए "क" चिह्नित छोटे लिफाफे में रखें । लिफाफे को बंद कर दें और उसे मुद्रा लगाकर या अन्यथा मजबूती से बंद कर दें ।

अब आपको प्ररूप 13क में की घोषणा भी, जो इसके साथ भेजी जा रही है, ऐसे आफिसर की उपस्थिति में जो आपके हस्ताक्षर अनुप्रमाणित करने के लिए सक्षम है, हस्ताक्षरित करना है । यदि आप निवारक निरोध के अधीन हैं तो आप प्ररूप 13क में की घोषणा पर अपने हस्ताक्षर का अनुप्रमाणन उस जिले के अधीक्षक से या उस निरोध शिविर के समादेशक से कराएं जिसमें आप निरोधाधीन हैं । यदि आप निवारक निरोध के अधीन नहीं हैं तो अनुप्रमाणन ऐसे सांबलिक मजिस्ट्रेट से कराएं जो आपको स्वयं जानता है या जिसको समाधान करने वाले रूप में आपकी पहचान करा दी गई है या परिषद् निर्वाचन-क्षेत्र के लिए निर्वाचन की दशा में निम्नलिखित कोटियों के आफिसरों में से किसी से कराएं जो निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त अधिसूचित किए गए हैं, अर्थात् :--

.....

.....

घोषणा को किसी ऐसे आफिसर के पास ले जाइए और आपकी अनन्यता के बारे में जब उसने अपना समाधान कर लिया हो तब, उसकी उपस्थिति में उसे हस्ताक्षरित कीजिए । आफिसर आपके हस्ताक्षर को अनुप्रमाणित करेगा और घोषणा आपको लौटा देगा । आपको अपना मतपत्र अनुप्रमाणकर्ता आफिसर को नहीं दिखाना चाहिए न उसे यह बताना चाहिए कि आपने किसके पक्ष में मत दिया है ।

यदि आप निरक्षरता, अन्धेपन या अन्य अंग शैथिल्य के कारण उस रीति से, जो ऊपर उपदर्शित है, स्वयं मतपत्र चिह्नित करने और घोषणा हस्ताक्षरित करने में असमर्थ हैं तो आप किसी ऐसे आफिसर द्वारा जो आपके हस्ताक्षर अनुप्रमाणित करने के लिए सक्षम है, अपनी ओर से अपना मत चिह्नित कराने और अपनी घोषणा हस्ताक्षरित कराने के लिए हकदार हैं । ऐसा आफिसर आपकी प्रार्थना पर आपकी उपस्थिति में, और आपकी इच्छा के अनुसार मतपत्र चिह्नित करेगा । वह इस निमित्त आवश्यक प्रमाणपत्र भी भर कर पूरा कर देगा ।

आपकी घोषणा हस्ताक्षरित किए जाने और आपके हस्ताक्षर अनुप्रमाणित किए जाने के पश्चात् आप प्ररूप 13क वाली घोषणा और साथ ही मतपत्र अन्तर्विष्ट करने वाला "क" चिह्नित छोटा लिफाफा, "ख" चिह्नित बड़े लिफाफे में रखें। बड़े लिफाफे को बंद करने के पश्चात् आप उसे रिटर्निंग आफिसर को डाक द्वारा या संदेशवाहक द्वारा भेज दें ।

---

*जब केवल एक सदस्य निर्वाचित होना है तब इसे काट दीजिए ।

आप यह अवश्य सुनिश्चित कर लें कि लिफाफा रिटर्निंग आफिसर के पास ..... **को ..... **बजे अपराह्न से पूर्व पहुंच जाए ।

कृपया यह भी ध्यान रखें कि ---

(i) यदि आप अपनी घोषणा ऊपर उपदर्शित रीति से अनुप्रमाणित या प्रमाणित कराने में असफल रहते हैं तो आपका मतपत्र प्रतिक्षेपित कर दिया जाएगा, तथा

(ii) यदि लिफाफा रिटर्निंग आफिसर के पास..... **को..... **बजे अपराह्न के पश्चात् पहुंचेगा तो आपके मत की गणना नहीं की जाएगी ।

कोई मतपत्र, जिस पर अंक 1 चिह्नित किया गया है या जिस पर अंक 1 एक से अधिक अभ्यर्थियों के नाम के सामने लगाया गया है या ऐसे लगाया गया है जिससे शंका हो जाती है कि वह किस अभ्यर्थी के लिए आशयित है, या जिन पर अंक 1 और कोई अन्य अंक उसी अभ्यर्थी के नाम के सामने लगाए गए हैं, या जिस पर वही अंक एक से अधिक अभ्यर्थियों के नाम के सामने लगाया गया है या जिस पर निर्वाचक के हस्ताक्षर सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित नहीं हैं, या जिसका संख्यांक उस लिफाफे में, जिसमें वह रखा गया है, प्रविष्ट मतपत्र के संख्यांक से मेल नहीं खाता है, प्रतिक्षेपित कर दिया जाएगा ।]

**यहां मतगणना के प्रारंभ के लिए नियत समय और नियत तारीख विनिर्दिष्ट कीजिए ।

[1][प्ररूप 13ङ

(नियम 27च देखिए)

अधिसूचित वर्ग के निर्वाचकों के मार्गदर्शन के लिए अनुदेश

(लोक सभा/राज्य विधान सभा के किसी निर्वाचन के लिए उपयोग में लाया जाए)

---------- से लोक सभा/विधान सभा के लिए निर्वाचन ।

इसके साथ भेजे गए मतपत्रों पर जिन व्यक्तियों के नाम मुद्रित हैं वे ऊपर वर्णित निर्वाचन में अभ्यर्थी हैं । आप जिस अभ्यर्थी को अपना मत देना चाहते हैं उसके नाम के सामने स्पष्ट रूप से चिह्न लगाकर अपना मत अभिलिखित करें। चिह्न इस प्रकार लगाया जाना चाहिए जिससे कि स्पष्ट रूप से और संदेह से परे यह उपदर्शित किया जा सके कि आप किस अभ्यर्थी को अपना मत दे रहे हैं । यदि चिह्न इस प्रकार लगाया है कि जिससे वह शंकास्पद हो जाता है कि आपने अपना मत किस अभ्यर्थी को दिया है, तो वह अविधिमान्य हो जाएगा।

निर्वाचित होने वाले सदस्य की संख्या केवल एक है तदनुसार आपको एक से अधिक अभ्यर्थी के लिए मत नहीं देना चाहिए । यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका मतपत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा ।

मतपत्र पर अपने मत को अभिलिखित करने के लिए अपेक्षित चिह्न से भिन्न अपने हस्ताक्षर न करें या कोई चिह्न न लगाएं, हस्ताक्षर या लेखन चाहे जो भी हो, न करें ।

अपने मत को मतपत्र में अभिलिखित करने के पश्चात् उसे इसके साथ भेजे गए "क" से चिह्नित छोटे लिफाफे में डाल दें । लिफाफे को बंद करें और सील द्वारा या अन्यथा सुरक्षित कर लें ।

आप तब प्ररूप 13क में घोषणा पर, जो इसके साथ भेजी गई है, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के (नियम 27ञ में परिभाषित) प्राधिकृत आफिसर की उपस्थिति में हस्ताक्षर करें । अपने हस्ताक्षर को ऐसे प्राधिकृत आफिसर द्वारा अनुप्रमाणित कराएं । निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 27ञ का सार इसके साथ संलग्न है ।

यदि आप स्वयं ऊपर दर्शित रीति से मतपत्र को चिह्नांकित करने और घोषणा पर हस्ताक्षर करने में निरक्षरता, अंधेपन या किसी अन्य अंग शैथिल्य के कारण असमर्थ हैं तो आप अपनी ओर से ऊपरिवर्णित किसी प्राधिकृत आफिसर द्वारा मत को चिह्नांकित कराने और घोषणा पर हस्ताक्षर कराने के हकदार हैं । ऐसा कोई आफिसर आपके अनुरोध पर आपकी उपस्थिति में और आपकी इच्छा के अनुसार मतपत्र को चिह्नांकित करेगा । वह इस निमित्त आवश्यक प्रमाण-पत्र को भरकर पूरा करेगा ।

आपके घोषणा पर हस्ताक्षर करने और आपके हस्ताक्षर को अनुप्रमाणित किए जाने के पश्चात् प्ररूप 13क में घोषणा को और साथ में मतपत्र वाले "क" से चिह्नित छोटे लिफाफे को भी "ख" से चिह्नित बड़े लिफाफे में डाल दें । बड़े लिफाफों को बंद करने के पश्चात् इसे रिटर्निंग आफिसर को डाक द्वारा या संदेशवाहक द्वारा भेज दें । "ख" से चिह्नांकित लिफाफे पर दिए गए स्थान पर आप अपने पूरे हस्ताक्षर करें । यदि लिफाफा भारत में डाक द्वारा भेजा जाना है तो आपको उस पर कोई डाक महसूल स्टाम्प लगाने की जरूरत नहीं होगी । किन्तु यदि, आप भारत के बाहर किसी पद पर भारत सरकार के अधीन नियोजित एक निर्वाचक हैं तो आप लिफाफे को उस कार्यालय द्वारा, जिसमें आप सेवारत हैं, इस पर आवश्यक डाक महसूल स्टाम्प पूरी तरह लगाने के पश्चात् वायु डाक सेवा द्वारा सिवाय जहां इसे राजनयिक थैले द्वारा भेजा जाता है, सीधे रिटर्निंग आफिसर को भेज दें । आप यह अवश्य सुनिश्चित कर लें कि लिफाफा तारीख ------- को ---------- बजे से पहले निर्वाचकों के अधिसूचित वर्ग के लिए रिटर्निंग आफिसर के पास पहुंच जाए ।

कृपया इस बात का ध्यान रखें कि :---

(i) यदि आप ऊपर उपदर्शित रीति से अपनी घोषणा को अनुप्रमाणित या प्रमाणित कराने में असफल रहते हैं तो आपका मतपत्र अस्वीकृत कर दिया आएगा, और

(ii) यदि लिफाफा तारीख----------को बजे------के पश्चात् रिटर्निंग आफिसर के पास पहुंचता है तो आपके मत को गणना में नहीं लिया जाएगा ।

---

[1] प्ररूप 13ङ जिसे अधिसूचना सं. का. आ. 34(अ), तारीख 1 मई, 1996 द्वारा अंतःस्थापित किया गया था, अधिसूचना सं.का.आ.628 (अ), तारीख 4 अगस्त, 1999 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[1][प्ररूप 13च

[नियम 27ढ (3) देखिए]

क्रम सं0.....

मत देने के लिए वर्गीकृत सेवा नियोजित मतदाता द्वारा परोक्षी की नियुक्ति

मैं.....(वर्गीकृत सेवा नियोजित मतदाता का नाम) आयु लगभग.....पुत्र, पुत्री, पत्नी.....का निवासी हूं, वर्तमान में.....के रूप में कार्यरत हूं और.....में तैनात हूं, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 27ढ के उपनियम (2) के अधीन परोक्षी नियुक्त करने का हकदार हूं । मैं,.....(परोक्षी का नाम) आयु लगभग.....पुत्र, पुत्री, पत्नी.....का निवासी.....को, ...राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के.....विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र और/या.....संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र जिसमें, मैं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) और तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन मत देने के लिए हकदार हूं, अपनी ओर से और अपने नाम में मत देने के लिए अपने परोक्षी के रूप में नियुक्त करता हूं ।

(परोक्षी के हस्ताक्षर)

(वर्गीकृत नियोजित मतदाता के हस्ताक्षर)

उसके नाम तथा संबंधित निर्वाचन-क्षेत्र..... के निर्वाचक नामावली के भाग की क्रम सं. .....

संबंधित निर्वाचन-क्षेत्र..... की निर्वाचक निर्वाचक नामावली के भाग अंतिम भाग में उसके भाग की क्रम सं0 .....

सेवा पहचान पत्र सं0 .....
उसके बल का नाम .....

टिप्पण-- (1) परोक्षी के रूप में नियुक्त किए जाने वाला व्यक्ति संबंधित निर्वाचन-क्षेत्र में मामूली तौर पर निवासी होगा और जिसकी आयु अठारह वर्ष से कम नहीं होगी और ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 16 के अधीन किसी निर्वाचक नामावली में निर्वाचक के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए निरर्हित है ।

(2) वर्गीकृत सेवा नियोजित मतदाता और परोक्षी के हस्ताक्षर किसी प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट या नोटरी या संबंधित यूनिट के कमान अफसर के समक्ष किए जाएंगे, जो अपने हस्ताक्षर तथा मुद्रा से हस्ताक्षरों का सत्यापन करेगा । हस्ताक्षर का सत्यापन करने वाले प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट या नोटरी की दशा में, वह व्यक्तिगत रूप से वर्गीकृत सेवा नियोजित मतदाता की सत्यता को अधिप्रमाणित करने के लिए वर्गीकृत सेवा नियोजित मतदाता के सेवा पहचान पत्र की जांच करेगा ।

(3) जो शब्द लागू न हों, काट दें ।

वर्गीकृत सेवा नियोजित मतदाता द्वारा परोक्षी की नियुक्ति के लिए प्ररूप 13च की रसीद

(उक्त प्ररूप जमा करने वाले व्यक्ति को सौंपी जाए)

क्रम सं0.....

श्री/श्रीमती/कुमारी.....का प्ररूप 13च प्राप्त किया ।

तारीख.....

रिटर्निंग आफिसर

[1] अधिसूचना सं0 का0 आ0 903(अ), तारीख 5 अगस्त, 2003 द्वारा अंतःस्थापित ।

प्ररूप 13छ
[नियम 27ढ (4) देखिए]

क्रम सं0.....

परोक्षी की नियुक्ति का प्रतिसंहरण या मत देने के लिए वर्गीकृत सेवा नियोजित मतदाता द्वारा प्रतिस्थानी परोक्षी की नियुक्ति का प्रतिसंहरण

मैं.....(वर्गीकृत सेवा नियोजित मतदाता का नाम) आयु लगभग.....पुत्र, पुत्री, पत्नी.....का निवासी हूं वर्तमान में.....के रूप में कार्यरत हूं और.....में तैनात हूं,.....(परोक्षी का नाम) आयु लगभग.....पुत्र,पुत्री, पत्नी.....निवासी.....को राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र और/या.....संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में अपनी ओर से और अपने नाम में मत देने के लिए अपने परोक्षी के रूप में नियुक्त किया था ।

2. मैं अपने उक्त परोक्षी की नियुक्ति को प्रतिसंहृत करता हूं और कोई प्रतिस्थानी परोक्षी नियुक्त नहीं करना चाहता हूं ।

या

चूंकि ऐसे परोक्षी की मृत्यु हो गई है । मैं उक्त परोक्षी की नियुक्ति को प्रतिसंहृत करता हूं और निर्चाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 27ढ के उपनियम (4) के अधीन प्रतिस्थानी परोक्षी नियुक्त करने का हकदार होने के कारण मैं, ...(प्रतिस्थानी परोक्षी का नाम) आयु लगभग.....पुत्र, पुत्री, पत्नी.....निवासी.....को प्रतिस्थानी परोक्षी के रूप में नियुक्त करता हूं जो,.....राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के.....विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र और/या.....संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र जिसमें मैं, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) और तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन मत देने के लिए हकदार हूं, जो इसके पश्चात् मेरी ओर से या मेरे नाम में मत देगा ।

(परोक्षी के हस्ताक्षर) (वर्गीकृत नियोजित मतदाता के हस्ताक्षर)

उसके नाम तथा संबंधित निर्वाचन-क्षेत्र.....
की निर्वाचक नामावली के भाग की क्रम सं. .....

संबंधित निर्वाचन-क्षेत्र..... की निर्वाचक निर्वाचक नामावली के भाग अंतिम भाग में उसके भाग की क्रम सं0 .....

सेवा पहचान पत्र सं0 .....
उसके बल का नाम .....

टिप्पण-- (1) परोक्षी के रूप में नियुक्त किए जाने वाला व्यक्ति संबंधित निर्वाचन-क्षेत्र में मामूली तौर पर निवासी होगा और जिसकी आयु अठारह वर्ष से कम नहीं होगी और ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 16 के अधीन किसी निर्वाचक नामावली में निर्वाचक के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए निरर्हित है ।

(2) वर्गीकृत सेवा नियोजित मतदाता और परोक्षी के हस्ताक्षर किसी प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट या नोटरी या संबंधित यूनिट के कमान अफसर के समक्ष किए जाएंगे, जो अपने हस्ताक्षर तथा मुद्रा से हस्ताक्षरों का सत्यापन करेगा । हस्ताक्षर का सत्यापन करने वाले प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट या नोटरी की दशा में, वह व्यक्तिगत रूप से वर्गीकृत सेवा नियोजित मतदाता की सत्यता को अधिप्रमाणित करने के लिए वर्गीकृत सेवा नियोजित मतदाता के सेवा पहचान पत्र की जांच करेगा ।

(3) जो शब्द लागू न हों, काट दें ।

मत देने के लिए वर्गीकृत सेवा नियोजित मतदाता द्वारा परोक्षी की नियुक्ति के प्रतिसंहरण या परोक्षी की नियुक्ति का प्रतिसंहरण और प्रतिस्थानी परोक्षी की नियुक्ति के लिए प्ररूप छ की रसीद

(उक्त प्ररूप जमा करने वाले व्यक्ति को सौंपी जाए)

क्रम सं0.....

श्री/श्रीमती/कुमारी.....निवासी.....का प्ररूप 13छ प्राप्त किया ।

तारीख.....

हस्ताक्षर और मुद्रा
रिटर्निंग आफिसर]

प्ररूप 14

अभ्याक्षेपित मतों की सूची

[नियम 36 (2) (ग) देखिए]

....निर्वाचन-क्षेत्र से *..के लिए निर्वाचन

[1][..........................समूह निर्वाचन-क्षेत्र में मतदान केन्द्र का संख्यांक और नाम........................./मतदान के स्थान का नाम......................]

प्रविष्टि का क्रम संख्यांक	निर्वाचक का नाम	नामावली के भाग का क्रम संख्यांक	उस भाग में निर्वाचक के नाम का क्रम संख्यांक	जिस व्यक्ति के खिलाफ अभ्याक्षेप किया गया है उस व्यक्ति के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				

जिस व्यक्ति के खिलाफ अभ्याक्षेप किया गया है उस व्यक्ति का पता	यदि कोई पहचानने वाला है तो उसका नाम	अभ्याक्षेप कर्ता का नाम	पीठासीन आफिसर का आदेश	निक्षेप का प्रतिदाय प्राप्त करने पर अभ्याक्षेपकर्ता के हस्ताक्षर
6	7	8	9	10

....

तारीख............ पीठासीन आफिसर के हस्ताक्षर

*निर्वाचक की समुचित विशिष्टियां यहां लिखिए ।

[1] अधिसूचना सं0 का0 आ0 565 (अ) ,तारीख 4 अगस्त,1984 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[1][प्ररूप 14क

[नियम 40(2) और नियम 40क (2) देखिए]

+निरक्षर, अन्धे और शिथिलांग मतदाताओं की सूची

.....निर्वाचन-क्षेत्र से* ..... (राज्य)

** विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों/की सदस्यों** द्वारा.....के लिए निर्वाचन ।

[2][विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र में मतदान केन्द्र का संख्यांक और नाम.....]

मतदान के स्थान पर नाम.....

निर्वाचक का भाग सं. और क्रम सं.	निर्वाचक का पूरा नाम	साथी का पूरा नाम	साथी का पूरा पता	साथी के हस्ताक्षर

तारीख.....

पीठासीन आफिसर के हस्ताक्षर]

+ "निरक्षर" शब्द सभा/संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से निर्वाचन की दशा में लागू नहीं है ।
*जो लागू न हो, उसे काट दीजिए ।
** जो लागू न हो, उसे काट दीजिए ।

[1] अधिसूचना सं0 का0 आ0 2362(अ) , तारीख 3 जुलाई, 1970 द्वारा प्ररूप 14क के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[2] अधिसूचना सं0 का0 आ0 563(अ) , तारीख 4 अगस्त, 1984 द्वारा कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

प्ररूप 15

[नियम 42 (2) देखिए]

निविदत्त मतों की सूची

..... निर्वाचन-क्षेत्र से..... *के लिए निर्वाचन

[1][.....विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र में मतदान केन्द्र का संख्यांक और नाम.....]

निर्वाचक का भाग संख्यांक, क्रम संख्यांक और नाम	निर्वाचक का पता	निविदत्त मतपत्र का क्रम संख्यांक	जिस व्यक्ति ने पहले ही मतदान कर दिया है उसको दिए गए मतपत्र का क्रम संख्यांक	मत निविदत्त करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान
1	2	3	4	5

तारीख.....

पीठासीन आफिसर के हस्ताक्षर

*निवार्चन की समुचित विशिष्टियां यहां लिखिए ।

[1] अधिसूचना सं0 का0 आ0 565 (अ) ,तारीख् 4 अगस्त,1984 द्वारा कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[1][प्ररूप 16

[नियम 45, 56(7) और 56 क(7) देखिए]

भाग 1--मतपत्र लेखा

.....निर्वाचन-क्षेत्र से.....के लिए निर्वाचन
सभा खंड का नाम.....
(संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से निर्वाचन की दशा में)
मतदान केन्द्र का संख्यांक और नाम.....

	क्रम संख्या		कुल संख्या
	से	तक	
1. प्राप्त मतपत्र.....			
2. उपयोग में न लाए गए मतपत्र (अर्थात् जो मतदाताओं को नहीं दिए गए हैं):- -			
(क) जिन पर पीठासीन आफिसर के हस्ताक्षर हैं			
(ख) जिन पर पीठासीन आफिसर के हस्ताक्षर नहीं हैं			----------
*जोड़ (क+ख)			----------
3. * मतदान केन्द्र में उपयोग में लाए गए मतपत्र (1–2 = 3)			----------
4. *मतदान केन्द्रों में उपयोग में लाए गए किन्तु मतपेटी में नहीं डाले गए मतपत्रः			
(क) नियम 39 के अधीन मतदान प्रक्रिया के अतिक्रमण के कारण रद्द किए गए मतपत्र			
(ख) अन्य कारणों से रद्द किए गए मतपत्र			
(ग) निविदत्त मतपत्रों के रूप में उपयोग में लाए गए मतपत्र			
*जोड़ (क+ख+ग)			----------
5. *मतपेटी में पाए जाने वाले मतपत्र (3–4 = 5)			----------

*(क्रम संख्यांक देने की आवश्यकता नहीं है ।)

तारीख.....

पीठासीन आफिसर के हस्ताक्षर

[1] अधिसूचना सं0 का0 आ0 470क ,तारीख 27 जनवरी, 1971 द्वारा प्ररूप 16 अंतःस्थापित और अधिसूचना सं0 का0आ0 518(अ), तारीख 7 सितम्बर, 1979 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(भाग 2 - गणना का परिणाम)

I.	अभ्यर्थी का नाम	दिए गए विधिमान्य मतों की संख्या
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
आदि		
II. प्रतिक्षेपित मतपत्र		
III. कुल		

ऊपर मत संख्या III के सामने दर्शित मतपत्रों की कुल संख्या, भाग I की मद सं0 5 के सामने दर्शित कुल संख्या से मेल खाती है या नहीं अथवा क्या इन दोनों योगफलों के बीच कोई फर्क पाया गया है ।

गणना पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर

स्थान.....
तारीख.....

[रिटर्निंग आफिसर के हस्ताक्षर]

स्थान.....
तारीख.....

[1][प्ररूप 16क

[नियम 45 और 55ख (1) देखिए]

(नियम 59क के अधीन विनिर्दिष्ट निर्वाचन-क्षेत्रों में उपयोग में लाया जाए)

.....निर्वाचन-क्षेत्र से.....के लिए निर्वाचन

सभा खंड का नाम.....
(संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से निर्वाचन की दशा में)
मतदान केन्द्र का संख्यांक और नाम.....

	क्रम संख्या से	कुल संख्या तक
1. प्राप्त मतपत्र.....		
2. उपयोग में न लाए गए मतपत्र (अर्थात् जो मतदाताओं को नहीं दिए गए हैं):--		
(क) जिन पर पीठासीन आफिसर के हस्ताक्षर हैं		----------
(ख) जिन पर पीठासीन आफिसर के हस्ताक्षर नहीं हैं		----------
*जोड़ (क + ख)		
3. * मतदान केन्द्र में उपयोग में लाए गए मतपत्र (1- 2 = 3) ----------		----------
4. * मतदान केन्द्रों में उपयोग में लाए गए किन्तु मतपेटी में नहीं डाले गए मतपत्रः		
(क) नियम 39 के अधीन मतदान प्रक्रिया के अतिक्रमण के कारण रद्द किए गए मतपत्र		
(ख) अन्य कारणों से रद्द किए गए मतपत्र		
(ग) निविदत्त मतपत्रों के रूप में उपयोग में लाए गए मतपत्र		
----------		
*जोड़ (क + ख + ग)		
----------		
5. * मतपेटी में पाए जाने वाले मतपत्र (3-4 = 5)		

*(क्रम संख्यांक देने की आवश्यकता नहीं है)
तारीख.....

पीठासीन आफिसर के हस्ताक्षर

भाग 2

प्रारंभिक गणना का परिणाम

1. मतदान केन्द्र में उपयोग में लाई गई मतपेटी (मतपेटियों) में पाए गए मतपत्रों की कुल संख्या.....
2. इस भाग में मद 1 के सामने दर्शित कुल संख्या और भाग 1 की मद 5 में दर्शित मतपेटी (मतपेटियों) में पाए गए मतपत्रों की कुल संख्या के नीचे फर्क, यदि कोई हो ।

तारीख.....

गणन पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर]

रिटर्निंग आफिसर के हस्ताक्षर]

[1] मूल प्ररूप 16 का, जिसे अधिसूचना सं. 479क, तारीख 27 जनवरी, 1971 द्वारा प्ररूप 16क के रूप में पुनःसंख्यांकित किया गया था, अधिसूचना सं. 518(अ), तारीख 7 सितंबर, 1979 द्वारा लोप किया गया था और पुनः अधिसूचना सं0 का0 आ0 958(अ) ,तारीख 17-11-1989 द्वारा अंतःस्थापित ।

प्ररूप 17

[नियम 49 (3) (च) देखिए]

निविदत्त मतपत्र

.....निर्वाचन-क्षेत्र से..... * के लिए निर्वाचन

मतपत्र का क्रम संख्यांक.....

मतदान केन्द्र.....

निर्वाचक का नाम.....

निर्वाचक नामावली के भाग संख्यांक.....में निर्वाचक का क्रम संख्यांक.....

निर्वाचक का पता.....

जिस अभ्यर्थी के पक्ष में मत निविदत्त किया गया है उसका नाम.....

तारीख.....

---

* निर्वाचन की समुचित विशिष्टियां यहां लिखिए ।

[1][प्ररूप 17क

(नियम 49ठ देखिए)

मतदाता रजिस्टर

.....निर्वाचन-क्षेत्र से.....लोक सभा/राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों की विधान सभा.....
के लिए निर्वाचन, मतदान केन्द्र का संख्यांक और नाम ..... निर्वाचक नामावली के भाग संख्यांक.....

क्रम संख्यांक	निर्वाचक नामावली में निर्वाचक का क्रम संख्यांक	निर्वाचक द्वारा अपनी पहचान के सबूत में प्रस्तुत दस्तावेज का ब्यौरा	निर्वाचक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.				
2.				
3.				
4.				

आदि

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर]

प्ररूप 17ख

(नियम 49त देखिए)

निविदत्त मतों की सूची

..... निर्वाचन-क्षेत्र से ..... लोक सभा/राज्य/संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा के लिए निर्वाचन
मतदान केन्द्र का संख्यांक और नाम .....
निर्वाचक नामावली के भाग संख्यांक .....

क्रम संख्यांक	निर्वाचक का नाम	निर्वाचक नामावली में निर्वाचक का क्रम संख्यांक	उस व्यक्ति का मतदाता रजिस्टर में (प्ररूप 17क) क्रम संख्यांक जिसने निर्वाचक के बदले में पहले ही मतदान कर दिया है	निर्वाचक के हस्ताक्षर/अंगूठे के निशान
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				

तारीख .....

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

[1] अधिसूचना सं0 का0 आ0 728 (अ), तारीख 8 मई, 2007 द्वारा प्रतिस्थापित ।

प्ररूप 17ग

[नियम 49ध और 56ग (2) देखिए]

भाग 1 - अभिलिखित मतों का लेखा

.....निर्वाचन-क्षेत्र से.....लोक सभा क्षेत्र/राज्य/संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा के लिए निर्वाचन

मतदान केन्द्र संख्यांक और नाम.....

नियंत्रण यूनिट

मतदान केन्द्र में प्रयुक्त मतदान.....

मतदान यूनिट

मशीन का पहचान संख्यांक

1. मतदान केन्द्र को नियत निर्वाचकों की कुल संख्या
2. मतदाता रजिस्टर (प्ररूप 17क) में दर्ज मतदाताओं की कुल संख्या
3. नियम 49ण के अधीन मतदान अभिलिखित न करने का विनिश्चय करने वाले मतदाताओं की संख्या
4. नियम 49ड के अधीन मतदान करने के लिए अनुज्ञात न किए गए मतदाताओं की संख्या
5. मतदान मशीन के अनुसार अभिलिखित मतों की कुल संख्या
6. क्या मद 5 के सामने यथादर्शित मतों की कुल संख्या मद 2 के सामने यथादर्शित मतदाताओं की कुल संख्या घटा--मद 3 के सामने दर्शित मत अभिलिखित न करने का विनिश्चय करने वाले मतदाताओं की संख्या घटा--मद 4 के सामने मतदाताओं की संख्या (2-3-4) से मेल करती है या इसमें कोई फर्क पाया गया है
7. उन मतदाताओं की संख्या जिनको नियम 49त के अधीन निविदत्त मतपत्र जारी किए गए
8. निविदत्त मतपत्रों की संख्या

क्रम संख्या

.....से.....तक

(क) प्रयोग के लिए प्राप्त.....

(ख) निर्वाचकों को जारी किए गए.....

(ग) प्रयुक्त न किए गए और वापस लिए गए .....

9. कागज की सीलों का लेखा

क्रम संख्या

.....से.....तक

मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर

1. प्रदाय की गई कागज की सीलों के क्रम संख्यांक	1.
से तक	2.
2. प्रदाय की गई सीलों की कुल संख्या	3.
3. प्रयुक्त कागज की सीलों की संख्या	4.
4. रिटर्निंग आफिसर को वापस की गई अप्रयुक्त कागज की सीलों की संख्या (मद 3 में से मद 2 घटाइए)	5.
5. नष्ट हुई कागज की सीलों का क्रम संख्यांक, यदि कोई है	6.

तारीख .....

स्थान.....

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

मतदान केन्द्र सं0.....

भाग 2 -- मतगणना का परिणाम

क्रम संख्यांक	अभ्यर्थी का नाम	अभिलिखित मतों की संख्या
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
योग		

क्या ऊपर दर्शित मतों की कुल संख्या भाग 1 की मद 5 के सामने दर्शित मतों की कुल संख्या से मेल करती है या उनके दोनों कोणों में कोई फर्क दर्शित होता है ।

स्थान.....
तारीख.....

गणन पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर
अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता/गणन अभिकर्ता का नाम
पूरे हस्ताक्षर

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

स्थान.....
तारीख.....

रिटर्निंग आफिसर के हस्ताक्षर]

प्ररूप 18

[नियम 52 (2) देखिए]

गणन अभिकर्ताओं की नियुक्ति

.....निर्वाचन-क्षेत्र से.....के लिए निर्वाचन ।

सेवा में,

रिटर्निंग आफिसर,

मैं.....* जो ऊपरिवर्णित निर्वाचन में अभ्यर्थी हूं/.....

का, जो ऊपरिवर्णित निर्वाचन में अभ्यर्थी है, निर्वाचन अभिकर्ता हूं.....पर मतों की गणना में हाजिर रहने के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों को एतद्द्वारा अपने गणन अभिकर्ताओं के रूप में नियुक्त करता हूं ।

गणन अभिकर्ता का नाम — गणन अभिकर्ता का पता

1.
2.
3.
आदि

*अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर

हम ऐसे गणन अभिकर्ताओं के रूप में कार्य करने के लिए सहमत हैं ।

1.
2.
3.
आदि

स्थान.....
तारीख.....

गणन अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर

गणन अभिकर्ताओं की घोषणा

(रिटर्निंग आफिसर के समक्ष हस्ताक्षरित की जाए)

हम एतद्द्वारा घोषणा करते हैं कि हम ऊपरिवर्णित निर्वाचन में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 128[1] द्वारा, जिसे* हमने पढ़ लिया है/जो हमें पढ़कर सुना दी गई, निषिद्ध हैं कोई बात न करेंगे ।

1.
2.
3.
आदि

तारीख.....

मेरे समक्ष हस्ताक्षरित की गई

गणन अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर

तारीख.....

रिटर्निंग आफिसर

---

* जो अनुकल्प समुचित न हो उसे काट दीजिए ।

1. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 128 :--

"128. मतदान की गोपनीयता को बनाए रखना--(1) ऐसा हर आफिसर, लिपिक, अभिकर्ता या अन्य व्यक्ति, जो निर्वाचन में मतों को अभिलिखित करने या उनकी गणना करने से संसक्त किसी कर्तव्य का पालन करता है मतदान की गोपनीयता को बनाए रखेगा और बनाए रखने में सहायता करेगा और ऐसी गोपनीयता का अतिक्रमण करने के लिए प्रकल्पित कोई जानकारी किसी व्यक्ति को (विधि के द्वारा या अधीन प्राधिकृत किसी प्रयोजन के लिए संसूचित करने के सिवाय) संसूचित न करेगा ।

(2) जो कोई व्यक्ति उपधारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा ।" ।

प्ररूप 19

[नियम 52(4)देखिए]

गणन अभिकर्ता की नियुक्ति का प्रतिसंहरण

.....*के लिए निर्वाचन

सेवा में,

रिटर्निंग आफिसर,

मैं_____जो ऊपरिवर्णित निर्वाचन अभ्यर्थी [_____का निर्वाचन में अभिकर्ता] हूं अपने/उसके गणन अभिकर्ता..... की नियुक्ति एतद्द्वारा प्रतिसंहृत करता हूं ।

स्थान _____

तारीख _____

प्रतिसंहरण करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर

---

* यहां निम्नलिखित अनुकल्पों में से एक, जो समुचित हो, लिखिए--

(1) _____ निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा ।

(2)_____ निर्वाचन-क्षेत्र से विधान सभा ।

(3) _____ (राज्य) की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा ।

(4)_____ (संघ राज्यक्षेत्र) के निर्वाचकगण के सदस्यों द्वारा राज्य सभा ।

(5) विधान सभा के सदस्यों द्वारा विधान परिषद् ।

(6) .....निर्वाचन-क्षेत्र से विधान परिषद्।

ध्यान दीजिए---[ ] से चिह्नित शब्द आवश्यकतानुसार छोड़ दीजिए ।

[1][प्ररूप 20

[नियम 56 (7) देखिए]

अन्तिम परिणामपत्र

(अधिसूचित मतदान केन्द्रों से भिन्न मतदान केन्द्रों पर मतदान का परिणाम अभिलिखित करने के लिए उपयोग में लाया जाए)

_____ निर्वाचन-क्षेत्र में

_____ के लिए निर्वाचन

भाग 1

(संसदीय और विधान सभा दोनों निर्वाचनों के लिए उपयोग में लाया जाए)

सभा खंड का नाम (संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से निर्वाचन की दशा में).....

सभा निर्वाचन-क्षेत्र खंड में निर्वाचकों की कुल संख्या.....

मतदान केन्द्र की क्रम सं0	निम्नलिखित के पक्ष में दिए गए विधिमान्य मतों की संख्या क ख ग	कुल विधिमान्य मत	प्रतिक्षेपित मतों की योग संख्या	निविदत्त मतों की कुल संख्या
(1)				
(2)				
(3)				
आदि				

मतदान केन्द्रों पर अभिलिखित मतों की कुल संख्या
डाक मतपत्रों पर अभिलिखित मतों की संख्या (सभा निर्वाचन-क्षेत्र से निर्वाचन की दशा में भरा जाए)
डाले गए कुल मत

स्थान.....

तारीख.....

रिटर्निंग आफिसर

[1] अधिसूचना सं0 का0 आ0 518(अ) ,तारीख 7 सितम्बर, 1979 द्वारा प्रतिस्थापित ।

भाग 2

(केवल संसदीय निर्वाचन के लिए उपयोग में लाया जाए)

सभा खंड का नाम	निम्नलिखित के पक्ष में दिए गए विधिमान्य मतों की संख्या क ख ग	कुल विधिमान्य मत	प्रतिक्षेपित मतों की संख्या	योग	निविदत्त मतों की संख्या
1. 2. 3. आदि					
कुल					
डाक मत पत्रों पर अभिलिखित मतों की संख्या					
कुल जोड़					

स्थान_____
तारीख_____

रिटर्निंग आफिसर]

प्ररूप 20
(नियम 59 देखिए)

अन्तिम परिणामपत्र

(अधिसूचित मतदान केन्द्रों पर मतदान का परिणाम अभिलिखित करने के लिए उपयोग में लाया जाए)

.....**निर्वाचन-क्षेत्र से**..... ***** **के लिए निर्वाचन**

मतदान केन्द्र		निम्नलिखित की मतपेटियों में पाए गए मतपत्रों की संख्या								मतदान केन्द्र के लिए जोड़			
क्रम सं0	नाम	क		ख		ग		घ					
		विधिमान्य	प्रतिक्षेपित	विधिमान्य	प्रतिक्षेपित	विधिमान्य	प्रतिक्षेपित	विधिमान्य	प्रतिक्षेपित	विधिमान्य	प्रतिक्षेपित	जोड़	निविदत्त मतों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
जोड़													

	निम्नलिखित को दिए गए विधिमान्य मतों की संख्या				
	क	ख	ग	घ	जोड़
मतदान केन्द्रों में अभिलिखित					
डाक-मतपत्रों पर अभिलिखित					
दिए गए कुल मत					

स्थान.....
तारीख.....

रिटर्निंग आफिसर

* निर्वाचन की समुचित विशिष्टियां यहां लिखिए ।

[1][प्ररूप 20क

[नियम 56ख (7) देखिए]

अन्तिम परिणाम-पत्र

(नियम 59क के अधीन विनिर्दिष्ट निर्वाचन-क्षेत्रों के मतदान केन्द्रों पर मतदान का परिणाम अभिलिखित करने के लिए उपयोग में लाया जाए)

.....निर्वाचन-क्षेत्र
.....के लिए निर्वाचन

मतदान केन्द्र सं0	मतपेटी (मतपेटियों) में पाए गए कुल मत	निविदत्त मतों की संख्या
(1)	.....	.....
(2)	.....	.....
(3)	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
जोड़		

1. अभ्यर्थियों के पक्ष में अभिलिखित विधिमान्य मतों और प्रतिक्षेपित मतपत्रों की कुल संख्या	अभ्यर्थियों के विधिमान्य मत				कुल विधि-मान्य मत	प्रतिक्षेपित मतपत्रों की संख्या	कुल विधिमान्य और प्रतिक्षेपित मत
	क	ख	ग	घ			
पहला दौर	....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
दूसरा दौर	....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
तीसरा दौर	....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
चौथा दौर	....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
पांचवा दौर	....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
जोड़							
2. अभ्यर्थियों के पक्ष में डाक मतपत्रों पर अभिलिखित विधिमान्य मतों पर और प्रतिक्षेपित डाक मतपत्रों की कुल संख्या	....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
कुल जोड़							

स्थान.....
तारीख.....

रिटर्निंग आफिसर

सभा निर्वाचन-क्षेत्र का नाम	(केवल संसदीय निर्वाचन के लिए) अभ्यर्थियों के विधिमान्य मत				कुल विधि-मान्य मत	प्रतिक्षेपित मतपत्रों की संख्या	कुल विधिमान्य और प्रतिक्षेपित मत
	क	ख	ग	घ			
I. 1.	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
2.	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
3. आदि	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
जोड़							

[1] अधिसूचना सं0 का0 आ0 958 (अ), तारीख 17 नवम्बर, 1989 द्वारा अन्तःस्थापित ।

II. अभ्यर्थियों के पक्ष में डाक मतपत्रों
पर अभिलिखित विधिमान्य मतों पर
और प्रतिक्षेपित डाक मतपत्रों की कुल
संख्या .....

कुल जोड़

स्थान.....

तारीख.....

रिटर्निंग आफिसर]

[1][प्ररूप 21

[नियम 11 (1) देखिए]

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान निर्विरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 53 की उपधारा (2)*/उपधारा (3)* के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा ।

.....#के लिए निर्वाचन ।

निर्वाचन का संचालन नियम, 1961, के नियम 11 के उपनियम (1) के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 53 की उपधारा (2)*/उपधारा(3)* में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूं कि --

श्री/श्रीमती ..... (नाम) ..... (पता) .....

[2][जो.....(मान्यताप्राप्त/रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए थे/की गई थी उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए/गई हैं ।

स्थान.....

तारीख .....

हस्ताक्षर.....

रिटर्निंग आफिसर]

---

* जो समुचित न हो उसे काट दीजिए ।

यहां निम्नलिखित अनुकल्पों में से एक, जो समुचित हो, लिखिए :--

(1) .....राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के.....संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा ।

(2) .....विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र से राज्य संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा ।

(3) .....महानगर परिषद् निर्वाचन-क्षेत्र से दिल्ली के संघ राज्यक्षेत्र की महानगर परिषद् ।

---

[1] अधिसूचना सं0 का0आ0 4542, तारीख 20 दिसम्बर, 1968 द्वारा (1 जनवरी, 1969 से) अन्तःस्थापित ।

[2] अधिसूचना सं0 का0आ0 565(अ), तारीख 4 अगस्त, 1984 द्वारा अन्तःस्थापित ।

प्ररूप 21क

[नियम 11 (1) देखिए]

(द्विवार्षिक निर्वाचन में प्रयोग के लिए जब स्थान निर्विरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 53 की उपधारा (2)*/उपधारा(3)* के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा।

..... †के लिए निर्वाचन।

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961, के नियम 11 के उपनियम (1) के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 53 की उपधारा (2)*/उपधारा (3)* में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूं कि --

श्री/श्रीमती .....(नाम)..... (पता) [1][जो.....(मान्यता प्राप्त/रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए/की गई हैं]

श्री/श्रीमती ..... (नाम) ..... (पता) [1][जो ..... [1][मान्यताप्राप्त/रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए/की गई हैं]

उस सदन में.....**सदस्य (सदस्यों) के, जो अपनी पदावधि के अवसान पर ..... (तारीख, मास और वर्ष) को निवृत्त हो रहे हैं, स्थान (स्थानों) को भरने के लए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं/हो गई हैं ।

स्थान.....

तारीख..... हस्ताक्षर.....

रिटर्निंग आफिसर

---

* जो समुचित न हो उसे काट दीजिए ।

†यहां निम्नलिखित अनुकल्पों में से एक, जो समुचित हो, लिखिए :--

(1) .....(राज्य) की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा ।

(2) .....(संघ राज्यक्षेत्र) के निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा राज्य सभा ।

(3) विघान सभा के सदस्यों द्वारा.....(राज्य) की विधान परिषद् ।

(4) ..... (स्थानीय प्राधिकारी/स्नातक/शिक्षक) निर्वाचन-क्षेत्र से ..... (राज्य) की विधान परिषद् ।

** निवृत्त हो रहे सदस्यों की संख्या भरिए ।

---

[1] अधिसूचना सं0 का0 आ0 565 (अ) ,तारीख 4 अगस्त, 1984 द्वारा अन्तःस्थापित ।

प्ररूप 21ख

[नियम 11(1) देखिए]

(आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान निर्विरोध हो)

लोक प्रतिनिधि अधिनियम, 1951 की धारा 53 की उपधारा (2)*/उपधारा (3)* के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा।

..... †के लिए निर्वाचन ।

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 1 के उपनियम (1) के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 53 की उपधारा (2)* /उपधारा (3)* से अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूं कि :--

श्री/श्रीमती.....(नाम)

.....(पता) [1][जो.....(मान्यताप्राप्त/रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए/की गई हैं] उस सदन में,

श्री/श्रीमती.....के पदत्याग के कारण*

श्री/श्रीमती.....की मृत्यु के कारण*

श्री/श्रीमती.....का निर्वाचन शून्य घोषित कर दिए जाने के कारण*

श्री/श्रीमती.....का स्थान रिक्त हो जाने के कारण*

_____
घोषित कर दिए जाने के कारण*

हुई रिक्ति को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए/गई हैं ।

स्थान.....

तारीख.....

हस्ताक्षर.....

रिटर्निंग आफिसर

---

* जो समुचित न हो उसे काट दीजिए ।

†यहां निम्नलिखित अनुकल्पों में से एक, जो समुचित हो, लिखिए--

(1) .....राज्य/संघ राज्यक्षेत्र में.....संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में लोक सभा।

(2) .....विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र से राज्य/संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा ।

(3) .....महानगर परिषद् निर्वाचन-क्षेत्र से दिल्ली की महानगर परिषद्।

(4) .....(राज्य) विधान सभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा राज्य सभा ।

(5) .....(संघ राज्यक्षेत्र) के निर्वाचकगण के सदस्यों द्वारा राज्य सभा।

(6) विधान सभा के सदस्यों द्वारा.....(राज्य) की विधान परिषद्।

(7) ..... (स्थानीय प्राधिकारी/स्नातक/शिक्षक) निर्वाचन-क्षेत्र से.....राज्य की विधान सभा।

---

[1] अधिसूचना सं0 का0 आ0 565(अ) , तारीख 4 अगस्त, 1984 द्वारा अंतःस्थापित ।

प्ररूप 21ग

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा।

.....(राज्य/संघ राज्यक्षेत्र) के.....
संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचन ।

---

*..... विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र से ..... (राज्य/संघ राज्यक्षेत्र) की विधान सभा के लिए निर्वाचन ।

---

*.....महानगर परिषद् निर्वाचन-क्षेत्र से दिल्ली की महानगर परिषद् के लिए निर्वाचन।

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूं कि --

श्री/श्रीमती ..... (नाम) .....(पता) [1][जो ..... (मान्यताप्राप्त/रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए/की गई ।]

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए/गई हैं ।

स्थान.....
तारीख.....

हस्ताक्षर.....
रिटर्निंग आफिसर

---

*जो समुचित न हो उसे काट दीजिए ।

[1] अधिसूचना सं0 का0 आ0 565(अ) , तारीख 4 अगस्त, 1984 द्वारा अंतःस्थापित ।

प्ररूप 21घ

[नियम 64 देखिए]

(आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधि अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा।

*.....(राज्य/संघ राज्यक्षेत्र) के *.....संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचन ।

---

*.....विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र से.....(राज्य/संघ राज्यक्षेत्र) की विधान सभा के लिए निर्वाचन ।

---

*.....
.....महानगर परिषद् निर्वाचन-क्षेत्र से दिल्ली की महानगर परिषद् के लिए निर्वाचन।

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूं कि --

श्री/श्रीमती.....(नाम)
.....(पता) [1][जो.....(मान्यताप्राप्त/रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए/की गई हैं।]

उस सदन में,

श्री/श्रीमती.....के पदत्याग के कारण*

श्री/श्रीमती.....की मृत्यु के कारण*

श्री/श्रीमती..... का निर्वाचन शून्य घोषित कर दिए जाने के कारण*

श्री/श्रीमती.....का स्थान रिक्त हो जाने के कारण*/घोषित कर दिए जाने के कारण*

हुई रिक्ति को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए/गई हैं ।

स्थान.....
तारीख.....

हस्ताक्षर.....
रिटर्निंग आफिसर

---

*जो समुचित न हो उसे काट दीजिए ।

[1] अधिसूचना सं0 का0 आ0 565(अ) , तारीख 4 अगस्त, 1984 द्वारा अंतःस्थापित ।

[1][प्ररूप 21ङ]

[नियम 64 देखिए]

निर्वाचन की विवरणी

.....निर्वाचन-क्षेत्र से.....के लिए निर्वाचन

निर्वाचन की विवरणी

[2][क्रम सं0	अभ्यर्थी का नाम	संबद्ध पार्टी	डाले गए मतों की संख्या]
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			

[3][मतदाताओं की कुल संख्या .....]
डाले गए विधिमान्य मतों की कुल संख्या .....
प्रतिक्षेपित मतों की कुल संख्या.....
निविदत्त मतों की कुल संख्या
.....
.....

मैं घोषित करता हूं कि--

..... (नाम).....
..... (पता).....
..... उक्त स्थान को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हुए हैं ।

स्थान.....
तारीख.....

रिटर्निंग आफिसर

[1] अधिसूचना सं0 का0आ0 4542, तारीख 20 दिसम्बर, 1968 द्वारा (1-1-1969 से) पुनःसंख्यांकित ।
[2] अधिसूचना सं0 का0आ0 565(अ) , तारीख 4 अगस्त, 1984 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[3] अधिसूचना सं0 का0आ0 565(अ) , तारीख 4 अगस्त, 1984 द्वारा अंतःस्थापित ।

प्ररूप 22

(नियम 66 देखिए)

निर्वाचन का प्रमाणपत्र

मैं,.....(राज्य का नाम) राज्य के.....
संसदीय/विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र के लिए रिटर्निंग आफिसर, एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूं कि मैंने 20.....
.....के.....के वें दिन को घोषित कर दिया है कि.....

[1][श्री/श्रीमती.....जो.....(मान्यता प्राप्त/रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए/की गई हैं] .....[2][साधारण निर्वाचन/उप-निर्वाचन में] उक्त निर्वाचन-क्षेत्र द्वारा लोक सभा/विधान सभा के सदस्य सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं और इसके साक्ष्य स्वरूप मैंने उनको यह निर्वाचन का प्रमाणपत्र अनुदत किया है ।

.....संसदीय/विधान सभा
निर्वाचन-क्षेत्र के लिए

स्थान.....
तारीख.....

रिटर्निंग आफिसर

मुद्रा

[3]**[**प्ररूप 22क

[नियम 39कक(2) देखिए]

नियुक्ति पत्र

.....का निर्वाचन

मैं.....जो .....दल का *अध्यक्ष/महासचिव हूं, निम्नलिखित व्यक्तियों को नियम *39कक/नियम 42/नियम 42क/नियम 84 के अधीन यह सत्यापित करने के लिए कि निर्वाचकों ने, जो उक्त राजनैतिक दल के सदस्य हैं, किसे अपने मत दिए हैं, प्राधिकृत अभिकर्ताओं के रूप में नियुक्त करता हूं । पूर्वोक्त प्राधिकृत अभिकर्ताओं की फोटो नीचे चस्पा है और यह मेरे हस्ताक्षर और मुद्रा से अनुप्रमाणित है ।

प्राधिकृत अभिकर्ताओं के नाम — प्राधिकृत अभिकर्ताओं के पते

1.....
2.....

राजनैतिक दल के *अध्यक्ष/महासचिव के हस्ताक्षर

(मुद्रा)

हम प्राधिकृत अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए सहमत हैं

1..... प्राधिकृत अभिकर्ता के हस्ताक्षर
2.....

फोटो के लिए स्थान

*जो समुचित न हो उसे काट दें ।]

---

[1] अधिसूचना सं0 का0आ0 961(अ), तारीख 29 दिसम्बर, 1986 द्वारा अंतःस्थापित ।
[2] अधिसूचना सं0 का0आ0 565(अ), तारीख 4 अगस्त, 1984 द्वारा अंतःस्थापित ।
[3] अधिसूचना सं0 का0आ0 272 (अ), तारीख 27 फरवरी, 2004 द्वारा अंतःस्थापित ।

[1][प्ररूप 23

[नियम 84(1) (क) देखिए]

(द्विवार्षिक निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनयम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा ।

.....* के लिए निर्वाचन ।

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 84 के उपनियमम (1) के खंड (क) के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूं कि --

श्री/श्रीमती ..... (नाम)
.....(पता)

[2][जो ....
.....(मान्यताप्राप्त/रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए/की गई हैं]

श्री/श्रीमती ..... (नाम)

..... (पता)

[2][जो.....
.....(मान्यताप्राप्त/रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए/की गई हैं]

उस सदन में..... †सदस्य (सदस्यों) के, जो अपनी पदावधि के अवसान पर ..... (तारीख, मास और वर्ष) को निवृत्त हो रहे हैं, स्थान (स्थानों) को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए /हो गई हैं ** ।

स्थान.....
तारीख.....

हस्ताक्षर.....
रिटर्निंग आफिसर

---

*यहां निम्नलिखित अनुकल्पों में से एक, जो समुचित हो, लिखिए --

(1) .....(राज्य) की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा ।

(2) .....(संघ राज्यक्षेत्र) के निर्वाचकगण के सदस्यों द्वारा राज्य सभा ।

(3) विधान सभा के सदस्यों द्वारा.....(राज्य) की विधान परिषद् ।

(4) .....(स्थानीय प्राधिकारी/स्नातक/शिक्षक) निर्वाचन-क्षेत्र से.....(राज्य) की विधान परिषद् ।

** जो लागू न हो उसे काट दीजिए ।

†निवृत्त हो रहे सदस्यों की संख्या भरिए ।

---

[1] अधिसूचना सं0 का0आ0 4542, तारीख 20 दिसम्बर, 1968 द्वारा (1-1-1969 से) अंतःस्थापित ।

[2]अधिसूचना सं0 का0आ0 565(अ) , तारीख 4 अगस्त, 1984 द्वारा अंतःस्थापित ।

प्ररूप 23क

[नियम 84(1) (क) देखिए]

(आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनयम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा ।

..... †के लिए निर्वाचन ।

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 84 के उपनियम (1) के खंड (क) के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में,मैं घोषणा करता हूं कि--

श्री/श्रीमती..... (नाम)
..... पता [1][जो ..... (मान्यताप्राप्त/रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए/की गई हैं]

उस सदन में

श्री/श्रीमती.....के पद त्याग के कारण*

श्री/श्रीमती.....की मृत्यु के कारण*

श्री/श्रीमती.....का निर्वाचन शून्य घोषित कर दिए जाने के कारण*

श्री/श्रीमती.....घोषित कर दिए जाने के कारण/का स्थान रिक्त हो जाने के कारण*

हुई रिक्ति को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए/गई हैं।

स्थान.....
तारीख.....

हस्ताक्षर.....
रिटिर्निंग आफिसर

---

†यहां निम्नलिखित अनुकल्पों में से एक, जो समुचित हो, लिखिए --

(1) ..... (राज्य) की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा ।

(2) ..... (संघ राज्यक्षेत्र) के निर्वाचकगण के सदस्यों द्वारा राज्य सभा ।

(3) विधान सभा के सदस्यों द्वारा.....(राज्य) की विधान परिषद् ।

(4) .....(स्थानीय प्राधिकारी/स्नातक/शिक्षक) निर्वाचन-क्षेत्र से..... (राज्य) की विधान परिषद् ।

---

* जो समुचित न हो, उसे काट दीजिए ।

---

[1] अधिसूचना सं0 का0 आ0 565 (अ) , तारीख 4 अगस्त, 1984 द्वारा अंतःस्थापित ।

[1][प्ररूप 23ख]

[2][नियम 84(1) (ख) देखिए]

निर्वाचन की विवरणी

राज्य सभा के लिए निर्वाचन

विधान सभा के सदस्यों/.....निर्वाचन-क्षेत्र द्वारा विधान परिषद् के लिए निर्वाचन ।

मतदान और मतों के अन्तरण का परिणाम निम्नलिखित है --

विधिमान्य मतों की संख्या.....

निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की संख्या.....

कोटा (अभ्यर्थी का निर्वाचन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त मतों की संख्या).....

अभ्यर्थियों के नाम	प्रथम गणना	द्वितीय गणना		तृतीय गणना		चतुर्थ गणना		निर्वाचित अभ्यर्थियों के नाम और निर्वाचन क्रम
	हर एक अभ्यर्थी को मिले मत	निम्नलिखित का अंतरण परिणाम		निम्नलिखित का अंतरण परिणाम		निम्नलिखित का अंतरण परिणाम		
अनन्तरणीय कागज-पत्र भिन्नों के कारण								
हुई हानि								
जोड़								

मैं घोषणा करता हूं कि--

(1) श्री/श्रीमती..... (नाम)
..... (पता)

[3][जो.....(मान्यताप्राप्त/रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए/की गई हैं ।]

(2) श्री/श्रीमती..... (नाम)

..... (पता)

आदि सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं/हो गई हैं ।

हस्ताक्षर.....

रिटर्निंग आफिसर

तारीख.....20.....

[1] अधिसूचना सं0 का0 आ0 4542, तारीख 20 दिसम्बर, 1968 द्वारा (1-1-1969 से) पुनःसंख्यांकित ।
[2] अधिसूचना सं0 का0 आ0 4542, तारीख 20 दिसंबर, 1968 द्वारा (1-1-1969 से) प्रतिस्थापित ।
[3] अधिसूचना सं0 का0 आ0 961(अ) , तारीख 29 दिसम्बर, 1986 द्वारा अंतःस्थापित ।

प्ररूप 24

(नियम 85 देखिए)

निर्वाचन का प्रमाणपत्र

मैं,..... विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों

स्थानीय प्राधिकारी
.....निर्वाचन-क्षेत्र/.....विधान सभा के सदस्यों

स्नातक

शिक्षक

द्वारा राज्य सभा/.....विधान परिषद् के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर, एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूं कि मैंने 20.....के.....के.....वें दिन यह घोषित कर दिया है कि [1][श्री/श्रीमती.....जो.....(मान्यता प्राप्त/रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक पार्टी का नाम)] द्वारा खड़े किए गए/की गई हैं] .....राज्य सभा/विधान परिषद् के सदस्य सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं और इसके साक्ष्य स्वरूप मैंने उनको यह निर्वाचन का प्रमाणपत्र अनुदत्त किया है ।

स्थान .....
तारीख.....

.....
रिटर्निंग आफिसर
राज्य सभा/विधान परिषद् के
निर्वाचन के लिए

मुद्रा

[1] अधिसूचना सं0 का0आ0 961(अ) तारीख, 29 दिसम्बर, 1986 द्वारा अंतःस्थापित ।

[1][प्ररूप 24क
(नियम 85ख देखिए)

[यह प्ररूप आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 139 के अधीन संबंधित वित्तीय वर्ष के दौरान राजनैतिक दल की आय की विवरणी प्रस्तुत करने के लिए नियत तारीख से पूर्व निर्वाचन आयोग के समक्ष फाइल किया जाना चाहिए और इस आशय का एक प्रमाणपत्र आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन छूट का दावा करने के लिए आय-कर विवरणी के साथ संलग्न किया जाना चाहिए ।]

1. राजनैतिक दल का नाम :
2. राजनैतिक दल की प्रास्थिति
   (मान्यताप्राप्त/ अमान्यताप्राप्त) :
3. राजनैतिक दल के मुख्यालय का पता :
4. निर्वाचन आयोग के पास राजनैतिक दल के
   रजिस्ट्रीकरण की तारीख :
5. स्थायी खाता सं.(पेन) और वह आय-कर वार्ड/
   सर्किल जहां राजनैतिक दल की विवरणी फाइल
   की जानी है.....
6. वित्तीय वर्ष 200 -200 के दौरान प्राप्त ऐसे अभिदायों के जो बीस हजार रुपए से अधिक है, ब्यौरे -

क्रम सं.	अभिदात्री व्यक्ति/ कंपनी का नाम और पूरा पता	पेन (यदि कोई हो) और आय-कर वार्ड / सर्किल	अभिदाय की रकम	अभिदाय की रीति। (चैक/ मांगदेय ड्राफ्ट/ नकद)	टिप्पणियां

*चैक/ मांगदेय ड्राफ्ट द्वारा संदाय की दशा में, उस बैंक या बैंक की शाखा का नाम जिस पर चैक/ मांगदेय ड्राफ्ट लिखा गया है ।

7. यदि अभिदायी एक कंपनी है तो क्या कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 239क के अधीन अधिकथित शर्तों का अनुपालन किया गया है (कंपनी से अभिप्राप्त इस आशय के प्रमाणपत्र की एक प्रति संलग्न की जानी चाहिए) ।

सत्यापन

मैं,.....(स्पष्ट अक्षरों में पूरा नाम) पुत्र/ पुत्री.....सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूं कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, इस प्ररूप में दी गई जानकारी ठीक, पूर्ण और सही तौर पर बताई गई है ।

मैं यह घोषणा करता हूं कि मैं, ऊपर नामित राजनैतिक दल की ओर से.....की अपनी हैसियत में इस प्ररूप को सत्यापित कर रहा हूं और मैं ऐसा करने के लिए सक्षम भी हूं ।

(कोषाध्यक्ष/ प्राधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर और नाम)

तारीख : .....

स्थान :.....

[1] अधिसूचना सं. का0 आ0 1283 (अ), तारीख 10 नवंबर, 2003 द्वारा अंतःस्थापित ।

[1][प्ररूप 25

(नियम 94क देखिए)

शपथ-पत्र

मैं.....साथ भेजी जा रही निर्वाचन अर्जी में जो श्री/श्रीमती.....

(उक्त अर्जी में प्रत्यर्थी संख्यांक.....)के निर्वाचन को प्रश्नगत करती है, का अर्जीदार सत्यनिष्ठित प्रतिज्ञान करता/शपथ लेता हूं और कहता हूं कि--

(क) साथ भेजी जा रही निर्वाचन अर्जी के पैरा.....में.....*के भ्रष्ट आचरण करने की बाबत किए गए कथन और उसी अर्जी के पैरा.....में और उसके साथ उपाबद्ध अनुसूची के पैरा.....में वर्णित ऐसे भ्रष्ट आचरण की विशिष्टियां मेरे ज्ञान के अनुसार सत्य हैं ;

(ख) उक्त अर्जी के पैरा .....में.....*के भ्रष्ट आचरण के करने की बाबत किए गए कथन और उक्त अर्जी के पैरा.....में और उसके साथ उपाबद्ध अनुसूची के पैरा.....में दी गई भ्रष्ट आचरण की विशिष्टियां मेरी जानकारी के अनुसार सत्य हैं ;

(ग) .....
(घ) .....
आदि,

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

श्री/श्रीमती.....ने.....में.....20 के आज.....वें दिन मेरे समक्ष सत्यनिष्ठित प्रतिज्ञान किया/शपथ ग्रहण की ।

प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट/नोटरी/शपथ आयुक्त]

---

* यहां भ्रष्ट आचरण का नाम विनिर्दिष्ट कीजिए ।

[1] अधिसूचना सं0 का0 आ0 597(अ) , तारीख 27 फरवरी, 1962 द्वारा जोड़ा गया ।

[1][प्ररूप 26
(नियम 4क देखिए)

.....निर्वाचन क्षेत्र से
(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)
.....(सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथपत्र

मैं,.....पुत्र/ पुत्री/ पत्नी.....आयु.....वर्ष, जो.....का/ की निवासी हूं और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूं, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं / करती हूं / शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूं / करती हूं :-

1. मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूं जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं ।

(यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी) :

(i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं .....

(ii) पुलिस थाना (थाने)..... .....जिला (जिले).....राज्य

(iii) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी आरोपित किया गया है .....

(iv) न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों की विरचना की गई) .....

(v) तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किए गए थे .....

(vi) क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं .....

2. मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास

(यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा):

(i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं .....

(ii) न्यायालय, जिसने दंडित किया है .....

(iii) पुलिस थाना (थाने) ..... जिला (जिले) ..... राज्य .....

(iv) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी कभी आरोपित किया गया है .....

(v) तारीख (तारीखें) जिनको दंडादेश सुनाया गया था/सुनाए गए थे .....

(vi) क्या दंडादेश सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोका गया है/रोके गए हैं .....

स्थान :

तारीख :

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं, ऊपर नामित अभिसाक्षी, यह सत्यापित और घोषित करता/करती हूं कि इस शपथपत्र की अंतर्वस्तु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है और कोई तात्विक बात छिपायी नहीं गई है ।

..... स्थान पर आज तारीख ..... को सत्यपित किया ।

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

टिप्पण : इस प्ररूप के वे स्तंभ, जो अभिसाक्षी को लागू नहीं है, काट दिए जाएं ।]

[1] अधिसूचना सं0 का0आ0 935 (अ), तारीख 3 सितम्बर, 2002 द्वारा अंतःस्थापित ।

अनुसूची

(नियम 83 देखिए)

[1][जब एक से अधिक स्थान भरे जाने हों तब निर्वाचन में एकल संक्रमणीय मत पद्धति से मतों की गणना के लिए प्रक्रिया का दृष्टांत।]

मान लीजिए कि सात सदस्य निर्वाचित होने हैं, सोलह अभ्यर्थी हैं और एक सौ चालीस निर्वाचक हैं ।

विधिमान्य मतपत्र हर एक अभ्यर्थी के लिए अभिलिखित प्रथम अधिमान्य क्रम से पृथक्-पृथक् पार्सलों में रखे गए हैं और हर पार्सल में के मतपत्रों की गणना कर ली गई है ।

मान लिया जाए कि परिणाम निम्नलिखित रूप में है––

क	12
ख	8
ग	6
घ	9
ङ	10
च	7
छ	4
ज	19
झ	13
ञ	5
ट	14
ठ	8
ड	10
ढ	6
ण	4
त	5
जोड़	140

हर एक विधिमान्य मतपत्र की बाबत यह समझा जाता है कि उसका मूल्यांकन एक सौ है और क्रमागत अभ्यर्थियों द्वारा अभिप्राप्त मतों के मूल्यांकन वे हैं जो कि परिणामपत्र के प्रथम स्तम्भ मे दर्शित हैं ।

सब मतपत्रों का मूल्यांकन एक साथ जोड़ा जाता है और 14,000 जोड़ को आठ से (अर्थात् उस संख्या से जो कि भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या से एक अधिक है) भाग दिया जाता है ओर 1,751 अर्थात् भागफल 1,750 में जोड़कर वह संख्या है जो सदस्य का निर्वाचन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त है और उसे कोटा कहा जाता है ।

यह प्रक्रिया ऐसे दर्शित की जा सकती है––

$$\text{कोटा} \; x \; \frac{14,000}{8} + 1 - 1,750 + 1 = 1,751$$

अभ्यर्थी ज, जिसके मतों का मूल्यांकन कोटा से अधिक है, निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है ।

क्योंकि ज के पार्सल में के मतपत्रों का मूल्यांकन कोटा से अधिक है इसलिए उसके अधिशेष मत अन्तरित किए जाने चाहिए । उसका अधिशेष 149, अर्थात् 1,900 में से 1,751 घटाकर है ।

यह अधिशेष मूल मतों से पैदा होता है और इसलिए ज के सब मतपत्र उन पर अभिलिखित अगले अधिमानों के अनुरूप उप-पार्सलों में विभाजित किए जाते हैं और निश्शेषित मतपत्रों का एक पृथक् पार्सल भी बनाया जाता है ।

---

[1] अधिसूचना सं0 का0आ0 3662, तारीख 12 अक्तूबर, 1964 द्वारा प्रतिस्थापित ।

मान लिया जाए कि परिणाम निम्नलिखित है--

ख अगले उपलभ्य अधिमान के रूप में.....7 मतपत्रों पर चिह्नित है ।
घ अगले उपलभ्य अधिमान के रूप में.....4 मतपत्रों पर चिह्नित है ।
ड़ अगले उपलभ्य अधिमान के रूप में.....4 मतपत्रों पर चिह्नित है ।
च अगले उपलभ्य अधिमान के रूप में.....3 मतपत्रों पर चिह्नित है ।

अनिश्शेषित मतपत्रों का जोड़	18
निश्शेषित मतपत्रों की संख्या	1
मतपत्रों का जोड़	19

उप-पार्सलों में के मतपत्रों का मूल्यांकन निम्नलिखित रूप में है :--

ख.....700
घ.....400
ङ.....400
च.....300

अनिश्शेषित मतपत्रों का कुल मूल्यांकन	1,800
निश्शेषित मतपत्रों का मूल्यांक	100
कुल मूल्यांक	1,900

अनिश्शेषित मतपत्रों का मूल्यांक 1,800 है और अधिशेष से अधिक है इसलिए यह अधिशेष निम्नलिखित रूप में अन्तरित किया जाता है :--

सब अनिश्शेषित मतपत्र अन्तरित किए जाते हैं, किन्तु अन्तरित किए जाते हैं न्यूनीकृत मूल्यांकन पर जो मूल्यांक अधिशेष को अनिश्शेषित मतपत्रों की संख्या से भाग देकर अभिनिश्चित किया जाता है ।

जब सब मतपत्रों का न्यूनीकृत मूल्यांक एक साथ जोड़ा जाता है तब वह भिन्नों की उपेक्षा के फलस्वरूप जाते रहे किसी मूल्यांक के साथ जोड़े जाने पर अधिशेष के बराबर होता है । इस अवस्था में हर एक अन्तरित मतपत्र का नया मूल्यांक --

$$\frac{149(\text{अधिशेष})}{18\ (\text{अनिश्शेषित मतपत्रों की संख्या})}$$

हर एक मतपत्र के मूल्यांकन का शेष अर्थात् (100-8= 92) जो अपना कोटा गठित करने के लिए ज द्वारा अपेक्षित है, अर्थात् एक निश्शेषित मतपत्र का मूल्यांक (100) +18 अनिश्शेषित मतपत्रों का मूल्यांक (1,656) है ।

अन्तरित उप-पार्सलों के ये मूल्यांक :--

ख = 56 (अर्थात् 8 मूल्यांक की दर से सात मतपत्र)
घ = 32 (अर्थात् 8 मूल्यांक की दर से चार मतपत्र)
ङ = 32 (अर्थात् 8 मूल्यांक की दर से चार मतपत्र)
च = 24 (अर्थात् 8 मूल्यांक की दर से तीन मतपत्र),

ये क्रियाएं अन्तरण-पत्र पर निम्नलिखित रूप में दर्शित की जा सकती हैं--

अन्तरण-पत्र

अन्तरित किए जाने वाले ज के अधिशेष का मूल्यांक.....149

ज के पार्सलों में मतपत्रों की संख्या..... 19

पार्सलों में हर एक मतपत्र का मूल्यांक.....100

अनिश्शेषित मतपत्रों की संख्या.....18

अनिशशेषित मतपत्रों का मूल्यांक.....1,800

हर एक अन्तरित मतपत्र का नया मूल्यांक = $\frac{\text{अधिशेष}}{\text{अनिश्शेषित मतपत्रों की संख्या}} \quad \frac{149}{18} = 8$

अगले उपलभ्य अधिमान के रूप में चिह्नित अभ्यर्थियों के नाम		अंतरित किए जाने वाले मतपत्रों की संख्याएं	अंतरित किए जाने वाले उप-पार्सलों का मूल्यांकन
ख.		7	56
घ.		4	32
ङ.....		4	32
च.		3	24
	जोड़	18	144
निश्शेषित मतपत्रों की संख्या		1	..
भिन्नों की उपेक्षा करने से जाते रहे मूल्यांक		..	5
	जोड़	19	149

उप-पार्सलों के मूल्यांक अभ्यर्थी **ख, घ, ङ** और **च** के नाम पहले से ही जमा किए गए मतों के मूल्यांक के साथ जोड़े जाते हैं । यह क्रिया परिणामपत्र पर दर्शित की जाती है ।

अतिरिक्त अधिशेष न होने पर अब उस अभ्यर्थी को, जो मतदान में निम्नतम स्थान रखता है, अपवर्जित किया जाता है । **छ** और **ण** दोनों के 400 मूल्यांक हैं ।

रिटर्निंग आफिसर लाट डालता है और **छ** अपवर्जित किए जाने के लिए चुना जाता है ।

मूल मत होने के कारण छ के मतपत्र प्रति मतपत्र 100 मूल्यांक से अंतरित किए जाते हैं । **क**, जो दो मतपत्रों में अगले अधिमान के रूप में चिह्नित किया गया था, 200 मूल्यांक प्राप्त करता है जब कि **घ** और **ङ** को जो दोनों एक मतपत्र पर अगले अधिमान के रूप में चिह्नित किए गए हैं, हर एक को 100 मूल्यांक प्राप्त होने हैं । अब निम्नतम होने के कारण **ण** आगे अपवर्जित किया जाता है और उसके 400 मूल्यांक इसी प्रकार, **झ**, **ख** और **ट** को अंतरित किए जाते हैं, **झ** को 200 मूल्यांक प्राप्त होते हैं और **ख** और **ट** में से हर एक को 100 मूल्यांक प्राप्त होते हैं ।

परिणामस्वरूप **अ** और **त** में से हर एक को 500 मूल्यांक मिलते हैं और वे निम्नतम रह जाते हैं और लाट द्वारा पहले **ञ** अपवर्जन के लिए चुना जाता है । उसके मतपत्र 100 मूल्यांक प्रति मतपत्र से **क, ख, घ** और **झ** को अंतरित किए जाते हैं, पहले नामांकित तीन व्यक्तियों में से हर एक को 100 मूल्यांक प्राप्त होते हैं और **झ** को, जो दो मतपत्रों पर अगले अधिमान के रूप में चिह्नित है, 200 मूल्यांक प्राप्त होते हैं । तब अपवर्जित कर दिया जाता है और उसके मतपत्र **ङ, ठ** और **ट** को अंतरित किए जाते हैं, पहले नामांकित दो व्यक्तियों में से हर एक को 100 मूल्यांक प्राप्त होते हैं और **ट** को, जो तीन मतपत्रों पर अगले अधिमान के रूप में चिह्नित है, 300 मूल्यांक प्राप्त होते हैं ।

ट अब कोटा पार कर गया है और इसलिए यह निर्वाचित घोषित किया जाता है ।

आगे अपवर्जन के पूर्व **ट** का अधिशेष 49 वितरित किया जाता है ।

ट को अंतिम बार अंतरित उप-पार्सल में प्रति मतपत्र 100 मूल्यांक से अंतरित 3 मत हैं । इस उप-पार्सल की परीक्षा की जाती है । उसमें कोई निश्शेषित मतपत्र नहीं है और **ख, च** और **झ** में से हर एक मतपत्र पर अगले अधिमान के रूप में चिह्नित है और उनमें से हर एक को एक मतपत्र उस न्यूनीकृत मूल्यांक पर, जो कि अधिशेष (49) को अनिश्शेषित मतपत्र (3) की संख्या से भाग देकर अवधारित किया जाता है, अंतरित किया जाता है । **ख, च** और **झ** में से हर एक को तदनुसार 16 प्राप्त होते हैं ।

अपवर्जन की प्रक्रिया अब आगे चलाई जाती है ।

ग और ढ में से हर एक के 600 मूल्यांक हैं, और ग लाट द्वारा पहले अपवर्जित किए जाने के लिए चुना जाता है । उसके 6 मूल मत हैं, इसमें से दो मतपत्रों पर ख, घ और ङ में से हर एक अगले अधिमान के रूप में चिह्नित है और हर एक 200 मूल्यांक प्राप्त करता है । ढ तब अपवर्जित किया जाता है ; क उसके मतपत्रों में से 3 पर अगले अधिमान के रूप में चिह्नित है और मूल्यांक 300 मूल्यांक प्राप्त करता है, च, झ और ट में से प्रत्येक एक मतपत्र पर अगले अधिमान के रूप में चिह्नित है और हर एक 100 मूल्यांक प्राप्त करता है ।

परिणामस्वरूप क और झ कोटा से ऊपर पहुंच जाते हैं और वे निर्वाचित घोषित कर दिए जाते हैं । उनके अधिशेष को अब वितरित किया जाना है और अधिक होने कारण झ के अधिशेष 65 की बाबत पहले कार्यवाही की जाती है ।

झ को अन्तरित अन्तिम उप-पार्सल में एक मतपत्र है जो 100 मूल्यांक पर अन्तरित किया जाता है, घ इस मतपत्र पर अगले अधिमान के रूप में चिह्नित है और उसे 65 का सारा अधिशेष प्राप्त हो जाता है ।

तब क के अधिशेष 49 की बाबत कार्यवाही की जाती है । उसे अन्तरित अन्तिम उप-पार्सल में प्रति मतपत्र 100 मूल्यांक से अन्तरित 3 मतपत्र हैं । इन मतपत्रों में से दो पर ख अगले अधिमान के रूप में चिह्नित हैं और ङ एक पर है और तदनुसार ये मतपत्र अन्तरित किए जाते हैं । अन्तरित किए जाने वाले मूल्यांक प्रति मतपत्र 16 है, अर्थात् अधिशेष (49) को अनिश्शेषित मतपत्र (3) की संख्या द्वारा विभक्त करके ख को तदनुसार 32 मूल्यांक प्राप्त होते हैं और ङ को 16 मूल्यांक ।

किसी अन्य अभ्यर्थी के कोटा तक न पहुंचने के कारण अपवर्जन की प्रक्रिया आगे चलाई जाती है और च जो 840 मूल्यांक के कारण अब निम्नतम है अपवर्जित किया जाता है ।

उसके 7 मूल मत पहले अन्तरित किए जाते हैं । तीन, दो और दो मतपत्रों पर क्रमशः च, घ और ङ के अगले अधिमान के रूप में चिह्नित है और क्रमशः 300, 200 और 200 मूल्यांक प्राप्त करते हैं ।

अन्तरित मत अपने अन्तरित किए जाने के क्रम में च को अन्तरित किए जाते हैं । ज के अधिशेष के वितरण में प्रति मतपत्र आठ मूल्यांक से प्राप्त 3 मत उसी मूल्यांक पर ठ को अन्तरित किए जाते हैं । जो सभी तीन मतपत्रों पर अगले अधिमान के रूप में चिन्हित था ।

ट के अधिशेष के विवरण में च द्वारा सोलह मूल्यांक वाले प्राप्त मत उसी मूल्यांक ङ को जाते हैं जो उस मतपत्र पर अगले अधिमान के रूप में चिह्नित था । द के अपवर्जन पर 100 के मूल्यांक पर अन्तरित मत उसी मूल्यांक पर घ को अन्तरित किया जाता है जो इस प्रकार कुल 300 मूल्यांक प्राप्त करता है ।

किसी बने रहने वाले अभ्यर्थी द्वारा अभी तक अधिशेष तक न पहुंचने के कारण ढ, जो अब 1016 मूल्यांक के कारण निम्नतम है, अपवर्जित किया जाता है ।

उसके दस मूल मत पहले अन्तरित किए जाते हैं । ख और घ में से हर एक तीन मतपत्रों पर प्रथम अधिमान के रूप में चिन्हित है और ङ और ठ में से हर एक दो मतपत्रों पर ख और घ में से हर एक को तदनुसार 300 मूल्यांक प्राप्त होते हैं और ठ में से हर एक को 200 मूल्यांक प्राप्त होते हैं । परिणामस्वरूप ख, घ और ङ कोटा से ऊपर पहुंच जाते हैं और वे निर्वाचित घोषित कर दिए जाते हैं । अभ्यर्थियों की अपेक्षित संख्या के अब निर्वाचित हो जाने पर निर्वाचन समाप्ति पर है और ङ के अन्तरित मतों के अन्तरण के लिए आगे कार्यवाही करना आवश्यक है ।

परिणामपत्र में पूरे-पूरे ब्यौरे दर्शित किए गए हैं ।

परिणाम-पत्र

मतों का मूल्यांक 14,000

कोटा = 14000 / 8 + 1 = 1751

अभ्यर्थी का नाम	पहली गणना में मतों का मूल्यांक	ज के अधिशेष का वितरण		**छ और ण के मतों का वितरण**	**परिणाम**	**झ और त के मतो का वितरण**	**परिणाम**	**ट के अधिशेष का वितरण**
1	2	3	4	5	6	**7**	8	9
क.....	1,200	----	1,200	+200	1,400	+100	1,500	----
ख.....	800	+56	856	+100	956	+100	1056	+16
ग.....	600	----	600	----	600	----	600	----
घ.....	900	+32	932	+100	1,032	+100	1,132	----
ङ.....	1,000	+32	1,032	+100	1,132	+100	1,232	----
च.....	700	+24	724	----	724	----	724	+16
छ.....	400	----	400	-400	----	----	----	----
ज.....	1,900	-149	1,751	----	1,751	----	1,751	----
झ.....	1,300	----	1,300	+200	1,500	+200	1,700	+16
ञ.....	500	----	500	----	-500	-500	----	----
ट.....	1,400	----	1,400	+100	1,500	+300	1800	-49
ठ.....	800	----	800	----	800	+100	900	----
ड.....	1000	----	1,000	----	1,000	----	1,000	----
ढ.....	600	----	600	----	600	----	600	----
ण.....	400	----	-400	-400	----	----	----	----
त.....	500	----	500	----	-500	-500	----	----
भिन्नों की उपेक्षा से जाते रहे मूल्यांक.....	----	+ 5	5	----	5	-----	5	**+ 1**
जोड़.....	14,000	-----	14,000	----	14,000	-----	14,000	----

परिणाम-पत्र जारी

मतों का मूल्यांक 14,000

कोटा = $\frac{14000}{8} + 1 = 1751$

परिणाम	ग और ड के मतों का वितरण	परिणाम	झ और क के अधिशेष का वितरण	परिणाम	च के मतों का वितरण	परिणाम	ड के मतों का वितरण	परिणाम	निर्वाचन
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1,500	+300	1,800	+49	1,751	--	1,751	--	1,751	निर्वाचित
1,072	+200	1,272	+32	1,304	+300	1,604	+300	1,904	निर्वाचित
600	- 600	--	--	--	--	--	--	--	अनिर्वाचित
1,132	+ 200	1,332	+65	1,397	+300	1,697	+300	1,997	निर्वाचित
1,232	+200	1,432	+ 16	1,448	+200	1,648	+200	1,848	निर्वाचित
740	+100	840	--	840	- 840	--	--	--	अनिर्वाचित
--	--	--	--	--	--	--	--	--	अनिर्वाचित
1,751	--	1,751	--	1,751	--	1,751	--	1,751	निर्वाचित
1,716	+100	1,816	- 65	1,751	--	1,751	--	1,751	निर्वाचित
--	--	--	--	--	--	--	--	--	अनिर्वाचित
1,751	--	1,751	--	1,751	--	1,751	--	1,751	निर्वाचित
900	+100	1,000	--	1,000	+24	1,024	+ 200	1,224	अनिर्वाचित
1,000	--	1,000	--	1,000	+16	1,016	1,000	+16	अनिर्वाचित
600	- 600	--	--	--	--	--	--	--	अनिर्वाचित
--	--	--	--	--	--	--	--	--	अनिर्वाचित
--	--	--	--	--	--	--	--	--	अनिर्वाचित
6	--	6	+1	7	--	7	--	7	
14,000	--	14,000	--	14,000	--	14,000	--	14,000	